चतुर्थ माला, खंड 14, अंक 21

Tuesday, 26 March, 1968

Fourth Series, Vol. XIV, No. 21

# लोक-सभा वाद-विवाद

# का

# संक्षिप्त अनूदित संस्करण

# SUMMARISED TRANSLATED VERSION OF 4th LOK SABHA DEBATES

[ चौथा सत्र
Fourth Session ]

[खंड 14 में अंक 21 से 30 तक हैं
Vol. XIV contains Nos. 21—30]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली
LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : एक रुपया

Price : One Rupee.

# विषय-सूची/Contents

अंक 30—मंगलवार, 26 मार्च 1968/6 चैत्र, 1890 (शक)

No. 30—Tuesday, March 26, 1968/Chaitra 6, 1890 (Saka)

## प्रश्नों के मौखिक उत्तर — ORAL ANSWERS TO QUESTIONS


| तारां० प्र० संख्या S. Q. Nos. | विषय | SUBJECT | पृष्ठ/PAGES |
|---|---|---|---|
| 838 | खाद्य पदार्थों के विशिष्ट नमूनों में एकरूपता | Uniformity in Specifications of Food Articles | 1368—70 |
| 839 | रांची स्थित हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन में अशान्ति | Unrest in Heavy Engineering Corporation, Ranchi | 1370—75 |
| 840 | संयुक्त उपक्रमों में विदेशियों द्वारा अधिक पूंजी का लगाया जाना | Majority Participation by Foreigners in Joint Ventures | 1375 |
| 841 | मन्दी का मुकाबला करने के लिए निर्यात | Exports to Fight out Recession | 1377—81 |
| 842 | हैवी इंजीनियरिंग प्लांट तथा माइनिंग ऐंड एलाइड मशीनरी कारपोरेशन, दुर्गापुर | Heavy Engineering Plant and Mining and Allied Machinery Corporation, Durgapur | 1381—83 |
| 843 | मैसर्स बैनेट कोलमैन एण्ड कम्पनी लिमिटेड | M/s. Bennett Coleman and Co. Ltd. | 1383—85 |
| 844 | रेलवे कर्मचारियों को निःशुल्क पास और पी० टी० ओ० | Free Passes and Privilege Ticket Orders to Railway Staff | 1385 |
| 845 | रेलवे भोजन व्यवस्था सम्बन्धी समिति | Committee on Railway Catering | 1385—86 |


†किसी नाम पर अंकित यह + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

†The sign + marked above the name of a Member indicates that the question was actually asked on the floor of the House by him

| ता० प्रा० संख्या S. Q. Nos. | विषय | SUBJECT | पृष्ठ PAGES |
|---|---|---|---|
| 846 | आयात लाइसेंसों का दुरुपयोग | Misuse of Import Licences . . | 1386 |
| 847 | फिएट कारों का आवंटन | Allotment of Fiat Cars . . . | 1386-87 |
| 848 | रेलवे कर्मचारियों को रियायतें | Concessions to Railway Employees . | 1387 |
| 849 | निर्यात-आयात नीति | Export-Import Policy . . . . | 1387-88 |
| 850 | माल गाड़ियों के साथ सशस्त्र पुलिस दस्ते का चलना | Armed Police Contingent to accompany Goods Trains . . . . . | 1388 |
| 851 | कागज उद्योग का विकास | Development of Paper Industry . | 1388-89 |
| 852 | कपास के व्यापार को हानि से बचाने की सुविधायें | Hedging Facilities in Cotton Trade . | 1389 |
| 853 | कागज और गत्ते का उत्पादन | Production of Paper and Paper Board . | 1389-90 |
| 854 | खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग | Khadi and Village Industries Commission . . . . . | 1390 |
| 855 | रेलवे में अत्यावश्यक तथा अनत्यावश्यक कर्मचारियों का वर्गीकरण | Categorisation of Essential and Non-essential Railway Employees . . . | 1390-91 |
| 856 | अन्तर्राष्ट्रीय बाजारों में भारतीय चाय के मूल्य | Price of Indian Tea in International markets | 1391 |
| 857 | पेट्रोलियम की जेलियों के आयात पर प्रतिबंध | Ban on Imports of Petroleum Jellies . | 1392 |
| 858 | छोटी कार परियोजना | Small Car Project . . . . | 1392 |
| 859 | दुर्गापुर इस्पात कारखाने का विस्तार | Expansion of Durgapur Steel Plant . | 1393 |
| 860 | तालचेर उद्योग समूह परियोजना | Talcher Industrial Complex Project . | 1393 |
| 861 | समाजवादी देशों के साथ व्यापार | Trade with Socialist Countries | 1393-94 |
| 862 | देश में ट्रैक्टरों के टायरों की कमी | Shortage of Tractor Tyres in the Country . | 1394-95 |
| 863 | बम्बई में सूती कपड़ा मिलों का बन्द होना | Closure of Textile Mills in Bombay . . | 1395 |
| 864 | कोयम्बतूर स्टेशन पर कपास की गांठों का जलना | Burning of Bales of Cotton at Coimbatore Station . . . . . | 1395—96 |

| ता० प्र० संख्या S. Q. Nos. | विषय | SUBJECT | पृष्ठ/PAGES |
|---|---|---|---|
| 865 | पोल्यरेथेन फोम का आयात | Import of Polyurethane Foam . . | 1396 |
| 866 | खनन तथा सहायक मशीन निगम, दुर्गापुर | Mining and Allied Machinery Corporation, Durgapur . . . . . | 1397 |
| 867 | श्रीलंका में मशीनी औजार कारखाना | Machine Tools Factory, Cylone . . | 1397—98 |
| अतारांकित प्रश्न संख्या | | UNSTARRED QUESTION | |
| 5187 | ग्लोव फाइनेंशियर्स और सिक्योरिटी फाइनेंस लिमिटेड, नई दिल्ली | Globe Financiers and Security Finance Ltd., New Delhi . . . . | 1398 |
| 5188 | टाइपराइटरों का आयात | Import of Typewriters | 1398 |
| 5189 | हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन, रांची | Heavy Engineering Corporation, Ranchi . | 1398—99 |
| 5190 | हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन, रांची | Heavy Engineering Corporation Ranchi | 1399-1400 |
| 5191 | चाय बोर्ड के अधिकारियों द्वारा विदेश यात्रा | Foreign Tours by Tea Board Officers | 1400 |
| 5192 | मैटल स्क्रैप ट्रेड कारपोरेशन | Metal Scrap Trade Corporation . | 1400-1401 |
| 5194 | उत्तर प्रदेश और बिहार में लाइसेंस जारी किये जाना | Issue of Licence in Uttar Pradesh and Bihar . . . . . | 1401 |
| 5195 | दिवालिया कम्पनियां | Bankrupt Companies . . . . | 1401-1402 |
| 5196 | टीटलागढ़ स्टेशन के रेलवे ठेकेदार | Railway Contractors at Titlagarh Station . | 1402 |
| 5197 | टीटलागढ़ स्टेशन पर गुड्स शेड | Goods shed at Titlagarh Station . . | 1402-1403 |
| 5198 | टीटलागढ़ स्टेशन पर ठंडे पानी का न मिलना | Non-availability of cold water at Titlagarh Station . . . . . | 1403 |
| 5199 | पश्चिम रेलवे कर्मचारी यूनियन | Western Railway Workers' Union . | 1403 |
| 5200 | निजामाबाद रेलवे स्टेशन | Nizamabad Railway Station | |
| 5201 | निजामाबाद रेलवे स्टेशन का यार्ड | Nizamabad Railway Station Yard | 1403-1404 |
| 5202 | हिन्दुस्तान मशीन टूल्स द्वारा घड़ियों का निर्माण | Manufacture of Watches by H.M.T. . | 1404-1405 |
| 5203 | अफगानिस्तान से मेवों का आयात | Import of Dry Fruits from Afghanistan . | 1405 |

| अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos. | विषय | SUBJECT | पृष्ठ/PAGES |
|---|---|---|---|
| 5204 | रेलवे कन्डक्टर गार्डों के काम के बारे में परिपत्र | Circular Re. Duties of Railway Conductors Guards | 1405 |
| 5205 | मोटर के पुर्जों आदि के निर्माण में आत्मनिर्भरता | Self sufficiency in Manufacture of Motor parts etc. | 1405-1406 |
| 5206 | अंगूरों की खेती | Grape cultivation | 1406 |
| 5207 | राज्य व्यापार निगम द्वारा 'नाटू' तम्बाकू और मिर्चों की खरीद | Purchases of Natu Tobacco and chillies by S.T.C. | 1406-1407 |
| 5208 | सफदरजंग हवाई अड्डे के समीप के फाटक पर ऊपरि पुल | Overbridge at crossing near Safdarjung Air Port, New Delhi | 1407 |
| 5209 | मद्रास के पत्तनों से खनिज अयस्कों का निर्यात | Export of Mineral ores through Madras Ports | 1407-1408 |
| 5210 | रेलवे में अनुसूचित जातियों की भर्ती | Recruitment of Scheduled Castes on Railways | 1408 |
| 5211 | इम्पीरियल केमिकल इंडस्ट्रीज के यूरोपीय कर्मचारियों को दिया गया वेतन | Salary paid to European Staff of Imperial Chemical Industries | 1408-1409 |
| 5212 | डीजल लोकोमोटिव वर्क्स, वाराणसी | Diesel Locomotive Works, Varanasi | 1409 |
| 5214 | राज्य व्यापार निगम द्वारा पटसन का क्रय | Purchases of Jute by State Trading orporation | 1409 |
| 5215 | सकलडीह स्टेशन का विद्युतीकरण | Electrification of Sakaldiha Station | 1409-1410 |
| 5217 | आयात की जाने वाली वस्तुओं के स्थान पर देसी वस्तुओं का प्रयोग | Import Substitution | 1410 |
| 5219 | हैवी मशीन बिल्डिंग प्लाँट, राँची | Heavy Machine Building Plants, Ranchi | 1410 |
| 5220 | दुर्गापुर इस्पात कारखाना | Durgapur Steel Plant | 1411 |
| 6221 | दुर्गापुर इस्पात कारखाना | Durgapur Steel Plant | 1411-12 |
| 5222 | औद्योगिक लाइसेंस समिति | Industrial Licensing Committee | 1412 |
| 5223 | रोल्ड इस्पात का आयात | Import of Rolled Steel | 1412—13 |
| 5224 | टैक्सटाइल कमिश्नर, बम्बई के विरुद्ध आरोप | Charges against Textile Commissioner, Bombay | 1413 |

| अता० प्र० संख्या U.S.Q. Nos. | विषय | SUBJECT | पृष्ठ/ PAGES |
|---|---|---|---|
| 5225 | यातायात लेखा कार्यालयों में कर्मचारियों की स्वीकृत तथा कार्यकारी संख्या | Sanctioned and working strength of staff in traffic accounts offices . . . . | 1413-14 |
| 5226 | औद्योगिक एकक | Industrial Units . . . . . | 1414 |
| 5227 | दक्षिण रेलवे के पुल कर्मचारियों की छंटनी | Retrenchment on bridge staff of Southern Railway . . . . . | 1414 |
| 5228 | दुर्गापुर इस्पात कारखाना | Durgapur Steel Plant . . . | 1415 |
| 6229 | चीफ इंजीनियर, खेत्री तांबा परियोजना | Chief Engineer, Khetri Copper Project | 1415 |
| 5230 | हिन्द गैल्वनाइजिंग एण्ड इंजीनियरिंग कम्पनी, (प्रा०) लिमिटेड | Hind Galvanising and Engineering Co. (P) Ltd. . . . . | 1416 |
| 5231 | स्टेण्डर्ड ड्रम एण्ड बैरल मैनुफैक्चरिंग कम्पनी | Standard Drum and Barrel Mfg. Co. . | 1416-17 |
| 5232 | सीमेंट नियंत्रण तथा समन्वय संगठन | Cement Allocation and Coordinating Organisation . . . . . | 1417-18 |
| 5233 | भारतीय रेलवे इंजन मैकेनिकल कर्मचारी संस्था | Indian Railways Loco Mechanical Staff Association . . . . . | 1418 |
| 5234 | डीजल लोको शेडों में मैकेनिकल कर्मचारी | Mechanical Staff in Diesel Loco Sheds | 1418 |
| 5235 | लोको, शेड दिल्ली में गोलमाल | Misappropriation in Loco Shed, Delhi . | 1418 |
| 5236 | भारतीय रेलों की ट्रैफिक एकाउण्ट्स ब्रांचों में कर्मचारियों की स्वीकृत तथा वास्तविक संख्या | Sanctioned and Working Strength in Traffic Accounts Branches of Indian Railways . | 1418-19 |
| 5237 | केरल में विशेष मिश्रित इस्पात कारखाना | Special Steel Alloy Factory in Kerala . | 1419 |
| 5238 | काफी बोर्ड के कर्मचारियों को बोनस | Bonus to Employees of Coffee Board . . | 1419 |
| 6239 | मशीनों का निर्यात | Export of Machinery . . . | 1419-20 |
| 6240 | रेलवे सम्पत्ति का विनास | Destruction of Railway Property . . | 1420 |
| 5241 | खनन उपकरण | Mining Equipment . . | 1420-21 |
| 5242 | खनन उपकरण | Mining Equipment . | 1421-22 |
| 5243 | खेत्री तांबा परियोजना | Khetri Copper Project | 1422 |

| अता० प्र० संख्या U.S.Q. Nos. | विषय | SUBJECT | पृष्ठ |
|---|---|---|---|
| 5244 | दक्षिण-पूर्व रेलवे के बिना चौकीदार वाले फाटकों पर चौकीदार नियुक्त करना | Manning of Unmanned Level Crossings on S. E. Railway . . . . . | 1422 |
| 5245 | कारों और स्कूटरों का निर्माण | Manufacture of Cars and Scooters . . | 1423 |
| 5246 | कारों और स्कूटरों का निर्माण | Manufacture of Cars and Scooters . | 1423-24 |
| 5247 | टायरों और ट्यूबों का मूल्य | Price of Tyres and Tubes . . | 1424 |
| 5248 | जमालपुर रेलवे वर्कशाप | Jamalpur Railway Workshop . . | 1424 |
| 5249 | संयुक्त राष्ट्र का व्यापार तथा विकास सम्बन्धी दूसरा सम्मेलन | UNCTAD-II . . . . . | 1424-25 |
| 5250 | रेलवे द्वारा माल का देर से ले जाया जाना | Movement of Goods on Railways . | 1425 |
| 5251 | बज बज में पटसन मिल में आग लग जाने के कारण नष्ट हुआ पटसन | Jute lost due to Fire in Jute Mill in Budge Budge . . . . . | 1425-26 |
| 5252 | राष्ट्रीय कोयला विकास निगम | National Coal Development Corporation | 1426 |
| 5253 | मन्दी के कारण इंजीनियरी उद्योग पर बुरा प्रभाव | Adverse effect on Engineering Industries due to Recession . . . . . | 1426 |
| 5254 | मण्डपम की सूखी गोदी में "गोशेन' जहाज का धंस जाना | Goshen Ship stuck up at Mandapam Dry-Dock . . . . . | 1427 |
| 5255 | मुरादनगर से गाजियाबाद जाने वाली मालगाड़ी से चोरों द्वारा गुड़ उतार लिया जाना | Udloading of Gur by Thieves from Murad-nagar-Ghaziabad Goods Train . . | 1427-28 |
| 5256 | वाणिज्यिक क्लर्कों की वार्षिक वृद्धियाँ बन्द करना | Stoppage of Increaments of Commercial Clerks . . . . . | 1428 |
| 5257 | तारों और धारियों (केपैसिटर) का आयात | Import of Cables and Capacitors . . | 1428 |
| 5258 | सरकारी पटसन मिल, कटिहार | Government Jute Mills, Katihar . . | 1428-29 |

| अता० प्र० संख्या U.S.Q. Nos. | विषय | SUBJECT | पृष्ठ/PAGES |
|---|---|---|---|
| 5259 | हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन, राँची | Heavy Engineering Corporation, Ranchi | 1429-30 |
| 5260 | दिल्ली-कलकत्ता रेल मार्ग पर तेज रेलगाड़ियां चलाना | Faster Trains on Delhi-Calcutta Route | 1430 |
| 5261 | पी० एल०-480 के अन्तर्गत अमरीकी कपास का आयात | Import of American Cotton under PL-480 | 1430 |
| 5262 | औद्योगिक गृहों द्वारा स्थापित किये गये न्यास | Trusts created by Industrial Houses | 1431 |
| 5263 | सीमेंट उद्योग | Cement Industry | 1431 |
| 5264 | वस्त्र निगम | Textile Corporation | 1431 |
| 5265 | फालतू काफी की खपत | Consumption of surplus Coffee | 1432 |
| 5266 | रेल द्वारा काश्मीर के साथ जम्मू का मिलाया जाना | Linking of Jammu with Kashmir by Rail | 1432 |
| 5267 | चैकोस्लोवाकिया को चमड़े का निर्यात | Export of Leather to Czechoslovakia | 1432 |
| 5268 | विमान द्वारा भूतत्वीय सर्वेक्षण | Aerial Geological Survey | 1433 |
| 5269 | समवाय विधि बोर्ड सेवा | Company Law Board Service | 1433-34 |
| 5270 | कन्नानूर रेलवे स्टेशन के पास भूमिगत मार्ग | Sub-way near Cannanore Railway Station | 1434 |
| 5271 | मध्य प्रदेश के आदिवासी क्षेत्रों में रेलवे लाइनें | Railway lines in tribal areas of Madhya Pradesh | 1434 |
| 5272 | दोहद-खण्डवा और दोहद-इन्दौर रेलवे लाइनें | Dohad-Khandwa and Dohad-Indor Railway Lines | 1435 |
| 5273 | आदिवासी क्षेत्रों में रेलवे लाइन की व्यवस्था | Rail Link in Adivasi Area | 1435 |
| 5274 | संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन | United Nations Industrial Development Organisation | 1436 |
| 5275 | काफी का निर्यात | Export of Coffee | 1436 |
| 5276 | खजूरियाघाट और न्यूजलपाईगुडी सैक्शन पर रेलगाड़ी की दुर्घटना | Collision on Khajuriahghat-New Jalpaiguri Section | 1436-37 |
| 5277 | टायरों तथा ट्यूबों का उत्पादन | Production of Tyres and Tubes | 1437-38 |

| अता० प्र० संख्या U S Q. Nos. | विषय | SUBJECT | पृष्ठ/PAGES |
|---|---|---|---|
| 5278 | सड़क परिवहन का रेलवे की आय पर प्रभाव | Impact of Road Transport on Railway Earnings | 1438-39 |
| 5279 | धनबाद से कोयले का ढोया जाना | Lifting of Coal from Dhanbad | 1439 |
| 5282 | इंजिनियरिंग इंस्पेक्टरों के वेतनमानों में संशोधन | Revision of Pay Scales of Engineering Inspectors | 1440 |
| 5283 | रेलवे में वाणिज्यिक क्लर्कों का स्थानांतरण | Transfer of Commercial Clerks on Railways | 1440 |
| 5284 | रेलवे निर्माण विभाग के तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों की वरिष्ठता के नियम | Rules of Seniority of Class III Staff of Railway Construction Department (W. Railway) | 1441 |
| 5285 | डीजल-चालित इंजनों का निर्यात | Export of Diesel Engines | 1441-42 |
| 5286 | इंडिया इलेक्ट्रिक वर्क्स, कलकत्ता | India Electric Works, Calcutta | 1442 |
| 5287 | विदर्भ क्षेत्र में नये उद्योग | New Industries in Vidarbha Region | 1442 |
| 5288 | महाराष्ट्र में नये उद्योग | New Industries in Maharashtra | 1442 |
| 5289 | श्रीलंका को प्याज और लाल मिर्चों का निर्यात | Export of Onions and Chillies to Ceylone | 1442-43 |
| 5290 | आन्ध्र प्रदेश में खनन कार्य | Mining in Andhra Pradesh | 1443 |
| 5291 | चाय बोर्ड, कोचीन के कर्मचारी | Staff of Tea Board, Cochin | 1443-44 |
| 5292 | सूती धागे का आयात | Import of Cotton Yarn | 1444 |
| 5293 | हथकरघा उत्पादों की बिक्री | Sale of Handloom Products | 1444 |
| 5294 | मध्य प्रदेश में विद्युत्-चालित करघे | Powerlooms in Madhya Pradesh | 1445 |
| 5295 | मध्य रेलवे में भीड़-भाड़ | Over crowding on Central Railway | 1445-46 |
| 5296 | मध्य रेलवे में उपरि पुल और प्रथम तथा द्वितीय श्रेणी के प्रतीक्षालय | Over-bridge and First and Second Class Waiting Rooms on Central Railway | 1446 |
| 5297 | खिरकिया रेलवे स्टेशन पर प्रतीक्षालय तथा विश्राम गृह | Waiting and Retiring Room at Khirkia Railway Station | 1446 |

| अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos. | विषय | Subject | पृष्ठ Pages |
|---|---|---|---|
| 5298 | खंडवा-अजमेर रेलवे लाइन | Khandwa-Ajmer Railway Line . . | 1446 |
| 5299 | एलूरु स्टेशन पर उपरि पुल | Over-bridge at Eluru Station . . | 1446-47 |
| 5300 | सरुंगावरुक्षम स्टेशन पर टिकट अधिकर्ता | Ticket Agents at Srungavruksnam Station | 1447 |
| 5301 | हिन्दी प्रशिक्षण योजना | Hindi Training Scheme . . . | 1447-48 |
| 5302 | राज्य व्यापार निगम के अधिकारी | Officers in State Trading Corporation . | 1448 |
| 5303 | वाणिज्य मंत्रालय के अन्तर्गत स्वायतशासी निकाय तथा सरकारी उपक्रम | Autonomous Bodies and Public Undertakings under Commerce Ministry . . | 1448 |
| 5304 | अन्तर्राष्ट्रीय मेले और प्रदर्शनियाँ | International Fairs and Exhibitions . . | 1448-49 |
| 5305 | मैसर्ज धर्मसिंह रामसिंह (मोटर्ज) प्राइवेट लिमिटेड, लखनऊ | M/S Dharam Singh Ram Singh (Motors) Private Ltd., Lucknow . . . | 1449-50 |
| 5306 | जम्मू और काश्मीर में खनिज भण्डार | Mineral Deposits in Jammu and Kashmir . | 1450 |
| 5307 | खंडवा से बम्बई तक एक्सप्रेस रेलगाड़ी | Express Train from Khandva to Bombay . | 1450-51 |
| 5308 | भागदारा स्टेशन पर पार्सल और टिकट घर | Parcel and Booking Offices at Bhagdara station . . . . . | 1451 |
| 5309 | मध्य रेलवे पर जलगाँव से बरनगांव तक शटल रेलगाड़ी | Shutle Train from Jalgaon to Varangaon on Central Railway . . . . | 1451 |
| 5310 | पठानकोट और हावड़ा एक्सप्रेस रेलगाड़ियों के साथ जलगाँव से बम्बई तक डिब्बों का लगाया जाना | Attaching of Bogie to Pathankot and Howrah Express from Jalgaon to Bombay . . . . . | 1451-52 |
| 5311 | मछली का निर्यात | Export of Fish . . . . . | 1452 |
| 5312 | 10 फरवरी, 1968 को लखनऊ रेलवे स्टेशन पर जारी किये गये पहले दर्जे के टिकट | Issue of 1st class Tickets at Lucknow Railway Station on 10th February, 1968 . | 1452 |
| 5313 | प्रयाग जंक्शन पर एक रेलगाड़ी में एक शव का पाया जाना | Dead Body in Train at Prayag . | 1453 |

| अता० प्र० संख्या U.S.Q. Nos. | विषय | SUBJECT | पृष्ठ/ PAGE |
|---|---|---|---|
| 5314 | वाराणसी जिले में मकेनिकल डिपार्टमेंट में काम करने वाले कर्मचारियों को यात्रा भत्ता | Travelling Allowance to Employees of Mechanical Department in Varanasi District . . . . . | 1453 |
| 5315 | शोलापुर और बम्बई के बीच ऐक्सप्रेस गाड़ी का पटरी से उतरना | Derailment of Express Train between Sholapur and Bombay . . . | 1453-54 |
| 5316 | दुर्घटना-सहायता-गाड़ियों (एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन) में पर्यवेक्षक कर्मचारियों को समयोपरि भत्ता | Overtime Allowance to Supervisory Staff in Accident Relief Trains . . . | 1454 |
| 5317 | भारतीय रेलों में डाक्टर | Doctors Working on Indian Railways . | 1454 |
| 5318 | रेलवे डाक्टरों के वेतन-मान | Pay Scales of Railway Doctors . . . | 1454 |
| 5319 | रेलवे लाइनों को वैल्ड करके जोड़ना | Joining of Railway Lines by Welding . | 1454-55 |
| 5320 | बिड़ला ब्रादर्स को आयात लाइसेंस | Import Licences to Birlas . . . | 1455 |
| 5321 | गैर-परम्परागत वस्तुओं का निर्यात | Export of Non-traditional Items . . | 1455 |
| 5322 | बजाज आटो लिमिटेड और मुकन्द आयरन एण्ड स्टील वर्क्स | Bajaj Auto Limited and Mukand Iron and Steel Works . . . . . | 1455-56 |
| 5324 | मिराज-लातूर रेलवे लाइन | Miraj -Latur Railway Line . . . | 1456 |
| 5325 | कच्छ लवण निर्माता संस्था से अभ्यावेदन | Representation from Kutch Salt Manufacturers' Association . . . . . | 1456 |
| 5326 | इंजीनियरी उद्योग | Engineering Industries . . . . | 1457 |
| 5327 | मदुरै जाने वाली रामेश्वरम् सवारी गाड़ी का रोका जाना | Detention of Madurai bound Rameswaram Passenger Train . . . . . | |
| 5328 | बिहार में रामगढ़ के राजा के नियंत्रणाधीन खानें | Mines under Control of Raja of Ramgarh in Bihar . . . . . | |
| 5329 | समस्तीपुर-जयनगर रेलवे लाइन | Samastipur-Jayanagar Railway Line | 1457 |
| 5330 | सिगनल और दूर-संचार शाखा में छुट्टी रिजर्व कर्मचारी | Leave reserve in Signal and Tele-communication Branch . . . . . | 1458 |

| ता० प्र० संख्या / U.S.Q. Nos. | विषय | SUBJECT | पृष्ठ/PAGES |
|---|---|---|---|
| 5331 | सिगनल और दूर-संचार कर्मचारियों के संवर्ग | Cadres of Signal and Tele-communication Staff | 1458 |
| 5332 | सिगनल तथा दूर-संचार कर्मचारी | Signal and Tele-communication Staff | 1459 |
| 5333 | भारतीय रेलवे के सिगनल और दूर-संचार विभाग के कर्मचारियों के कार्यभार का वितरण | Distribution of Work Load on Employees of Signal and Tele-communication Department of the Indian Railways | 1459 |
| 5334 | उत्तर प्रदेश में कागज बनाने की फैक्टरी | Paper Factory in U.P. | 1460 |
| 5335 | रेलवे द्वारा पदों का विज्ञापन | Advertisements of Posts by Railways | 1460 |
| 5336 | पटसन के माल का निर्यात | Export of Jute Goods | 1460-61 |
| 5337 | भूतपूर्व रियासतों के रेलवे कर्मचारियों को किराया मुक्त क्वार्टर | Rent free quarters to former state Railway employees | 1461-62 |
| 5338 | कुडुरेमुका से अयस्क का लाया जाना | Transportation of Ore from Kudu remuka | 1462 |
| 5339 | दिल्ली और नई दिल्ली क्षेत्रों में रेलवे कर्मचारियों के लिये क्वार्टरों का आवंटन | Allotment of accommodation to Railway employees in Delhi and New Delhi areas | 1462-63 |
| 5340 | गया स्टेशन पर स्थानापन्न कर्मचारी | Substitutes at Gaya Station | 1463 |
| 5341 | गया में रेलवे केबिन संख्या 1 पर उपरि पुल | Overbridge at Railway cabin No. 1 at Gaya | 1463-64 |
| 5342 | पटना-गया रेलवे लाइन | Patna-Gaya Railway Line | 1464 |
| 5343 | मध्य प्रदेश में लघु उद्योगों के लिये लोहे तथा इस्पात का आयात | Imports of iron and steel for Small Scale Industries Units in Madhya Pradesh | 1464-65 |
| 5344 | गैर-सरकारी क्षेत्र में औद्योगिक संस्थान | Industrial Establishments in Private Sector | 1465 |
| 5345 | राष्ट्रीय कोयला विकास निगम | National Coal Development Corporation | 1465-66 |

| अता० प्र० संख्या U. Nos. | विषय | SUBJECT | पृष्ठ / PAGES |
|---|---|---|---|
| 5346 | सरकारी क्षेत्र के इस्पात कारखाने | Public Sector Steel Plants | 1466 |
| 5347 | जापानी पद्धति पर कुटीर उद्योग का विकास | Development of Cottage Industry on Japanese Pattern | 1466 |
| 5348 | कोशविलायी (लाइसिन) का उत्पाद | Production of Lysine | 1466 |
| 5349 | सहकारी कपड़ा मिलें | Cooperative Textile Mills | 1466-67 |
| 5350 | छोटे पैमाने के उद्योग | Small Scale Industries | 1467 |
| 5351 | अखिल भारतीय हथकरघा प्रदर्शनी त्रिचुर में अग्निकांड | Fire in All India Handloom Exhibition, Trichur | 1467-68 |
| 5353 | लाइसेंसों का जारी किया जाना | Issue of Licences | 1468 |
| 5354. | अमरीकी और ब्रिटिश फिल्मों का आयात | Import of American and British Films | 1468-69 |
| 5355 | आपरेशन हार्ड राक कार्यक्रम | "Operation Hard Rock" Programme | 1469-70 |
| 5356 | टूल रूम इक्विपमेंट यूनिट | Tool Room Equipment Unit | 1470 |
| 5357 | सूती कपड़े का निर्यात | Exports of Cotton Textiles | 1470-71 |
| 5358 | व्यापार अन्तर | Balance of Trade | 1471 |
| 5359 | केरल में टीन के कोटे का नियतन | Allotment of Tin Quota in Kerala | 1471 |
| 5360 | जापान को लौह-अयस्क का निर्यात | Export of Iron Ore to Japan | 1471-72 |
| 5362 | ट्रैक्टर बनाने का कारखाना | Tractor Plant | 1472-1473 |
| 5363 | रेलों में बिना टिकट यात्रा | Ticketless Travel on Railways | 1473-74 |
| 5364 | गुजरात में छोटी लाइनों को मीटर लाइनों में बदलना | Conversion of Narrow-Gauge Lines in Gujarat into Metre Gauge | 1374 |
| 5365 | बम्बई-अहमदाबाद लाइन का विद्युतीकरण | Electrification of Bombay-Ahmedabad Line | 1474-75 |
| 5366 | जापान को लौह-अयस्क की सप्लाई | Supply of Iron Ore to Japan | 1475 |

| अता० प्र० संख्या / U. S. Q. Nos. | विषय | Subject | पृष्ठ / Pages |
|---|---|---|---|
| 5367 | कपड़ा मिलों का आधुनिकीकरण | Modernization of Textile Mills | 1475 |
| 5368 | व्यापार प्रतिबन्ध | Trade Barriers | 1476 |
| 5369 | रेफ्रिरेटरों का निर्माण | Manufacture of Refrigerators | 1476 |
| 5370 | कोचीन से बम्बई तक सीधी गाड़ी | Direct Train from Cochin to Bombay . | 1476-77 |
| 5371 | धागे का स्टाक | Stock of Yarn . . | 1477 |
| 5372 | खजुराहो के लिये रेलवे लाइन | Rail Link to Khajuraho | 1477-78 |
| 5373 | चाय बोर्ड में संसद् सदस्यों को प्रतिनिधित्व | Representation to M.Ps. on Tea Board | 1478 |
| 5374 | राज्य व्यापार निगम द्वारा अखबारी कागज का आयात | Import of Newsprint by the State Trading Corporation . . . . . | 1478-79 |
| 5375 | केरल में अखबारी कागज बनाने का कारखाना | Newsprint Factory in Kerala . | 1479 |
| 5376 | रेलवे लाइनों का हटाया जाना | Dismantling of Railway Lines . . | 1479-80 |
| 5377 | कांडला निर्बाध व्यापार क्षेत्र | Kandla Free Trade Zone . | 1480-81 |
| 5378 | निर्यात-आधारित उद्योग | Export-based industries . . | 1481 |
| 5379 | इस्पात पर से नियंत्रण हटाना | Decontrol of Steel . | 1482 |
| 5380 | संयुक्त संयंत्र समिति और इस्पात मूल्य | Joint Plant Committee and Steel Price | 1482-83 |
| 5381 | राज्य व्यापार निगम द्वारा जूतों का निर्यात | Export of Shoes by S.T.C. | 1483 |
| 5382 | चाय पर निर्यात शुल्क में कमी | Reduction in Export Duty on Tea . | 1483 |
| 5383 | हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड द्वारा बिलेटों की बिक्री | Sale of Billets by Hindustan Steel Ltd. | 1484 |
| 5384 | आन्ध्र प्रदेश में सरकारी क्षेत्र के उपक्रम | Public Sector Undertakings in Andhra Pradesh . . . . . | 1484 |
| 5385 | सूती कपड़े के निर्यात के के लिये नकदी में सहायता | Cash assistance for cotton textile Exports . | 1484-85 |

| अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos. | विषय | SUBJECT | पृष्ठ/ PAGES |
|---|---|---|---|
| 5386. | भारतीय रेलों के संगचल कर्मचारी | Running staff on Indian Railway | 1485 |
| 5387. | पूर्वोत्तर सीमा रेलवे के गार्ड | Railway Guards on N.F. Railway | 1485 |
| 5388. | पूर्वोत्तर सीमा रेलवे के गार्ड | Railway Guards of North-east Frontier Railway . . . . . | 1486 |
| 5389. | अलीपुरद्वार जंकशन पर सैक्शन नियंत्रकों का चयन | Selection of Section Controllers in Alipurduar Junction . . . . . | 1486 |
| 5390. | सिंचाई के लिए निर्मित वस्तुएं | Item manufactured for irrigation . . | 1486-87 |
| 5391. | बडागरा रेलवे स्टेशन पर टिकटों का आरक्षण | Reservation of tickets at Badagara Railway Station . . . . . | 1487 |
| 5392. | बोन्डामुंडा के रेल कर्मचारियों के लिये मकान किराया भत्ता | House Rent Allowance for Railway employees of Bondamunda . . . | 1487 |
| 5393. | उत्तर रेलवे के राजेन्द्र-नगर स्टेशन पर आक्रमण | Attack on Rajinder Nagar station on Northern Railway . . . | 1487-88 |
| 5394. | ऐनकों के शीशे बनाने का कारखाना, दुर्गापुर | Opthalmic Glass Project Durgapur . | 1488 |
| 5395. | खादी भंडार | Khadi Bhandars . . . | 1488-89 |
| 5396. | पावर कैपेसिटरों का आयात | Import of Power Capacitors | 1489-90 |
| 5397. | खेत्री तांबा परियोजना | Khetri Copper Project . . . . | 1490-91 |
| अल्प सूचना प्रश्न | | *Short Notice Question* | |
| 12. | अहमदाबाद के कपड़ा मिलों का बन्द होना | 12. Closure of Textile Mills in Ahmedabad. | 1491-92 |
| अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना | | **Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance** | 1492-93 |
| शेख अब्दुल्ला का वक्तव्य | | **Statement of Sheikh Abdullah** | 1492-93 |
| विशेषाधिकार का प्रश्न | | **Question of Privilege . . .** | 1498 |
| सभा पटल पर रखे गये पत्र | | **Papers Laid on the Table . .** | 1498-99 |
| राज्य सभा से सन्देश | | **Messages from Rajya Sabha** | |
| याचिका समिति | | **Committee on Petitions . . .** | |
| कार्यवाही सारांश, दूसरा प्रतिवेदन तथा साक्ष्य | | **Minutes, Second Report and Evidence . . . .** | |
| सदस्य द्वारा वैयक्तिक स्पष्टीकरण | | **Personal Explanation by Member** | |

| विषय | SUBJECT | पृष्ठ/PAGES |
|---|---|---|
| श्री नन्द कुमार सोमानी | (Shri N. K. Somani) | |
| लेखानुदानों की मांगें (उत्तर प्रदेश) 1968-69 तथा अनुदानों की अनुपूरक मांगें (उत्तर प्रदेश), 1967-68 | **Demand for Grants (On Account) Uttar Pradesh—1968-69 and Demands for Supplementary Grants (Uttar Pradesh) 1967-68** . . | 1501-1508 |
| उत्तर प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 1968 तथा उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 1968 पुरःस्थापित तथा पारित | **Uttar Pradesh Appropriation (Vote on Account) Bill, 1968 and Uttar Pradesh Appropriation Bill, 1968—Introduced and Passed** . | 1509-10 |
| सहस्त्र बल (विशेष शक्तियां) जारी रखना विधेयक | **Armed Forces (Special Powers) continuance Bill** . . . . . | |
| राज्य सभा द्वारा पारित रूप में विचार करने का प्रस्ताव | Motion to consider as passed by Rajya Sabha . . . . . | |
| श्री सुरेन्द्रपाल सिंह | Shri Surendra Pal Singh . | 1513 |
| श्री जे० महम्मद इमाम | Shri J. Mohammed Ima . | 1513-14 |
| श्री कंवरलाल गुप्त | Shri Kanwar Lal Gupta . | 1514 |
| श्री विक्रम चन्द महाजन | Shri Vikram Chand Mahajan . . | 1515 |
| श्री रवि राय | Shri Rabi Ray . . | 1515 |
| श्री समर गुह | Shri Samar Guha . . . | 1515-16 |
| श्री मेघ चन्द्र | Shri M. Meghachandra . . . | 1516-17 |
| श्री रणधीर सिंह | Shri Randhir Singh . . . | 1517 |
| श्री रणजीत सिंह | Shri Ranjit Singh | 1517 |
| श्री विश्वनाथ मेनन | Shri Viswanatha Menon . . | 1517-18 |
| श्री कार्तिक ओराओं | Shri Kartik Oraon | 1518 |
| श्री यशवन्त सिंह कुशवाह | Shri Y.S. Kushwah. . | 1518 |
| खण्ड 2 तथा 1 | Clauses 2 and 1 | |
| पारित करने का प्रस्ताव | Motion to pass | |
| अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित आदिम जाति आदेश (संशोधन) विधेयक | **Scheduled Castes and Scheduled Tribes Orders (Amendment) Bill** | 1521 |
| संयुक्त समिति को सौंपने का प्रस्ताव | **Motion to refer to Joint Committee** . | |
| श्री अशोक मेहता | Shri Asoka Mehta | |
| बैंकिंग विधियां (संशोधन) विधेयक | **Banking Laws (Amendment) Bill** | 1523 |
| प्रवर समिति को सौंपने का प्रस्ताव | Motion to refer to select Committee . | |

| विषय | SUBJECT | पृष्ठ/PAGES |
|---|---|---|
| श्री कृष्ण चन्द्र पन्त | Shri K. C. Pant | |
| श्री कृ० मा० कौशिक | Shri K. M. Kaushik | |
| श्री अमृत नाहाटा | Shri Amrit Nahata | |
| श्री उमानाथ | Shri Umanath | |
| श्री बेदब्रत बरुआ | Shri Bedabrata Barua | |
| श्री कृष्णमूर्ति | Shri V. Krishnamoorthi | |
| श्री शशि भूषण वाजपेयी | Shri Shashibhushan Bajpai | |
| श्री अब्दुल गनी दार | Shri Abdul Ghani Dar | |
| श्री रणधीर सिंह | Shri Randhir Singh | |
| श्री अटल विहारी वाजपेयी | Shri Atal Bihari Vajpayee | |
| श्री श्रीनिवास मिश्र | Shri Srinibas Misra | |
| श्री रवि राय | Shri Rabi Ray | |
| श्री बूटा सिंह | Shri Buta Singh | |

लोक-सभा वा -विवाद का संक्षिप्त

अनूदित संस्करण

मंगलवार , 26 मार्च , 1968 । 6 चैत्र , 1890 (शक)

का शुद्धि-पत्र

| पृष्ठ संख्या | शुद्धि |
|---|---|

नीचे से तीसरी पंक्ति से पूर्व `श्री हिम्मतसिंहका Shri Himmatsinghka ' पढ़िये ।

1367 ऊपर से नौवीं पंक्ति में `अध्यक्ष' के स्थान पर `उपाध्यक्ष' और दसवीं पंक्ति में ` Speaker ` के स्थान पर ' Deputy Speaker ' पढ़िये ।

1526 ऊपर से तेरहवीं पंक्ति में `द्र.मा.`के स्थान पर `कृ.मा.`पढ़िये ।

1539 नीचे से चौदहवीं पंक्ति में `मित्र ` के स्थान पर `मिश्र `पढ़िये ।

लोक-सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनुदित संस्करण

5 अप्रैल, 1968 । 16 चैत्र , 1890 (शक) का शुद्धि-पत्र

| पृष्ठ संख्या | शुद्धि |
|---|---|

1076 तारांकित प्रश्न संख्या 1095, पंक्ति 6 , शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो.शेर सिंह ) के स्थान पर `शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद ) पढ़िये ।

1207 पंक्ति 8-9

~~/ उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए~~

~~Mr. Deputy Speaker in the Chair /~~

निकाल दीजिये ।

1215 पंक्ति 12 , ' Mr. Speaker ' के स्थान पर

' Mr. Chairman ' पढ़िये ।

# लोक सभा

## LOK SABHA

मंगलवार 26 मार्च 1968/6 चैत्र 1889 (शक)

Tuesday, March 26, 1968/Chaitra 6, 1890 (Saka)

---

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

The Lok Sabha met at Eleven of the clock

[ अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
MR. SPEAKER *in the Chair* ]

## प्रश्नों के मौखिक उत्तर
## ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

**Shri Mohanlal Prasad** : Deputy Speaker, Sir, I want to raise a point of order.

**Deputy Speaker** : Is it regarding questions ?

**Shri Mohanlal Prasad** : Yes Sir.

It has been laid down in the Procedure that not more five questions of a Member would be admitted for reply on a particular day. But you may kindly persue the list of Unstarred Questions for the day where eight questions have been admitted for reply to-day. I want to know under what procedure they have been admitted. There are either fools or dishonest persons in your Question Branch.

**उपाध्यक्ष महोदय** : कृपया आप मुझे लिख कर भेजें। मैं मामले की जांच करूंगा।

---

**श्री देवकीनन्दन पाटोदिया** : प्रश्न संख्या 838।

**खाद्य, कृषि सामुदायिक विकास और सहकारिता मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे)** उत्तर देने के लिए उठे—

**श्री देवकीनन्दन पाटोदिया** : प्रश्न के अनुसार इसका उत्तर औद्योगिक विकास और समवाय-कार्य मन्त्री को देना चाहिए।

**औद्योगिक विकास और समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद)** : मैं बता चुका हूं कि प्रश्न का सम्बन्ध खाद्य और और कृषि मन्त्रालय से है और उसका उत्तर खाद्य तथा कृषि मन्त्री देंगे।

**Shri Rabi Ray :** t should have been told beforehand, How is the question transferred in this way ?

**उपाध्यक्ष महोदय :** सरकार की ओर से किसीको इसका उत्तर देना चाहिए ।

**श्री देवकीनन्दन पाटोदिया :** भविष्य में वे सावधान रहें ।

**खाद्य पदार्थों के विशिष्ट नमूनों में एकरूपता**

**838. श्री देवकीनन्दन पाटोदिया :** क्या औद्योगिक विकास तथा संभवाय-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि खाद्य अपमिश्रण निवारक अधिनियम, भारतीय मानक संस्था तथा ऐगमार्क नियमों के अन्तर्गत मसालों तथा अन्य उत्पादों के प्रमाणीकरण के लिये विभिन्न विशिष्ट बातें निर्धारित की गई हैं;

(ख) क्या उन विशिष्ट नमूनों में भिन्नता होने के कारण व्यापारियों को कठिनाइयां होती हैं;

(ग) क्या विशिष्ट नमूनों में एकरूपता लाने की सम्भावना के बारे में सरकार ने विचार किया है; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करनेने का विचार है ?

**श्री अन्नासाहिब शिन्दे :** (क) आयात करने वाले देशो की कुछ किस्म की काली मिर्च, इलाइची (छोटी इलाची) तथा मिर्चों की मांग विशेष होने के कारण जिन पर इस समय निर्यात से पहले ऐगमार्क का चिह्न किस्म नियन्त्रण के अधीन अनिवार्य रूप से लगाना होता है। खाद्य अपमिश्रण निवारक अधिनियम के अधीन निर्धारण स्तर की तुलना में उनके विशिष्ट ग्रेडों में कुछ फेर-बदलर किया गया था। फिर भी, आई० एस० आई० तथा ऐगमार्क ग्रेड के विशिष्ट विवरणों में कोई अन्तर नहीं है।

(ख) जी, नहीं। बल्कि व्यापारियों के कहने पर इसमें इसलिये अन्तर कर दिया गया था जिससे वे आयात करने वाले देशों की आवश्यकता के अनुसार अपने माल का निर्यात कर सकें।

(ग) उपर्युक्त मामलों को छोड़कर ऐगमार्क और आई० एस० आई० मानको में सदैव समानता रही है। खाद्य अपमिश्रण निवारक अधिनियम मे सफाई की दृष्टि से निम्नतम स्तर निर्धारित किया गया है और ग्रेड विशिष्ट विवरण निर्धारित करते समय उन्हे सदैव ध्यान में रखा जाता है। उस पर लिये गए मामलों में स्वास्थ्य मन्त्रालय द्वारा खाद्य अपमिश्रण निवारक अधिनियम में छूट दे दी गई थी।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

**श्री देवकी नन्दन पाटोदिया :** कुछ दिन पहले उप-प्रधान मन्त्री महोदय मांटेसरी कक्षाओं की बात कर रहे थे। यह एक उदाहरण है जिससे सिद्ध होता है कि तीन विभाग अभी भी मांटेसरी ट्रेनिंग ले रहे हैं। वे व्यावहारिक बातों पर बिल्कुल विचार किये बिना ही निर्णय ले रहे हैं। भारतीय मानक संस्था और एगमार्क नियमों के अधीन विशेष निदेश खाद्य अपमिश्रण निवारक अधिनियम के विशेष निदेशों से काफी भिन्न हैं। इस बात का एक उदाहरण रासायनिक परीक्षण है। ऐसा होता है कि जो व्यापारी भारतीय मानक संस्था के विशेष निदेशों का पालन करते हैं वे खाद्य अपमिश्रण निवारक अधिनियम के विशेष निदेशों का उल्लंघन करते हैं और इस प्रकार खाद्य अपमिश्रण

निवारक अधिनियम के अधीन अवरोधक दंडों के भागी बनते हैं। यह एक अजीब मामला है। यदि सरकार निर्यात के लिए कुछ संशोधन करना चाहती है तो सरकार को खाद्य अपमिश्रण निवारक अधिनियम में साथ ही साथ संशोधन करने से कौन रोकता है ?

**श्री अन्नासाहिब शिन्दे :** इस विशेष मामले में स्वास्थ्य मन्त्रालय से परामर्श लिया गया था। स्वास्थ्य की दृष्टि से कोई अतिक्रम नहीं किया गया है। निर्यातकों ने सरकार को बताया कि आयात करने वाले कुछ देशों को विशेष प्रकार के मसाले स्वीकार्य हैं। माननीय सदस्य को मालूम ही है कि आयात करने वाले देश स्वयं ऐसे माल पर बहुत कठोर किस्म का नियन्त्रण लगाते हैं। व्यापारियों ने बताया कि जब वे देश उनके निर्यात किए हुए मसालों को स्वीकार करने में सहमत हैं तो सरकार को बाधा नहीं डालनी चाहिए। इस बात पर स्वास्थ्य मन्त्रालय सहित सभी सम्बन्धित मन्त्रालयों की बैठक में विचार किया गया था।

**श्री देवकीनन्दन पाटोदिया :** मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं मिला है। सरकार ने निर्यात के प्रयोजन के लिए विशेष निदेशों में कुछ परिवर्तन करना ठीक समझा। यह भी ठीक है कि स्वास्थ्य की दृष्टि से खराब कोई भी चीज कोई भी देश नहीं मंगायेगा। लेकिन साथ ही साथ अधि नियम में भी संशोधन क्यों नहीं किया जाय ? अनावश्यक कठिनाइयां क्यों पैदा की जायं ?

**श्री अन्नासाहिब शिन्दे :** इस समय सरकार स्थिति पर विचार कर रही है। खाद्य अपमिश्रण निवारक नियमों में पहले ही छूट देने का उपबन्ध है।

**श्री देवकीनन्दन पाटोदिया :** व्यापारियों द्वारा अनुभूत कुछ कठिनाइयों के कारण रासायनिक परीक्षण नियमों में कुछ संशोधन किये गये थे जिन्हें 1966 के भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशित किया गया था। अब तक उन संशोधनों पर कोई कार्रवाई नहीं की गयी है। व्यापारियों की कठिनाइयों पर विचार करने के बाद किये गये संशोधनों को क्रियान्वित करने में सरकार को क्या कठिनाई है ?

**श्री अन्नासाहिब शिन्दे :** मसालों के अतिरिक्त और किसी चीज में संशोधन नहीं किया गया है। हमारा कृषि विपणन संगठन इनसुझावों की जांच करेगा।

**श्री देवकीनन्दन पाटोदिया :** रासायनिक परीक्षण और रंग के विशेष निदेशों सम्बन्धी ये सभी नियम राजपत्र में प्रकाशित किये गये थे। यह आश्चर्य की बात है कि मन्त्री महोदय को इसका पता नहीं। मैं स्पष्ट उत्तर चाहता हूं कि उन नियमों को लागू करने के लिए क्या तुरन्त कार्रवाई की जायेगी ?

**उपाध्यक्ष महोदय :** सरकार इस बात की जांच कर रही है।

**श्री देवकीनन्दन पाटोदिया :** इसमें जांच करने की कोई बात नहीं है। वे तो राजपत्र में प्रकाशित हो चुके हैं।

**श्री अन्नासाहिब शिन्दे :** जो कुछ राजपत्र में प्रकाशित हुआ है वह बताया जा चुका है। छूट दी जाती है।

**श्री रा० कृ० सिंह :** अधिनियम में विशेष निदेशों के होते हुए भी भारत के नगरों और कस्बों में मिलावट के हजारों मामले हैं। क्या देशवासियों के स्वास्थ्य की क्षति को रोकने के लिए सरकार की कोई योजना है ?

**श्री अन्नासाहिब शिन्दे** : मुझे दुःख है कि यह प्रश्न इस प्रश्न के अन्तर्गत नहीं आता ।

**Shri Balraj Madhok** This question was addressed to another Minister while Shri Shinde is replying to this question. As a matter of fact, the Minister of Health should have been here. This is not merely a case of exports but also of adulteration. Rules have been framed to check the adulteration according to which the wholesalers get some of their stocks tested and sell some stocks without testing. When the stocks purchased by the retailers, who purchase the stocks for the wholesalers, are tested, there retailers are brought to the book. The health authorities say that these goods are below specifications. The retailer says that he has purchased the goods from the wholesaler. But nobody catches hold of the wholesaler who sells the goods to the retailers. They are being harassed like anything. I have received innumerable complaints of this type. I have sent the memoranda received to you and the Minister of Health. The Government should put an end to the harassment meted out to the retailers, who do not manufacture goods and sell them after purchasing from the wholesalers. Will the Government establish testing laoratories in each area, tehsil and city so that the retailers may have the goods tested before they sell it to the public ? If this is done, the harassmert to which they are put can be stopped. Will you consider this ?

**श्री अन्नासाहिब शिन्दे** : इस प्रश्न का सम्बन्ध मसालों की कुछ कोटि से है जिसमें विशेष निदेशों का विचलन किया गया था । यदि माननीय सदस्य के पास खाद्य अपमिश्रण निवारक अधिनियम के अधीन कोई प्रश्न है तो वे विशेष प्रश्न स्वास्थ्य मन्त्रालय से पूछ सकते हैं ।

**श्री रा० बरुआ** : यदि मैंने मन्त्री महोदय का उत्तर समझने में गलती नहीं की है तो उन्होंने यह कहा है कि निर्यात के प्रयोजन के लिए वर्गीकरण खाद्य अपमिश्रण निवारक अधिनियम से भिन्न है। उन्होंने यह भी कहा है कि फेर-बदल होने पर भी इससे स्वास्थ्य के लिए कोई भय नहीं है । क्या मैं जान सकता हूं कि जब तक नियम में संशोधन नहीं किया गया, ऐसी फेर-बदल से कुछ और कठिनाइयां पैदा नहीं होंगी ? सरकार का इस दिशा में क्या कार्रवाई करने का विचार है ?

**श्री अन्नासाहिब शिन्दे** : मैं इसका उत्तर पहले ही दे चुका हूं ।

## रांची स्थित हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन में अशान्ति

†839. **श्री पें० वेंकटासुब्बया** : क्या औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रांची स्थित हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन में विद्यमान असाधारण औद्योगिक अशान्ति के बारे में सरकार की ओर से स्थिति का अध्ययन कराया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या निष्कर्ष निकला है ?

**औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य उप-मंत्री (श्री भानु प्रकाश सिंह)** : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

**श्री पें० वेंकटासुब्बया** : क्या यह सच है कि सरकारी क्षेत्र की अधिकांश परियोजनाओं में दुर्भाग्यवश जो भी सर्वोच्च अधिकारी होता है वह पद-भार सम्भालते ही तुरन्त यह सोचने लगता है कि उसके सम्बन्धी या उसके राज्य के लोग ही ऊंचे पद सम्भालने के योग्य हैं जिसका परिणाम यह होता

है कि जिन राज्यों में परियोजनाएं स्थित होती हैं वहां के लोगों को रोजगार नहीं मिल पाता जिससे वहां के लोगों में बहुत अशान्ति हो जाती है ? यदि हां, तो सरकार इस सम्बन्ध में क्या कार्रवाई करने का विचार कर रही है ?

**औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद )** : सरकारी क्षेत्र की परियोजनाओं के बारे में हमने यह नीति निर्धारित की है कि वरिष्ठ पदो को, जिनमें तकनीकी योग्यता और अनुभव की आवश्यकता हो, सारे देश में उपलब्ध कुशलतम व्यक्तियो से भरा जाय। छोटे दर्जे के कर्मचारी, यथासम्भव उन्हीं क्षेत्रों से लिये जायें जहां उद्योग स्थापित किये गये हों।

**श्री पें० वेंकटासुब्बया** : इस विषय पर चिन्ता न केवल विशेष व्यक्तियों द्वारा अपितु कई राज्य विधान सभाओं के सदस्यों द्वारा व्यक्त की गयी है और जहां ऐसा असन्तोष व्याप्त है वहां विधान सभाओं ने इस आशय के संकल्प पारित किये हैं। इसके अतिरिक्त क्या मैं जान सकता हूं कि तीसरी योजना में हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन में औद्योगिक सम्बन्धों का अध्ययन और श्रम नियों को कार्यान्वित करना शामिल था, और यदि हां, तो क्या महत्वपूर्ण सुझाव दिये गये हैं ?

**श्री फखरुद्दीन अली अहमद** : यह सच है कि तीसरी योजना में ऐसे अध्ययन का सुझाव दिया गया था जिसके आधार पर सरकारी क्षेत्र के प्रत्येक कारखाने में हर तीसरे वर्ष अध्ययन हुआ करेगा। 1966-67 में यह अध्ययन किया गया था और कई सुझाव दिये गये हैं। मैं उन्हें सभा पटल पर रख सकता हूं।

**उपाध्यक्ष महोदय** : हां।

**श्री नन्द कुमार सोमानी** : हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन, रांची की किस्म और अपर्याप्त उत्पादन, भारी औद्योगिक अशांन्ति आदि की महत्वपूर्ण समस्याओं को, कारपोरेशन के नये अध्यक्ष श्री केशवदेव मालवीय ने, जो सरकार के हितैषी हैं, पूर्ण रूप से पृष्ठभूमि में धकेल दिया है। अपनी नियुक्ति के बाद उन्होंने घोषणा की है :

> "मैं इस उच्च संस्था में नियुक्त होने के बाद भी राजनैतिक कार्यकर्ता की स्वतन्त्रता का उपभोग करता रहूंगा और समाजवादी कार्यक्रम को कार्यान्वित करने के लिए भारत में जनमत तैयार करता रहूंगा।"

**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न का सम्बन्ध अध्यक्ष से नहीं है।

**श्री नन्द कुमार सोमानी** : मैं अपना प्रश्न उसी पृष्ठभूमि में बनाऊंगा। क्या सरकार हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन के नये अध्यक्ष को आदेश देगी कि वे अपना मस्तिष्क केवल कारपोरेशन की समस्याओ का हल करने में लगायें और राजनैतिक कामों में अपने आप को न डालें।

**Shrimati Lakshmi Kanthamma** : Socialism is not political activity.

**श्री फखरुद्दीन अली अहमद** : अध्यक्ष महोदय, आपने ठीक कहा है कि यह प्रश्न संगत नहीं है। लेकिन मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि मैंने हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन के अध्यक्ष से बातचीत की है और वे भी इससे सहमत हैं कि उन्हें रांची के सरकारी क्षेत्र के कारखानों से सम्बन्धित सभी बातो की ओर अपना ध्यान देना है।

**Shri Prem Chand Verma** : May I know the percentage of machines lying useless during 1967-68 in the Heavy Engineering Corporation and the estimated fall production during 1968-69 because of the present recession.

**Shri F. A. Ahmed** : This question is not also relevant to the original question but I can say that we are making enquiries and are taking every step to utilise the ideal capacity.

**उपाध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्यों को मुख्य प्रश्न का ध्यान रखना चाहिये । यदि वे उससे बाहर जायेंगे तो एक प्रश्न पर ही आधा घंटा लग जायेगा और अन्य सदस्य अपने प्रश्न पूछने से वंचित रह जायेंगे ।

**श्री कृष्णमूर्ति** : यह सच है कि उच्च अधिकारी अपने ही संबंधियों को नियुक्त करते हैं क्यों कि अपना-अपना पराया-पराया

**श्री अमृत नाहाटा** : सांभर-भोजन का संबंध रक्त-संबंध से भी अधिक महत्वपूर्ण है ।

**श्री कृष्णमूर्ति** : शायद श्री नहाटा कुछ चीजों को तयजीह देते हैं । तभी वे नाराज हो रहे

**श्री अमृत नाहाटा** : मैंने कहा साँभर भोजन का संबंध रक्त-संबंध से भी अधिक महत्वपूर्ण है ।

**श्री कृष्णमूर्ति** : क्या मैं जान सकता हूं कि सरकार सरकारी क्षेत्र के कारखानों के उच्च अधिकारियों को ऐसे आदेश जारी करने को तैयार है कि अपना पद.भार संभालने के बाद वे उस विशेष कारखाने में, जहां वे स्वयं हैं, अपने संबंधियों को नियुक्त न करें? इस संबंध में सरकार की क्या नीति है ?

**श्री फखरुद्दीन अली अहमद** : यह प्रश्न संगत नहीं है पर मैं माननीय सदस्य को आश्वासन देता हूं कि यदि विशिष्ट मामले जिनमें पक्षपात किया गया हो, हमारे ध्यान में लाये जायें तो हम उनकी जाँच करेंगे ।

**एक माननीय सदस्य** : ऐसे हजारों उदाहरण हैं ।

**Shri Kanwar Lal Gupta** : Just now the Hon'ble Minister has stated that he discussed the matter with the chairman of the Heavy Engineering Corporation and has advised him to put his whole energy in the improvement of the Heavy Engineering plant. He might have read in the newspapers a statement by Shri K.D. Malviya made while addressing the Congress Workers that they should work hard otherwise the Congress would go to the wall whether it is a fact that the Chairman of such Concerns can also take part in politics while holding the said office If so, will the Government ask such persons not to indulge in politecs while holding the said office ? The Executives appointed by the Government in such concern are not experienced. Whether the Government have formulated any plan to send there more experienced officers to enable them to work more efficiently ?

**Shri F. A. Ahmed** : So far as the Chairman is concened, he is not drawing any salary. (*In erruption.*)

**Shri Hukam Chand Kachwai** : What difference does it make if he does not draw any salary ? There are many a ways of making money.

**उपाध्यक्ष महोदय :** यदि आप अध्यक्ष की गतिविधियों के विषय में अधिक सूचना चाहते हैं तो आप अलग से प्रश्न पूछ सकते हैं, वे इस प्रश्न के भीतर नहीं आतीं। इस प्रश्न का संबंध सरकारी क्षेत्र के कारखानों की विशेष नियोजन नीति से उत्पन्न होने वाली अशांति से है।

**Shri Kanwar Lal Gupta :** Mr. Deputy Speaker, I want to lodge a strong protest against you. My grievance is against you and not against any Minister.

**उपाध्यक्ष महोदय :** मैं आपके प्रोटेस्ट की परवाह नहीं करता। अनुपूरक प्रश्न मुख्य प्रश्न से संबंधित होने चाहिएं। यदि आप प्रश्न का क्षेत्र बढ़ायेंगे तो कठिनाई होगी।

**Shri Kanwar Lal Gupta :** The Minister was replying to my question. Let him give the reply.

**श्री शिव नारायण :** उन्हें अपने शब्द वापस लेने चाहिएं.... (**व्यवधान**)

**उपाध्यक्ष महोदय :** विरोध प्रकट करने के लिए पर्याप्त कारण है। किन्तु माननीय सदस्यों को समझना चाहिए कि यदि उनके दृष्टिकोण में मतभेद हों तो वह और ंग से प्रकट करना चाहिए। अब श्री कृष्ण कुमार चटर्जी बोलेंगे।

**Shri Kanwar Lal Gupta :** Mr. Deputy Speaker, let the Hon'ble Minister reply my question..... (*Interruption*). ..... If you have some objection in my addressing him, I am willing to withdraw. I never say anything against the dignity of the Chair. I had no intention of disrespect to you. But I ask the Hon'ble Minister to reply my question.

**उपाध्यक्ष महोदय :** अब बात समाप्त हो चुकी है। मैं दूसरे माननीय सदस्य को बुला चुका हूं। फिर जब मंत्री महोदय उत्तर नहीं दे रहे हैं तो मैं क्या कर सकता हूं ?

**श्री फखरुद्दीन अली अहमद :** श्रीमन्, मैं आपका निर्णय स्वीकार करता हूं।

**Shri Kanwar Lal Gupta :** I want to raise a point of order. Can an Hon'ble Minister under the rules decline to reply a question or he must say that it is not in the public interest ?

**उपाध्यक्ष महोदय :** मैं स्थिति स्पष्ट करता हूं। आप एक वकील हैं। आपको समझना चाहिए कि जब विषय सूची में कोई प्रश्न रखा जाता है तो मुझे यह देखना पड़ता है कि मैं कहां तक छूट दे सकता हूं अन्यथा एक ही प्रश्न पर सभी सहायक प्रश्न उठाये जा सकते हैं।

**Shri Kanwar Lal Gupta :** I have only enquired whether the Chairman can take part in politics or not. You kindly arrange to have the reply given. I have not said anything else.

**उपाध्यक्ष महोदय :** यदि मंत्री महोदय उत्तर देते हैं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन जैसा मैं पहले ही कह चुका हूं कि यह प्रश्न मुख्य प्रश्न के भीतर नहीं आता।

**Shrimati Lakshmi Kanthamma :** I also want to raise a point of order. One has to give prior notice before making allegations against anybody. Then how is he raising such question ?

**उपाध्यक्ष महोदय :** यह समाप्त हो चुका है। श्री कृष्ण कुमार चटर्जी।

**Shri Kanwar Lal Gupta :** The Hon'ble Minister should give the reply.

**उपाध्यक्ष महोदय :** जब मंत्री महोदय उत्तर नहीं दे रहे हैं तो मैं क्या कर सकता हूं ? मैं उन्हें विवश नहीं कर सकता ।

**Shri Kanwar Lal Gupta :** This question was regarding the causes of unrest in the Heavy Engineering Corporation, Ranchi. I have to say that there is unrest because the head of the Executive indulges in politics. Therefore, will the Hon'ble Minister direct him not to participate in politics ? This is my question.

**Shri Rabi Ray :** This question is relevant.

**उपाध्यक्ष महोदय :** जहाँ तक मेरा संबंध है, मुझे कोई शंका नहीं कि यह प्रश्न असंगत है ।

**श्री देवकीनन्दन पाटोदिया :** मंत्री महोदय, इसका उत्तर देने वाले थे ।

**उपाध्यक्ष महोदय :** मैं पहले ही कह चुका हूं कि यदि यह प्रश्न के क्षेत्र से बाहर है तो मैं मंत्री महोदय से इसका उत्तर देने के लिए नहीं कह सकता । मैं उन्हें विवश नहीं कर सकता । लेकिन यदि यह प्रश्न के क्षेत्र में हो, यदि पहले प्रश्न इस रूप में रखा होता कि अध्यक्ष द्वारा राजनीति में भाग लेने से अशाँति होती है तो यह बहुत उचित होता ।

**श्री कन्डप्पन :** यह बहुत संगत और महत्वपूर्ण प्रश्न है । कारपोरेशन के अध्यक्ष राजनीति में भाग ले रहे हैं और इसके कारण वहाँ अशाँति है ।

**उपाध्यक्ष महोदय :** जब मंत्री महोदय को कुछ नहीं कहना है तो मैं क्या कर सकता हूं ।

**श्री कंवर लाल गुप्त :** आप उन्हें उत्तर देने के लिए विवश कर सकते हैं । The Congressites will create unrest because of the politics....(*Interruption*)....

**उपाध्यक्ष महोदय :** श्री कृष्ण कुमार चटर्जी ।

**श्री कृष्ण कुमार चटर्जी :** वाग्जाल में एक अत्यन्त महत्वपूर्ण मामले को अलग कर दिया गया है । श्री वैंकटसुब्बया ने एक गम्भीर प्रश्न की ओर ध्यान दिलाया है कि राँची के सरकारी क्षेत्र के कारखानों के श्रमिकों में भीषण अशाँति है । दुर्गापुर में भी जहाँ एक सरकारी क्षेत्र का कारखाना है यही स्थिति है । गैर-सरकारी क्षेत्रों में भी स्थिति भिन्न नहीं है । मेरे अपने राज्य में, मार्टिन बर्न कम्पनी, जिसमें 12,000 मजदूर काम करते हैं पिछले दो महीनों से बन्द है । यही हालत इंडियन आयरन में भी है जहाँ 6000 मजदूर काम करते हैं । इसको देखते हुए क्या मंत्री महोदय भी यह मानते हैं कि हमारे श्रमिक नियम, जिस रूप में आज देश में लागू हैं, पुराने हो चुके हैं और उनके तुरंत पुनरीक्षण और संशोधन की आवश्यकता है । यदि हां, तो क्या मंत्री महोदय इस संबंध में तुरन्त कोई कार्रवाई करने और परिवर्तन लाने के लिए तत्पर हैं ताकि इस बात पर संसद् में भी विचार विमर्श हो सके ?

**श्री फखरुद्दीन अली अहमद :** औद्योगिक संबंधों और स्थानीय नियमों को लागू करने की समस्या पर सरकार ध्यान दे रही है और हम निश्चित रूप से माननीय सदस्य के सुझाव पर विचार करेंगे । यदि वर्तमान श्रमिक नियमों में रूपभेद करने की आवश्यकता होगी तो मैं श्रम मंत्री से बात करूंगा और विचार करूंगा कि किस हद पर उनमें रूपभेद किया जा सकता है ।

**Shri Rabi Ray :** There is an Electrical Factory under this Ministry at Bhopal. Shri Hathi discussed the matter with top executives there and Shri Ahmad was also present there in person. Why is there unrest in Ranchi in the undertakings under this Ministry ? Whether this Ministry had some talks with Shri

Hathi regarding the implementation of Labour Laws in Ranchi ? Under which Organisation the Trade Union of Ranchi Factory works ; I.N.T.U.C., H.M.S. or Organisation under any other name ? Did Shri Hathi and Shri Ahmed had any talks with the Union leaders and if so, what were the results thereof ?

**Shri F. A. Ahmed :** The cause of labour unrest is that there is inter-union rivalry in Ranchi. There are many groups in one union and there are number of unions. Three Unions have been registered. The recognised Union is one that of I.N.T.U.C. But the case who is the President of the Union is still hanging fire. It has not been decided so far. There is great unrest because of three Unions and the existence of many groups within one Union.

## संयुक्त उपक्रमों में विदेशियों द्वारा अधिक पूंजी का लगाया जाना

*840. **डा० रानेन सेन :** क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार संयुक्त उपक्रमों में विदेशियों द्वारा अधिक पूंजी लगाये जाने पर लगे वर्तमान प्रतिबन्धों को शिथिल करने का है ; और

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं ?

**औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य उप-मंत्री (श्री भानु प्रकाश सिंह) :** (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

**डा० रानन सेन :** मंत्री महोदय ने प्रश्न को बड़ी जल्दी अस्वीकार कर दिया।

**श्री भानु प्रकाश सिंह :** इसे अस्वीकार करना नहीं कहते, बल्कि यह उत्तर है।

**डा० रानेन सेन :** इसे अस्वीकार करना कहते हैं। क्या मंत्री महोदय यह जानते हैं कि अखिल भारतीय उद्योग संस्था ने नौ महीने तक सहयोग के सम्पूर्ण प्रश्न का सर्वेक्षण किया था और मुदलियर समिति ने भी इसकी जाँच की थी ? उन्होंने सरकार को कुछ सिफारिशें भेजी थीं, उनमें से कुछ ये हैं कि विदेशी सहयोग में अधिकांश साझीदार भारतीय होने चाहिएं ; सहयोग के पश्चात् नियमित अनुसंधान कार्य चलना चाहिए जिससे कि भविष्य में विदेशी शैल्पिक ज्ञान की बजाय भारतीय शैल्पिक ज्ञान का विकास हो सके ; इसके अतिरिक्त और भी सिफारिशें उन्होंने की थीं। इस संदर्भ में, मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार इन दो समितियों की रिपोर्टों के आधार पर विदेशी सहयोग के संबंध में किसी परिणाम पर पहुंची है .यदि हाँ, तो वह क्या हैं ?

**औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) :** मैं प्रश्न को दो भागों में बाँटना चाहूंगा। जहाँ तक सरकारी क्षेत्र में सहयोग का प्रश्न है हमने यह निर्णय किया है कि सरकारी क्षेत्र के उद्योगों में अधिक साझेदारी की अनुमति न दी जाए। जहाँ तक गैर-सरकारी क्षेत्र का संबंध है हम यह चाहेंगे कि अधिकांश शेयर भारतीय लोगों के हों लेकिन कुछ विशेष मामलों में हमने विदेशियों को भी अनुमति दी है। हमने अभी तक कोई ऐसा नियम नहीं बनाया है कि इस प्रकार के सहयोग को अनुमति नहीं दी जायेगी लेकिन ऐसा केवल विशिष्ट मामलों के संबंध में ही होगा। हमारी नीति यह भी है कि शैल्पिक ज्ञान का विकास हमारे देश में हो। जहाँ कहीं शैल्पिक

ज्ञान का विकास हुआ है और जहां होने की संभावना है हम वहाँ विदेशी सहयोग की अनुमति नहीं देते।

**डा० रानेन सेन :** जहाँ तक टेक्नीकल ज्ञान का संबंध है मंत्री महोदय यह जानते हैं कि हाल ही में कुछ सप्ताह पहले वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद के महानिदेशक ने एक वक्तव्य दिया था जिसमें उन्होंने कहा है कि बहुत से सहयोगों में जो कि शैल्पिक ज्ञान पर आधारित हैं, उनका यह शैल्पिक ज्ञान बिल्कुल पुराना है और उन्होंने सरकार को परामर्श दिया है कि वह उन सहयोग के मामलों पर समुचित ध्यान दे जिनमें शैल्पिक ज्ञान की आवश्यकता समझी जाती है ; क्या सरकार का ध्यान इस वक्तव्य की ओर गया है ; क्या सरकार ने इस ओर कोई गम्भीर कदम उठाए हैं कि कहीं शैल्पिक ज्ञान के आयात के नाम पर हमारे देश में बनावटी सहयोग अथवा पिछड़ा टेक्नीकल ज्ञान न लादा जाये और हमारी स्थानीय प्रतिभा का मार्ग अवरुद्ध न हो ?

**श्री फखरुद्दीन अली अहमद :** विदेशी सहयोग के आवेदन पत्रों का निपटान करने वाली समिति वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद् के विचारों को भी सम्मिलित करती है और मैं माननीय सदस्य को आश्वासन दिला सकता हूं कि जब कभी यह मामला मेरे पास आता है मैं इस बात पर विशेष ध्यान देता हूं कि यह मेरे पास अनुमोदन के लिए तभी आए जब कि पहले इसको महानिदेशक तकनीकी विकास तथा वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद् जाँच लें।

**श्री वेदव्रत वरुआ :** स्वतन्त्रता प्राप्ति के समय से लेकर 4,000 सहयोग के मामलों में से 1961 से 1965 के दौरान 2,000 सहयोग के मामलों में मंजूरी दी गयी है। और इन में से सहयोग के 6 मामले सिले सिलाये कपड़ों के तैयार करने से संबंधित हैं। जिसके द्वारा दर्जी आदि का काम किया जायेगा तथा 18 मामले पानी के मीटरों से संबंधित हैं। इन बातों को देखने से ऐसा लगता है कि जिनको सहयोगों को अनुमोदित करने का अधिकार सौंपा गया था उन्होंने सरकार की नीति को उचित ढंग से कार्यान्वित नहीं किया। इसलिए क्या सरकार इस पर नये सिरे से विचार करेगी ?

**श्री फखरुद्दीन अली अहमद :** माननीय सदस्य द्वारा दिए गये आँकड़ों को मैं ठीक करना चाहूंगा। 1960 से लेकर 1967 तक अनुमति प्राप्त सहयोगों की संख्या 4,000 नहीं है बल्कि यह 2,438 है।

**श्री वेदव्रत वरुआ :** मैंने "2,000" कहा है।

**श्री फखरुद्दीन अली अहमद :** मैं माननीय सदस्य को यह सूचित करना चाहता हूं कि जब से मैंने इस मंत्रालय का कार्यभार सम्भाला है मैं वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद् तथा महानिदेशालय तकनीकी विकास की सिफारिशों को पर्याप्त महत्व देता रहा हूं। जब तक कि कोई विशेष प्रायोजना इन दो निकायों द्वारा जांच नहीं ली जाती तब तक सरकार कोई सिफारिश स्वीकार नहीं करती।

**श्री विनकर वेसाई :** मंत्री महोदय ने कहा कि जहां तक गैर-सरकारी क्षेत्र का सम्बन्ध है विदेशियों को विशेष मामले में ही अधिक सहयोग की अनुमति दी जायेगी; यह सामान्य नियम के रूप में नहीं अपनाया जायेगा बल्कि अपवाद स्वरूप ऐसा किया जायेगा। मैं जानना चाहता हूं कि इन अपवाद स्वरूप स्थितियों का किस प्रकार निर्णय किया जाता है और इसका निर्णय करने के लिए क्या कसौटी है ?

**श्री फखरुद्दीन अली अहमद** : इसकी केवल दो कसौटियां है। जब पूंजी लगाने की आवश्यकता इतनी होती है कि देश के अन्दर से आवश्यक धन एकत्र करना सम्भव नहीं होता और जब शैल्पिक ज्ञान इस प्रकार का होगा है कि किसी विशेष प्रायोजना के लिए देश में उपलब्ध नहीं होता, तब हम विदेशी सहयोग को स्वीकार करते हैं।

**उपाध्यक्ष महोदय** : अगला प्रश्न।

**श्री ज्योतिर्मय बसु** : मैं अनुपूरक प्रश्न पूछना चाहता हूं।

**उपाध्यक्ष महोदय** : मैं कम से कम इन छः प्रश्नों पर अब चर्चा नहीं करना चाहता। यदि मैं एक प्रश्न के लिए 10 मिनट से अधिक समय दूं तो यह दूसरों के प्रति अन्याय होगा जो कि प्रश्न उठाने का कष्ट करते हैं।

**श्री ज्योतिर्मय बसु** : जहां तक प्रश्न पूछने के लिए कष्ट उठाने का सम्बन्ध है, प्रश्न शाखा में बैलट में कुछ रहस्य है, हम क्या कर सकते हैं? आपकी टीका-टिप्पणी बिल्कुल दोषपूर्ण और अन्यायपूर्ण है।

**उपाध्यक्ष महोदय** : यह एक सच्ची शिकायत है।

**श्री ज्योतिर्मय बसु** : मुझे एक अनुपूरक प्रश्न पूछने की अनुमति दीजिए।

**उपाध्यक्ष महोदय** : मैंने अगले प्रश्न पर चर्चा करने के लिए कहा है।

## मन्दी का मुकाबला करने के लिये निर्यात

*841. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जिन उद्योगों को मन्दी का सामना करना पड़ रहा है, उनके उत्पादों के लिये विदेशी बाजारों का पता लगाने के लिये सरकार द्वारा किये गये प्रयत्नों का क्या परिणाम निकला है; और

(ख) उन देशों के नाम क्या हैं, जिन्होंने हमारा माल लेना स्वीकार कर लिया है और कितनी कितनी मात्रा में?

**वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफ़ी कुरेशी)** : (क) और (ख) उद्योगों के उत्पादों विशेषतः इंजीनियरी उद्योगों के उत्पादों के लिय, जो मंदी से ग्रस्त हैं, विदेशी बाजारों का पता लगाने के लिये सरकार द्वारा किये गये प्रयत्नों के लाभकर परिणाम निकले हैं और सोवियत रूस, जर्मन प्रजातंत्रीय गणराज्य, चैकोस्लोवाकिया, युगोस्लाविया, ग्रीस, पोलैंड तथा संयुक्त अरब गणराज्य जैसे देश काफी मात्रा में रेल के माल डिब्बे, निटिंग मशीनें, सिलाई मशीनें आदि खरीदने के लिये सहमत हो गये हैं। कोरिया के गणराज्य के साथ रेल के माल डिब्बों की बिक्री के लिये एक बड़े आर्डर की बात हो चुकी है। जर्मनी के संघीय गणराज्य को भारतीय इंजीनियरी उत्पादों के निर्यात को बढ़ाने के लिये बोलरथ योजना के अंतर्गत संयुक्त भारत-जर्मन संघीय गणराज्य प्रायोजना से आशा है कि मंदी का सामना करन के हमारे प्रयत्नों में महत्वपूर्ण योग मिलेगा।

एक विवरण (अंग्रेजी में) संलग्न है जिसमें भारत द्वारा प्राप्त की गई कुछ भारी मूल्य की संविदाओं का उल्लेख है। [पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 625/68]

**Shri Bhogendra Jha** : Mr. Speaker, keeping this in view that there is necessity to explore foreign markets for the products of industries facing recession and the countries like U.S.A. and Great Britain with which we have the largest foreign trade are disagreeing to accept our exports, whether the Government are considering to minimise our foreign trade with the countries with which we are having adverse balance of trade and which are also not accepting our exports and to increase quickly the trade with those countries which are accepting our exports and with which there is favourable balance of trade ?

**Shri Mohd. Shafi Qureshi** : So far as the trade relations with U.K. and U.S.A. are concerned I would like to inform the hon. member that we have made bargain with U.K. this year about grey-iron-casting for machine tools, machine tool accessories, car-batteries, auto-accessories and tools, expanded metal manhole covers and other things . This is not true that we do not export products to U.K. and U.S.A. Export is being made to them and it is a great achievement of our engineering industries that they have explored markets for themselves in such big countries.

**Shri Bhogendra Jha** : Mr. Deputy Speaker, what I asked has not been made clear to me. There is no mention of these two Countries in the statement, regarding machines and their components which we are exporting abroad. It is already known that these countries are not accepting our export and our difficulty of foreign exchange with them is increasing, specially with Dollar area. In these circumstances, if the Government continues to follow old traditions our adverse balance of payments will go on increasing because a major portion of our trade is with these countries. Whether the Government thinks that there is a necessity to make change in its Policy with regard to these Countries ? Secondly, keeping in view the circumstances whether the Government are considering to put a ban on the import of machines and their components which are already being manufactured in our country ? There should be a full restriction on the import of things which are already available in our country or which can be produced here.

**Shri Mohd. Shafi Qureshi** : Perhaps the hon. Member has not understood my reply. I have requested that so far as the engineering goods are concerned we have explored new markets for our goods. During 1966-67 we have exported goods worth Rs. 30 crores. Our target for the year 1967-68 is Rs. 38 crores and we believe that by 1970-71 our export of engineering goods will reach upto Rs. 100 crores. It means whereas we used to send our goods in the old markets, there now new markets are coming up in which U.S.A. and U.K. are also associated; we will export our goods to them as well. I would like to inform the House that this time in global tender competition we got a tender of Railway Rolling Stock of 11 millions from South Korea where U.S.A., Japan, France, West Germany, Britain, and Belgium were in the competition. Instead of this cut-throat competition we got tender. There was global tenders competition in New Zealand also. We got a tender of cables of 1.1 million from Kuwait where there was global competition. Thus we always keep an eye over it.

**Shri Bhogendra Jha** : I had asked that what measures have been taken to restrict the import of such machinery and machine parts which can be manufactured or is being manufactured within the country ?

**Shri Mohd. Shafi Qureshi:** A restriction is imposed over the import of such machine parts which are manufactured in the country.

**Shri M.A. Khan:** Mr. Deputy Speaker, whether the hon. Minister will tell the figures during the last five years in respect of engineering goods exported and whether it had to face recession? If so, what measures were taken by the Government?

What steps have been taken by the Government to increase the export of non-traditional Commodities like German-Jewellery, Engineering goods and Railway Wagons and what are those countries with which agreements have been made in this respect

**Shri Mohd. Shafi Qureshi:** At present upto November our export has reached to Rs. 30 crores and it is estimated that by next year it will be Rs. 35 crores. As I have requested that as per our target the export of engineering goods will be of Rs. 100 crores by 1970-71. So far as the German-Jewellery is concerned I would like to inform the House that by this time our export is worth Rs. 27·80 crores and it is estimated that in a year or two it will increse to 30 to 35 crores of rupees.

**श्री लोबो प्रभू:** यह स्वीकार किया गया है कि निर्यात को बढ़ाने के हमारे उपाय आयात की आवश्यकताओं से सम्बन्धित होने चाहिए। उपलब्ध आंकड़ों से पता चलता है कि हमारे आयात की आवश्यकताओं का आधे से अधिक भाग औद्योगिक उपकरण मशीनरी तथा खाद्यान्न से सम्बन्धित है, चालू वर्ष में, मन्दी के कारण मशीनरी का आयात कम हो रहा है और खाद्यान्न के आयात में भी बहुत अच्छी फसल होने के कारण कमी है।

इन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए; क्योंकि निर्यात-प्रोत्साहन से एक ओर कर-दाता को हानि होती है और दूसरी ओर अपने देश में मूल्यों में वृद्धि हो जाती है तो मैं मंत्री महोदय से आश्वासन चाहता हूं कि वे हमारी आयात की आवश्यकताओं में कमी को ध्यान में रखते हुए उसी हिसाब से निर्यात-प्रोत्साहन में भी कमी करेंगे।

**श्री मुहम्मद शफी कुरेशी:** मेरे माननीय मित्र को यह जानना चाहिए कि जहां तक मशीनरी तथा अन्य वस्तुओं का सम्बन्ध है, हम उस मशीनरी का आयात नहीं कर रहे हैं जिसमे हम आत्म-निर्भर हो गये हैं। हम केवल उन्हीं पुर्जों का आयात करते हैं जो बहुत ही आवश्यक हैं। जिस मशीनरी को हम यहां बना रहे हैं उसका आयात नहीं किया जा रहा है।

**श्री लोबो प्रभू:** क्योंकि मशीनरी और खाद्यान्न के आयात में कमी है, इसलिए निर्यात-प्रोत्साहन में भी कमी कर देनी चाहिए।

**श्री दिनेश सिंह:** क्या माननीय सदस्य यह सुझाव दे रहे हैं कि हमें कम निर्यात करना चाहिये?

**श्री ज्योतिर्मय बसु:** सरकार के निर्यात को देखकर मुझे एक अंग्रेजी कहावत की याद आती है, "बर्न योर हाउस टु रोस्ट एग्ज"। यह देश दूसरे की अपेक्षा अधिक सस्ता बेचने वालों का है। एक-सी सिलाई की मशीन जिसे उषा कम्पनी पांच पौंड में निर्यात करती है अन्ततोगत्वा उसे

उपभोक्ता को 25 पौंड में बेचा जाता है। आपको केवल पाँच पौंड मिलता है फिर भी डींग हांकी जाती है। इन हालातों में सरकार उपभोक्ता को क्रय कीमत के निकटतम मूल्य पर माल देने के लिये क्या कार्यवाही कर रही है ताकि बिचौलिए अनुचित लाभ न उठा सकें ?

**श्री मुहम्मद शफी कुरेशी :** माननीय सदस्य को यह जानकारी होनी चाहिये सरकार की नीति निर्यात को बढ़ावा देने की है और मैं गर्व के साथ कह सकता हूं कि हमारा इंजीनियरी का सामान चाहे वह पंखे हो चाहे सिलाई की मशीनें या बुनाई की मशीनें विश्व बाजार में भारी मुकाबले के बावजूद सफलता प्राप्त कर रहा है। सरकार की यह नीति है कि वह निर्यात के विकास पर सतत ध्यान रखे. मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि माननीय सदस्य क्या कहना चाहते हैं।

**श्री ज्योतिर्मय बसु :** एक वस्तु जिसका उपभोक्ता को 25 पौंड पर बेचा जाता है उस पर आपको केवल पाँच पौंड प्राप्त होता है अर्थात 20 प्रतिशत और इस पर भी सरकार शेखी बघारती है। यह मेरी समझ में नहीं आता।

**श्री दिनेश सिंह :** मैं माननीय सदस्य की बात को मानता हूं। यदि ऐसा हो रहा है तो हमें इस पर अवश्य और गौर करना चाहिये, मैं बहुत आभारी होऊंगा यदि माननीय सदस्य विदेशी व्यापार के अपने अनुभव से मेरे सामने इस प्रकार के कुछ तथ्यों को रखेंगे। कुछ समय पूर्व उन्होंने चाय के प्रश्न पर कुछ कहा था उस पर हमने विचार किया। इस बात को वह अच्छी प्रकार जानते हैं हमें कुछ और ब्यौरे प्राप्त होने दीजिय। उन्नोंन मशीनों के बारे में कहा है हम स्वयं भी इसकी खोज करेंगे। यदि कुछ और तथ्य भी हैं तो हम उनकी सहर्ष परीक्षा करेंगे।

**Shrimati Lakshmi Kanthamma :** Will the hon. Minister be pleased to state the percentage of Socialist and other countries which import goods manufactured in our country ?

**Shri Mohd. Shafi Qureshi :** I can not tell the percentage but I can furnish the figures showing names of the countries, which import our goods.

**Shri Hukam Chand Kachwai :** The hon. Minister has stated that we can export goods worth Rs. 30 crores or Rs. 35 crores. What is the difference in our exports and imports ? For instance, what is the difference in the cost of cloth imported and exported ?

**Shri Mohd. Shafi Qureshi :** As I have stated we import only components. As regards the cloths we do not make only import.

**Shri Hukam Chand Kachwai :** If you export worth Rs. 30—35 crores how much amount you bring home ?

**Shri Mohd. Shafi Qureshi :** I have mentioned only one item *i.e.* engineering goods. Now the hon. member may state about what he is asking and I shall then answer that.

**Shri Hukam Chand Kachwai :** You are importing the items which you export. A lot of smuggling of cloth is going on here; if you try you can catch a plenty of that. Very much cloth from Japan, China and Russia is sold here.

**Shri Mohd. Shafi Qureshi :** Just now I have submitted that we do not import whatever we produce here. How will we ask back for the goods we export ?

As regards availability of foreign cloth, it is certainly possible that those who return from abroad might bring one or two suit length and oblige the hon. Member.

**Shri Hukam Chand Kachwai :** This cloth is selling in big cities whereas the hon. Minister says that only one or two pieces might be available.

**श्री बूटा सिंह :** अभी हमने उपमंत्री महोदय को इंजीनियरी सामान तथा रेल के डिब्बों सम्बन्धी मशीनरी के मामलों में प्राप्त सफलताओं के बारे में स्पष्टीकरण देते सुना। क्या मैं जान सकता हूं कि क्या यह सत्य है कि पंजाब और हरियाणा में लघु उद्योग विशेषतया बुनाई, कताई तथा कपड़ा-एकक मन्दी के कारण बिलकुल बन्द हो गये हैं, यदि हां, तो मंत्रालय ने इसपर क्या पुनर्विचार किया है तथा लघु उद्योग के निर्यात तथा उनको सहायता करने के बारे में क्या कदम उठाये हैं ?

**श्री मुहम्मद शफी कुरेशी :** यह तो एक अतिशयोक्ति है । कल मैं निर्यात उत्थान परिषद् की बैठक में भाग लेने के लिये जालन्धर जा रहा हूं। जालन्धर में बैठक इसीलिये हो रही है क्योंकि पंजाब से इंजीनियरी सामान का जाना आरम्भ हो गया है। यह कहना कि सब एकक बन्द हो गये हैं, मैं समझता हूं यह बिलकुल गलत कथन है।

**उपाध्यक्ष महोदय :** अगला प्रश्न —— श्री भगवान दास।

**श्री स्वतंत्र सिंह कोठारी :** आपका ध्यान आकर्षित करने के लिये मैं कई बार खड़ा हुआ हूं। अब आप अगला प्रश्न ले रहे हैं . . .

**उपाध्यक्ष महोदय :** श्री भगवान दास।

**श्री स्वतंत्र सिंह कोठारी :** यहां बैठने का क्या प्रयोजन है ? दो दिन से मैं आपका ध्यान नहीं आकर्षित कर पाया हूं। इसके विरोध में मैं सभा से बाहर जा रहा हूं।

**(इसके पश्चात् श्री स्वतंत्र सिंह कोठारी सभा-भवन से बाहर चले गये)**

**( Shri S. S. Kothari then left the House ).**

**हैवी इंजीनियरिंग प्लांट तथा माइनिंग ऐंड एलाइड मशीनरी कारपोरेशन, दुर्गापुर**

†842. **श्री भगवान दास :**
**श्री वि० कु० मोडक :**
**श्री गणेश घोष :**
**श्री सत्य नारायण सिंह :**
**श्री क० प्र० सिंह देव :**

क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रूसी विशेषज्ञ दल ने फरवरी, 1968 में हैवी इंजीनियरिंग प्लान्ट एण्ड माइनिंग एण्ड एलाइड मशीनरी कारपोरेशन, दुर्गापुर का दौरा किया था;

(ख) यदि हां, तो दल द्वारा दिये गये प्रतिवदन की मुख्य-मुख्य बातें क्या है; और

(ग) उस पर क्या निर्णय किया गया है?

**औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री भानु प्रकाश सिंह)** : (क) जी, हां।

(ख) श्रम उत्पादिता में सुधार करने, प्रबन्धकों की कुशलता बढ़ाने और आगामी वर्षों में संयंत्रों में तैयार की जाने वाली मशीनों के डिजाइनों और प्रलेखों का विकास करने तथा भारत में रूसी डिजाइन विशेषज्ञों को भेजने एवं सोवियत रूस में भारतीय इंजीनियरों और आपरेटरों को प्रशिक्षण देने आदि के बारे में सुझाव प्राप्त हुए हैं।

(ग) यह रिपोर्ट विचाराधीन है ।

**श्री भगवान दास** : खनन और सम्बन्धित मशीनरी निगम को वर्ष 1966 के दौरान कुछ क्रय-आदेश मिले थे परन्तु वर्ष 1967 में, जब कि वे उत्पादन-योजना निर्मित कर रहे थे, कुछ क्रय-आदेश इस में शामिल नहीं किये गये थे। क्या सोवियत शिष्टमंडल को इसकी सूचना दे दी गई थी, यदि नहीं, तो क्यों ?

**औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद)** : प्रश्न मेरी समझ में नहीं आया।

**उपाध्यक्ष महोदय** : मेरी समझ में भी नहीं आया।

**श्री उमानाथ** : कुछ क्रय आदेश दिये गये थे परन्तु वे कार्यान्वित नहीं हुए। क्या सोवियत दल ने कोई सिफारिश की थी? उन के कार्यान्वित न होने के क्या कारण थे ?

**श्री फखरुद्दीन अली अहमद** : जहां तक सोवियत शिष्टमंडल का सम्बन्ध है, उसको राँची के संयंत्र तथा दुर्गापूर के एम ए एम सी संयंत्र से सम्बन्धित सभी मामलों की सचाई को देखने-समझने का हर सम्भव अवसर प्रदान किया गया था। मुझे प्राप्त हुई रिपोर्ट में वह तथ्य नहीं है जिसका माननीय सदस्य ने जिक्र किया है।

**श्री भगवान दास** : क्या यह सत्य है कि एम ए एम सी ने पिछले वर्ष अपने बहुत से कर्मचारियों को छंटनी की सूचना दी थी, यदि हाँ, तो इसके क्या कारण थे?

**श्री फखरुद्दीन अली अहमद** : मुझे कारण का पता नहीं परन्तु मुझे बताया गया है कि सब कर्मचारी वहाँ काम कर रहे हैं।

**Shri Satya Narayan Singh** : The conditions in the MAMC are resulting in a loss to the Government, manufacturing of different types of machines can also be undertaken in this Plant. It is regrettable that adequate efforts were not made for diversification of production, and the workers were rendered jobless. I want to know whether Government will have a rethinking on this issue to avoid the retrenchment of the workers and on the diversification of the plant so as to produce new machines.

**Shri F.A. Ahmed :** As regards diversification, Government was already looking into it and making necessary arrangements. Now if we implement the suggestions made in the Report this idle capacity can be utilized. Besides this we shall certainly have diversification also, if needed.

**Shri Mohammed Ismail :** The Soviet experts who inspected the Heavy Engineering Plant and Mining and Allied Machinery Corporation, Durgapur, made certain recommendations, which also appeared in the press, this recommendation included that it is not proper to recruit technical officers directly and to bring in new officers, but experienced hands from the factory from lower level should be promoted ? Whether this recommendation is included in the report ?

**Shri F. A. Ahmed :** It refers to several things. During talks with me they suggested that it would increase the efficiency in the unit if an expert is given a promotion on the basis of his efficiency, and that they are a number of workers in Durgapur and Ranchi Plants who can be called as well trained. To remedy the shortage, they suggested that either some persons be sent there for training or some trainers be called here to train the workers here.

## मैसर्स बैनेट कोलमैन एण्ड कम्पनी लिमिटेड

*843. **श्री उमानाथ :** **श्री प० गोपालन :**
**श्री नायनार :** **श्री अनिरुद्धन :**

क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मंत्री 20 फरवरी, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1239 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसर्स बैनेट कोलमैन एण्ड कम्पनी लिमिटेड के मामले में श्री एस० पी० चोपड़ा द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रतिवेदन पर सरकार ने इस बीच विचार कर लिया है; और

(ख) यदि हाँ, तो इस पर क्या निर्णय किया गया है ?

**औद्योगिक विकास एवं कम्पनी कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री भानु प्रकाश सिंह ) :**

(क) हाँ, श्रीमान ।

(ख) श्री चोपड़ा की रिपोर्ट में प्रकट की गई सामग्री के आधार पर, कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 388-बी तथा 398 के अन्तर्गत दो मामले संस्थित कर दिये गये हैं। इस समय यह दोनों मामले बम्बई उच्च न्यायालय के समक्ष अनिर्णीत हैं।

**श्री उमा नाथ :** श्री चौपड़ा के निष्कर्षों के सम्बन्ध में दिये गये उत्तर में बताया गया था कि जो आरोप इस समवाय पर लगाये गये थे इनमें बहुत बड़ी राशि की

गड़बड़ी, रिकार्ड को नष्ट करना, जाल साजी तथा जानबूझकर जाँच अधिकारियों के साथ असहयोग करना शामिल था। ऐसी जालसाज समवायों तथा उनकी हरकतों के विरूद्ध निर्भीकता से कार्यवाही करने वाले अधिकारियों को उनके कार्य में रोके जाने का एक बड़ा कारण यह भी था कि उन समवायों के साथ मंत्री मंडल स्तर के लोगों की भी साँठगांठ है जो समवाय इस मामले की लपेट में आते हैं। उदाहरणार्थ, सन 1967 में इस समवाय द्वारा आयोजित फिल्म-फेयर पुरस्कार–वितरण समारोह का उदघाटन स्वयं उपप्रधान मंत्री ने किया; फरवरी 1968 में इस समवाय को एक और अहमदाबाद संस्करण छापने की अनुमति दी गई तथा उसका उदघाटन भी इस देश के उप-प्रधान मंत्री ने किया। श्री अशोक सेन, जब कि वह मंत्री थे, को भी उन पत्रों तक पहुंच थी जिनका सम्बन्ध इस कम्पनी द्वारा की गई जालसाजी से था तथा ज्यों-ही वह मंत्री-पद से हटे त्योंही वह सरकार के विरूद्ध इस समवाय का पक्ष लेते दिखाई दिये।

**Shri Madhu Limaye :** It is very improper.

**श्री उमानाथ :** यह अनुचित है। मंत्री पद पर रहते हुए इन दस्तावेजों को देख सकने का वह लाभ उठाते हैं और मंत्रीपद समाप्त होते ही वह सरकार द्वारा उठाई गई कार्यवाही के विरूद्ध समवाय की ओर से प्रयत्न करते हैं। मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या सरकार यह नहीं सोचती कि जिन जालसाज कम्पनियों को यदि देश के उप-प्रधान मंत्री तथा अशोक सेन जैसे भूतपूर्व मंत्री संरक्षण दें तो ऐसी जालसाज कम्पनियों के विरूद्ध निर्भीकता से कार्यवाही करने वाले अधिकारियों को बाधा पड़ेगी? मैं यह भी जानना चाहता हूं कि जिन कम्पनियों के विरूद्ध कार्यवाही की जा रही है उनके साथ मिलने जुलने के सम्बन्ध में मंत्री मंडलीय मंत्रियों के लिये क्या कोई आचार-संहिता है, यदि नहीं, तो क्यों नहीं?

श्री फखरूद्दीन अली अहमद : माननीय सदस्य द्वारा लगाया गया आरोप बिलकुल गलत है। जहां तक समवाय के निदेशकों का सम्बन्ध है, वे अब नहीं रहे हैं तथा उनके स्थान पर दूसरे नियुक्त कर दिये गये हैं। इसी श्रेणी के अन्य निदेशकों तथा जिनके विरूद्ध शिकायतें हैं उन लोगों के विरूद्ध अभियोग बम्बई उच्च न्यायालय में संस्थित है। यदि उप-प्रधान मंत्री ने किसी समारोह में भाग भी लिया तो वह समारोह उन वर्तमान निदेशकों द्वारा आयोजित था जिनका उन आरोपों से कोई सम्बन्ध नहीं जिनके बारे में मामला बम्बई उच्च न्यायालय में संस्थित है।

**Shri Madhu Limaye :** You please place Mr. Chopra's Report on the Table of the House.

**श्री उमानाथ :** मेरा दूसरा प्रश्न यह है। 1–12–1965 को दिये गये एक प्रश्न के उत्तर में सरकार ने कहा था कि सम्बन्धित निदेशकों के विरूद्ध आपराधिक विरुद्ध आपराधिक कार्यवाही करने के उद्देश्य से केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने उन पर लगाये गये आपराधिक दुर्विनियोग के आरोपों की जांच पूरी करली है तथा उस संबंध में महान्यायवादी का मत भी मांगा गया है। मैं जानना चाहूंगा कि क्या उन पुराने निदेशकों के आचरण के विरुद्ध आपराधिक मुकदमा

चलाया गया है, यदि नहीं क्यों नहीं ? उनके विरुद्ध मुकद्दमा न चलाये जाने का क्या यह कारण है कि उप-प्रधान मंत्री उनसे मिले थे ?

**श्री फखरुद्दीन अली अहमद :** मामला अभी तक विचाराधीन है ।

(प्रश्न काल समाप्त)

**उपाध्यक्ष महोदय :** अब हम अल्प-सूचना प्रश्न लेते हैं । श्री वीरेन्द्र कुमार शाह ! . . . वह यहां नहीं हैं । तब अगला प्रश्न लेंगे ।

---

## प्रश्नों के लिखित उत्तर
## WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

### रेलवे कर्मचारियों को निःशुल्क पास और पी० टी० ओ०

*844. **श्री म० ला० सोंधी :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उनके मंत्रालय के पास ऐसे कोई आंकड़े नहीं रखे जाते, जिनसे यह पता चल सके कि रेलवे कर्मचारियों ने निःशुल्क पासों और पी० टी० ओ० का कितना उपयोग किया है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि इस मंत्रालय के पास ऐसे कोई आंकड़े नहीं होते हैं जिनसे रेलवे कर्मचारियों को मिलने वाली इन रियायतों के फलस्वरूप होने वाले व्यय का पता चल सके; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

**रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) :** (क) और (ख) फिलहाल ऐसे आंकड़े नहीं रखे जाते जिनसे यह पता चल सके कि पास/सुविधा टिकट आदेश का उपयोग किस हद तक किया गया और उसका वित्तीय प्रभाव क्या पड़ा ।

(ग) आंकड़े न रखे जाने का मुख्य कारण यह था कि ऐसे आंकड़ों को एकत्रित करने और उनका लेखा-जोखा रखने में बहुत अधिक परिश्रम करना पड़ता । लेकिन, हाल में यह हिदायत जारी की गयी है कि ऐसे पास/सुविधा टिकट आदेश के इस्तेमाल से सम्बद्ध अपेक्षित आंकड़े रखे जायें ।

### रेलवे भोजन व्यवस्था सम्बन्धी समिति

*845. **श्री अब्राहम :**
**श्री नम्बियार :**
**श्री गणेश घोष :**
**श्री सत्य नारायण सिंह :**
**श्री ओंकार लाल बोहरा :**

क्या **रेलवे** मंत्री 13 फरवरी, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 102 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे में विभागीय भोजन व्यवस्था तथा ठेके की भोजन व्यवस्था के कार्य संचालन के बारे में जांच करने के लिए बनाई गई समिति ने इस बीच अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो उसके द्वारा की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) उन पर क्या निर्णय किया गया है ?

**रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा ):** (क) जी हां।

(ख) एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है, जिसमें समिति के निष्कर्षों और सिफारिशों का सार दिया गया है। **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 626/68]**

(ग) समिति की सिफारिशों की जांच की जा रही है ।

**आयात लाइसेंसों का दुरुपयोग**

*846. **श्री गोपाल साबू :**
**श्री रा० स्व० विद्यार्थी :**
**श्री कंवर लाल गुप्त :**
**श्री भारत सिंह चौहान :**

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत दो वर्षों में कुछ फर्मों द्वारा आयात लाइसेंसों का दुरुपयोग किये जाने के बारे में सरकार को कुछ शिकायतें मिली हैं ;

(ख) यदि हां, तो वे शिकायतें किस प्रकार की थीं और उन फर्मों के नाम क्या हैं ;

(ग) क्या इस मामले के संबंध में कोई जांच की गई है ; और

(घ) यदि हां, तो उसका क्या निष्कर्ष निकला है ?

**वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) :** (क) से (घ) : जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

**फिएट कारों का आवंटन**

*847. **श्री कंवर लाल गुप्त :** क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिये फिएट कारों के आवंटन के लिये कुछ कोटा निर्धारित किया है ;

(ख) क्या यह सच है कि उस कोटे में से फिएट कारों के आवंटन के लिये वर्ष 1963 में जिन आवेदकों ने मंत्रालय में अपने नाम दर्ज कराये थे उन्हें 1966 में सरकार द्वारा नियमों में पुनरीक्षण कर दिये जाने के परिणाम स्वरूप अभी तक फिएट कार आवंटित नहीं की गई है ;

(ग) यदि हां, तो उन आवेदकों को जिन्होंने नियमों के पुनरीक्षण के पश्चात् अपने नाम दर्ज कराये हैं उन आवेदकों की अपेक्षा जिन्होंने पुनरीक्षण से पूर्व अपने नाम दर्ज कराये थे किस प्रकार लाभ पहुंचाया गया है ; और

(घ) क्या फिएट कारों के आवंटन के मामले में उन कर्मचारियों को प्राथमिकता देने का सरकार का विचार है जिन्होंने नियमों में पुनरीक्षण होने से पूर्व आवेदन पत्र दिये थे ।

**औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) :**

(क) जी, हां ।

(ख) जी, नहीं । इसके विपरीत कुछ आवेदकों, जिन्होंने अपना नाम 1963 में रजिस्टर करवाया था, को नियमों में परिवर्तन हो जाने के कारण 1966 में कारें आवंटित कर दी गयी थीं ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(घ) ऐसा पहले से ही किया जा रहा है ।

## रेलवे कर्मचारियों को रियायतें

*848. **श्री श्रीधरन् :** **श्री कामेश्वर सिंह :**
**श्री रघुवीर सिंह शास्त्री :**

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार रेलवे कर्मचारियों को मिल रही विभिन्न प्रकार की रियायतों में भारी कमी करने का विचार कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

**रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा):** (क) और (ख). जी नहीं । सम्भवत : माननीय सदस्यों का आशय रेल कर्मचारियों को दी जाने वाली पास/सुविधा टिकट आदेश की रियायतों और इस संबंध में प्राक्कलन समिति की सिफारिशों से है ।

प्राक्कलन समिति की सिफारिशों पर विचार किया जा रहा है ।

## निर्यात-आयात नीति

*849. **श्री प्रेम चन्द वर्मा :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आयात तथा निर्यात नीति निर्धारित करने के लिये किन-किन संगठनों/समितियों अथवा व्यक्तियों से परामर्श किया जाता है और ऐसे परामर्श और सलाह को कितना महत्व दिया जाता है ;

(ख) इसके आधारभूत सिद्धान्तों को कौन निश्चित करता है और अन्य किन-किन बातों का ध्यान रखा जाता है ;

(ग) क्या प्रत्येक वर्ष में नीति की कमियों का कोई निर्धारण किया जाता है ; और

(घ) क्या आगामी वर्ष के लिये 31 मार्च तक आयात-निर्यात को अंतिम रूप देकर घोषित किये जाने की संभावना है और यदि नहीं तो इसके कारण क्या हैं ।

**वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्रीमुहम्मद शफ़ी कुरेशी):** (क) उद्योग तथा व्यापार द्वारा, उनकी मान्यता प्राप्त संस्थाओं जैसे भारतीय व्यापार तथा उद्योग मंडलों के संघ, निर्यात संवर्धन परिषदों, व्यापार सलाहकार परिषद् तथा व्यापार बोर्ड के माध्यम से अभिव्यक्त विचारों को उचित महत्व दिया जाता है । इसके साथ ही माननीय सदस्यों द्वारा संसद् में अथवा सलाहकार समितियों में व्यक्त किये गये विचारों पर भी पूरा ध्यान दिया जाता है ।

(ख) आयात नीति बनाते समय सरकार द्वारा विभिन्न बातों, जैसे अनुमानित घरेलू मांग, स्वदेशी क्षमता तथा उत्पादन, विदेशी मुद्रा की उपलब्धि आदि पर विचार किया जाता है ।

(ग) जी, हां, समय-समय पर एक अन्त : विभागीय समिति द्वारा नीति का पुनरीक्षण किया जाता है और आवश्यकतानुसार संशोधनात्मक कार्यवाही की जाती है ।

(घ) जी, हां । 1 अप्रैल, 1968 को आयात नीति घोषित किये जाने की संभावना है ।

**Armed Police Contingent to accompany Goods Trains**

*850. **Shri Onkar Lal Berwa:** Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Railway employees have made a demand that Armed Police contingent should necessarily accompany the goods trains ; and

(b) if so, the decision taken by Government in this regard?

**The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha):** (a) Yes Sir. A few representations have been made by Railway employees on Eastern, Northern, Central and South Central Railways.

(b) Maintenance of law and order within Railway premises and in Railway trains is the responsibility of the State Government concerned. As Railways are also vitally concerned, assistance of Railway Protection Force personnel is given to State Police wherever necessary. Armed Police escorts assisted by Railway Protection Force are drafted when considered necessary to accompany trains on the affected section for safety of railway employees and passengers.

**कागज उद्योग का विकास**

*851. **श्री हिम्मतसिंहका :** क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान भारतीय कागज मिलों की एसोशिएशन के प्रधान द्वारा 29 दिसम्बर, 1967 को कलकत्ता में एसोसिएशन की वार्षिक सामान्य बैठक में दिये गये उस वक्तव्य की ओर दिलाया गया है जिसमें उन्होंने देश में कागज उद्योग के विकास में आने वाली अनेक कठिनाइयों पर प्रकाश डाला है ; और

(ख) यदि हां, तो इन अनेक कठिनाइयों का मुकाबला करने के लिये उद्योग को सहायता देने के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

**औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद):** (क) जी, हां ।

(ख) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

**विवरण**

उद्योग द्वारा की गई मुख्य मांगें निम्नलिखित हैं :—

1. कागज के वर्तमान मूल्यों को समुचित रूप से बढ़ाया जाय जिससे उद्योग के लाभ में सुधार हो ।

2. पौंड के अवमूल्यन से कागज तथा कागज के उत्पादों के निर्यात पर दिया जाने वाला वर्तमान 10 प्रतिशत अनुदान अब पर्याप्त नहीं रह गया है । नकद अनुदान में अब समुचित वृद्धि की जानी चाहिए ।

3. राज्य सरकारों को चाहिये कि बांस तथा अन्य कच्चा माल उचित रायलटी पर कागज उद्योग को लम्बी अवधि के पट्टे पर दें ।

4. उद्योग द्वारा अपनी स्थापित क्षमता का अधिकतम उपयोग करने में समर्थ बनाने के लिये कच्चे माल, फालतू पुर्जों तथा हिस्सों के आयात के लिए विदेशी मुद्रा के आवंटन की अत्यन्त उदार नीति अपनाई जानी चाहिए ।

इन पर की गई अथवा की जाने वाली कार्यवाही क्रमश: निम्न प्रकार है :—

1. यह सक्रिय रूप से सरकार के विचाराधीन है ।

2. कागज पर दिये जाने वाले नकद अनुदान को 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 15 प्रतिशत कर दिया गया किन्तु शर्त यह है कि पंजीकृत निर्यातक 5 प्रतिशत की अतिरिक्त वृद्धि के तभी हकदार हो सकगे यदि उनके 1-3-1968 से 28-2-1969 की अवधि में किये गये निर्यात का जहाज़ भाड़ा सहित मूल्य 1-3-1967 से 29-2-1968 की अवधि में किये गए निर्यात के जहाज़ भाड़ा सहित मूल्य से 10 प्रतिशत अधिक होगा ।

3. यह विषय राज्य से संबद्ध होने के कारण इसे खाद्य तथा कृषि मंत्रालय और केन्द्रीय वन बोर्ड द्वारा विचारार्थ राज्य सरकारो के ध्यान में लाया गया है ।

4. आयातित कच्चे माल तथा फालतू पुर्जों संबंधी अनिवार्य आवश्यकतायें सम्पूर्ण रूप से पूरी की जा रही हैं ।

**कपास के व्यापार को हानि से बचाने की सुविधाएं**

*852. **श्री रघुवीर सिंह शास्त्री** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कपास के व्यापार को हानि से बचाने की सुविधायें शीघ्र देने की व्यवस्था करने के बारे में कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है ;

(ख) क्या यह सुझाव दिया गया है कि माल देने के ठेकों की एक महीने की सीमित अवधि का प्रतिबन्ध पूरी तरह हटा दिया जाये; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

**वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी)**: (क) और (ख) जी, हां।

(ग) कपास के व्यापार में 'हैजिंग' की सुविधाओं के पुन: चालू करने का सरकार का विचार नहीं है। अन्य मामलों पर विचार किया जा रहा है।

**कागज और गत्ते का उत्पादन**

*853. **श्री धीरेश्वर कलिता** : क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कागज और गत्ते के उत्पादन को बढ़ाने के कार्यक्रम ने विशेष प्रगति नहीं की है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या कागज उद्योग की प्रगति धीमी होने के कारण देश को आगामी वर्षों में कागज और गत्ते की भारी कमी का सामना करना पड़ेगा ; और

(घ) यदि हां, तो प्रत्याशित कमी का मुकाबला करने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?.

**औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद)** : (क) जी, हां ।

(ख) कागज उद्योग के विकास में गतिरोध, कागज योजनाओं में अधिक पूंजी लगना, रुपया पूंजी की कमी, परम्परागत कच्चे माल का अभाव तथा कागज के अलाभप्रद मूल्य हैं जो पिछले 5 वर्षों से चले आ रहे हैं ।

(ग) जी, नहीं ।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

## खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग

*854. **श्री श्रद्धाकर सुपकर :** **श्री जार्ज फर्नान्डीज :**

क्या **वाणिज्य** मंत्री 20 फरवरी, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1364 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मेहता समिति ने खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग के कार्य संचालन के बारे में अपना प्रतिवेदन इस बीच प्रस्तुत कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो उसमें क्या मुख्य निष्कर्ष निकाले गये हैं ; और

(ग) सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

**वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी)** : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) . प्रतिवेदन हाल ही में प्राप्त हुआ है और उसकी छपाई का प्रबन्ध किया गया है । प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों और सुझावों पर विचार करना भी आरम्भ हो चुका है ।

## रेलवे में अत्यावश्यक तथा अनत्यावश्यक कर्मचारियों का वर्गीकरण

*855. **श्री किकर सिंह :**
**श्री स० मो० बनर्जी :**
**श्री प्र० न० सेलंकी :**
**श्री रा० की० अमीन :**
**श्री राम चन्द्र अमीन :**
**श्री ओंकार लाल बेरवा :**
**श्री द० र० परमार :**
**श्री ओ० प्र० त्यागी :**
**श्री मम्बियार :**
**श्री श्रीकान्तन नायर :**
**श्री राम सेवक यादव :**

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे कर्मचारियों को अत्यावश्यक तथा अनत्यावश्यक कर्मचारियों की श्रेणियों में

बांटने के लिये किन मुख्य सिद्धान्तों को अपनाया जाता है ; और

(ख) अत्यावश्यक श्रेणी के कर्मचारियों को विशेष रूप से क्या विशेषाधिकार प्राप्य हैं जो अनत्यावश्यक श्रेणी के कर्मचारियों को प्राप्त नहीं है ?

**रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा)** : (क) और (ख). केवल रेलवे क्वार्टरों के आवंटन के मामले में रेल-कर्मचारियों को "सारभूत" और "असारभूत" के रूप में वर्गीकृत किया गया है। "सारभूत" कर्मचारी वे हैं जिन्हें दिन या रात में किसी समय ड्यूटी पर बुलाया जा सकता है।

कर्मचारियों को "सारभूत" और "असारभूत" के रूप में वर्गीकृत करने के संबंध में रेलों पर समान रूप से अपनाये जाने के लिए कोई ठोस सिद्धान्त नहीं रहा है और न बनाया जा सकता है। क्योंकि तरह-तरह की स्थानीय स्थितियों को ध्यान में रखना पड़ता है और रेल-प्रशासनों को यह अधिकार दिया गया है कि वे आवश्यकता के अनुसार दो कोटियों में कर्मचारियों का वर्गीकरण करें।

"सारभूत" कर्मचारियों को किसी स्टेशन पर आवंटन के लिए उपलब्ध रेलवे क्वार्टरों के 70 प्रतिशत क्वार्टर दिये जाते हैं।

रेल कर्मचारी किसी अन्य प्रयोजन के लिए "सारभूत" या "असारभूत" के रूप में वर्गीकृत नहीं किये गये हैं।

## अन्तर्राष्ट्रीय बाजारों में भारतीय चाय के मूल्य

*856. **श्री श्रीनिवास मिश्र** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि श्रीलंका के रुपये के अवमूल्यन के बाद अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में भारतीय चाय का मूल्य गिर गया है ;

(ख) क्या कुछ देशों में उत्पादन लागत से कम मूल्य पर भी भारतीय चाय बेची जा रही है ;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(घ) इस स्थिति को सुधारने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

**वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफ़ी कुरेशी)** : (क) गत पांच वर्षों के दौरान अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में चाय के मूल्य क्रमशः गिरते रहे हैं और भारतीय चाय इस गिरावट की प्रवृत्ति का कोई अपवाद नहीं है तथापि इतनी जल्दी यह अनुमान लगाना कठिन है कि श्री लंका के अवमूल्यन का भारतीय चाय के मूल्यों पर क्या प्रभाव पड़ेगा।

(ख) श्रीमान, जहां तक सरकार को मालूम है, ऐसा नहीं है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) 1968-69 के बजट में कुछ उपाय प्रस्तुत किये गये हैं। स्थिति सरकार के निरन्तर समीक्षाधीन है और जब कभी आवश्यकता पड़ेगी यथोचित कार्यवाही की जायेगी।

**पेट्रोलियम की जेलियों के आयात पर प्रतिबन्ध**

*857. **श्री मधु लिमये** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत में वी० पी० और आई० पी० स्टैण्डर्ड के अनुसार पैट्रोलियम की जेलियां तैयार की जा रही है ;

(ख) क्या वर्ष 1966 में इन के आयात पर सरकार ने प्रतिबन्ध लगाया था ;

(ग) यदि हां, तो क्या यह प्रतिबन्ध अब भी लगा हुआ है ;

(घ) क्या आयात पर लगे प्रतिबन्धों का उल्लंघन करके कुछ फर्मों को लाइसेंस दिये जाने के मामले की ओर सरकार का ध्यान दिलाया गया है ;

(ङ) यदि हां, तो इन फर्मों के नाम क्या हैं; और

(च) इससे विदेशी मुद्रा की कितनी हानि हुई है ?

**वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी)** : (क) से (ग) जी, हां।

(घ) से (च). पैट्रोलियम तथा रसायन मंत्रालय के परामर्श से मामले की जांच की जा रही है और एक विवरण सभा पटल पर रख दिया जायेगा।

**छोटी कार परियोजना**

*858. **डा० कर्णीसिंह** : क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छोटी कार परियोजना का मामला इस समय किस अवस्था में है ;

(ख) क्या यह सच है कि आरम्भ में कार का बिक्री मूल्य 5000 रुपये था, परन्तु अब वह 12000 रुपये बताया जाता है ; और

(ग) क्या यह मूल्य युक्तिसंगत है तथा क्या इसे जनसाधारण खरीद सकेगा, जिसके लाभ पहुंचाने के लिये यह परियोजना बनाई गई बताई जाती है ?

**औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद)** : (क) इस विषय पर अभी योजना आयोग से बातचीत चल रही है।

(ख) 1961 में विशेषज्ञ समिति ने यह विचार व्यक्त किया था कि यदि कारों का उत्पादन 50,000 प्रति वर्ष के हिसाब से संभव हो सके तो उस समय के कच्चे माल, पुर्जों के मूल्य के अनुसार कारखाने से चलते समय का कार का मूल्य 5,100 रुपये होता। जो प्रस्ताव अब प्राप्त हुए हैं उन में कारखाने से चलते समय का मूल्य 6,500 से 9,000 रुपये उधृत किया गया है।

(ग) उपयुक्त मूल्य का केवल अनुमान लगाया गया है और इन के औचित्य की जांच निर्माण लागत आदि के ब्योरे के तय होने के पश्चात की जा सकेगी। यद्यपि कारखाने से चलते समय के उपरोक्त मूल्य के अनुमान अब निर्माण की जा रही कारों के इसी प्रकार के मुल्यसे काफी कम हैं, फिर भी नई कार की सम्भावनाओं का पता आंकड़ों के अन्तिम रूप से निकाले जाने पर ही चल सकेगा।

## दुर्गापुर इस्पात कारखाने का विस्तार

*859. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या **इस्पात, खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान दुर्गापुर इस्पात कारखाने के विस्तार के बारे में 27 फरवरी, 1968 के बम्बई के "इकानामिक टाइम्स" में दिये गये वक्तव्य के बारे में दिलाया गया है ; और

(ख) दुर्गापुर इस्पात कारखाने का विस्तार करने के लिये ब्रिटेन के वित्त मंत्री (चाँसलर आफ एक्सचेकर) ने 7 करोड़ का ऋण देने की जो पेशकश की थी, उसे स्वीकार न करने के क्या कारण थे ?

**इस्पात, खान तथा धातु मंत्री (डा० चन्ना रेड्डी) :** (क) जी, हाँ।

(ख) 1.6 मिलियन टन स्तर से आगे दुर्गापुर इस्पात कारखाने के विस्तार के लिए विदेशी सहायता का प्रश्न ही नहीं था क्योंकि इस्पात की विशेषत: चपटे पदार्थों की प्रत्याशित माँग के मुकाबले में माँग कम होने, उपलब्ध साधनों से प्रायोजना की अनुमानित लागत और विदेशी मुद्रा की लागत अधिक होने तथा पहले 1 मिलियन टन और विस्तारोपरान्त 1.6 मिलियन टन स्तर पर पूर्ण उत्पादन संबंधी बातों को ध्यान में रखते हुये विस्तार कार्यक्रम को स्थगित कर देने का निश्चय किया गया था।

## तालचेर उद्योग समूह परियोजना

*860. **श्री स० कुण्डू :** क्या **इस्पात, खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तालचेर उद्योग समूह परियोजना पर योजना आयोग की मूल्याँकन समिति ने जाँच की है ; और

(ख) यदि हाँ, तो परियोजना की उपयोगिता के बारे में योजना आयोग की मूल्याँकन समिति के प्रतिवेदन की मुख्य बातें क्या हैं ?

**इस्पात, खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) :** (क) योजना आयोग में अप्रैल, 1965 में हुई एक बैठक में, अन्य बातों के साथ-साथ, यह निश्चय किया गया था कि तालचर उद्योग समूह के पूंजीगत लागत के अनुमानों और वित्तीय पक्षों की और जाँच की आवश्यकता है। तदनुसार भारत सरकार और भारतीय उर्वरक निगम के अधिकारियों का एक दल मई, 1965 में, भुवनेश्वर गया और उसने उड़ीसा के औद्योगिक विकास निगम लि० के तकनीकी अधिकारियों के परामर्श से परियोजना-अनुमानों की जांच की ।

(ख) दी गयी रिपोर्ट में, मूल्याँकन दल इस परिणाम पर पहुंचा कि परियोजना की आर्थिक जीविष्णता तैयार माल, अर्थात् यूरिया और कच्चे लोहे के कल्पित मूल्यों पर निर्भर होगी। इस पर मंजूरी देने वाले अधिकारी को विचार करना होगा।

## Trade with Socialist Countries

*861. **Shri Onkar Lal Bohra:** Will the Minister of **Commerce** be pleased to state:

(a) the steps proposed to be taken by Government for the expansion of trade with the Socialist countries during 1968-69 ;

(b) whether a Delegation of the Members of Parliament is proposed to be sent abroad for establishing contacts and to explore possible markets for Indian exports; and

(c) If so, the details thereof?

**The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri Mohd. Shafi Qureshi):**

(a) A statement is placed on the Table of the House.

STATEMENT

The following are some of the steps taken or proposed to be taken for the promotion of trade with the Socialist countries during 1968-69 :—

1. It is intended to achieve a greater role for the State Trading Corporation in trade with the Socialist Countries so as to derive maximum advantage in the field of bilateral trade.

2. An office of the State Trading Corporation of India dealing with a large number of exportable items has been opened in East Germany.

3. An exhibition of Indian goods will be held in Czechoslovakia.

4. India has participated in the Leipzig Spring Fair held in March, 1968. It is also proposed to participate in the Trade Fairs to be held in Zegreb and Budapest.

5. Most of the current trade arrangements with the Socialist countries are going to expire in December, 1968. Talks will be held to determine the quantum of trade with these countries in 1959.

6. Appropriate assistance will be given to delegations of businessmen to visit these countries to study the markets for Engineering goods and other manufactures and to individual businessmen for exporting their products.

7. Apart from achieving balanced trade by way of matching exports with imports from the Socialist countries, the amounts to be repaid to them on account of credit s extended by them or machinery etc. imported on deferred payment basis, will also be taken into account for payment through export of Indian goods.

(b) No, Sir.

(c) Does not arise.

## देश में ट्रैक्टरों के टायरों की कमी

*862. **श्री वेणी शंकर शर्मा :**
**श्री बी० चं० शर्मा :**

क्या **औद्योगिक-विकास तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में ट्रैक्टरों के टायरों की कमी का सरकार को पता है ;

(ख) क्या यह सच है कि ये टायर अपने निर्धारित विक्रय मूल्य से दुगुने से भी अधिक दामों पर चोर बाजार में बिक रहे है ; और

(ग) यदि हाँ, तो इस स्थिति को रोकने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

**औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) :** (क) जी हाँ।

(ख) सरकार को कोई जानकारी नहीं है।

(ग) सरकार ने ट्रैक्टर निर्माताओं को तीन महीने की आवश्यकता पूरी करने के लिये टायरों का आयात करने की हाल ही में अनुमति दे दी है। इसके अतिरिक्त मोटर गाड़ी टायर उद्योग को निषिद्ध सूची से इसलिए हटा दिया गया है जिससे ट्रैक्टरों के टायर और ट्यूबों समेत मोटर गाड़ियों के टायर और ट्यूबों का निर्माण करने की अतिरिक्त क्षमता स्थापित की जा सके। टायर बनाने वाले वर्तमान एककों को यह भी आश्वासन दिया गया है कि टायरों, जिनकी इस समय कमी है, के निर्माण के लिये अपेक्षित साँचों तथा अन्य सन्तुलन उपकरण प्राप्त करने के मामलों में उन्हें सरकार द्वारा सहायता दी जायगी।

**बम्बई में सूती कपड़ा मिलों का बन्द होना**

*863. **श्री जार्ज फरनेन्डीज** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत पाँच वर्षों में बम्बई में कितनी सूती कपड़ा मिलों को उनके मालिकों ने बन्द कर दिया है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ख) मिलों को बन्द करने से कितने मजदूर बेकार हो गये हैं ;

(ग) इनमें से कितनी मिलें पुनः खोल दी गई हैं तथा वे किस नये प्रबन्ध के अधीन काम कर रही हैं ; और

(घ) क्या उनमें से कोई मिल उस नये निगम के अधीन काम करेगी जिसको सरकार स्थापित करने वाली है ?

**वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफ़ी कुरेशी)** : (क) 31 दिसम्बर, 1967 को समाप्त होने वाली पांच वर्ष की अवधि में बम्बई में 6 मिलें बन्द हो गईं, 5 वित्तीय कठिनाइयों, अलाभकर कार्यचालन तथा एक श्रम-संकट के कारण।

(ख) और (ग). इन मिलों के बन्द होने से बेकार हुए मजदूरों की संख्या लगभग 19,277 है जिनमें जून, 1964 में पुनः खुल जाने वाली मिल के 2,082 मजदूर तथा अप्रैल, 1966 में पुनः खुलने वाली एक अन्य मिल के 5,379 मजदूर शामिल हैं और इस दूसरी मिल के जून, 1967 में पुनः बन्द हो जाने से लगभग 3,735 मजदूर बेकार हो गये। पहली मिल के पुनः खुलने के प्रबन्ध के संबंध में, यदि कोई हो जानकारी एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

(घ) निगम की स्थापना हो जाने पर इन मामलों पर निगम ही विचार करेगा।

**कोयम्बतूर स्टेशन पर कपास की गांठों का जलना**

*864. **श्री महन्त दिग्विजय नाथ** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 10 मार्च, 1968 को कोयम्बतूर रेलवे स्टेशन पर कपास की 500 गाँठें जल गयी थीं ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस आग लगने के कारणों का पता लगाने के लिये कोई जांच कराई गई है ;

(ग) क्या इस संबंध में कुछ गिरफ्तारियां की गई हैं ; और

(घ) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है ?

**रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा)** : (क) और (ख). जी नहीं। शायद माननीय सदस्य का आशय कोयम्बतूर के निकट पेरियनायकन पालायम रेलवे स्टेशन पर 9-3-68 को आग लगने की घटना से है जिसमें रुई की गांठों का जलना शामिल है। एक विभागीय जांच समिति को इस मामले की जांच करने का आदेश दिया गया है और उसकी कार्यवाही की प्रतीक्षा की जा रही है।

(ग) सरकारी रेलवे पुलिस, कोयम्बतूर ने भारतीय दण्ड संहिता की धारा 435 के अन्तर्गत अपराध नं० 120/68 दर्ज किया है जिसकी जांच हो रही है। अभी तक कोई गिरफ्तार नहीं किया गया है।

(घ) परियनायकन पालयम रेलवे स्टेशन पर विभिन्न तारीखों को (25-2-68 से 8-3-68 तक) रुई की 550 गांठें आयीं और स्थान की कमी के कारण खुली जमीन पर उतारी गयीं और उनके चट्टे लगाये गये। 9-3-68 को लगभग 11.10 बजे एक सवारी गाड़ी के 11.02 बजे छूट जाने के बाद रुई की गाँठों के चट्टों में आग देखी गयी। स्टेशन पर उपलब्ध साधनों से आग बुझाने की तुरन्त कार्रवाई की गयी। स्थानीय अग्नि सेवा और कोयम्बतूर से अग्नि शामक मंगाकर आग बुझाने का काम शुरू किया गया। 9-3-68 को 17.30 बजे आग पर काबू कर लिया गया और 10-3-1968 को 18.30 बजे आग पूर्ण रूप से बुझा दी गयी।

## पोल्यूरेथेन फोम का आयात

*865. **श्री रा० की० अमीन** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पोल्यूरेथेन के आयात पर रोक लगी हुई है ;

(ख) क्या सरकार को पता है कि निर्यात-प्रधान चमड़े के जूतों के कुछ निर्माता तथा वास्तविक प्रयोक्ता, इस बात की परवाह न करते हुए कि पोल्यूरेथेन फोम की आवश्यकताओं को पूरा करने की देशी निर्माताओं के पास क्षमता है, प्लास्टिकी चादरों अथवा प्लास्टिक स्पंज चादरों के रूप में पोल्यूरेथेन फोम का अनुचित रूप से आयात कर रहे हैं ;

(ग) यदि हां, तो सरकार ने इन व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की है ; और

(घ) इस प्रवृत्ति को रोकने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

**वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफ़ी कुरेशी)** : (क) जी, हां।

(ख) आयात के कुछ उदाहरणों का सरकार को समाचार मिला है। सत्यापन के उपरान्त सीमा शुल्क अधिकारियों ने सूचना दी थी कि उन्होंने इस तकनीकी सलाह पर उनके आयात की अनुमति दी थी कि ये वस्तुएं प्लास्टिक स्पोंज के वर्ग की हैं जिनका आयात भूतपूर्व तैयार चमड़ा तथा चमड़ा उत्पाद संबंधी विशेष निर्यात सम्वर्द्धन योजना के अन्तर्गत चमड़े के जूते चप्पल आदि एवं चमड़े के यात्री-सामान के निर्यात के बदले अनुमेय था।

(ग) और (घ). मामले की जाँच की जा रही है तथा उस पर विचार भी किया जा रहा है ताकि यदि कोई त्रुटियां हों तो उन्हें रोका जा सके।

**खनन तथा सहायक मशीन निगम, दुर्गापुर**

*866. **श्री वामानी :** क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि खनन तथा सहायक मशीन निगम, दुर्गापुर के कार्य संचालन की जाँच करने के लिए सरकार द्वारा नियुक्त विशेषज्ञ दल ने बताया है कि निगम में संगठन संबंधी बहुत सी कमियां हैं ;

(ख) यदि हाँ, तो वह कौन-कौन सी कमियां हैं जिनकी ओर सरकार का ध्यान दिलाया गया है ; और

(ग) क्या सरकार का विचार विशेषज्ञ दल के प्रतिवेदन की एक प्रति तथा उस पर की जाने वाली प्रस्तावित कार्यवाही का विवरण सभा-पटल पर रखने का है ?

**औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद):** (क) जी, हाँ। विशेषज्ञ दल द्वारा आयोजन प्रगति तथा नमूने तैयार करने वाले संगठनों को अधिक सुदृढ़ करने तथा संयंत्र के विभिन्न विभागों के कार्यों में और अधिक समन्वय की आवश्यकता पर बल दिया गया है।

(ख) उत्पादन के अग्रिम आयोजन का अभाव, डिज़ाइनों तथा खाकों को अन्तिम रूप देने में विलम्ब, श्रमिकों की कम उत्पादिता तथा कर्मचारियों में कौशल का अभाव आदि त्रुटियों की ओर भी विशेषज्ञ दल द्वारा सरकार का ध्यान आकृष्ट किया गया है।

(ग) विशेषज्ञ दल द्वारा की गई सिफारिशों की जाँच की जा रही है तथा जहाँ तक व्यवहारिक हो सके उन्हें लागू करने के लिये उपयुक्त कार्यवाही की जा रही है। इस प्रतिवेदन को तथा उन पर की जाने वाली कार्यवाही को सभा पटल पर रखने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

**श्रीलंका में मशीनी औज़ार कारखाना**

867. **श्री अगाड़ी :** क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि हिन्दुस्तान मशीनी औज़ार कारखाने ने श्रीलंका में एक मशीनी औज़ार कारखाना लगाने की पेशकश की है ;

(ख) यदि हां, तो क्या ऐसी पेशकश करने से पहले केन्द्रीय सरकार से परामर्श किया गया था ;

(ग) इस प्रस्ताव की शर्तें क्या हैं और इस योजना पर कितना धन व्यय होगा; और

(घ) प्रबन्ध, नियंत्रण और उसमें नियुक्त किये जाने वाले कुशल तथा अकुशल श्रमिकों के बारे में ब्यौरा क्या है ?

**औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) :** (क) और (ख). सीलोन स्टील कारपोरेशन लिमिटेड के निवेदन पर हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड लंका में एक छोटे मशीनी औज़ार कारखाना लगाने की सम्मान्यता रिपोर्ट तैयार कर रहा है।

सरकार को उसकी सूचना मिलती रहती है और उसने कम्पनी के एक दल को लंका जाने के लिये स्वीकृति दे दी है।

(ग) और (घ). इन पर अभी बातचीत की जानी है।

**ग्लोब फाइनेंशियर्स और सिक्योरिटी फाइनेंस लिमिटेड, नई दिल्ली**

**5187. श्री रवि राय :** क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कम्पनियों के रजिस्ट्रार ने ग्लोब फाइनेंशियर्स (प्राइवेट) लिमिटेड और सिक्योरिटी एण्ड फाइनेंस (प्राइवेट) लिमिटेड, नई दिल्ली को नोटिस जारी किये हैं ;

(ख) यदि हां, तो उपरोक्त कम्पनियों को वे नोटिस जारी किये जाने के क्या कारण हैं ; और

(ग) उनका ब्यौरा क्या है ?

**औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) :** (क) से (ग). सदन के पटल पर एक विवरण-पत्र प्रस्तुत है।

**[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 605/68]**

**टाइपराइटरों का आयात**

**5188. श्री न० कु० साल्वे :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान एक अन्तर्राष्ट्रीय कम्पनी द्वारा ब्रेल सैल्स वाले टाइपराइटर के निर्माण के बारे में 1 फरवरी, 1968 के हिन्दुस्तान टाइम्स में प्रकाशित हुए समाचार की ओर दिलाया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके आयात को अनुमति देने का क्या कोई प्रस्ताव विचाराधीन है ?

**वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफ़ी कुरेशी) :** (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

**हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन, रांची**

**5189. श्री बाबूराव पटेल :** क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन, रांची में कुल कितनी पूंजी लगाई गई है और इसके स्थापित किये जाने से अब तक इसको कुल कितनी राशि के ऋण दिये गये हैं ;

(ख) मार्च, 1967 तक इस उपक्रम को कितना घाटा हुआ है और इसके मुख्य कारण क्या हैं ;

(ग) तोड़फोड़ करने वाले लोगों द्वारा जला दिये गये उपकरणों का ब्यौरा क्या है और इस कारण से इस उपक्रम को कुल कितनी हानि हुई; और

(घ) तोड़फोड़ करने वाले लोगों के नाम क्या हैं और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है तथा उसका क्या परिणाम निकला है ?

**औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद)** (क)

| | |
|---|---|
| 31 मार्च, 1968 तक विनियोजित अंश पूंजी | 100 करोड़ रुपये । |
| 1 मार्च, 1968 तक दिया गया ऋण | 101.81 करोड़ रुपये । |

(ख) 31 मार्च, 1967 तक कुल हानि 9,60,22,643 रुपये हुई थी।

यह हानि निर्माण तथा उत्पादन की प्रारम्भिक अवधि में हुई और इस किस्म की तथा इतनी बड़ी परियोजना के लिए इतनी हानि होना सामान्य बात है।

(ग) और (घ). कम्पनी की फाऊन्ड्री फोर्ज परियोजना में 10/11 सितम्बर, 1964 तथा 24 दिसम्बर, 1964 को लगी आग तोड़-फोड़ करने वाले लोगों द्वारा लगाई जाने की आशंका है। सितम्बर, 1964 में लगी आग से स्टोर में रखे आयातित प्रौद्योगिक उपकरण जैसे स्विच कैबेनिट, सेन्ट्रीफ्युगल पम्प, बिजली के मोटर, प्रेशर पम्प, रोटेरी टेबल के ड्राइव, विद्युत मोटर सहित आरमई स्लैग पम्प, कन्टेक्टर बाक्स तथा कन्ट्रोलर सहित पुश बटन, पुल्ली ब्लाक, स्विच बोर्ड, कन्डेंसर आदि को क्षति पहुंची और हानि का अनुदान 24,669 रुपये लगाया गया है। दिसम्बर, 1964 में लगी आग से अधिक क्षति नहीं पहुंची क्योंकि उसका पता प्रारम्भ में ही लग गया था।

सितम्बर, 1964 में लगी आग के सम्बन्ध में 14 व्यक्तियों के विरुद्ध मुकदमा चलाया गया है और मामला न्यायाधीन है।

## हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन, रांची

**5190. श्री बाबूराव पटेल :** क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन, रांची को कभी कोई लाभ होने की सम्भावना है; और

(ख) यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

**औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) :** (क) और (ख). इस किस्म के और उतने बड़े औद्योगिक उपक्रम की स्थापना तथा उत्पादन प्रारम्भ होने की बीच की अवधि सामान्यतः लम्बी होती है। वर्तमान अनुमानों के अनुसार हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन में काम प्रारम्भ होने की सम्भावनाएं निम्नलिखित हैं :—

| | |
|---|---|
| (1) हैवी मशीन बिल्डिंग प्लांट | 1970-71 |
| (2) फाऊन्ड्री फोर्ज प्लांट | 1971-72 |
| (3) हैवी मशीन टूल्स प्लांट | 1970-71 |

यह इस धारणा पर आधारित है कि हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन विकसित क्षमता का पूरा प्रयोग करने के योग्य हो गया है और उत्पादन कार्यक्रम के अनुसार प्रारम्भ किया जा सकेगा ।

**चाय बोर्ड के अधिकारियों द्वारा विदेश यात्रा**

5191. **श्री बाबूराव पटेल** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) चाय बोर्ड के उन अधिकारियों के नाम क्या हैं जो गत तीन वर्षों में अपनी विदेश यात्रा में अपनी पत्नी और बच्चों को साथ ले गये थे, उन्होंने कब-कब और किन-किन देशों की यात्रा की और प्रत्येक यात्रा पर कितना व्यय हुआ तथा उसमें विदेशी मुद्रा कितनी थी; और

(ख) इन विदेश यात्राओं से देश को क्या वास्तविक लाभ, वित्तीय अथवा अन्यथा, हुआ?

**वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफ़ी कुरेशी)** : (क) और (ख) जानकारी एकत्र की जा रही है और यथाशीघ्र सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

**मैटल स्क्रैप ट्रेड कारपोरेशन**

5192. **श्री बाबूराव पटेल** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मैटल स्क्रैप ट्रेड कारपोरेशन कब स्थापित की गई थी और उसमें कितनी पूंजी लगाई गई है तथा 31 मार्च, 1967 तथा प्रतिवर्ष उसकी शुद्ध आय कितनी थी; और

(ख) इसके कितने कार्यालय हैं और वे कहां-कहां पर हैं और उनमें कितने कर्मचारी काम कर रहे हैं तथा 31 मार्च, 1967 को समाप्त हुए तीन वर्षों में उनका वार्षिक वेतन बिल और अन्य सिब्बंदी व्यय कितना था ?

**वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफ़ी कुरेशी)** : (क) (1) निगमन की तारीख : 9 सितम्बर, 1964 ।

(2) विनियोजित पूंजी : वर्तमान जारी पूंजी 24 लाख रु०
मांगी तथा चुकता पूंजी 6 लाख रु० ।

(3) शुद्ध आय : 30 सितम्बर को समाप्त होने वाला लेखा वर्ष

1965— 76,508.43 रु०

1966—1,66,018.80 रु०

1967—1,25,331.56 रु०

(ख) (1) निगम का जो पी—34, इंडिया एक्सचेंज प्लेस, कलकत्ता में स्थित पंजीकृत कार्यालय है, उसके अतिरिक्त, उसका कोई अन्य कार्यालय नहीं है ।

(2) कर्मचारी वर्ग, जिसमें दो अधिकारी (अध्यक्ष तथा सचिव) भी शामिल है, तथा सिब्बंदी व्यय निम्न प्रकार है :

| वर्ष | कर्मचारियों की संख्या | सिब्बंदी व्यय |
|---|---|---|
| लेखा वर्ष 30 सितम्बर 1965 | 12 | 1,56,950.61 रु० |
| लेखा वर्ष 30 सितम्बर 1966 | 15 | 1,89,291.85 रु० |
| लेखा वर्ष 30 सितम्बर 1967 | 17 | 2,15,690.11 रु० |

**Issue of Licence in Uttar Pradesh and Bihar**

5194. **Shri Nihal Singh :** Will the Minister of **Commerce** be pleased to state :

(a) the names of those companies, firms and individuals in Uttar Pradesh and Bihar who were granted export and import licences by the Central Government during the last three years; and

(b) the amount of foreign exchange sanctioned to each of them year-wise ?

**The Deputy Minister in the Ministry of Commerce(Shri Mohd. Shafi Qureshi):** (a) and (b). Licensing statistics are not maintained on a state-wise basis and as such it is not possible to furnish the information. Particulars of all import and export licences issued by the Office of the Chief Controller of Imports and Exports are regularly published in the 'Weekly Bulletin' of Import licence, Export licences and Industrial licences, and copies of the same are available in the Parliament Library.

**Bankrupt Companies**

5195. **Shri Nihal Singh :** Will the Minister of **Industrial Development and Company Affairs** be pleased to state :

(a) the names of companies, alongwith their addresses which declared themselves as bankrupt during the last five years ;

(b) the number of those companies among them against whom cases are pending in courts and the number of those which have made settlements; and

(c) the names of firms and individuals who were the creditors of these companies at the time of their bankruptcy and the amount due to each one of them ?

**The Minister of Industrial Development and Company Affairs (Shri F. A. Ahmed):** (a) and (b). There is no provision in the Companies Act for the companies to declare themselves as bankrupt. However a company may be wound up by a Court, by members or by creditors on various grounds including that of inability to pay debts. The number of companies in liquidation during the last five years is as follows :—

| | |
|---|---|
| 1962-63 | 2755 |
| 1963-64 | 2728 |
| 1964-65 | 2675 |
| 1965-66 | 2649 |
| 1966-67 | 2742 |

Besides this any company whether in liquidation or not may also make arrangements with their creditors under a scheme approved by court under section 391 of the Companies Act. Since 15th October 1965, this Department has received notices from Courts in respect of 22 such applications for Court's approval to the scheme of arrangement with creditors. Out of these applications 8 relate to companies in liquidation and the balance to live companies.

(c) Each individual company which is in liquidation may have hundreds or thousands of creditors. The time and labour spent and the expenditure involved in collecting and compiling the particulars which will run into thousands of pages would not be commensurate with any useful object the Hon'ble Member may have in view.

**टीटलागढ़ स्टेशन के रेलवे ठेकेदार**

5196. **श्री रा० रा० सिंह देव :**
**श्री अ० दीपा :**

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात का पता है कि दक्षिण-पूर्व रेलवे का स्टेट बैंक आफ इण्डिया की स्थानीय शाखा में कोई हिसाब न होने के कारण टीटलागढ़ के रेलवे ठेकेदारों को रायपुर से भारी धनराशि ले जानी पड़ती है ;

(ख) क्या इस बारे में स्थानीय ठेकेदारों अथवा अन्य संघों से हाल्तेयर के रेलवे अधिकारियों को कोई अभ्यावेदन दिया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में क्या कार्यवाही करने का सरकार का विचार है ?

**रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) :** (क) जी नहीं।

(ख) टिटलागढ़ मर्चेन्टस एसोसिएशन के अवैतनिक सचिव का 20 फरवरी, 1968 का एक पत्र प्राप्त हुआ था।

(ग) अब टीटलागढ़ स्थित स्टेट बैंक आफ इंडिया में एक खाता खोलने का निश्चय किया गया है।

**टीटलागढ़ स्टेशन पर गुड्स शैड**

5197. **श्री रा० रा० सिंह देव :**
**श्री अ० दीपा :**

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि सम्बलपुर और टीटलागढ़ के बीच डी० बी० के० रेलवे लाइन के निर्माण के पश्चात टीटलागढ़ रेलवे स्टेशन पर माल यातायात काफी बढ़ गया है जिससे एक बड़े गुड्स शैड और रिकार्ड को समुचित रूप से रखने के लिये कार्यालय का निर्माण किया जाना आवश्यक हो गया है ;

(ख) क्या गुड्स शैड को बढ़ाने के सम्बन्ध में टीटलागढ़ के रेलवे अधिकारियों द्वारा कोई विभागीय अभ्यावेदन भेजा गया है ;

(ग) क्या स्थानीय लोगों या गैर-सरकारी संस्थाओं द्वारा सरकार को कोई अन्य अभ्यावेदन भेजा गया है ;

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा): (क) जी नहीं ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) जी नहीं ।

(घ) सवाल नहीं उठता ।

**टीटलागढ़ स्टेशन पर ठंडे पानी का न मिलना**

5198. **श्री रा० रा० सिंह देव :**
**श्री अ० दीपा :**

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को दक्षिण पूर्व रेलवे के टीटलागढ़ स्टेशन पर गर्मियों में पीने का ठंडा पानी न मिलने के कारण यात्रियों की कठिनाई की जानकारी है ;

(ख) क्या सरकार को टीटलागढ़ व्यापारी संघ से टीटलागढ़ स्टेशन पर जल-शीतल की व्यवस्था करने सम्बन्धी कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ;]

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध मे सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

रेलवे मंत्री ( श्री च० मु० पुनाचा ) : (क) गर्मियों में यात्रियों को पीने का पानी सप्लाई करने के लिए टिटलागढ़ स्टेशन पर पर्याप्त प्रबन्ध किये जाने हैं ।

(ख) जी हां, टिटलागढ़ रेलवे स्टेशन पर एक जल-शीतल की व्यवस्था करने के बारे में सरकार को टिटलागढ़ व्यापारी संघ के सचिव से एक अभ्यावेदन मिला है ।

(ग) अभ्यावदन पर विचार हो रहा है ।

**Western Railway Workers' Union**

5199. **Shri Meetha Lal Meena :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state the action taken by Government on the Resolution passed by the Western Railway Workers' Union at their 46th annual session held in Jaipur. ?

**The Minister of Railways ( Shri C. M. Poonacha ):** It is understood that the Western Railway Employees' Union held its annual session at Jaipur when they passed certain resolutions. However no official communication has been received.

If and when any communication is received, it will be examined in the context of existing Law on this subject.

**निजामाबाद रेलवे स्टेशन**

5200. **श्री नारायण रेड्डी :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को दक्षिण मध्य रेलवे पर निजामाबाद रेलवे स्टेशन के निकट रेलवे परिसर में सड़क के किनारे पर बुरी अवस्था में अस्वच्छ और खुले शौचालय के कारण जनता को होने वाली असुविधा का पता है ;

(ख) इस गन्दे शौचालय को तुरन्त हटाने के लिये क्या कार्यवाही करने का सरकार का विचार है ; और

(ग) क्या निजामाबाद तथा सिकन्दराबाद के रेलवे प्राधिकारियों को इस बारे में स्थानीय नगरपालिका से शिकायतें मिली हैं तथा यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

**रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा)** : (क) निजामाबाद रेलवे स्टेशन पर रेलवे परिसर के अन्दर चौथे दर्जे के कर्मचारियों के लिए सामान्य किस्म के बिना फ्लश वाले 13 यूनिट शौचालयों के 3 ब्लाक मौजूद हैं। ये शौचालय काफी दूरी पर स्थित हैं, इनकी अनुरक्षण व्यवस्था अच्छी है और यह सामान्यत: सड़क से नहीं दिखायी देते। इन शौचालयों से होने वाली किसी तरह की असुविधा के बारे में सरकार को जानकारी नहीं है।

(ख) सवाल नहीं उठता।

(ग) जी नहीं।

**निजामाबाद रेलवे स्टेशन का यार्ड**

5201. **श्री नारायण रेड्डी** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि निजामाबाद रेलवे स्टेशन की सीमा में रेलवे यार्ड की भूमि के कई टुकड़े विभिन्न कम्पनियों, कारपोरेशनों तथा व्यक्तियों को लम्बे समय के पट्टे पर दे दिये गये हैं ;

(ख) उन पट्टेदारों के नाम तथा संख्या क्या है जिनको गंज-स्टेशन रोड के समीप भूमि दी गई है और उनके पास कितनी-कितनी भूमि है ;

(ग) प्रत्येक पट्टेदार ने कितने मासिक किराये का भुगतान किया है और प्रत्येक मामले मे पट्टे की अवधि कितनी है ; और

(घ) रेलवे प्रशासन में पट्टे पर भूमि देने का अधिकारी कौन है ?

**रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा)**: (क) निजामाबाद रेलवे स्टेशन पर भूमि के प्लाट कुछ कम्पनियों तथा व्यक्तियों और एक कारपोरेशन को पट्टे पर दिये गये हैं। इन में से चार प्लाट एक वर्ष की अवधि के लिए दिये गये हैं। अन्य प्लाट कितनी अवधि के लिए पट्टे पर दिये गये हैं इससे सम्बन्धित आवश्यक सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

(ख) से (ख). एक विवरण संलग्न है ।

[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०--606/68]

**Manufacture of watches by H.M.T.**

5202. **Shri Ramachandra Veerappa:** Will the Minister of **Industrial Development and Company Affairs** be pleased to state:

(a) the number of watches manufactured by the Hindustan Machine Tools Ltd. since 1962 till 1967;

(b) the extent of profit earned thereby;

(c) whether it is a fact that the demand for these watches is increasing; and

(d) if so, the steps being taken by Government to meet the demand?

**The Minister of Industrial Development and Company Affairs (Shri F. A. Ahmed):** (a) 10,59,362 numbers till the 19th March, 1968.

(b) It is not in the interest of the Company to disclose the profit and loss made by them separately on different items manufactured by them.

(c) Yes, Sir.

(d) Hindustan Machine Tools Limited have a proposal to increase the production of their watch factory from the current level of 2,40,000 numbers per annum on single shift to 3,60,000 per annum on multiple shift working. In the present difficult ways and means position and the relatively low priority of watches, it would not be possible to agree to any more substantial expansion of capacity.

## अफगानिस्तान से मेवों का आयात

5203. **श्री अर्जुन सिंह भदौरिया :** क्या वाणिज्य मंत्री 22 दिसम्बर, 1967 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5577 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अपेक्षित जानकारी इस बीच इकट्ठी कर ली गई है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

**वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) :** (क) जी, हां।

(ख) एक विवरण (अंग्रेजी में) संलग्न है जिस में अपेक्षित जानकारी दी गयी है। [पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 607/68]

## Circular Re. Duties of Railway Conductor Guards

5204. **Shri Ramavatar Shastri:** Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Divisional Superintendent, Allahabad has recently issued a circular laying down duties of Conductor Guards;

(b) if so, the details thereof;

(c) whether it is also a fact that there is deep resentment among the Conductor Guards in First, Second and Third Class compartments against the said circular; and

(d) if so, the steps which Government propose to take in the matter?

**The Minister of Railways (Shri C. M. Pooncha):** (a) to (d). Information is being collected and will be laid on the table of the Sabha in due course.

## Self-sufficiency in manufacture of Motor parts etc.

5205. **Shri O. P. Tyagi:** Will the Minister of **Industrial Development and Company Affairs** be pleased to state:

(a) when India would achieve self-sufficiency in the manufacture of motor-parts, paper, steel products, nylon fabrics, ships, planes, fertilizers and tractors;

(b) the difficulties which are being faced and are causing delay in attaining self-sufficiency and

(c) the measures proposed to be taken by Government to overcome these difficulties

**The Minister of Industrial Development and Company Affairs (Shri F. A. Ahmed):** (a) to (c). The information is being collected and will be placed on the Table of the House.

## अंगूरों की खेती

**5206. श्री जी० एस० रेड्डी :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार अनाबशाही अंगूर, जिसकी खेती हैदराबाद में बहुत बढ़ गई है, के निर्यात के लिये विदेशी बाजार ढुंढने का है ;

(ख) क्या सरकार का विचार विदेशों मे फरवरी-अप्रैल, के दौरान मौसमी बाजार भी ढुंढने का है जैसे कि ब्रिटेन में होता है ; और

(ग) क्या सरकार का विचार इंडियन एयरलाइन्स से यह कहने का है कि वह अंगूरों के निर्यात के लिए अच्छी सुविधाओं की व्यवस्था करे ?

**वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफ़ी कुरेशी):** (क) और (ख). सरकार ने विदेशों को अनाबशाही अंगूरों का निर्यात करने की संभावना की पहले ही जांच कर ली है लेकिन निम्नलिखित तथ्यों को देखते हुए इसके निर्यात के विस्तार की अधिक संभावना नहीं है :—

(1) अनाबशाही अंगूरों में चीनी का अंश कम मात्रा में होना ।

(2) फ्रांस, इटली, स्पेन, सं० रा० अमरीका, दक्षिणी अफ्रीका तथा आस्ट्रेलिया जैसे अन्य देशों से प्रबल प्रगियोगिता, जो अच्छे किस्म के अंगूरों का विशाल मात्रा में उत्पादन करते हैं और उन्हें कम दामों में बेचते हैं ।

(3) अंगूरों के आन्तरिक उच्च मूल्य तथा अधिक भाड़ा व्यय ।

(ग) इंडियन एयर-लाइन्स अपनी परिवहन सेवाओं पर हैदराबाद से कुछ विशेष स्टेशनों तक, कम से कम 50 कि० ग्रा० की खेप पर, अपनी सामान्य भाड़ा दरों में 50 प्रतिशत की छूट दे रही है ।

## राज्य व्यापार निगम द्वारा 'नाटू' तम्बाकू और मिर्चों की खरीद

**5207. श्री जी० एस० रेड्डी :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बाजार मे 'नाटू' तम्बाकू और मिर्चों की भरमार है और किसानों तथा व्यापारियों को भारी हानि उठानी पड़ रही है ;

(ख) यदि हां, तो क्या राज्य व्यापार निगम का विचार बाजार से खरीद करने का है ;

(ग) यदि हां, तो उन्होंने वसूली के क्या लक्ष्य निर्धारित किये हैं ; और

(घ) क्या सरकार इन वस्तुओं के मल्य-संरक्षण के अन्य उपायों पर विचार कर रही है ?

**वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफ़ी कुरेशी)** : (क) किसानों तथा व्यापारियों के पास नाटू तम्बाकू का कुछ स्टाक जमा हो गया है। लाल मिर्च के कुछ फालतू स्टाक होने के भी समाचार मिले हैं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) नाटू तम्बाकू के स्टाकों के निबटाने का कार्य राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लि० को सौंपने की सम्भावना पर खाद्य तथा कृषि मंत्रालय द्वारा विचार किया जा रहा है। जहां तक लाल मिर्च का सम्बन्ध है, उस मंत्रालय ने भारतीय खाद्य निगम को उसके स्टाक खरीदने का निदेश दिया है ताकि मूल्य स्थिर रहें। अपरम्परागत बाजारों में लाल मिर्च का निर्यात बढ़ाने की सम्भावना पर भी विचार किया जा रहा है।

## सफदरजंग हवाई अड्डे के समीप के फाटक पर उपरि पुल

**5208. श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **रेलवे** मंत्री 21 जुलाई, 1967 के अतारांकित प्रश्न संख्या 6380 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सफदरजंग हवाई अड्डे के निकटस्थ फाटक पर उपरि पुल बनाने का इस बीच निर्णय कर लिया गया है ;

(ख) यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या सफदरजंग हवाई अड्डे के पीछे ब्रिगडियर होशियार सिंह रोड को विनय मार्ग से जोड़ने वाले चौराहे पर उपरि पुल बनाये जाने की आवश्यकता के सम्बन्ध में भी कोई जाँच की गई है ; और

(घ) यदि हाँ, तो उसके क्या निष्कर्ष निकले हैं ?

**रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा)** : (क) जी हाँ।

(ख) अभी यह प्रस्ताव जाँच के प्रारम्भिक चरण में है।

(ग) और (घ). अतीत में सम्बन्धित सड़क प्राधिकारी से एक प्रस्ताव इस आशय का मिला था कि 'एम' एवेन्यू पर रेलवे लाइन के नीचे एक मार्ग की व्यवस्था की जाये तो विनय मार्ग और ब्रिगेडियर होशियार सिंह रोड को जोड़ दे। अब यह प्रस्ताव पाँचवीं योजना की अवधि में विचार किये जाने के लिये सम्बन्धित सड़क प्राधिकारी द्वारा आस्थगित कर दिया गया है।

## मद्रास के पत्तनों से खनिज अयस्कों का निर्यात

**5209. श्री कृष्णन** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि खनिज तथा धातु व्यापार निगम लोहा तथा अन्य खनिज अयस्क का निर्यात केवल मद्रास के पत्तनों से होता है तथा मैसूर पत्तन से नहीं होता है ; और

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं ?

**वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफ़ी कुरेशी)** : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

## रेलवे में अनुसूचित जातियों की भर्ती

5210. **डा० रानेन सेन** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि रेलवे में अनुसूचित जातियों के लोगों के लिये रक्षित स्थानों और उनकी वास्तविक भर्ती की संख्या में अन्तर है; और

(ख) यदि हाँ, तो इस अन्तर को दूर करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

**रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा)** : (क) यद्यपि तृतीय श्रेणी की अनुसूचित जातियों की भर्ती उनके लिये आरक्षित कोटे तक नहीं हुई है, लेकिन चतुर्थ श्रेणी में उनकी भर्ती आरक्षित कोटे से अधिक हुई है । तृतीय श्रेणी में यह कमी मुख्य रूप से तकनीकी कोटियों में है, जिनमें अनुसूचित जातियों के उपयुक्त व्यक्ति अभी तक अपेक्षित संख्या में उपलब्ध नहीं हैं ।

(ख) अनुसूचित जातियों की भर्ती बढ़ाने के लिये रेल प्रशासनों द्वारा विभिन्न उपाय किये जा रहे हैं, जैसे आयु की अधिकतम सीमा में वृद्धि करना, आरक्षित खाली जगहों के लिये व्यापक प्रचार करना, रोजगार दफ्तरों और अनुसूचित जातियों के संघों से सम्पर्क स्थापित करना, परीक्षा/साक्षात्कार के लिये निःशुल्क पास देना, अन्य उम्मीदवारों के लिये निर्धारित स्तर की अपेक्षा निम्न स्तर के उम्मीदवारों को चुनना, रेल सेवा आयोगों के जरिये भर्ती करने के बजाय जनरल मैनेजरों द्वारा सीधी भर्ती करना, आदि ।

## इम्पीरियल केमिकल इंडस्ट्रीज के यूरोपीय कर्मचारियों को दिया गया वेतन

5211. **श्री सत्य नारायण सिंह ।** **श्री वि० कु० मोडक ।**
**श्री गणेश घोष :** **श्री मुहम्मद इस्माइल :**

क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इम्पीरियल कैमिकल इंडस्ट्रीज की सहायक कम्पनियों को रुपये के अवमूल्यन के पश्चात् अपने यूरोपीय कर्मचारियों का वेतन बढ़ाने की अनुमति दी गई थी ;

(ख) यदि हाँ, तो क्या उन्हीं कर्मचारियों को स्टर्लिंग के अवमूल्यन के पश्चात् भी बढ़े हुये वेतन देने की अनुमति दी गई थी ; और

(ग) इस कारण भारत को विदेशी मुद्रा की कितनी हानि हुई ?

**औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद)** : (क) जी हाँ ।

जाने के फलस्वरूप वित्त मंत्रालय द्वारा विदेशी तकनीशियनों को सेवा में लगाने की शर्तों का पुनरीक्षण करने के निर्देश जारी किये जा चुके हैं।

**Diesel Locomotive Works, Varanasi**

**5212. Shri Nihal Singh:** Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) the expenditure incurred on setting up of the Diesel Locomotive Works, Varanasi;

(b) the price at which diesel locomotives are sold to the Railways;

(c) the percentage of indigenous material used in the railway locomotives;

(d) the number of employees in the factory; and

(e) the total amount invested in the factory?

**The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha):** (a) Rs. 17·33 crores upto the end of 1966-67.

(b) Rs. 21 lakhs per locomotive.

(c) 48% approx. during 1967-68.

(d) 2250 factory employees.

(e) Rs. 36·52 crores inclusive of fixed and floating assets.

**Purchase of Jute by State Trading Corporation**

**5214. Shri Nihal Singh:** Will the Minister of **Commerce** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the State Trading Corporation purchased raw jute from market during the current year;

(b) if so, the names of the cities and the States from where purchases were made and the quantity purchased separately, in each case; and

(c) the extent of profit loss sustained in the said deal?

**The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri Mohd. Shafi Qureshi):** (a) The State Trading Corporation's price support purchase of raw jute have been made through the Cooperative Societies nominated by the State Governments concerned at the derivative prices fixed by the Government and not from the market.

(b) The names of the 47 centres in different jute growing States and the quantities purchased in each are shown in the statement attached. [*Placed in Library. See No. LT—608/68.*]

(c) The profit or loss sustained in these operations would be known after the stocks held by the State Trading Corporation have been disposed of.

**Electrification of Sakaldiha Station**

**5215. Shri Nihal Singh:** Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) whether Government propose to electrify Sakaldiha Railway Station, Varanasi District;

(b) whether it is a fact that the Electricity Board, Uttar Pradesh has prepared estimates in this regard but the said station is not being electrified, when electricity has already been supplied in Sakaldiha Bazar, which is six furlong away from the said station; and

(c) if so, the action taken by Government in this regard?

**The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha):** (a) Yes.

(b) The U.P. State Electricity Board had submitted estimates for service connection charges to the Railways for Rs. 21,213 which are considered very high for electrification of a wayside station like Sakaldiha.

(c) The matter is being pursued with the U.P.S.E.B. authorities to reduce the service connection charges.

**आयात की जाने वाली वस्तुओं के स्थान पर देसी वस्तुओं का प्रयोग**

5217. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मंत्री 27 फरवरी, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1967 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कौन कौन से उद्योग मशीनों, औजारों तथा उन उद्योगों में बनने वाली अन्य वस्तुओं की देश की सारी मांग को पूरा कर सकते हैं;

(ख) क्या उन वस्तुओं का भी आयात करने की अनुमति दी जाती है जिनका देश में उत्पादन इतना ही है कि देश की सारी आवश्यकता पूरी हो सकती है; और

(ग) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं ?

**औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद)** : (क) से (ग). एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०—609/68]**

**हैवी मशीन बिल्डिंग प्लांट, रांची**

5219. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हैवी मशीन बिल्डिंग प्लांट, रांची के प्रबन्धक, मांग में कमी होने के कारण उसके वर्तमान उत्पादन की मात्रा घटा कर आधा कर देने पर विचार कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और प्लांट की उत्पादन क्षमता बनाये रखने और उसको बढ़ाने के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जा रही है ;

(ग) क्या फरवरी, 1968 के अन्तिम सप्ताह में हैवी मशीन बिल्डिंग उद्योगों के लिए एक रूसी दल रूस के उपमंत्री के नेतृत्व में रांची प्लांट देखने गया था और उसने उत्पादन बढ़ाने और उसमें विभिन्नता की सम्भावनाओं का पता लगाया था; और

(घ) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

**औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद)** : (क) और (ख). हैवी मशीन बिल्डिंग प्लांट के पास 1970 तक के लिए काफी आर्डर हैं। इस कारण मांग की कमी के कारण उसके उत्पादन में कटौती करने का कोई भी प्रश्न नहीं है।

(ग) और (घ). जी, हां; दल ने एक रिपोर्ट प्रस्तुत की है जिसमें उत्पादिता और श्रमिकों में अनुशासन बढ़ाने आदि के लिए उपायों का सुझाव दिया गया है । रिपोर्ट पर सरकार द्वारा विचार किया जा रहा है ।

## दुर्गापुर इस्पात कारखाना

5220. श्री भगवान दास :
श्री पी० राममूर्ति :
श्री गणेश घोष :
श्री मुहम्मद इस्माइल :

क्या इस्पात, खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दुर्गापुर इस्पात कारखाने के मजदूरों ने 12 मार्च, 1968 को एक दिन की सांकेतिक हड़ताल करने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो उनकी मांगें क्या है; और

(ग) विवाद को हल करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?]

इस्पात, खान तथा धातु मंत्री (डा० चन्ना रेड्डी) : (क) यह ठीक है कि दुर्गापुर इस्पात कारखाने की एक यूनियन —हिन्दुस्तान स्टील एम्पलाइज यूनियन ने (जिसे अखिल भारतीय मजदूर संघ का समर्थन प्राप्त है) 12 फरवरी 1968 को प्रबन्धक वर्ग को 27 फरवरी 1968 को अथवा अगले छः सप्ताहों में किसी भी दिन एक दिन के लिए हड़ताल करने का नोटिस दिया था ।

हड़ताल के नोटिस में मुख्य मांग यह की गई थी कि मर्चेंट मिल के कर्मचारियों का तेजाब तत्काल हटाया जाय जिससे वे काम पर वापिस जा सकें ।

(ग) पश्चिमी बंगाल सरकार के संयुक्त श्रम-आयुक्त द्वारा आयोजित 11 मार्च 1968 की त्रिदलीय समझौता-वार्ता में, हिन्दुस्तान स्टील एम्पलाइज यूनियन ने उन घटनाओं के लिए खेद प्रकट किया जिनके कारण 31 दिसम्बर 1967 से मर्चेंट मिल के उत्पादन में कमी हुई थी और जिससे मर्चेंट मिल के कर्मचारियों की जबरन छुट्टी की गई थी, इस बात का आश्वासन दिया कि मिल को पुनः चालू करेंगे और सामान्य रूप से कार्य करेंगे और हड़ताल का नोटिस वापिस लेंगे । प्रबन्धक-वर्ग इस बात पर राजी हो गया कि मर्चेंट मिल के जिन मजदूरों को जबरी छुट्टी दी गई थी उन्हें 13 मार्च 1968 से काम पर वापिस आने दिया जायेगा और निलम्बन-आदेश वापिस ले लिये जायेंगे और मर्चेंट मिल के 21 निलम्बित मजदूरों को जिनको नियमों के अन्तर्गत चार्ज-शीट दिये गये हैं, चार्ज शीटों की जांच पर किसी किस्म के प्रतिकूल प्रभाव पड़े बिना काम पर वापिस आने दिया जायेगा। सर धन-अधिकारी ने आश्वासन दिया कि यूनियन के दिनांक 12 फरवरी 1968 के मांग -पत्र में जो अन्य औद्योगिक विवाद उठाये गये हैं उन्हें भी समझौता -वार्ता द्वारा निपटाया जायेगा ।

## दुर्गापुर इस्पात कारखाना

5221. श्री भगवान दास :
श्री ज्योतिर्मय बसु :
श्री वि० कु० मोडक :
श्री एस्योस :

क्या इस्पात, खान तथा धातु मंत्री यह बताने कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दुर्गापुर इस्पात कारखाने में पुलिस दल नियुक्त किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या उसको केन्द्रीय सरकार अथवा केन्द्रीय रिजर्व दलों से लिया गया है; और

(ग) इस सम्बन्ध में इस्पात कारखाने द्वारा कितना व्यय करने की सम्भावना है ?

**इस्पात, खान तथा धातु मंत्री (डा० चन्ना रेड्डी)** : (क) से (ग). सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

## औद्योगिक लाइसेंस समिति

5222. **श्री उमानाथ :** **श्री अ० क० गोपालन :**
**श्री नम्बियार :** **श्री विश्वनाथ मेनन :**

क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) औद्योगिक लाइसेंस समिति को कितनी सफलता मिली है ;

(ख) उस समिति द्वारा कब तक प्रतिवेदन प्रस्तुत किये जाने की सम्भावना है; और

(ग) देरी होने के क्या कारण हैं ?

**औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद)** :

(क) से (घ) सरकार द्वारा नियुक्त औद्योगिक लाइसेंस नीति जाँच समिति के निर्देश पदों में व्यवहारिक रूप से 10 वर्षों अर्थात 1956 से 1966 में औद्योगिक लाइसेंस प्रणाली का समूचा कार्य क्षेत्र शामिल है। 22 जुलाई, 1967 अर्थात् इसकी नियुक्ति की तारीख से अब तक समिति की 9 औपचारिक बैठकें हो चुकी हैं और इसने उद्योग व्यापार तथा वित्तीय संस्थाओं के प्रतिनिधियों जिनकी संख्या बहुत बड़ी है, से बातचीत की है। विभिन्न हितों को जारी की गई प्रश्नावलि के उत्तर समिति को प्राप्त हो चुके हैं और ये समिति के विचाराधीन हैं । आज तक जारी किये गये लाइसेंसों के मौलिक आँकड़ों को साँकेतिक आँकड़ों को किया जा रहा है और फिर इन का गणना केन्द्र में विश्लेषण किया जायेगा । समिति आशा करती है कि वह अपना प्रतिवेदन इस वर्ष के अन्त तक अथवा आगामी वर्ष के आरम्भ में प्रस्तुत कर देगी ।

## रोल्ड इस्पात का आयात

5223. **श्री उमानाथ :** **श्री मुहम्मद इस्माइल :**
**श्री रमानी :** **श्री अनिरुद्धन :**

क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रोल्ड इस्पात के आयात के सम्बन्ध में खनिज तथा धातु व्यापार निगम तथा जापान के इस्पात मिल मालिकों के एक दल के बीच एक करार हुआ है;

(ख) यदि हाँ, तो इस करार के निबन्धन तथा शर्तें क्या हैं और उसके अन्तर्गत कुल कितने मूल्य के इस्पात का आयात किया जायेगा; और

(ग) इसके क्या कारण हैं ?

**वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफ़ी कुरेशी)** : (क) और (ख). फरवरी, 1968 में लौह अयस्क की बिक्री के सम्बन्ध में खनिज तथा धातु व्यापार निगम के प्रतिनिधि मण्डल की जापान यात्रा के समय यह सिद्धांततः तय हुआ कि वर्ष 1968 तथा 1969 में निगम 40 लाख अमरीकी डालर मूल्य के (जहाज तक निःशुल्क आधार पर) जापानी इस्पात उत्पादों का आयात करेगा। 40 लाख अमरीकी डालर की कुल वचनवद्धता में ये ऋण अथवा अन्य ऋण अथवा इस्पात उत्पादों के आयात के लिए प्राप्य सहायता व्यवस्था के अन्तर्गत की गयी खरीदारियां शामिल होंगी। खरीद के लिए निबन्धन तथा शर्तों के ब्यौरे अभी तय होने हैं। आयात की वास्तविक संविदाओं को अन्तिम रूप तभी दिया जायेगा जब भारतीय उपभोक्ताओं की माँग और जापानी इस्पात मिलों के उत्पादन को ध्यान में रखते हुए परिमाण तथा वर्गों का निर्णय हो जायेगा और खरीद के अन्य निबन्धन तथा शर्तें तय हो जायेंगी।

(ग) आयात की अनुमति इसलिए दी गई है कि देश में उपलब्ध माल माँग को पूरा करने के लिए अपर्याप्त है।

**टेक्सटाइल कमिश्नर, बम्बई के विरुद्ध आरोप**

**5224. श्री उमानाथ :**
**श्री अब्राहम :**
**श्रीमती सुशीला गोपालन :**
**श्री अनिरुद्धन :**

क्या **वाणिज्य** मंत्री 20 फरवरी, 1968 के तारांकित प्रश्न संख्या 180 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बम्बई के भूतपूर्व टैक्सटाइल कमिश्नर के विरुद्ध लगाये गये आरोप के सम्बन्ध में केन्द्रीय जाँच ब्यूरो ने अपनी रिपोर्ट इस बीच प्रस्तुत कर दी है;

(ख) यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है?

**वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफ़ी कुरेशी)** : (क) से (ग). भूतपूर्व टैक्सटाइल कमिश्नर के विरुद्ध कुछ शिकायतों पर केन्द्रीय जाँच ब्यूरो की रिपोर्ट अभी नहीं आई है। अन्य शिकायतों पर उससे प्राप्त रिपोर्टों पर सरकार द्वारा विचार किया जा रहा है।

**यातायात लेखा कार्यालयों में कर्मचारियों की स्वीकृत तथा कार्यकारी संख्या**

**5225. श्री उमानाथ :**
**श्री मुहम्मद इस्माइल :**
**श्री अनिरुद्धन :**

क्या **रेलवे** मंत्री यातायात लेखा कार्यालयों में कर्मचारियों की स्वीकृत तथा कार्यकारी संख्या के सम्बन्ध में 8 दिसम्बर, 1967 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3510 के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस बीच जानकारी इकट्ठी कर ली गई है; और

(ख) यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

**रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा)** :(क) और (ख). सूचना जुटायी जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

**औद्योगिक एकक**

5226. **श्री म० ला० सोंधी** : क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बड़े तथा छोटे औद्योगिक एककों में इंजीनियरों के जो 600 से 2000 रुपये तक वेतन ले रहे हैं 80 प्रतिशत पदों पर अनर्ह व्यक्ति काम कर रहे हैं जिससे घटिया माल बन रहा है और माँग कम होती जा रही है ; और

(ख) यदि हाँ, तो क्या सरकार का विचार ऐसे पदों पर अर्हता-प्राप्त इंजीनियरों की नियुक्ति के लिए कुछ नियम लागू करने का है ताकि बढ़िया माल का उत्पादन हो सके ?

**औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद)** : (क) सरकार को गैर-सरकारी क्षेत्र के बड़े और छोटे औद्योगिक एककों में नियुक्त इंजीनियरों की योग्यता के बारे में विस्तृत जानकारी नहीं है । जहां तक सरकारी क्षेत्र के एककों का संबंध है, केवल अर्हता प्राप्त व्यक्तियों को ही इंजीनियरी के पदों पर नियुक्त किया जाता है ।

(ख) सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में इंजीनियरी कर्मचारियों की भर्ती के लिए निर्धारित नियम हैं

**दक्षिण रेलवे के पुल कर्मचारियों की छंटनी**

5227. **श्री म० ला० सोंधी** : क्या मंत्री रेलवे यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दक्षिण रेलवे में बहुत बड़ी संख्या में रेलवे कर्मचारियों (पुल कर्मचारियों) के लगभग 16 वर्ष तक कार्य करने के बाद भी उनकी छंटनी किये जाने का खतरा है ;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में दक्षिण रेलवे रिट्रेंच्ड वर्कर्स एसोसियेशन, मद्रास से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(ग) यदि हाँ, तो इस पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

**रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा)** : (क) जी नहीं ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) सवाल नहीं उठता ।

## दुर्गापुर इस्पात कारखाना

5228. **श्री नायनार :**
**श्री पी० रामामूर्ति :**
**श्री रमानी :**
**श्री ज्योतिर्मय बसु :**

क्या **इस्पात, खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दुर्गापुर इस्पात कारखाने के मेंट्रल इलेक्ट्रिकल मेन्टेनेन्स मशीन शाखाओं में काम हो रहा है ;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या फालतू पुर्जों के निर्माण के लिये किसी विदेशी फर्म को आदेश दिये गये हैं; और

(घ) यदि हां, तो कितने मूल्य के ?

**इस्पात, खान तथा धातु मंत्री (डा० चन्ना रेड्डी) :** (क) जी, हां ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) कारखाने के लिये आवश्यक कुछ फालतू पुर्जे अभी आयात किये जाने हैं ।

(घ) वर्ष 1967-68 में 14.9 लाख रुपये के मशीनी संविरचित फालतू पुर्जों और 3.9 लाख रुपये के बिजली सम्बन्धी संविरचित फालतू पुर्जों के आयात के लिये आदेश दिये गये हैं ।

## चीफ इंजीनियर, खेत्री तांबा परियोजना

5229. **श्री नायनार :**
**श्री अब्राहम :**
**श्रीमती सुशीला गोपालन :**
**श्री रमानी :**

क्या **इस्पात, खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र की परियोजनाओं में कार्य कर रहे चीफ इंजीनियरों के लिये कोई आयु-सीमा निश्चित है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि राजस्थान में खेत्री तांबा परियोजना के वर्तमान चीफ इंजीनियर (सिविल) की आयु निश्चित आयु-सीमा से अधिक है; और

(ग) यदि हां, तो उसकी नौकरी की अवधि में वृद्धि करने के क्या कारण हैं ?

**इस्पात, खान तथा धातु मंत्री (डा० चन्ना रेड्डी) :** (क) सरकारी क्षेत्र की परियोजनाओं में कार्य कर रहे चीफ इंजीनियरों के लिये विशेष रूप से कोई आयु-सीमा निर्धारित नहीं की गई है । राष्ट्रीय खनिज विकास निगम के सेवा-विनियमों में, जिन्हें हिन्दुस्तान तांबा लि० ने भी अंगीकार किया है, सामान्यतया 55 वर्ष तक सेवा में रखा जाना विहित है । इस आयु-सीमा को लोक-हित के कारणों से बढ़ाया जा सकता है ।

(ख) नहीं, महोदय ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

**हिन्द गैल्वनाइजिंग एण्ड इंजीनियरिंग कम्पनी (प्रा०) लिमिटेड**

5230. **श्री स० मो० बनर्जी :**
**श्री जार्ज फरनेंडीज :**

क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मंत्री 20 फरवरी, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1272 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इंडियन गैल्वनाइजिंग कम्पनी ने मैसर्स हिन्द गैल्वनाइजिंग एण्ड इंजीनियरिंग कम्पनी (प्राइवेट) लिमिटेड को अपना 40/45 गैलन बैरल प्लांट नहीं बेचा अपितु उसे अपने पास ही रखा;

(ख) यदि हां, तो क्या इससे पता चलता है कि सरकार से अनुमति लिये बिना देश में पुराने आयात कर्ता से मशीनरी खरीद कर मैसर्स हिन्द गैल्वनाइजिंग ने 40/45 गैलन के बैरल बनाने के लिये अनधिकृत क्षमता का निर्माण किया, विशेषत: उस समय जब कि इस उद्योग का नाम "अस्वीकृत सूची" में था;

(ग) क्या 1964 में उन्हें अनुमति तथा कच्चा माल दिये जाने से पहले उस तरीके तथा स्रोत के सम्बन्ध में जिससे वे बैरल बनाने के लिये 1962 से लेकर नियंत्रित इस्पात चादरें प्राप्त कर रहे थे, कोई जांच की गई थी; और

(घ) क्या सरकार से अनुमति तथा कच्चा माल प्राप्त किये बिना क्षमता बनाने तथा बैरलों का निर्माण आरम्भ करने के लिये उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई है?

**औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद)** : (क) इण्डियन गैल्वनाइजिंग कम्पनी जो बट गई थी, की क्षमता के वितरण में 40/45 गैलन बैरेल बनाने का संयंत्र हिन्द गैल्वनाइजिंग एण्ड इंजीनियरिंग कम्पनी (प्रा०) लिमिटेड के हिस्से में नहीं आया था। इसे इंडस्ट्रियल कन्टेनर्स लिमिटेड को हस्तान्तरित कर दिया गया था।

(ख) से (घ). लोक-सभा में 24 नवम्बर, 1967 को श्री सेशर गुहा तथा श्री एस० एम० बनर्जी के तारांकित प्रश्न संख्या 250 के उत्तर को देखा जाय जिस में इस कम्पनी द्वारा तेल के बैरेल बनाने की क्षमता के लिये मान्यता दी गयी थी। जहां तक इस फर्म द्वारा 1962 से बैरेल निर्माण का सम्बन्ध है, यह सुनिश्चित कर लिया गया था कि उन्होंने आवश्यक कच्चे माल को वस्तु विनिमय के आधार पर आयातित चादरों की खुली बिक्री से प्राप्त किया था। इस फर्म की तथा अन्य फर्मों की तेल के बैरेल बनाने की क्षमता को सरकार द्वारा दी गई मान्यता को ध्यान में रखते हुए कोई अन्य कार्यवाही करना आवश्यक नहीं समझा गया था।

**स्टैण्डर्ड ड्रम एण्ड बैरल मैनुफैक्चरिंग कम्पनी**

5231. **श्री स० मो० बनर्जी :**
**श्री जार्ज फरनेंडीज :**

क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मंत्री 20 फरवरी, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1271 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्टैंडर्ड ड्रम एण्ड बैरेल मैनुफैक्चरिंग कम्पनी के संयंत्र तथा मशीनरी

जिनके आधार पर उसकी क्षमता का निर्धारण 14538 टन किया गया था उस समय के संयंत्र और मशीनरी से बिल्कुल भिन्न मिली जबकि उसकी क्षमता का निर्धारण 6100 टन किया गया था;

(ख) यदि हां, तो क्या उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 के अधीन उसे अतिरिक्त मशीनरी लगाने और अपना विस्तार करने की अनुमति दे दी गई थी;

(ग) उन अन्य बैरल निर्माताओं के नाम क्या हैं जिन्होंने संयंत्र तथा मशीनों का अनधिकृत रूप से विस्तार कर लिया था;

(घ) क्या ऐसे बैरल निर्माताओं के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई थी जिन्होंने अपने संयंत्र तथा मशीनों का अनधिकृत रूप से विस्तार कर लिया था; और

(ङ) क्षमता का निर्धारण करते समय स्टैंडर्ड ड्रम एण्ड बैरल मैनुफैक्चरिंग कम्पनी के संयंत्र तथा मशीनों का विस्तृत प्रतिवेदन सभा-पटल पर न रखने के क्या कारण हैं ?

**औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद)** : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) और (घ) देशी साधनों से ही अथवा पुराने आयातकों को कुछ और मशीनें प्राप्त हो जाने से बैरल निर्माताओं के उत्पादन में वृद्धि हुई थी। अतः इन सभी निर्माताओं की क्षमता का इसी आधार पर पुनर्निर्धारण किया गया जो सरकार द्वारा स्वीकार कर ली गई है। इसलिये कोई और कार्यवाही करना आवश्यक नहीं था।

(ङ) तकनीकी अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत निर्धारण रिपोर्टों से केवल सरकार को निर्णय करने में सहायता मिलेगी, इसलिये उन्हें सभा-पटल पर रखना आवश्यक नहीं समझा जाता।

## सीमेंट नियतन तथा समन्वय संगठन

5232. **श्री अब्राहम :**
**श्री पी० राममूर्ति :**
**श्री ज्योतिमय बसु :**
**श्री वि० कु० मोडक :**

क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान सीमेंट नियतन तथा समन्वय संगठन द्वारा हाल में दिये विज्ञापन की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

**औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद)** : (क) जी, हां।

(ख) 'इकनामिक टाइम्स' ने अपने 24 जनवरी, 1968 के अंक में सीमेंट आवन्टन तथा समन्वय संगठन के अध्यक्ष द्वारा जारी किये गये विज्ञापन में उठाई गई बातों का

खण्डन किया है । सरकार ने सीमेंट आवन्टन तथा समन्वय संगठन के कार्य-कलापों में अनियमितताओं पर आपत्ति की है और सीमेंट के वितरण का काम उससे लेकर भारतीय सीमेंट निगम को तब तक के लिये सौंप दिया है जब तक कि संगठन की और जांच, जो चल रही है, पूरी नहीं हो जाती ।

**Indian Railways Loco Mechanical Staff Association**

5233. **Shri Ramavatar Shastri:** Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Indian Railways Loco Mechanical Staff Association has made a demand that new pay scales should be prescribed for the loco-mechanical staff keeping in view their hard labour, precise fitting and heavy responsibilities;

(b) if so, the steps taken by Government in the matter so far; and

(c) if the reply to part (b) above in the negative, the reasons therefore ?

**The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha):** (a) Yes.

(b) and (c). This has been examined and it has not been possible to accede to this request.

**Mechanical Staff in Diesel Loco Sheds**

5234. **Shri Ramavatar Shastri:** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether Government have laid down any policy in regard to the determination of seniority of the mechanical staff working in the Diesel Loco Sheds and the mechanical staff who have received Diesel Locomotive training at the Steam Loco Sheds; and

(b) If so, the details thereof ?

**The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha) :** (a) No specific directive has been issued by the Board in this matter.

(b) Does not arise.

**Misappropriation in Loco Sheds, Delhi**

5235. **Shri Ramavatar Shastri** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that thousands of Rupees were misappropriated in the Loco Shed Delhi, on the Northern Railway during the year 1967;

(b) if so, the action taken against the persons found guilty; and

(c) if not, the reasons therefor ?

**The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha):** (a) No Sir, not to our knowledge.

(b) and (c). Do not arise.

**भारतीय रलों की ट्रैफिक एकाउण्ट्स ब्रांचों में कर्मचारियों की स्वीकृत तथा वास्तविक संख्या**

5236. **श्रीमती सुशीला गोपालन :** **श्री प० गोपालन :**
**श्री वि० कु० मोडक :** **श्री विश्वनाथ मेनन :**

क्या **रेलवे** मंत्री भारतीय रेलों की ट्रैफिक एकाउन्ट्स ब्रांचों मे कर्मचारियों की स्वीकृत तथा वास्तविक संख्या के बारे में 8 दिसम्बर, 1967 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3532 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस बीच जानकारी इकट्ठी कर ली गई है; और

(ख) यदि नहीं, तो देर के क्या कारण हैं ?

**रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा)** : (क) और (ख). सूचना मंगायी जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

### केरल में विशेष मिश्रित इस्पात कारखाना

5237. **श्रीमती सुशीला गोपालन :**
**श्री चक्रपाणि :**
**श्री अ० क० गोपालन :**
**श्री प० गोपालन :**

क्या **इस्पात, खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि युगोस्लाविया की सहायता से राज्य में विशेष मिश्रित इस्पात कारखाना स्थापित करने का केरल सरकार का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो क्या इस कारखाने की स्थापना के लिये अनुमति दी गई है ?

**इस्पात, खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी)** : (क) सरकार को केरल सरकार से कोई ऐसा प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

### काफी बोर्ड के कर्मचारियों को बोनस

5238. **श्रीमती सुशीला गोपालन :**
**श्री चक्रपाणि :**
**श्री अ० कु० गोपालन :**
**श्री विश्वनाथ मेनन :**

क्या **वाणिज्य** मंत्री 20 फरवरी, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1210 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या काफी बोर्ड के कर्मचारियों को बोनस देने के प्रश्न पर सरकार ने इस बीच विचार कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या निर्णय किया गया है ?

**वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी)** : (क) और (ख). बोनस अधिनियम, 1965 के अन्तर्गत काफी बोर्ड के कर्मचारियों को बोनस की अदायगी की देयता के प्रश्न पर अभी सरकार विचार कर रही है ।

### मशीनों का निर्यात

5239. **श्री न० कु० साल्वे** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत में निर्मित रुई, पटसन और चीनी मिलों में प्रयोग की जाने वाली मशीनों की बहुत से देशों में बहुत मांग है;

(ख) क्या इन मशीनों में ऊंचे मूल्य होने के कारण भारत इस सम्बन्ध में अन्य देशों से प्रतियोगिता करने में असमर्थ है; और

(ग) यदि हां, तो विदेशी मंडियों में इन्हें और अधिक प्रतियोगिता बनाने के उद्देश्य से सरकार क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

**वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी)** : (क) इंजीनियरी निर्यात संवर्धन परिषद् द्वारा प्राप्त बाजार प्रतिवेदनों से पता चलता है कि दक्षिण-पूर्वी एशिया, मध्य-पूर्व तथा अफ्रीका के देशों में सूती माल, पटसन के माल तथा चीनी की मिलों की मशीनों के निर्यात की सम्भावनाएं हैं।

(ख) और (ग). उत्पादक माल का निर्यात कई बातों पर निर्भर रहता है जैसे कि हमारी ऋण देने की तथा समयानुसार माल की सुपुर्दगी करने की क्षमता, जिसके लिये उत्पादन के स्तर पर आवश्यक सामान तथा वित्त का प्रबन्ध करना पड़ता है और बढ़िया किस्म के माल के उत्पादक के रूप में अपनी ख्याति बढ़ाने की हमारी क्षमता। इस प्रकार के निर्यातों को बढ़ाने के लिये सरकार ने निम्नलिखित सुविधाएं प्रदान करके कई कदम उठाये हैं :—

(1) जहाज तक निशुल्क मूल्य के 10 से 20 प्रतिशत के मध्य आयात पुनर्भरण;
(2) जहाज तक निशुल्क मूल्य के 10 प्रतिशत के हिसाब से विपणन विकास सहायता;
(3) अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों पर स्वदेशी लोहे तथा इस्पात का सम्भरण;
(4) छः प्रतिशत से अनधिक ब्याज की अधिमान दर पर निर्यात वित्त;
(5) सात वर्ष तक निर्यात आय की आस्थगित वसूली के लिये सुविधाएं; और
(6) विदेशों में संयुक्त उद्यमों की स्थापना के लिये सुविधाएं।

**रेलवे सम्पत्ति का विनाश**

5240. **श्री न० कु० साल्वे** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिसम्बर, 1967 और जनवरी, 1968 के बीच की अवधि में भारतीय रेलों में ऐसी कितनी घटनाएं हुईं जिनमें कि रेलवे सम्पत्ति नष्ट हुई;

(ख) इन घटनाओं में भारतीय रेलों को कितनी हानि हुई; और

(ग) इन घटनाओं में पुलिस द्वारा गोली चलाई जाने के परिणामस्वरूप कितने व्यक्ति हताहत हुए ?

**रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा)** : (क) 283.

(ख) लगभग 26.80 लाख रुपये।

(ग) दक्षिण में हिन्दी विरोधी आन्दोलन के दौरान जनवरी, 1968 में दक्षिण रेलवे पर पुलिस को गोली चलानी पड़ी जिसके परिणामस्वरूप एक व्यक्ति मारा गया और तीन घायल हुए। इस घटना को छोड़कर दूसरी रेलों में पुलिस द्वारा गोली चलाये जाने की कोई रिपोर्ट नहीं मिली है।

**खनन उपकरण**

5241. **श्री न० कु० साल्वे** : क्या **इस्पात, खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि खनिज सलाहकार बोर्ड ने अपनी 14-वीं बैठक में सुझाव दिया था कि छोटी खानों को किराया-खरीद के आधार पर खनिज तथा धातु व्यापार निगम को खनन उपकरण सप्लाई करने चाहिये; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम रहा ?

**इस्पात, खान तथा धातु मंत्री (डा० चन्ना रेड्डी)** : (क) हां, महोदय। बोर्ड ने सिफ़ारिश की थी कि माइनिंग एण्ड अलाईड मशीनरी कारपोरेशन (न कि खनिज तथा धातु व्यापार निगम) के द्वारा किराया-खरीद के आधार पर उपकरण प्रदाय किये जाने का प्रश्न औद्योगिक विकास मंत्रालय के साथ उठाया जाय।

(ख) माइनिंग एण्ड अलाईड मशीनरी कारपोरेशन ने, जिनसे इस विषय में परामर्श किया गया था, सूचना दी है कि उन खनन उपकरणों जिनका निर्माण इस समय उनके द्वारा किया जा रहा है, की आवश्यकता सामान्यतः छोटे खान मालिकों को नहीं होगी, क्योंकि उनकी आवश्यकता अधिकतर, डीजल या संपीड़ित वायु द्वारा चलने वाली मशीनरी और मुख्यतः संपीड़ित वायु चालित, जहां पर मुख्य कार्य चट्टान-वेधन है, वायु संपीड़ित वायु द्वारा चालित फेस पम्प, पंखे, हायस्टस, रॉक-ड्रिलें, डीजल द्वारा चलने वाले ढुलाई के यंत्र आदि होते हैं, जो कि माइनिंग एण्ड अलाईड मशीनरी के निर्माण कार्यक्रम में नहीं आते।

**खनन उपकरण**

5242. **श्री न० कु० साल्वे** : क्या **इस्पात, खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 1966 में हुई कोयला विकास परिषद की बैठक में तत्कालीन खान तथा धातु मंत्री ने कहा था कि रायल्टी या उपकरण के पुनरीक्षण के किसी प्रस्ताव पर विचार किये जाने से पहले राज्यों को पहले वसूल की गई राशि तथा खनन क्षेत्रों के विकास के लिये उसके उपयोग के बारे में केन्द्र को सन्तुष्ट करना होगा;

(ख) क्या खनिजों पर रायल्टी तथा उपकर के रूप में वसूल की गई राशि खनन क्षेत्रों के विकास तथा खनन मजदूरों को सुविधाएं देने के लिये ठीक तरह से प्रयोग में लाई जाती है;

(ग) यदि नहीं, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) खनिजों पर रायल्टी के आधार पर रायल्टी दरें बढ़ाने के प्रस्ताव के बारे स्थिति क्या है ?

**इस्पात, खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी)** : (क) कोयला सलाहकार परिषद् की 1966 में हुई बैठक में यह निश्चय किया गया था कि कोयला क्षेत्रों के समन्वित विकास के लिये अलग उपकर लगाये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव की जांच तभी हो सकती है जब वर्तमान उपकरों और उस व्यय का, जो कोयला क्षेत्रों को सुविधाएं प्रदान करने के विशिष्ट उद्देश्य से इकट्ठे किये गये राजस्व में से किया जा रहा है, पुनर्विलोकन कर लिया जाये।

(ख) और (ग). राज्य सरकारों द्वारा खनिजों पर इकट्ठा किये जाने वाले स्वामित्व आदि का उपयोग उनका अपना काम है। कोयला खान श्रम कल्याण उपकर और कोयला खान बचाव उपकर का प्रयोग उन उद्देश्यों के लिये किया जाता है जिनके लिये यह इकट्ठे

किये जाते हैं। कोयला खान (संरक्षण और बचाव) अधिनियम के अधीन लगाये उत्पादन-शुल्क का उपयोग कोयला खानों में बचाव के उपायों के प्रसार और कोयला साधनों के संरक्षण और रेल-एवं-समुद्र द्वारा कोयले के परिवहन पर राज-सहायता देने के लिये किया जाता है।

(घ) कोयले के सांविधिक मूल्य और संचलन पर से नियंत्रण हटा लिये जाने के परिणामस्वरूप स्वामित्व दरों के पुनरीक्षण के प्रश्न पर विचार हो रहा है।

**खेत्री तांबा परियोजना**

5243. **श्री नम्बियार :** **श्री एरथोस :**
**श्री गणेश घोष :** **श्री सत्यनारायण सिंह :**

क्या **इस्पात, खान और धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खेत्री तांबा परियोजना, राजस्थान के सिविल इंजीनियरिंग सैक्शन में 'मस्टर रोल' गोलमाल के कुछ मामले सरकार को पता लगे हैं; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

**इस्पात, खान तथा धातु मंत्री (डा० चन्ना रेड्डी)** : (क) हां, महोदय। झूठी उपस्थिति-नामावलियां बनाये जाने के कुछ मामले विशेष पुलिस संस्थापन को निर्देशित किये गये हैं।

(ख) वह इन मामलों की जांच कर रहे हैं।

**दक्षिण-पूर्व रेलवे के बिना चौकीदार वाले फाटकों पर चौकीदार नियुक्त करना**

5244. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1968-69 में दक्षिण-पूर्व रेलवे पर उड़ीसा में कुछ बिना चौकीदार वाले फाटकों पर चौकीदार नियुक्त करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) वर्ष 1966-67 तथा वर्ष 1967-68 में इस प्रकार कितने रेलवे फाटकों पर चौकीदार नियुक्त किये गये तथा उनका ब्यौरा क्या है ?

**रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा)** : (क) वर्तमान नियमों के अन्तर्गत, यदि सड़क और रेल यातायात दोनों के बढ़ जाने के कारण बिना चौकीदार वाले किसी समपार पर चौकीदार तैनात करना अपेक्षित हो तो पूरा प्रारम्भिक खर्च राज्य सरकार को और वार्षिक आवर्ती खर्च रेलों को वहन करना होता है।

तदनुसार, दक्षिण-पूर्व रेल प्रशासन ने उड़ीसा राज्य में बिना चौकीदार वाले 86 समपारों पर चौकीदार तैनात करने के प्रस्ताव तैयार किये हैं, लेकिन अभी तक किसी निश्चित कार्यक्रम को अन्तिम रूप नहीं दिया जा सका क्योंकि राज्य सरकार ने उन पर होने वाले खर्च की स्वीकृति की सूचना नहीं दी है।

(ख) किसी पर नहीं।

**Manufacture of Cars and Scooters**

**5245. Shri Shri Gopal Sabooa: Shri Kanwar Lal Gupt :**
**Shri R. S. Vidyarthi : Shri Bharat Singh Chauhan:**

Will the Minister of **Industrial Development and Company Affairs** be pleased to state:

(a) the number of cars and scooters manufactured in India annually and the number by which these fall short of the requirements at present; and

(b) the number of those whose names are still on the waiting list of cars and scooters ?

**The Minister of Industrial Development and Company Affairs (Shri F. A. Ahmed)**: (a) The production of cars and scooters during the last few years as well as the presnt estimated demand for these vehciles is as shown below:

| | Production | | | Estimated Demand |
|---|---|---|---|---|
| | 1965 | 1966 | 1967 | |
| Passenger cars | 24,790 | 27,597 | 33,339 | 40,000 Nos. p.a. |
| Scooters | 20,296 | 20,971 | 30,302 | 100,000 Nos. p.a. |

(b) Precise information about the number of orders pending with the various dealers in the country for cars and scooters is not available. However, it is estimated that the number of pending orders for cars and scooters would be as under:—

| | |
|---|---|
| Passenger cars | 125,000 Nos. approximately |
| Scooters | 250,000 Nos. approximately |

**Manufacture of Cars and Scooters**

**5246. Shri Shri Gopal Saboo :**
**Shri R.S. Vidyarthi :**
**Shri Kanwar Lal Gupta :**

Will the Minister of **Industrial Development and Company Affairs** be [pleased to state :

(a) whether Government have received any complaints about the inferior quality of cars and scooters manufactured in the country ; and

(b) if so, the steps taken by Government to improve their quality ?

**The Minister of Industrial Development and Company Affairs (Shri F. A. Ahmed)**: (a) and (b). Government had received a number of complaints about the deterioration in the quality of cars manufactured in the country. A committee since named the Motor Car Quality Enquiry Committee was, therefore, set up to investigate into the causes of deterioration in the quality of cars and to suggest remedial measures.

The report of the committee, along with Government's resolution, indicating Government's decisions on the recommendations made by the Committee was laid on the Table of the Sabha on the 16th February, 1968.

Of late, a few complaints about the deterioration in the quality of indigenous scooters have also been received. The scooter manufacturers, are, therefore, also being asked to implement some of the recommendations of the Motor Car Quality Enquiry Committee, which are relevant to the scooter industry.

## टायरों और ट्यूबों का मूल्य

5247. **श्री वेणी शंकर शर्मा :**
**श्री दी० चं० शर्मा :**

क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मोटरों के उन टायरों और ट्यूबों के मूल्य घटाने के बारे में निर्णय कर लिया है जो पुराने टायर एवं ट्यूबों के स्थान पर लगाने के लिये बेचे जाते हैं ;

(ख) क्या सरकार ने उन टायर और ट्यूबों की संख्या बढ़ाने का भी निर्णय किया है जो गाड़ियों के साथ शुरू में देने के लिए गाड़ी निर्माताओं को दिये जाते हैं ; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

**औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फ़खरुद्दीन अली अहमद)**: (क) और (ख). जी, नहीं । इन पर कोई सांविधिक मूल्य नियंत्रण नहीं है फिर भी अनौपचारिक नियंत्रण है । बदल कर लगाये जाने वाले टायरों के मूल्यों में कमी करने तथा गाड़ी के साथ शुरू में दिये जाने वाले टायरों और ट्यूबों के मूल्य बढ़ाने पर उद्योग द्वारा विचार किया जा रहा है ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

## जमालपुर रेलवे वर्कशाप

5248. **श्री वेणी शंकर शर्मा** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जमालपुर रेलवे वर्कशाप के साथ कोई ऐसी संस्था सम्बद्ध है, जिसमें प्रशिक्षुओं को प्रवेश दिया जाता है और उस वर्कशाप में किये जाने वाले कार्यों का प्रशिक्षण दिया जाता है ;

(ख) उस संस्था से प्रतिवर्ष कितने लड़के प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं ; और

(ग) क्या उन सब को उस वर्कशाप में या रेलवे की अन्य वर्कशापों में काम पर लगा लिया जाता है ?

**रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा)** : (क) से (ग). सूचना मंगायी जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

## संयुक्त राष्ट्र का व्यापार तथा विकास संबंधी दूसरा सम्मेलन

5249. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** **श्री अनिरुद्धन :**
**श्री प० गोपालन :** **श्री सत्यनारायण सिंह :**

क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त राष्ट्र व्यापार तथा विकास सम्मेलन के संभाव्य परिणाम के संबंध में रूसी अर्थशास्त्री श्री एन० सुविया तथा वाई० पुतिम द्वारा लिखे गये लेख की ओर सरकार का ध्यान दिलाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

**वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी)** : (क) और (ख). जी, नहीं। परन्तु संबंधित लेख की एक प्रति प्राप्त करने के लिये व्यवस्था की गई है।

**रेलवे द्वारा माल का देर से ले जाया जाना**

5250. **श्री सीताराम केसरी** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या यह सच है कि रेलवे द्वारा माल के देर से ले जाने के बारे में शिकायतें प्राप्त हुई हैं ;

(ख) क्या यह भी सच है कि माल के ले जाने में देरी के कारण माल सड़क वाहनों द्वारा ले जाया जाने लगा है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या स्थिति में सुधार करने के लिये कोई कार्यवाही की गई है ?

**रेलवे मंत्री (श्री चे० म० पुनाचा)** : (क) जी हां, कुछ शिकायतें मिली हैं।

(ख) कभी-कभी जो विलम्ब हो जाता है वह भी सड़क से माल ढोये जाने के लिए जिम्मेदार कारणों में से एक है।

(ग) इस बात के लिए रेलें सतत प्रयत्नशील रहती हैं कि रेल द्वारा भेजने के लिए दिये गये माल के शीघ्र परिवहन के उद्देश्य से किसी जगह भी परिहार्य देरी न होने पाये। मार्ग में विलम्ब न हो, इसके लिये उठाये गये महत्वपूर्ण कदम इस प्रकार हैं :—

(i) आवधिक आंकड़ों द्वारा महत्वपूर्ण स्टेशनों के चुने हुए जोड़ों के बीच मार्ग में लगने वाले समय की निगरानी।

(ii) महत्वपूर्ण स्टेशनों के बीच तेज परिवहन योजना लागू करना।

(iii) महत्वपूर्ण टर्मिनल स्टेशनों के बीच सुपर एक्सप्रेस माल गाड़ियां चलाना।

(iv) टर्मिनल परिवहन और दुवारा पैक करने की सुविधाएं बढ़ाना।

(v) माल यातायात के मार्ग में लगने वाले समय पर निगरानी रखने के लिए रेलों में विशेष सेल खोले गये हैं।

(vi) अनुचित विलम्ब को रोकने के लिए यानान्तरण स्थलों और विन्यास यार्डों में निगरानी को तेज़ करना।

**बज बज में पटसन मिल में आग लग जाने क कारण नष्ट हुआ पटसन**

5251. **श्री सीताराम केसरी** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बज बज में एक पटसन मिल में हाल ही में आग लग जाने के कारण लगभग 17,000 मन कच्चा पटसन नष्ट हो गया था ;

(ख) यदि हां, तो क्या आग लग जाने की दुर्घटना के सम्बन्ध में कोई जांच कराई गई है ; और

(ग) यदि हां, तो उसका क्या निष्कर्ष निकला है ?

**वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी)**: (क) सम्भवतः माननीय सदस्य उस आग के समाचार का उल्लेख कर रहे हैं जो 2 मार्च, 1968 को बज बज में कैलेडोनियन जूट मिल के

पटसन के गोदाम में लगी थी । उसमें 7 लाख रुपये का लगभग 16,000 मन कच्चा पटसन नष्ट हो जाने के समाचार मिले हैं ।

(ख) केन्द्रीय सरकार ने ऐसी कोई जांच नहीं की है ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

**राष्ट्रीय कोयला विकास निगम**

5252. **श्री प्रेमचन्द वर्मा** : क्या इस्पात, खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय कोयला विकास निगम द्वारा 1965-66 और 1966-67 के लिये उत्पादन का क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया था और ये लक्ष्य कहां तक पूरे हुए ;

(ख) यदि वे लक्ष्य पूरे नहीं हुए, तो उत्पादन में जो कमी रह गई थी उसे पूरा करने के लिये क्या उपाय किये गये ; और

(ग) 1967-68 के लिये क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है और उसके कहां तक पूरा हो जाने की संभावना है और क्या यह लक्ष्य मांग को पूरा करने के लिये पर्याप्त है ?

**इस्पात, खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी)** : (क) से (ग). राष्ट्रीय कोयला विकास निगम द्वारा तीसरी पंचवर्षीय योजना के काल में 305 लाख टन कोयला उत्पादन करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था । तीसरी योजना के मध्यावधि-मूल्यांकन के पश्चात इस तथ्य को घटा कर 225 लाख टन किया गया था । परन्तु कोयले की मांग में और कमी हो जाने के परिणाम-स्वरूप राष्ट्रीय कोयला विकास निगम को अपने उत्पादन को मांग के अनुसार प्रतिबद्ध करने के लिए तात्कालिक आवश्यक कदम उठाने पड़े । अतः निगम ने 1965-66 में 96.5 लाख टन और 1966-67 में 94.9 लाख टन कोयला उत्पादन किया । वर्तमान संकेतों के अनुसार निगम द्वारा 1967-68 में 100 लाख टन कोयला उत्पादन किये जाने की आशा है जो कि इस की मांग को पूरा करने के लिये पर्याप्त होगा ।

**मन्दी के कारण इंजीनियरी उद्योग पर बुरा प्रभाव**

5253. **श्री प्रेमचन्द वर्मा** : क्या औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंजीनियरी उद्योग में भूतकाल में मन्दी के कारण सरकारी क्षेत्र के इंजीनियरी निगमों पर कोई बुरा प्रभाव पड़ा है ;

(ख) यदि हां, तो उनके उत्पादन तथा मुनाफे पर कहां तक प्रभाव पड़ा और 1968-69 में क्या रुख होने की संभावना है और यह कमी कहां तक पूरे होने की संभावना है ; और

(ग) सरकारी क्षेत्र में मन्दी को दूर करने के लिये क्या उपाय किये गये हैं ?

**औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद)** : (क) से (ग). सूचना इकट्ठी की जा रही है और वह सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

**मण्डपम की सूखी गोदी में 'गोशेन' जहाज का धंस जाना**

5254. **श्री बाबूराव पटेल** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि "गोशेन" जहाज जिसको दिसम्बर, 1964 में धनुषकोडि में तूफान में काफी क्षति पहुंची थी, तब से मण्डपम की सूखी गोदी में पड़ा है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि इस कारण इस सूखी गोदी को इस अवधि में आमदनी नहीं हो सकी है और अन्य जहाज़ों तथा मशीनीकृत नौकाओं की मरम्मत में बड़ी असुविधा पहुंची है ;

(ग) यदि हां, तो उपरोक्त अवधि में कितनी आय की हानि हुई है ;

(घ) उपरोक्त अवधि में जहाज़ के कप्तान और कर्मचारियों को वेतन के रूप में कितनी राशि दी गई है और कितने समय तक उन्हें यह भुगतान किया जाता रहेगा ; और

(ङ) 'गोशेन' के प्रति लापरवाही बरतने के क्या कारण हैं और इस सूखी गोदी को साफ करने के लिये सरकार ने क्या कदम उठाये हैं जिसमें वहां पर तेज़ी से रेत जमा होता जा रहा है ?

**रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा)** : (क) दिसम्बर, 1964 में तलाईमनार के स्थान पर तूफान में टी० एस० एस० गोशेन जहाज़ क्षतिग्रस्त हो गया था। अगस्त, 1965 में इसे फिर से चलाया गया था और तब से यह मण्डपम की सूखी गोदी में पड़ा है। जहाज़ की देख-भाल की जा रही है और वह ख़राब नहीं हो रहा है ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) सवाल नहीं उठता ।

(घ) कर्मचारियों को वेतन के रूप में 1,19,638 रुपये की रकम दी गयी है। जब तक जहाज़ का निबटारा नहीं कर दिया जाता जबतक जहाज़ के अन्दर वाली मशीनों के अनुरक्षण और निगरानी ड्यूटी के लिए उन्हें रखना होगा ।

(ङ) जहाज़ उपेक्षित पड़ा हुआ है और जहाज़ का निबटारा करने के लिये कार्रवाई पहले से की जा रही है ।

**Unloading of Gur by Thieves from Muradnagar Ghaziabad Goods Train**

5255. **Shri Onkar Lal Berwa** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that some thieves unloaded gur worth Rs. 5,000 near Dulai village from a goods train which was on its way from Muradnagar to Ghaziabad on the 13th February, 1968 ;

(b) whether it is also a fact that the driver and firemen of that train were also involved in the said theft ; and

(c) if so, the action taken by Government in this regard ?

**The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha)** : (a) The correct position is that some miscreants unloaded "Gur" worth about Rs. 3,500/- near outer signal of Muradnagar Railway Station on 13-2-68. As a result of prompt action of Railway Protection Force and Police, four of the accused were arrested on the spot after an encounter. All the 36 bags of "Gur" and a 'pick up' which was being used by the miscreants for carrying the stolen property were taken into custody by the Police.

(b) Yes.

(c) Government Railway Police, Meerut City and Civil Police, Muradnagar registered a case u/ss 395/397/307 and u/s 25 of Arms Act and section 3 of Railway Stores (Unlawful Possession) Act, 1955 respectively. 8 persons have been arrested including 4 Railway employees.

**वाणिज्यिक क्लर्कों की वार्षिक वृद्धियां बन्द करना**

5256. **श्री कामेश्वर सिंह** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 90 प्रतिशत वाणिज्यिक क्लर्कों की वेतन वृद्धि दण्ड स्वरूप रोकी गई है ;

(ख) यदि नहीं, तो ऐसे वाणिज्यिक क्लर्कों की संख्या कितनी है जिन्हें 10 वर्षों अथवा इससे अधिक समय से 5 वर्षों अथवा इससे अधिक समय से और 2 वर्षों अथवा इससे अधिक समय से वार्षिक वेतन वृद्धि नहीं दी गई है ;

(ग) वाणिज्यिक क्लर्कों की वेतन वृद्धियों को रोकने से रेलवे को जनवरी से दिसम्बर, 1967 तक कितना धन प्राप्त हुआ है ; और

(घ) एक वाणिज्यिक क्लर्क की वेतन वृद्धि यदि एक साल के लिये रोकी जाती है, जिसका भविष्य में भी प्रभाव हो, तो उसे कितनी हानि उठानी पड़ती है ?

**रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा)** : (क) से (घ) सूचना मंगायी जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

**तारों और धारित्रों (कैपेसिटर) का आयात**

5257. **श्री स्वतंत्र सिंह कोठारी** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि निर्माताओं के पास तारों और धारित्रों के निर्माण की पर्याप्त क्षमता बेकार पड़ी होने के बावजूद इन वस्तुओं के भारी मात्रा मे आयात के लिये लाइसेंस दिये जाते हैं ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) इनके आयात को रोकने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ताकि इस उद्योग की पूरी क्षमता का उपयोग किया जा सके और मूल्यवान विदेशी मुद्रा की बचत की जा सके ?

**वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफ़ी कुरेशी)** : (क) और (ख) जी, नहीं। हाई टेन्शन धारित्रों जैसी केवल उन आवश्यक मदों का आयात करने दिया जाता है जिनका देश मे निर्माण नहीं होता ।

(ग) धारित्रों के वर्तमान निर्माताओं से कहा गया है कि वे उच्च वोल्टेज शक्ति धारित्रों का भी निर्माण करें और उनमे से कुछ ने उन का निर्माण करना आरंभ कर दिया है ।

**सरकारी पटसन मिल, कटिहार**

5258. **श्री स्वतंत्र सिंह कोठारी** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अधिकारियों की लापरवाही के कारण कटिहार पटसन मिल का जिस को 1965 में उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम के अन्तर्गत सरकार ने अपने हाथ में ले लिया था, पर्याप्त बीमा नहीं कराया गया था और उस मिल में मार्च, 1966 में आग लग गई थी ;

(ख) यदि हां, तो कम्पनी को कितनी हानि हुई ;

(ग) मिल को हुई हानि के लिये मुआवजा देने के लिये क्या कार्यवाही की गई ; और

(घ) मिल को पुनः चलाने तथा मशीनरी को आधुनिक बनाने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

**वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी)** : (क) कटिहार पटसन मिल का पर्याप्त बीमा कराया गया था। आग अकस्मात ही लगी थी, न कि लापरवाही के कारण।

(ख) और (ग). पर्यवेक्षकों के अनुमान के अनुसार मिल की मशीनों, विद्युत के लगे सामान, भवनों, तैयार हो रहे माल तथा तैयार माल के सम्बन्ध मे 6.25 लाख रु० की हानि हुई थी जिसके लिए बीमा-कर्त्ताओं को दावे प्रस्तुत किए गए हैं। अभी तक तैयार माल से सम्बन्धित दावों की पूर्ति कर दी गई है और बाकी के दावे विचाराधीन हैं।

(घ) मशीनरी की स्थापना होने के पश्चात् ही मिल पुनः खोली जा सकती है। बिहार राज्य सरकार मामले पर विचार कर रही है।

## हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन, रांची

5259. **श्री स्वतंत्र सिंह कोठारी** : क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रांची स्थित हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन में आई० बी० एम० पंच कार्ड यूनिट स्थापित की गई थी ;

(ख) इस यूनिट के लिये वार्षिक किराया कितना दिया जाता है और इसके कर्मचारियों तथा इसमें प्रयुक्त की जाने वाली लेखन-सामग्री आदि पर कितनी राशि खर्च की जाती है ;

(ग) इस यूनिट मे क्या क्या कार्य किये जाते हैं और क्या यह सच है कि उसकी क्षमता का बहुत ही कम उपयोग किया जा रहा है ; और

(घ) इन मशीनों का पूर्ण उपयोग करने अथवा अनुत्पादक खर्च को समाप्त करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

**औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद)** : (क) आई० बी० एम० पंच कार्ड एकक मई 1965 में लगाया गया था।

(ख) इस समय वार्षिक देय किराया 2.57 लाख रु० है।

इस एकक मे कर्मचारियों तथा स्टेशनरी पर अब तक वार्षिक खर्च लगभग 1.45 लाख रु० है।

(ग) इस एकक मे लगभग 15000 कर्मचारियों द्वारा किये जाने वाले कार्य फाऊन्ड्री फोर्ज परियोजना तथा हैवी मशीन बिल्डीग प्रोजेक्ट के स्टोर का लेखा जोखा रखना फाऊन्ड्री फोर्ज परियोजना में मजूरी प्रोत्साहन मासिक अग्रिम खातों का तैयार करना तथा अन्य विविध कार्य हैं।

यह सच नहीं है कि एकक की क्षमता का बहुत कम उपयोग हो रहा है।

(घ) गणना करने की दो मुख्य मशीनें हैं और कुशलता के वर्तमान स्तर पर इन का प्रतिमान 72 प्रतिशत प्रयोग किया जाता है। दूसरी सहायक मशीनें लेखे की मुख्य मशीनों को सामग्री प्रस्तुत करती हैं। कम्पनी शीघ्र ही पंच कार्ड एकक में वित्तीय लेखे का काम, भविष्य निधि के लेखे का काम, उत्पादन आयोजन के कुछ काम जैसे सामग्री आयोजन, मशीनों का प्रयोग तथा फाऊन्ड्री फोर्ज परियोजना में मानव शक्ति का प्रयोग आदि काँम लेने की योजना बना रही है।

**दिल्ली-कलकत्ता रेल मार्ग पर तेज रेलगाड़ियां चलाना**

5260. **श्री हिम्मतसिंहका** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली-कलकत्ता रेल मार्ग पर तेज रेलगाड़ियां चलाने के लिये अब तक क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ख) क्या इन रेलगाड़ियों से यात्रा करना अन्य रेलगाड़ियों की अपेक्षा अधिक महंगा होगा और यदि हां, तो किस सीमा तक ?

**रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा)** : (क) नयी दिल्ली और हवड़ा के बीच सप्ताह में दो बार चलने वाली तेज एक्सप्रैस गाड़ी चलाने के प्रस्ताव के तकनीकी और आर्थिक ब्यौरे का अध्ययन किया जा रहा है।

(ख) जी हां। अन्य गाड़ियों की अपेक्षा इनम अधिक प्रभार लगने की संभावना है, लेकिन वस्तुत: कितना प्रभार लिया जायेगा यह अभी तय नहीं हो पाया है।

**पी० एल० 480 के अन्तर्गत अमरीकी कपास का आयात**

5261. **श्री हिम्मतसिंहका** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सूती कपड़ा मिलों को कपास का पुनर्नियतन करने के लिये पी० एल० 480 के अन्तर्गत अमरीकी कपास की एक लाख गांठों का आयात करने का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो इनका आयात किन शर्तों पर तथा किस लागत पर किया जायेगा ;

(ग) क्या यह सच है कि भारतीय कपास मिलें इसे अधिक महंगा समझती हैं ; और

(घ) यदि हां, तो उनकी इस धारणा के विशिष्ट कारण क्या हैं तथा सरकार की इस सम्बन्ध में क्या प्रतिक्रिया है।

**वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी)** : (क) और (ख). जी हां। संयुक्त राज्य अमरिका के प्राधिकारियों से अमरीकी उच्चतर भूमि की 120 लाख डालर मूल्य की (लगभग 82,000 अमरीकी गांठें अर्थात लगभग 100,000 भारतीय गांठें) कपास के आयात के लिये गया क्रय-प्राधिकार प्राप्त हुआ है। यह वह अंश है जो जून, 1967 में प्राप्त क्रय प्राधिकार म उल्लिखित लदान की अवधि मे आयात नहीं हो सका। इस 120 लाख डालर से खरीदी जाने वाली कपास का वास्तविक मूल्य, उसकी किस्मों और अमरीकी बाजारों में उनके चालू भावों पर निर्भर होगा।

(ग) और (घ). जी, हां,। इस धारणा का आधार भारतीय कपास की वैसी ही किस्मों की तुलना में अमरीकी कपास की भारत पहुंचने पर अधिक लागत है। मामले पर विचार किया जा रहा है।

## औद्योगिक गृहों द्वारा स्थापित किये गये न्यास

5262. **श्री हिम्मतसिंहका :** क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री** 20 फरवरी, 1968 के तारांकित प्रश्न संख्या 152 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या औद्योगिक गृहों द्वारा स्थापित किये गये न्यासों के स्वरूप के सम्बन्ध में सरकार द्वारा हाल ही में आरम्भ किया गया अध्ययन पूरा हो चुका है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

**औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) :** (क) नहीं, श्रीमान।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

## सीमेन्ट उद्योग

5263. **श्री हिम्मतसिंहका :** क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंजूरी बोर्ड ने सीमेंट उद्योग के लिये मंजूरी में वृद्धि की जो सिफारिश की है उसके परिणाम-स्वरूप सीमेंट की उत्पादन लागत में वृद्धि हो जाने की सम्भावना है ; और

(ख) उत्पादन लागत में इस वृद्धि को दृष्टि में रखते हुए सीमेंट के दामों में कितनी वृद्धि करने का विचार है ?

**औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) :** (क) और (ख) सरकार ने सीमेंट उद्योग के दूसरे मजूरी बोर्ड द्वारा मजूरी में वृद्धि की सिफारिश से सीमेंट में व्यक्त किये गए विचारों पर ध्यान दिया है और वह इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि इस वृद्धि का जो भी भार पड़े वह वर्तमान मूल्य ढ़ाचे से ही पूरा किया जाना चाहिये जिसमें सीमेंट के बिक्री मूल्य में कोई वृद्धि न हो।

## वस्त्र निगम

5264. **श्री रवि राय :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 4 मार्च, 1968 के दैनिक समाचार पत्र पेट्रियाट में छपे एक समाचार की ओर दिलाया गया है जिसके अनुसार, प्रस्तावित वस्त्र निगम में संस्था के ज्ञापन के सम्बन्ध में वाणिज्य मंत्रालय के इस प्रारूप से वित्त मंत्रालय और योजना आयोग सहमत नहीं हैं जिसके अनुसार यह निगम देश में खपत के लिये भी वस्त्र तैयार कर सके ; और

(ख) क्या उपरोक्त मतभेद के कारण सरकारी क्षेत्र के वस्त्र निगम के माध्यम से कुप्रबन्धित तथा अव्यवस्थित वस्त्र मिलों को अपने नियन्त्रण में लेने में विलम्ब हो रहा है ?

**वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफ़ी कुरैशी) :** (क) सरकार यह समाचार देख चुकी है।

(ख) जी, नहीं।

**Consumption of surplus Coffee**

5265 **Shri Raghuvir Singh Shastri** : Will the Minister of **Commerce** be pleased to state :

(a) whether the exports of coffee during the current year have not been upto the expectation ;

(b) if so, the difference between the actuals and the estimated production and consumption in home and world markets this year ; and

(c) The steps Government propose to take to utilise the surplus coffee ?

**The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri Mohd. Shafi Qureshi)**: (a) to (c) Verified figures of exports of coffee for the current year have not yet become available. The sales that have taken place in the export auctions held so far in the current year are quite normal for this part of the year. No problem of disposal of surplus coffee requiring any special measures, are expected to arise.

**रेल द्वारा काश्मीर के साथ जम्मू को मिलाया जाना**

5266. **श्री श्रीचन्द गोयल** : क्यारेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जम्मू तथा काश्मीर राज्य को विशेष रुप से सीमावर्ती क्षेत्रो को रेल द्वारा मिलाने के सम्बन्ध में अब तक क्या प्रगति हुई है ; और

(ख) परियोजना कब आरम्भ हुई थी तथा उसकी क्रियान्विति में बिलम्ब के क्या कारण हैं ?

**रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा)**: (क)और (ख )कठुआ और जम्मू के बीच (बड़ी लाइन, 80 किलोमीटर ) एक रेलवे लाइन के लिए अंतिम मार्ग निर्धारण सर्वेक्षण का काम काफी प्रगति पर है। फरवरी, 1968 के अन्त तक लगभग 79.44 किलोमीटर मार्ग का अंतिम रुप से निर्धारण किया जा चुका है। अंतिम मार्ग निर्धारण सर्वेक्षण का काम पूरा हो जाने पर 1968–69 में इस लाइन का निर्माण-कार्य शुरु करने का विचार है। इस परियोजना को शुरु करने में कोई विलम्ब नहीं हुआ है।

---

**Export of Leather to Czechoslovakia**

5267. **Shri Mohan Swarup** : Will the Minister of **Commerce** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Government propose to export finished leather to Czechoslovakia worth Rs. 4·5 crores under an agreement signed between the two countries ;

(b) if so, when the exports are likely to start ; and

(c) the amount of foreign exchange likely to earn thereby ?

**The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri Mohd. Shafi Qureshi)** : (a) to (c) : Under an agreement signed between Governments of India and Czechoslovakia in relation to the exchange of commodities between the two countries for the year 1968, a provision has been made for the export of finished leather to Czechoslovakia in substantial quantities. In implementation of the agreement, it is learnt that private exporters have entered into contracts and have already commenced export of finished leather. Further details and the amount of foreign exchange likely to be earned are not yet known.

## विमान द्वारा भूतत्वीय सर्वेक्षण

5268. **श्री वीरेश्वर कलिता :** क्या इस्पात, खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार रूस की सहायता से खनिजों का पता लगाने के लिये देश के कुछ भागों का विमान द्वारा भूतत्वीय सर्वेक्षण कराने का है ;

(ख) यदि हां, तो विमान द्वारा किन किन क्षेत्रों का सर्वेक्षण किया जायेगा ; और

(ग) इस संबंध में रूस से कितनी तथा किस प्रकार की सहायता मिलने की संभावना है ?

**इस्पात, खान तथा धातु मंत्री (डा० चन्ना रेड्डी) :** (क) और (ख). हां, महोदय। सोवियत समाजवादी गणतन्त्र संघ की सहायता से दण्डकारण्य और संलग्न क्षेत्रों तथा संबलपुर बोलनगिर क्षेत्र के कुल मिलाकर लगभग 138, 000 वर्ग किलोमीटर का वायु चुम्बकीय सर्वेक्षण किये जाने का प्रस्ताव विचाराधीन है।

(ग) इस प्रस्ताव के खर्चे का विदेशी मुद्रा भाग भारत और रूस की सरकार के मध्य हुए उस समझौते के अधीन, रूस के द्वारा उपलब्ध किया जायेगा जिस पर औद्योगिक उद्योगों और अन्य परियोजनाओं के निर्माण में आर्थिक और तकनीकी सहयोग के उद्देश्यों से 30 करोड़ रुबलों का ऋण देने के लिए 10 दिसम्बर, 1966 को हस्ताक्षर हुए थे। यह भी व्यवस्था है कि तकनीकी जानकारी विशेषज्ञ और उपकरण आदि रूस द्वारा उपलब्ध किये जायेंगे।

## सहवाय विधि बोर्ड सेवा

5269. **श्री मंगलाथ माडोम :**
**श्री विश्वम्भरम :**

क्या औद्योगिक, विकास तथा सहवाय-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कम्पनी बोर्ड में तकनीकी तथा प्रशासनिक पद पर कार्य करने के लिये सहवाय विधि बोर्ड सेवा के नाम से एक सेवा स्थापित की है ;

(ख) उस सेवा में भर्ती के लिये न्यूनतम योग्यता क्या है ;

(ग) क्या सेवा के लिये निर्धारित योग्यता में कम्पनी सैक्रेटरीशिप का सरकारी डिप्लोमा शामिल किया गया है ; और

(घ) यदि नहीं, तो सेवा की स्थापना के समय इसे शामिल न करने के क्या कारण हैं ?

**औद्योगिक, विकास तथा सहवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद):** (क) हां, श्रीमान्।

(ख) कम्पनी विधि बोर्ड सेवा के अनेक पदक्रमों की भर्ती के लिये न्यूनतम योग्यता बताता एक विवरण पत्र साथ में संलग्न है। [पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०-610/68]

(ग) नहीं, श्री मान।

(घ) कारण यह है कि कम्पनी विधि बोर्ड सेवा के पद, कानून एवं लेखा संबंधी अनुभव की अपेक्षा रखते हुये, तकनीकी है तथा साथ ही योग्यता प्राप्त कम्पनी सचिवों को अपने व्यवसाय के

रूप में, सचिवीय, वृत्ति को, अपनाना अपेक्षित होता है; सरकारी डिप्लोमा प्राप्त कम्पनी सचिवों की योग्यतायें, कम्पनी विधि बोर्ड सेवा के प्रारम्भिक संविधान में विहित योग्यताओं में सम्मिलित नहीं की गई थीं।

**कन्नानूर रेलवे स्टेशन के पास भूमिगत मार्ग**

5270. **श्री अ० क० गोपालन :**
**श्री प० गोपालन :**

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कन्नानूर रेलवे स्टेशन के पास एक भूमिगत मार्ग बनाने का काम अभी तक आरम्भ नहीं किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ;

(ग) यह काम कब तक आरम्भ हो जाने की संभावना है ; और

(घ) कब तक इस को पूरा करने का प्रस्ताव है ?

**रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा)** : (क) जी हां।

(ख) अभी तक राज्य सरकार ने पुल तक पहुंच मार्ग बनाने के प्रस्तावों को अन्तिम रूप नहीं दिया है।

(ग) पहुंच मार्ग बनाने के सम्बन्ध में ज्यों ही राज्य सरकार अपने हिस्से का काम शुरू करेगी, रेलवे भी अपने हिस्से का काम शुरू कर देगी।

(घ) अभी यह बताना असामयिक होगा।

**Railway lines in Tribal areas of Madhya Pradesh**

5271. **Shri Bharat Singh Chauhan** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that for want of Railway lines in the tribal areas of Madhya Pradesh the vast forest wealth and mineral resources are not being utilized ;

(b) whether it is also a fact that in the absence of Railway lines in the tribal areas of Madhya Pradesh, difficulty is also being experienced in setting up big industries and factories there;

(c) whether there is any proposal to construct Railway lines in the tribal areas of Madhya Pradesh during the Fourth Five Year Plan period ; and

(d) if so, the details thereof and if not, the reasons therefor?

**The Minister of Railways (Shri C.M. Poonacha)** : (a) and (b) This Ministry is not aware of any difficulties experienced in the exploitation of mineral resources/forest wealth or in the setting up of industries in the tribal areas of Madhya Pradesh for want of rail facilities. When definite scheme which generate large volume of traffic justifying the construction of new lines are finalised in this region , this Ministry will give due consideration for the construction of such new lines as are warranted.

(c) and (d). The Fourth Plan proposals for new lines have not yet been finalised. It is doubtful whether any new lines in the tribal areas of Madhya Pradesh will merit sufficient priority for consideration therein.

## दोहद-खण्डवा और दोहद-इन्दौर रेलवे लाइनें

5272. **श्री भारत सिंह चौहान :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दोहद से खण्डवा और दोहद से इन्दौर के बीच रेलवे लाइन बिछाने के लिए मध्य प्रदेश सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है ; और

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव कब प्राप्त हुआ था और इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

**रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) :** (क) और (ख) मध्य प्रदेश सरकार ने यह प्रस्ताव 1954 में रखा था कि इस लाइन को दूसरी पंचवर्षीय योजना में शामिल किया जाय। इस लाइन बनाये जाने का औचित्य नहीं समझा जाता।

## आदिवासी क्षेत्रों में रेलवे लाइन की व्यवस्था

5273. **श्री भारत सिंह चौहान :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आदिवासी क्षेत्रों के आर्थिक विकास की दृष्टि से उन क्षेत्रों में विशेषकर मध्य प्रदेश में बस्तर, निमाड़, झाबुआ और धार ज़िलों में रेलवे लाइन बिछाने के लिये कोई सर्वेक्षण कराया है ; और

(ख) यदि हां, तो उस का ब्यौरा क्या है ?

**रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) :** (क) और (ख) अतीत में बस्तर, निमाड़, झाबुआ और धार ज़िलों में निम्नलिखित नयी रेलवे लाइनों के लिए सर्वेक्षण किये गये हैं :—

(i) दान्तेवाड़ा-छल्ली राजहरा, व्यावहारिक-एवं-लागत अध्ययन। लम्बाई लगभग 219 कि० मी०। निर्माण की अनुमानित लागत 10.44 करोड़ रुपये।

(ii) लांजीगढ़ रोड-अमागुड़ा, व्यावहारिकता-ए -लागत अध्यन। लम्बाई लगभग 198 कि० मी०। निर्माण की अनुमानित लागत लगभग 12·89 करोड़ रुपये।

(iii) बगमार-बरबानी, 193 कि० मी० लम्बी छोटी लाइन के लिए यातायात सर्वेक्षण। निर्माण की अनुमानित लागत 72 लाख रुपये।

(iv) भुसावल तरना रोड, 272 किलोमीटर लम्बी बड़ी लाइन के लिए इंजीनियरिंग और यातायात सर्वेक्षण।

(v) खड़गांव सांवद, 64 कि० मी० लम्बी मीटर लाइन के लिए 1906 में सर्वेक्षण।

(vi) इन्दौर-दोहद, एक बड़ी/मीटर लाइन बनाने के लिए 1953 में झाबुआ और धार के रास्ते प्रारम्भिक इंजीनियरिंग और यातायात सर्वेक्षण, झाबुआ के रास्ते 175 कि० मी० और जोबत के रास्ते 223 कि० मी०।

उपर्युक्त प्रस्तावों में से किसी का भी वित्तीय दृष्टि से औचित्य नहीं समझा गया।

## संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन

5274. **श्री श्रद्धाकर सुरकार** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत से होने वाले निर्यात के संवर्द्धन के लिये संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन से उपलब्ध सहायता का स्वरूप क्या है ; और

(ख) क्या इस सहायता के फलस्वरूप निर्यात में कोई महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है ?

**वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरैशी)** : (क) सरकार ने संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत निम्नलिखित कार्यों के लिये सहायता मांगी है : —

(1) अंतर्राष्ट्रीय विपणन की विशिष्ट तकनीकों में, जिनमें बिक्री बढ़ाने के उपायों पर बल दिया जाये, 120 विक्रेताओं का प्रशिक्षण ; तथा

(2) भारत में टिटेनियम उत्पाद उदयोग जिसमें स्वदेशी इल्मेनाइट का प्रयोग हो सके, की स्थापना का सर्वोत्तम उपाय और उसकी संभावना का पूर्व-प्रायोजना जांच सर्वेक्षण ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

## काफी का निर्यात

5275. **श्री चेंगलराया नायडू** : क्या वाणिज्य मंत्री 12 मार्च, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3806 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि काफी के निर्यात में वांछित वृद्धि करने के लिये सरकार का और क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

**वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरैशी)** : भारत द्वारा मांगे गये मूल निर्यात कोटे और वस्तुतः आवंटित कोटे के मध्य अन्तर के बराबर मात्रा में काफी का निर्यात बिना कोटे वाले देशों को बढ़ाने में कोई कठिनाई होने की प्रत्याशा नहीं है । परन्तु जब जब अवसर मिलेगा, तभी सरकार अपने मूल कोटे को बढ़ाने के लिये अन्तर्राष्ट्रीय काफी संगठन में आग्रह करती रहेगी ।

## खजूरियाघाट और न्यू जलपाईगुड़ी सेक्शन पर रेलगाड़ी की दुर्घटना

5276. **श्री चेंगलराया नायडू** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 2 मार्च, 1968 को पूर्वोत्तर सीमान्त रेलवे के खजूरियाघाट-न्यू जलपाईगुड़ी सेक्शन पर चतरहाट और रंगपानी स्टेशनों के बीच 11 अप दार्जिलिंग मेल और एक बलास्ट ट्रेन के दो डिब्बों के बीच टक्कर हो गई थी ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण थे ;

(ग) इस दुर्घटना में मरे और घायल हुए व्यक्तियों की संख्या कितनी है ; और

(घ) ऐसी दुर्घटनाएं न होने देने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा): (क) जी हां।

(ख) दुर्घटना के कारण की जांच की जा रही है।

(ग) इस दुर्घटना में कोई व्यक्ति नहीं मरा। लेकिन, 9 व्यक्तियों को मामूली चोटें पहुंचीं।

(घ) सभी रेल दुर्घटनाओं की जांच की जाती है और उस तरह की दुर्घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए आवश्यक उपाय किये जाते हैं। रेल दुर्घटनाओं की जांच से मालूम हुआ है कि दुर्घटनाओं के कारणों में रेल कर्मचारियों की गलती अकेला सबसे बड़ा कारण है। कर्मचारियों में संरक्षा की भावना जाग्रत करने और दुर्घटनाओं को रोकने के लिए एक चतुर्मुखी- शिक्षात्मक, मनोवैज्ञानिक, दण्डात्मक और तकनीकी संरक्षा अभियान चलाया गया है।

**Production of Tyres and Tubes**

5277. **Shri Shiv Charan Lal :**
**Shri Maharaj Singh Bharati :**

Will the Minister of **Industrial Development and Company Affairs** be pleased to state :

(a) the targets fixed for the production of tyre and rubber products for the Third Five Year Plan and the actual production thereof ;

(b) whether it is a fact that the production of rubber products was reduced in view of lower consumption thereof than expected and if so, what was the difficulty in exporting these products by making full production thereof ; and

(c) whether the policy based on consumption only and not exporting them would continue to be followed in future ?

**The Minister of Industrial Development and Company Affairs (Shri F. A. Ahmed):** (a) The Third Five Year Plan targets of production of Automobile tyres and tubes and Bicycle tyres and tubes were as follows :—

Automobile Tyres and Tubes—3·00 million nos. each.

Bicycle Tyres and Tubes—3·00 million nos. each.

The production of automobile and bicycle tyres at the end of the Third Plan period (i.e. during 1965-66) was as follows :—

| | | |
|---|---|---|
| Automobile Tyres | — | 2,533,032 nos. |
| Tubes | — | 2,520,000 ,, |
| Bicycle Tyres | — | 19,178,462 ,, |

No targets have been fixed for other rubber products. The production of principal rubber products (other than tyres and tubes) during the year 1965 in the organised sector is indicated in the statement enclosed.

**Statement**

| Item | Production in 1965 |
|---|---|
| 1. Ebonite sheets, rods | 148 lakh Kgs. |
| 2. Water proof fabrics | 39·3 lakhs metres |
| 3. Latex foam sponge | 11·2 lakh Kgs. |
| 4. Dipped rubber goods | 284 million nos. |

| Item | Production in 1965 |
|---|---|
| 5. Hoses : | |
| (a) Radiator . . . . . | 4·46 lakh nos. |
| (b) Vacuum Brake . . . . | 5·62 lakh nos. |
| (c) Other types . . . . . | 68·1 lakh metres |
| 6. Fan Belts . . . . . | 14·9 lakh nos. |
| 7. Rubber components of railway fittings . | 9·76 lakh nos. |
| 8. Rubber Footwear . . . | 53·07 million pairs |

(b) No, Sir.

(c) Licences under the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 for the establishment of further capacity for the manufacture of automobile bicycle tyres and tubes are presently granted subject to the export of these tyres and tubes to the extent of 10% of the annual capacity.

## सड़क परिवहन का रेलवे की आय पर प्रभाव

5878. **श्री स० चं० सामन्त** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय को इस बात का पता है कि भाड़े की दरें बढ़ जाने के कारण रेलवे की आय में और कमी होने की सम्भावना है;

(ख) यदि हाँ, तो इस प्रकार होने वाली आय की कमी को रेलवे प्रशासन का विचार कैसे पूरा करने का है;

(ग) रेलवे की बजाय सड़क यातायात से माल भेजने के लिये रेलवे प्रयोक्ता अधिकाधिक क्यों उत्सुक हैं; और

(घ) क्या सड़क यातायात का मुकाबला करने का रेलवे का विचार है ?

**रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा)** : (क) 1-4-1968 से भाड़ा दरों में जो एक मात्र वृद्धि करने का प्रस्ताव रखा गया है उसका सम्बन्ध अनुपूरक प्रभार की दर में वृद्धि से है। इसके फलस्वरूप आमदनी में किसी तरह की कमी होने की आशा नहीं है।

(ख) भाग (क) के उत्तर को देखते हुए सवाल नहीं उठता।

(ग) परिचालन-क्षेत्र छोटा होने और किसी निश्चित पथ से सम्बद्ध न होने के कारण, सड़क परिवहन के कुछ लाभ हैं। यह अधिक लचीला होता है। यात्रा में कम समय लेता है और दरवाजे तक माल पहुंचाने की व्यवस्था करता है।

(घ) सड़क परिवहन से स्पर्धा करने के उद्देश्य से रेलें अपनी सेवा में सुधार करने के लिये निरंतर प्रयास कर रही हैं। कुछ पहलुओं पर लगातार ध्यान दिया जा रहा है—जैसे ठीक समय पर मालडिब्बों की सप्लाई और मार्ग में लगने वाला समय। तेज परिवहन गाड़ियों और सुपर एक्सप्रेस मालगाड़ियों द्वारा माल के शीघ्र परिवहन की व्यवस्था की जाती है। मार्ग में माल को नुकासन और और क्षतिग्रस्त होने से बचाने के लिये विभिन्न उपाय किये जाते हैं। जहाँ उचित और व्यावहारिक होता है माल पैक करने की शर्तों को पहले से आसान और कम खर्चीला बनाया जाता है। स्टेशन से स्टेशन तक की दरें घटा दी जाती हैं। ग्राहकों के लिये रेल-और-सड़क परिवहन की मिली-जुली व्यवस्था करने

के उद्देश्य से आउट एजेंसियां और नगर बुकिंग आफिस खोले जाते हैं और घर से घर तक माल पहुंचाने की व्यवस्था की जाती है।

कंटेनर सेवाओं द्वारा घर से घर तक शीघ्र माल पहुंचाने, खर्चीली पैकिंग समाप्त करने और साथ ही मार्ग में नुकसान और उठाईगिरी रोकने की व्यवस्था की गयी है। बम्बई और अहमदाबाद, बम्बई और दिल्ली तथा ग्वालियर और नयी दिल्ली के बीच पहले से ही कंटेनर सेवाएं शुरू की जा चुकी हैं। अन्य मार्गों पर भी इसी तरह की सेवाएं शुरू करने का विचार है।

प्रत्येक क्षेत्रीय रेलवे में एक विपणन और बिक्री संगठन खोला गया है, ताकि उपभोक्ताओं को संतुष्ट करने से सम्बन्धित रेल संचालन के सभी पहलुओं पर काफी ऊंचे स्तर पर निगरानी रखी जाती रहे।

**Lifting of Coal from Dhanbad**

**5279. Shri O. P. Tyagi :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the target fixed by Government for lifting Coal from Dhanbad during 1967; and

(b) the quantities lifted, month-wise ?

**The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha)** : (a) Targets are fixed for coal loading by the Ministry of Railways for different coalfields and Railways, but not for their individual depots or Divisions. Thus no separate target has been fixed for Dhanbad which falls within the Eastern Railway portion of the Bengal/Bihar coalfields.

(b) The Member presumably desires information on the quantity of coal lifted by rail from the Dhanbad Division of the Eastern Railway. The daily average loading in terms of four-wheeler wagons from all collieries situated in this Division is given below :—

| | |
|---|---|
| January '67 | 2345 |
| February '67 | 2343 |
| March '67 | 2346 |
| April '67 | 2361 |
| May '67 | 2228 |
| June '67 | 2216 |
| July '67 | 2205 |
| August '67 | 2340 |
| September '67 | 1754 |
| October '67 | 2155 |
| November '67 | 2249 |
| December '67 | 2322 |

## इंजीनियरिंग इंस्पेक्टरों के वेतनमानों में संशोधन

5282. श्री किकर सिंह :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री प्र० न० सोलंकी :
श्री रामचन्द्र अमीन :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री द० रा० परमार :
श्री ओ० प्र० त्यागी :
श्री श्रीधरण :
श्री कामेश्वर सिंह :
श्री श्रीकांतन नायर :
श्री रामसेवक यादव :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंजीनियरिंग इंस्पेक्टरों के वेतनमानों में संशोधन किये जाने तथा उनकी अन्य शिकायतें दूर की जाने के सम्बन्ध में सरकार को इंडियन रेलवेज इंजीनियरिंग इंस्पेक्टरज एसोसियेशन की ओर से कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

**रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा)** : (क) और (ख). इंजीनियरिंग निरीक्षकों की जिन शिकायतों की ओर सरकार का ध्यान क्षेत्रीय इंजीनियरिंग इस्पेक्टरज एसोसियेशनों जो अमान्यता प्राप्त सेक्शनल संस्थाएं हैं, द्वारा दिलाया गया था, उनकी जाँच की गयी है और प्रत्येक मामले में यथोचित कार्रवाई की गयी है ।

## रेलवे में वाणिज्यक क्लर्कों का स्थानान्तरण

5283. श्री किकर सिंह
श्री प्र० न० सोलंकी :
श्री रामचन्द्र ज० अमीन :
श्री द० रा० परमार :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय रेलों के कुछ डिविजन दो अथवा तीन राज्यों में पड़ते हैं जहाँ शिक्षा का माध्यम एक दूसरे से बहुत भिन्न होता है;

(ख) क्या यह भी सच है कि एक ही रेलवे डिवीजन में वाणिज्यिक क्लर्क एक राज्य से दूसरे राज्य में स्थानान्तरित किये जा सकते हैं और इससे उनके बच्चों की शिक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है क्योंकि रेलवे प्रशासन की ओर से कोई समुचित तथा पर्याप्त प्रबन्ध नहीं किया गया; और

(ग) यदि हाँ, तो इस मामले में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

**रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा)** : (क) जी हाँ ।

(ख) और (ग). वाणिज्य क्लर्क रेल कर्मचारियों की ऐसी कोटि में आते हैं जो एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पर स्थानान्तरित किये जा सकते हैं । स्थानान्तरण जन सेवा के हित में किये जाते हैं और एक भाषा-क्षेत्र से दूसरे भाषा-क्षेत्र में स्थानान्तरण का परिहार सम्भव नहीं है ।

## रेलवे निर्माण विभाग के तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों की वरिष्ठता के नियम

5284. श्री किकर सिंह : श्री ओ० प्र० त्यागी :
श्री प्र० न० सोलंकी : श्री नम्बियार :
श्री द० रा० परमार : श्री श्रीकांतन नायर :
श्री रामचन्द्र ज० अमीन : श्री रामसेवक यादव :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिम रेलवे के निर्माण विभाग के तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों को वरिष्ठता सम्बन्धी नियम रेलवे के अन्य जोनों के नियमों के सर्वथा प्रतिकूल हैं जहाँ कम सेवाकाल वाले कर्मचारी को अधिक सेवाकाल वाले कर्मचारी से वरिष्ठ माना जाता है;

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) से (ग) सूचना मंगायी जा रही है ।

## डीजल-चालित इंजनों का निर्यात

5285. श्री रा० बरुआ : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सरकार ने दक्षिण-पूर्वी एशिया और मध्य-पूर्वी एशिया के देशों को डीजल-चालित इंजनों के निर्यात करने के लिये संभाव्य बाजारों का पता लगाया है;

(ख) क्या डीजल-चालित इंजनों के निर्यात में जापान तथा अन्य देशों से होने वाली प्रतिस्पर्धा का मुकाबला करने के लिये भी प्रयास किये गये हैं; और

(ग) यदि हाँ, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफ़ी कुरैशी) : (क) जी, हाँ। दक्षिण-पूर्वी एशिया तथा मध्य-पूर्व के कतिपय देशों में अर्थात बर्मा, कम्बोडिया, इराक, नाइजीरिया और सिंगापुर में डीजल-चालित इंजनों के लिये बाजार सर्वेक्षण किये गये हैं ।

(ख) प्रश्न के भाग (ग) के उत्तर में निर्दिष्ट निर्यात पर दी जाने वाली सहायता तथा सुविधाओं का उद्देश्य विदेशी बाजारों में प्रतिस्पर्धा करने में उत्पादों की सहायता करना है ।

(ग) विदेशी बाजारों में डीजल-चालित इंजनों को अधिक प्रतियोगी बनाने के लिये निम्नलिखित कदम उठाये गये हैं :—

(1) पंजीकृत निर्यातकों के लिये आयात नीति के अन्तर्गत जहाज तक निःशुल्क मूल्य के 20 प्रतिशत के हिसाब से इंजनों के निर्माण में प्रयुक्त विदेशी कच्चे माल तथा संघटकों के आयात की अनुमति दी जाती है ।

(2) निर्यात उत्पाद में प्रयुक्त स्वदेशी लोहा तथा इस्पात अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों पर दिया जाता है ।

(3) प्रत्येक निर्यातिक के विपणन कार्य पर विपणन विकास निधि से विभिन्न निर्यात सम्वर्द्धन एवं वितरण कार्यकलापों के लिये सहायता देने पर विचार किया जाता है ।

**इंडिया इलेक्ट्रिक वर्क्स, कलकत्ता**

**5286. डा० रानेन सेन :** क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मंत्री 22 दिसम्बर, 1967 के तारांकित प्रश्न संख्या 852 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इंडिया इलेक्ट्रिक वर्क्स, कलकत्ता को सरकार द्वारा अपने अधिकार में ले लिये जाने के बाद उसमें किन-किन उत्पादों का निर्माण किया जा रहा है; और

(ख) उस कारखाने की वर्तमान वित्तीय स्थिति कसी है ?

**औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) :** (क) यह कम्पनी पंखे तथा गाड़ी में रोशनी करने में काम आने वाले स्विच गियर उपकरण बनाती रही है ।

(ख) वित्तीय स्थिति खराब चली आ रही है ।

**New Industries in Vidarbha Region**

**5287. Shri Deo Rao Patil :** Will the Minister of **Industrial Development and Company Affairs** be pleased to state :

(a) the number and nature of new industries set up in Vidarbha region of Maharashtra during the last five years ;

(b) the nature of new industries proposed to be set up in the region in the Public and the Private Sectors in the near future ; and

(c) the proposals submitted by the Government of Maharashtra for the setting up of industries in Vidarbha region ?

**The Minister of Industrial Development and Company Affairs (Shri F.A. Ahmed) :** (a) to (c): The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

**New Industries in Maharashtra**

**5288. Shri Deo Rao Patil :** Will the Minister of **Industrial Development and Company Affairs** be pleased to state :

(a) the number and nature of industries actually set up in Maharashtra during the last five years as against those proposed; and

(b) the nature of new industries proposed to be set up in the State in the Public and Private Sectors in the near future ?

**The Minister of Industrial Development and Company Affairs (Shri F. A. Ahmed) :** (a) and (b) .The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

**Export of Onions and Chillies to Ceylon**

**5289. Shri Deo Rao Patil :** Will the Minister of **Commerce** be pleased to state :

(a) the value of onions and chillies exported from Bombay to Ceylon annually ;

(b) whether the prices of these items have considerably fallen in the country ;

(c) whether onions and chillies producers have called upon Government to lift the restrictions of minimum export prices thereof ; and

(d) if so, the decision taken by Government in this regard ?

**The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri Mohd. Shafi Qureshi) :** (a) Port-wise export statistics are not maintained. However, the value of Onions and Chillies from India to Ceylon during the years 1964-65 to 1967-68 (April-November, '67) is as follows :—

| Year | Onions (Rs. lakhs) | Chillies (Rs. lakhs) |
|---|---|---|
| 1964-65 . . . | 190 | 248 |
| 1965-66 . | 156 | 245 |
| 1966-67 . . | 233 | 267 |
| 1967-68 (April-Nov. '67) . . | 137 | 170 |

(b) Yes, Sir.

(c) Yes, Sir.

(d) The floor (minimum) price fixed for export on these commodities has been removed.

## आन्ध्र प्रदेश में खनन कार्य

5290. **श्री वि० नरसिम्हा राव :** क्या इस्पात, खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आन्ध्र प्रदेश के कुछ क्षेत्र खनन के लिए आरक्षित किये गये थे; और

(ख) यदि हाँ, तो वे क्षेत्र कौन-कौन से हैं और विभिन्न क्षेत्रों में अब तक किस प्रकार के अयस्कों का पता लगाया गया है ?

**इस्पात, खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी):** (क) और (ख) अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायगी।

## चाय बोर्ड, कोचीन के कर्मचारी

5291. **श्री विश्वनाथ मेनन :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चाय बोर्ड के कोचीन कार्यालय में स्वीकृत कर्मचारियों की संख्या कितनी है ;

(ख) क्या उस कार्यालय में अब कोई स्थान रिक्त है, यदि हाँ, तो कितने ;

(ग) क्या यह सच है कि कार्यालय के कर्मचारियों ने 1 मार्च, 1968 को रिक्त स्थान न भरने तथा कार्यालय में कर्मचारियों की स्वीकृत संख्या के बारे में कर्मचारियों की संख्या की सूचना न देने की बोर्ड की कार्यवाही के विरोध में अपने वेतन नहीं लिये थे ;

(घ) यदि हाँ, तो उस कार्यालय में रिक्त स्थान न भरने तथा कार्यालय के कर्मचारियों की स्वीकृत संख्या के बारे में कर्मचारियों की संख्या की सूचना न देने के क्या कारण हैं; और;

(ङ) इस प्रकार की अनावश्यक उत्तेजना के लिये जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

**वाणिज्य मंत्रालय उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरशी )** : (क) से (ङ). जानकारी एकत्र की जा रही है और यथाशीघ्र सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

## सूती धागे का आयात

5292. **श्री जनार्दनन** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नियंत्रित मूल्यों पर सूती धागे का आयात करने के लिये केरल सरकार की ओर से सरकार को प्रार्थना की गई है ; और

(ख) यदि हाँ, तो उस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

**वाणिज्यक मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी )**: (क) ऐसी कोई प्रार्थना हमारे पास नहीं आई है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

## हथकरघा उत्पादों की बिक्री

5293. **श्री जनार्दनन** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत तथा विदेशों में हथकरघा वस्तुओं की मांग बढ़ाने के लिये केरल सरकार तथा कुछ अन्य राज्य सरकारों की ओर से सरकार को कोई ठोस सुझाव मिले हैं ;

(ख) यदि हाँ, तो उनकी मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) उनके बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

**वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी)** : (क) और (ख). जी, नहीं। फिर भी, बंगलौर में 17 फरवरी, 1968 को हुए सम्मेलन में हथकरघा उद्योग की समस्याओं पर सामान्य विचार-विमर्श हुआ जिसमें उपप्रधान मंत्री तथा चारों दक्षिणी राज्यों के मुख्य मंत्री/मंत्री उपस्थित थे। जिन प्रमुख विषयों पर विचार-विमर्श हुआ वे इस सम्बन्ध में थे : (1) हथकरघा वस्त्रों पर रियायत योजना ; (2) धागे पर उत्पादन शुल्क ; (3) बिक्री कर ; (4) ऋण सुविधाएं तथा रिजर्व बैंक की क्रियाविधियों का सरलीकरण ; (5) केरल द्वारा अनुभव की गई अतिरिक्त कताई मिलों की आवश्यकता ; और (6) उद्योग की सामान्य दशा तथा शक्ति-चालित करघों का प्रभाव ।

(ग) उपरोक्त मद सं० (2) का निर्णय बजट के साथ हो चुका है। अन्य बातों पर विचार हो रहा है ।

**Powerlooms in Madhya Pradesh**

**5294. Shri G. C. Dixit :** Will the Minister of **Commerce** be pleased to state :

(a) whether Government propose to reserve some quota of powerlooms for those persons who are engaged in the handloom industry and who have been rendered idle as a result of mechanisation in Madhya Pradesh;

(b) whether Government propose to extend some financial assistance to such persons to enable them to purchase the powerlooms :

(c) if so, the details thereof; and

(d) whether there is any proposal to provide alternative jobs to them ?

**The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri Mohd. Shafi Qureshi):** (a) The Madhya Pradesh Government have been allotted 4,700 powerlooms for installation during the Fourth Five Year Plan. So far that Government have received applications for allotment of 1479 powerlooms. There is still ample scope for handloom weavers to apply for allocation of powerlooms and no reservation is needed.

(b) Financial assistance is available to individuals/co-operatives from State Finance Corporation.

(c) LOANS : (i) Cost of powerlooms including motors and accessories—upto Rs. 3,000/- per powerloom.

(ii) 75% of the value of the share capital.

GRANTS: (i) towards managerial assistance on a tapering basis for 3 years to cover the expenditure on one Manager and one Accountant. The grant will be limited to—

75% in the 1st year;
50% in the 2nd year; and
25% in the 3rd year.

(d) As and when necessary the State Government will consider the question.

**Overcrowding on Central Railway**

**5295. Shri G.C. Dixit :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) Whether any steps have been taken to reduce overcrowding on the Central Railway during the current year; and

(b) if so, the details thereof ?

**The Minister of Railways (Shri C.M. Poonacha) :** (a) Yes.

(b) During the current year 1967-68 the following steps have been taken to reduce overcrowding on the Central Railway :—

(i) Introduction of two pairs of Weeekly A.C. Expresses Nos. 95/96 on Bomay-Howrah and Nos. 97/98 on Bombay-Madras sections from 1-4-67.

(ii) Introduction of Nos. 583Dn/584 Up on Khandwa-Purna section.

(iii) Augmentation of loads by two to four additional coaches on 21/22 Dakshin Expresses, 5/6 Punjab Mails, and 57/58 Pathankot Expresses from 1-1-68 and 1-2-68.

In addition, during summer/winter of 1967, about 200 special trains were also run by the Central Railway to clear extra rush.

**Over-bridges and First and Second Class Waiting Rooms on Central Railways**

**5296. Shri G.C. Dixit :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state the names of the Stations on the Central Railway where Government propose to construct over-bridges and First and Second Class Waiting Rooms during the current year ?

**The Minister of Railways (Shri C.M. Poonacha):** A statement showing the names of the stations on the Central Railway where Government propose to construct overbridges and first and second class waiting rooms during the current year is attached. [*Placed in the Library. See No. LT-611/68*]

**Waiting and Retiring Room at Khirkia Railway Station**

**5297. Shri G. C. Dixit :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Waiting and Retiring rooms at Khirkia Railway station (Madhya Pradesh) are not spacious enough to cater to the needs of that city ;

(b) whether it is also a fact that there is need for I and II Class waiting and retiring rooms at that station ; and

(c) if so, the action proposd to be taken by Government for constructing the said rooms and the time likely to be taken thereon ?

**The Minister of Railways (Shri C.M. Poonacha) :** (a) Waitings shed accommodation provided is adequate. Waiting room and retiring room accommodation are not provided, as these are not justified from the number of passengers patronising the station.

(b) No. The number of upper class passengers is very little---only about two on a daily average.

(c) In view of answers to (a) and (b) above, the question does not arise.

**Khandwa-Ajmer Railway Line**

**5298. Shri G. C. Dixit :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the progress made with regard to the construction of Railwav line between Khandwa and Ajmer during the last 5 years and the expenditure incurred thereon ;

(b) Whether there is a scheme for making further progress in respect of the said railway line and if so, the details thereof; and

(c) the time by which this work is likely to be completed ?

**The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha) :** (a) There is no proposal to construct another line between Khandwa and Ajmer, which are already connected by rail.

(b) and (c). Do not arise.

**एलूरु स्टेशन पर उपरि पुल**

**5299. श्री को० सूर्यनारायण :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नार्दर्न ट्रंक रोड (मद्रास से कलकत्ता) पर एलूरु स्टेशन पर रेलवे फाटक पर उपरि पुल

के निर्माण में अब तक कितनी प्रगति हुई :

(ख) क्या यह सच है कि रेलवे फाटक पर छोटे से भाग का निर्माण अभी आरम्भ नहीं हुआ है यद्यपि शेष सारा भाग पूरा हो चुका है; और

(ग) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं ?

**रेलवे मंत्री (श्री च० मु० पुनाचा) :** (क) पुल-संरचना का जितना हिस्सा रेलवे को बनाना ह, उतने हिस्स क नक्शे और अनुमान को, जिन्हें शुरू में राज्य सरकार के परामर्श से अन्तिम रूप बिया गया था, हाल में, सड़क पुल के अभिकल्प में परिवर्तन के कारण संशोधित करना पड़ा। एलूरु के पास कि० 485/9-10 पर समपार के बदले जिस स्थान पर प्रस्तावित सड़क-पुल बनाना है, वहां की जमीन की मिट्टी की हालत को देखदे हुए सड़क-पुल के अभिकल्प में भारी परिवर्तन करना अपेक्षित था ।

(ख) जी नहीं। वास्तव में राज्य सरकार ने पुल तक पहुंच मार्गों के निर्माण में काफी प्रगति की है ।

(ग) विलम्ब का एक कारण तो यह है कि राज्य सरकार ने अन्तिम अनुमान को शीघ्र स्वीकार नही किया और दूसरा कारण यह है कि जिस जगह ऊपरी सड़क-पुल बनाना है, वहाँ की जमीन की मिट्टी की हालत ऐसी है कि सड़क-पुल के अभिकल्प में संशोधन करना पड़ा। फिर भी रेलवे, पुल-संरचना के निर्माण के लिए टेण्डरों को अन्तिम रूप देने की व्यवस्था फिर से कर रही है। आशा है, इस काम को 2/3 कहीनों के भीतर शुरू कर दिया जायगा और उसके बाद लगभग 12 महीनों के भीतर इसे पूरा कर दिया जायेगा ।

**सरुगांवरुक्षम स्टेशन पर टिकट अभिकर्ता**

5300. **श्री को० सूर्यनारायण :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को दक्षिण-मध्य रेलवे में भीमवाय (नारोगपुर) लाइन पर सरुंगावरुक्षम रेलवे स्टेशन पर प्राधिकृत टिकट अभिकर्ता के विरुद्ध शिकायतें प्राप्त हुई हैं ;

(ख) यदि हाँ तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ग) क्या सरकार को स्थानीय लोगों और एक विधायक से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है जिसमें अधिकारियों से उपरोक्त हाल्ट स्टेशन को विभाग द्वारा नियमित रूप से चलाये जाने वाले तथा पूरे उपकरण वाले स्टेशन में परिवर्तित करने की प्रार्थना की गई है ?

**रेलवे मंत्री (श्री च० मु० पुनाचा) :** (क) जी हाँ ।

(ख) मामले की जाँच पड़ताल की जा रही है ।

(ग) स्थानीय जनता और विधान सभा के एक विधायक की ओर से श्रृंगवृक्षम हाल्ट को फ्लैग स्टेशन में बदलने के बारे में अभ्यावेदन मिला है और इस पर विचार हो रहा है।

**Hindi Training Scheme**

5301. **Shri Ram Charan :** Will the Minister of **Steel, Mines and Metals** pleased to state :

(a) the number of officers and employees in his Ministry and its Attached and Subordinate offices who have so far passed the Praveen, Prabodh and the Pragya examinations under the 'Hindi Training Scheme' sponsored by the Ministry of Home Affairs ;

(b) their percentage to the total number of employees ;

(c) the number of persons out of them who have started doing work in Hindi ; and

(d) the time by whieh the rest of th:m are likely to start doing noting and drafting in Hindi ?

**The Minister of Steel Mines and Metals (Dr. Channa Reddy) :** (a) to (d). The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

### राज्य व्यापार निगम के अधिकारी

**5302. श्री राम चरण :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्य व्यापार निगम में प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी के कितने-कितने अधिकारी हैं; और

(ख) उनमें से प्रत्येक में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के कितने-कितने कर्मचारी हैं ?

**वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह ) :**

| | | |
|---|---|---|
| (क) | प्रथम श्रेणी | 144 |
| | द्वितीय श्रेणी | 49 |
| | तृतीय श्रेणी | 1033 |
| (ख) | प्रथम श्रेणी | नगण्य |
| | द्वितीय श्रेणी | नगण्य |
| | तृतीय श्रेणी | 12 (अनूसूचित जाति) |

### वाणिज्य मंत्रालय के अन्तर्गत स्वायत्तशासी निकाय तथा सरकारी उपक्रम

**5303. श्री राम चरण :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय के अधीन विभिन्न स्वायतशासी निकायों। सरकारी उपक्रमों में अब तक विभिन्न श्रेणियों के कितने अधिकारियों को भर्ती किया गया है ;

(ख) उनकी भर्ती का तरीका क्या है ; और

(ग) विभिन्न श्रेणियों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के कुल कितने अधिकारी अब तक भर्ती किये गये हैं।

**वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी ) :** (क) से (ग). जानकारी एकत्र की जा रही है और सभापटल पर रख दी जायेगी।

### अंतर्राष्ट्रीय मेले और प्रदर्शनियां

**5304. श्री राम चरण :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पिछले तीन वर्षों में भारत ने विदेशों में कितने मेलों और प्रदर्शनियों में भाग लिया ?

**वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरैशी)** : भारत ने 1965-67 के दौरान विदेशों में 42 मेलों प्रदर्शनियों में भाग लिया । 29 मेलों/प्रदर्शनियों में भाग लेने की व्यवस्था इसी मंत्रालय द्वारा की गई जबकि शेष 13 मेलों/प्रदर्शनियों के लिये व्यापार मेलों तथा प्रदर्शनियों की भारतीय परिषद्, बम्बई ने व्यवस्था की थी । इन मेलों/प्रदर्शनियों की एक सूची (अंग्रेजी में) संलग्न है । **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल0 टी0 612/68]**

इस के अतिरिक्त विभिन्न निर्यात संवर्धन परिषदों वस्तु बोर्डों तथा संबद्ध निगमों आदि ने विदेशों में कुछ विशेषीकृत वस्तु मेलों प्रदर्शनियों में स्वतंत्र रूप से भी भाग लिया । परन्तु इस प्रकार से भाग लेना सीमित पैमाने पर ही था ।

**मैसर्स धर्मसिंह रामसिंह (मोटर्ज) प्राइवेट लिमिटेड लखनऊ**

**5305. श्री राम चरण : क्या औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि मैसर्ज धर्मसिंह रामसिंह (मोटर्ज) प्राइवेट लिमिटेड, लखनऊ ने, जिसका रजिस्टर्ड दफ्तर नई दिल्ली में है, सामान्य जनता से सावधिक निक्षेप के रूप में भारी राशि प्राप्त की और अब उसे वापिस नहीं कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो जमा कराने वालों के हितों की रक्षा करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ;

(ग) कम्पनी को कितनी राशि देनी बकाया है तथा लखनऊ और दिल्ली में अलग अलग जमा कराने वालों की संख्या कितनी है ;

(घ) कम्पनी के पास इस समय कितनी आस्तियां हैं तथा वह इस समय क्या व्यवसाय कर रही है ;

(ङ) क्या सरकार को पता है कि इस कम्पनी ने वर्ष 1960–61 के बाद से नई दिल्ली में कम्पनियों के रजिस्ट्रार के पास अब तक कोई सन्तुलन-पत्र नहीं भेजा है ; और यदि हां, तो इस चूक के लिये उसके विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई है ; और

(च) क्या सरकार को पता है कि मार्च, 1967 में लखनऊ के बहुत से जमाकर्ताओं ने दिल्ली स्थित निरीक्षण तथा जांच निदेशक के साथ इस सम्बन्ध में लिखा पढ़ी की थी परन्तु उसका अभी तक कोई परिणाम नहीं निकला है ; और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

**औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद)** : (क) से (घ) कम्पनी विधि बोर्ड के लखनऊ के 38 पक्षों से 2,45,600 रुपयों की राशि की जमा को वसूल न होने के बारे में निरीक्षण एवं जांच निदेशक के नाम से शिकायतें प्राप्त हुई हैं । कम्पनी के पास जमा की कुल बकाया राशि का ब्योरा, तथा लखनऊ व दिल्ली में, जमाकर्ताओं की संख्या, कम्पनी विधि बोर्ड के पास प्राप्य नहीं है; और न ही इन ब्योरों से सम्बन्धित लेखे की सम्पूर्ण किताबें भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निरीक्षण के लिये प्राप्य थीं । कम्पनी के लेखे की किताबें मार्च, 1961 के पश्चात नवीनतम एवं संतुलित नहीं बनाई गई थी ।

(ख) और (च) कम्पनी विधि बोर्ड द्वारा प्राप्त की गई शिकायतें प्राथमिक रूप से उन मामलों से सम्बन्धित हैं जो संविदात्मक प्रकृति के होते हैं, तथा प्रभावित पक्षों के लिये इसका सामान्य उपचार

दीवानी कार्यवाही करना है । फिर भी शिकायतें प्राप्त होने पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा कम्पनी के लेखे की किताबों का निरीक्षण हाथ में ले लिया गया, परन्तु वह पूर्ण न हो सका क्योंकि कम्पनी ने अपनी लेख की किताबें नवीनतम नहीं बनाई थी ।ए क जमाकर्ता की शिकायत पर दिल्ली पुलिस ने एक मामला पंजीकृत किया व इस समूह की कम्पनियों के प्रशासनिक कार्यालय पर छापा मारा एवं कुछ अभिलेखों व प्रलेखों को अभिग्रहण कर लिया । कम्पनी विधि बोर्ड में तैयार की गई एक रिपोर्ट दिल्ली पुलिस को भेजी गई थी, जिसकी सूचना, 'अनुसंधान एवं अभिग्रहण' के विरुद्ध कम्पनी द्वारा की गई लिखित याचिका के सम्बन्ध में उच्च न्यायालय को भी दी गई थी । उच्च न्यायालय ने याचिका खारिज़ कर दी है । दिल्ली पुलिस द्वारा जांच-पड़ताल की जा रही है ।

(ङ) कम्पनी रजिस्ट्रार दिल्ली ने कम्पनी तथा इसके अधिकारियों पर 31 मार्च को समाप्त 1962, 1963, 1964, 1965 तथा 1966 के वर्षों के वार्षिक लेखे प्रस्तुत न करने को चूकों के लिये मुकदमे दायर किये हैं ; तथा इन मुकदमों का परिणाम जुर्माना आरोपण हुआ । रजिस्ट्रार ने कम्पनी अधिनियम की धारा 614 ए (2) के अन्तर्गत लेखा-परीक्षित लेखा प्रस्तुत करने को वाध्य करने के लिये न्यायालय में उप्रस्ताव रखा है, तथा न्यायालय ने जुर्माने किये हैं ।

31 मार्च, 1967 को वर्ष समाप्ति की चूक के बारे में कार्यवाही की जा रही है ।

### जम्मू और काश्मीर में खनिज भण्डार

5306. **श्री अहमद आगा** : क्या इस्पात, खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय भूतत्वीय सर्वेक्षण ने जम्मू और काश्मीर राज्य में किन किन खनिजों और भण्डारों का पता लगाया है और वे खनिज किन-किन स्थानों पर पाये गये हें ; और

(ख) वाणिज्यिक प्रयोग के लिये प्रत्येक खनिज के कितनी-कितनी मात्रा में उपलब्ध होने की सम्भावना है ?

**इस्पात, खान तथा धातु मंत्री (डा० चन्ना रेड्डी)** : (क) और (ख). उत्तर-पश्चिम भारत का केवल मात्र महत्वपूर्ण कोयला क्षेत्र जम्मू में है । कश्मीर घाटी में काफी मात्रा में लिगनाइट निक्षेप मिलते हें । सब श्रेणियों के चूने के पत्थर, जो सीमेंट बनाने के लिये अंशतः उपयोगी हैं, राज्य के विभिन्न भागों में मिलते हें । नीलम और अन्य मणियों के स्वदेश के रूप में भी यह राज्य प्रसिद्ध है । विभिन्न खनिजों की उपलभ्य राशियों और उनके स्थलों का विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । [पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 613/68] ।

### खंडवा से बम्बई तक एक्सप्रैस रेलगाड़ी

5307. **श्री सैयद अली** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य रेलवे पर खंडवा से बम्बई तक एक एक्सप्रेस यात्री गाड़ी चलाने का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो कब ;

(ग) क्या पश्चिम रेलवे की जलगांव-अमलनेर लाइन पर धरनगांव और टाकरखेडे रेलवे स्टेशनों पर के बीच "भोनेबड़" रेलवे स्टेशन बनाने का भी कोई प्रस्ताव है ; और

(घ) यदि हां, तो उसका निर्माण कार्य कब आरम्भ किया जायेगा ?

**रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा )** : (क) जी नहीं ।

(ख) सवाल नहीं उठता ।

(ग) और (घ). धरनगांव और टाकरखेडे स्टेशनों के बीच भोने में गाड़ी हाल्ट खोलने का प्रस्ताव विचाराधीन है ।

**भाग दारा स्टेशन पर पार्सल और टिकट घर**

5308. **श्री सैयद अली** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि मध्य रेलवे की पायोरा जामनेर रेलवे लाइन पर भागदारा रेलवे फ्लैग स्टेशन पर कब तक पार्सल और टिकट घर स्थापित हो जाने की संभावना है ?

**रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा )** : भागदारा हाल्ट स्टेशन पर फिलहाल कोई कर्मचारी तैनात नहीं है । वहां गाड़ियों के गार्ड यात्रियों को टिकट देते हैं । इस काम को एक ठेकेदार को सौंपने का विचार है और उपयुक्त ठेकेदार की नियुक्ति के लिए कार्रवाई हो रही है । ठेकेदार की नियुक्ति होते ही भागदारा स्टेशन पर यात्रियों के लिए टिकट घर चालू हो जायेगा ।

2. ठेकेदार-चालित हाल्ट स्टेशन पर पार्सल की बुकिंग व्यावहारिक नहीं है । अतः भागदारा हाल्ट स्टेशन पर पार्सल की बुकिंग के लिए कोई कार्यालय नहीं खोला जा रहा है ।

**मध्य रेलवे पर जलगांव से बरगांव तक शटल रेलगाड़ी**

5309. **श्री सैयद अली** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य रेलवे पर जलगांव से बरनगांव तक एक शटल गाड़ी चलाने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो कब ?

**रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा )** : (क) जी नहीं ।

(ख) सवाल नहीं उठता ।

**पठानकोट और हावड़ा एक्सप्रेस रेलगाड़ियों के साथ जलगांव से बम्बई तक डिब्बों का लगाया जाना**

5310. **श्री सैयद अली** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जलगांव स्टेशन पर पठानकोट और हावड़ा एक्सप्रेस रेलगाड़ियों में स्थान न होने के कारण यात्रियों को बड़ी असुविधा होती है और कभी कभी वे यात्रा भी नहीं कर पाते हैं ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इन में से प्रत्येक रेलगाड़ी के साथ बम्बई जाते समय तथा वापिसी पर जलगांव से एक एक बोगी जोड़ने का है ?

**रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा)** : (क) नवम्बर, 1967 में की गयी गणना के अनुसार इन गाड़ियों में कुछ भीड़-भाड़ देखी गयी है ।

(ख) जी नहीं, किन्तु 1-2-68 से 57 डाउन/58 अप बम्बई-पठानकोट एक्सप्रेस गाड़ियों में 2 और डिब्बे जोड़ कर इस खण्ड पर अतिरिक्त स्थान की व्यवस्था की गयी है ।

**Export of Fish**

**5311. Shri Hukam Chand Kachwai:** Will the Minister of **Commerce** be pleased to state:

(a) the quantity of Indian fish and fish products exported during the years 1965-66 and 1966-67;

(b) the names of countries to which exported; and

(c) the amount of foreign exchange earned thereby and the estimated quantity of fish products to be exported during 1968-69?

**The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri Mohd. Shafi Qureshi):** (a) The quantity of fish and fish products exported is as follows:—

| Year | Quantity in Lakh Kgs. |
|---|---|
| 1965-66 | 145 |
| 1966-67 | 202 |

(b) Major countries of export are U.S.A., U.K., France Belgium, Australia, Ceylon and Japan.

(c) The amount of foreign exchange earned is as follows:—

| Year | Value in Rs. crores |
|---|---|
| 1965-66 | 6·59 |
| 1966-67 | 16·39 |

No quantitative export target bas been fixed for 1968-69 but it is expected that export of marine products would be for about Rs. 27 crores during 1968-69.

**Issue of 1st class Tickets at Lucknow Railway Station on 10th February, 1968**

**5312. Shri Hukam Chand Kachwai:** Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) the number and destination of First Class tickets which were issued at Lucknow Railway Station on the 10th February, 1968;

(b) the names of persons in whose favour reservation was made together with the numbers and the destination; and

(c) the number of tickets in cluding reservation tickets issued for non-officials and officials on P.T.Os. and R.T.Os. respectively out of the above?

**The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha):** (a) & (b). A statement giving the information is attached. [*Placed in Library See No. LT-614/68*]

(c) Of 228 tickets issued at Lucknow BG, 9 were issued against Military Warrants. At Lucknow MG, out of 50 tickets issued, 10 were issued against Military Warrants. No ticket was issued in exchange for a P.T.O.

**Dead body in Train at Prayag**

**5313. Shri Hukam Chand Kachwai:** Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that dismembered arms and legs were recovered in a sack from a passenger train compartment at Prayag Jn. in the first week of January, 1968;

(b) if so, whether the Station at which the sack had been loaded in the train has been traced; and

(c) the action which Government propose to take to check such incidents?

**The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha):** (a) and (b). According to State Government Railway Police, a sack containing dismembered arms and legs were recovered from a third class compartment of Train No. 376 Down on 11-1-68 on arrival at Allahabad Station. The sack was reported to have been loaded in an empty compatment of a U.P. bound train at Delhi Main Station and was connected with a murder case under Sections 302/376/34 IPC of Police Station, Jama Masjid, Delhi. The case is under investigation.

(c) Maintenance of law and order within railway premises and in railway trains is the responsibility of State Government and State Government Railway Police and such incidents are immediately reported to them for necessary action.

**Travelling Allowance to Employees of Mechanical Department in Varanasi District**

**5314. Shri Hukam Chand Kachwai:** Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) Whether it is a fact that the employees of the Mechanical department of Varanasi District/North Eastern Railway are not paid their Travelling Allowance even after six months;

(b) if so, the reasons therefor;

(c) the number of employees affected thereby; and

(d) Whether the payment of Travelling Allowance has not been made?

**The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha):** (a) No.

(b) to (d). Do not arise.

**Derailment of Express Train between Sholapur and Bombay**

**5315. Shri Hukam Chand Kachwai:** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the eengine and a few bogies of an Express train running between Sholapur and Bombay derailed during he last week of February, 1968;

(b) if so, the number of casualties as a result thereof;

(c) whether the causes of the accident have been looked into; and

(d) if so, the details thereof?

**The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha):** (a) No such accident took place between Sholapur and Bombay stations during the period mentioned. Presumably the reference is to the derailment of train No. 12 Up Madras-Bombay Express at Martur station situated between Sholapur and Wadi stations on the South Central Railway in which the train engine and a bogie next to it derailed on 29-2-1968 on the sand hump.

(b) In this accident two persons sustained only minor injuries.

(c) and (d), The case of the accident is under investigation.

**Overtime Allowance to Supervisory Staff in Accident Relief Trains**

**5316. Shri Ramavatar Shastri :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether the supervisory staff working in the Accident Relief Trains of the Railways are paid overtime allowance ; and

(b) if so, the reasons for not paying overtime allowance to the supervisory staff working in the Accident Relief trains of the Western Railway ?

**The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha):** (a) and (b). Information is being collected and will be laid on the table of the Sabha.

**Doctors working on Indian Railways**

**5317. Shri Shashibhushan Bajpai :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the reasons for lower pay-scales of Doctors working on the Indian Railways *viz-a-viz* those working in other Government Departments ; and

(b) whether Government propose to lay down uniform pay-scales and facilities for all Doctors under the Central Government ?

**The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha) :** (a) Pay scales of Railway Doctors are not similar to those allowed to Doctors in the Central Health Service as conditions and working of the Railways are different from those obtaining in other Government Departments.

(b) The case of Railway Doctors is under consideration.

**Pay-Scales of Railway Doctors**

**5318. Shri Shashibhushan Bajpai :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether Government propose to revise the pay-scales of the Railway Doctors ;

(b) when their pay-scales were revised last;

(c) the pay-scale of the Gazetted Assistant Surgeons and the extent to which it is proposed to be revised ;

(d) the extent to which Government propose to raise the pay scales of Assistant Medical Officers Class II and Divisional Medical Officers Class I ; and

(e) whether the Railway Doctors are allowed private practice ?

**The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha) :** (a) and (d). The matter is under consideration.

(b) The pay-scales were last revised in December, 1965 and were given effect to from 1-1-1966.

(c) There is no such category as Gazetted Assistant Surgeons on the Railways.

(e) Restricted private practice is allowed to Railway Doctors.

**Joining of Railway Lines by Welding**

**5319. Shri Shashibhushan Bajpai :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the places where the method of joining the railway lines by welding has been adopted ; and

(b) the names of the companies to whom contracts have been given by Government for this work ?

**The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha)** : (a) As a matter pf policy all trunk routes and main lines on Indian Railways are to be given priority for welding of rails.

(b) Besides "Electric flash butt" welding which is done departmentally, the following three firms are in the field for "allumino thermic" welding of rails :

(i) M/s. India Thermit Corporation, Kanpur.

(ii) M/s. Asiatic Engineering Co., Jullundur Cantt.

(iii) M/s. Asiatic Thermics Pvt. Ltd., Vijaywada.

**Import Licences to Birlas**

**5320. Shri Shashi bhushan Bajpai** : Will the Minister of Commerce be pleased to state :

(a) whether any licences were granted to M/s. Birla Brothers for importing Nylone Raw Material, Stainless Steel and other machines and machine tools required for development of their industries during the last year ; and

(b) if so, the details thereof ?

**The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri Mohd. Shafi Qureshi)** : (a) and (b). Birla Brothers is a vast complex of managing agencies and it is difficult to furnish the required information unless the names of the firms are indicated. Details of import licences issued by the Import and Export Trade Control Organisation are published in the "Weekly" Bulletin of Industrial Licences, Import Licences and Export Licences", copies of the same are available with the Parliament Library.

**गैर-परम्परागत वस्तुओं का निर्यात**

**5321. श्री नीतिराज सिंह चौधरी** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 1958–59 से 1965–66 तक की अवधि में गैर-परम्परागत वस्तुओं के निर्यात में 200 प्रतिशत की वृद्धि हुई है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि इस निर्यात में से दो-तिहाई से अधिक निर्यात रूस तथा पूर्वी यूरोप के अन्य समाजवादी देशों को किया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो अन्य देशों को निर्यात बढ़ाने में क्या कठिनाइयां हैं और उनको दूर करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

**वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी)** : (क) जी, हां ।

(ख) जी नहीं । इस प्रकार के निर्यातों में सोवियत रूस तथा अन्य पूर्व यूरोपीय देशों का भाग 1958 में लगभग 5 प्रतिशत था जो 1965–66 में बढ़ कर 9 प्रतिशत हो गया ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

**बजाज आटो लिमिटेड और मुकन्द आयरन एण्ड स्टील वर्क्स**

**5322. श्री मधु लिमये** : क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बजाज आटो लिमिटेड और मुकन्द आयरन एण्ड स्टील वर्क्स द्वारा वर्धा और यवतमाल जिला कांग्रेस कमेटियों को दिये गये 70,000 रुपये के दान और नियमित रसीदों की बजाय

कम्पनी के बीजकों पर ली गई रसीदों के संदिग्ध स्वरूप की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित किया गया है ;

(ख) क्या सरकार ने इन आरोपों और इन चन्दों के औचित्य के बारे में जांच की है ; और

(ग) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला है और अंशधारियों के हितों की रक्षा करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

**औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद)** : (क) से (ग). सदन के पटल पर एक विवरण-पत्र प्रस्तुत है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 615/68**]

### Miraj-Latur Railway Line

**5324. Shri Madhu Limaye** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) whether Government have received any memorandum regarding the conversion of Miraj-Latur Narrow Gauge line into Metre Gauge on the South Central Railway by sing the rails removed as a result of converting Poona-Miraj line into Broad Gauge; and

(b) if so, the reaction of Government thereto?

**The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha)** : (a) Yes.

(b) Conversion of this narrow gauge section to broad gauge is not just ified.

### कच्छ लवण निर्माता संस्था से अभ्यावदन

**5325. श्री मधु लिमये** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को कच्छ लवण निर्माता संस्था से गांधी धाम, भीमासर और चिराय आदि लदान स्टेशनों पर लवण व्यापारियों और एजेन्टों के स्थान पर छोटे लवण निर्माताओं के इन्डेंटों को प्राथमिकता दिये जाने के बारे में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ; और

(ख) यदि हां, तो उनकी शिकायतों को दूर करने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

**रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा)** : (क) जी हां।

(ख) सार्वजनिक वाहक के रूप में, रेलें मालडिब्बों की मांग स्वीकार करने अथवा मालडिब्बों के आवंटन के मामले में छोटे नमक निर्माताओं और नमक व्यापारियों या एजेन्टों के बीच कोई भेदभाव नहीं बरत सकती। मालडिब्बों का आवंटन मुख्यत: रजिस्ट्रेशन की तारीख़ और उस अग्रता-श्रेणी के आधार पर किया जाता है, जिसका वह यातायात हक़दार हो। नमक कमिश्नर द्वारा निर्धारित तथा रेलवे बोर्ड द्वारा अनुमोदित नमक अग्रता-श्रेणी "सी", उद्योगों के लिए कच्चे माल के रूप में अग्रता श्रेणी "डी" और अन्य नमक अग्रता-श्रेणी "ई" के अन्तर्गत ढोया जाता है। इनका सापेक्षिक अग्रता-क्रम वर्णक्रमानुसार होता है ।

दिसम्बर, 1967 से मार्च, 1968 (10 मार्च) तक, गांधी धाम खंड पर नमक के 3455 मालडिब्बे लादे गये जबकि गत वर्ष की इसी अवधि में 1957 मालडिब्बे लादे गये थे ।

## इंजीनियरी उद्योग

5326. **श्री शिवचन्द्र झा :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने इंजीनियरी उद्योगों के लिये "वालरथ योजना" जैसी कोई योजना बनाई है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

**वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरैशी ) :** (क) और (ख). 14 दिसम्बर, 1967 को नई दिल्ली में भारत और जर्मनी के संघीय गणराज्य की सरकारों के मध्य एक करार पर हस्ताक्षर हुए जिसमें जर्मनी सहित पश्चिमी यूरोप के देशों को भारतीय इंजीनियरी माल का निर्यात बढ़ाने में उस देश से तकनीकी सहायता की व्यवस्था है। यह योजना इसके प्रवर्तक के नाम पर सामान्यत: "वालरथ योजना" कहलाती है। करार की एक प्रति जिसमें योजना के ब्यौरे दिये गये हैं, पहले ही संसद् पुस्तकालय में रखी जा चुकी है।

## मदुरै जाने वाली रामेश्वरम् सवारी गाड़ी का रोका जाना

5327. **श्री किरुतिनन :** क्या रेलवें मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि फरवरी, 1968 में मदुरै के निकट सिलेमान स्टेशन पर छात्रों ने मदुरै जाने वाली रामेश्वरम सवारी गाड़ी को रोक लिया था ;

(ख) यदि हां, तो उनकी शिकायतें क्या थीं ; और

(ग) उनकी शिकायतें दूर करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

**रेलवे मंत्री (श्री चं० मु० पुनाचा) :** (क) जी हां।

(ख) गाड़ी में आम तौर पर 7 बोगियां लगायी जाती थीं। इनकी जगह 5 बोगियां लगाने का छात्रों ने विरोध किया था।

(ग) फरवरी, 1968 में कुम्भकोणम् में महामक्कम त्योहार के अवसर पर मेला यातायात की मांगों को पूरा करने के लिये इस गाड़ी में लगने वाले डिब्बों की संख्या घटानी पड़ी थी। गाड़ी में 7 बोगियां लगाने की सामान्य व्यवस्था पुन: की जा चुकी है।

## बिहार में रामगढ़ के राजा के नियंत्रणाधीन खानें

5328. **श्री शिवचन्द्र झा :** क्या इस्पात, खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार में रामगढ़ के भूतपूर्व राजा के नियन्त्रणाधीन कितनी खानें हैं ;

(ख) क्या सरकार का विचार उन खानों का राष्ट्रीयकरण करने का है; और

(ग) यदि हां, तो कब ?

**इस्पात, खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी ) :** (क) से (ग). सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

**समस्तीपुर-जयनगर रेलवे लाइन**

5329. **श्री शिवचन्द्र झा :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने समस्तीपुर से जयनगर तक बड़ी लाइन का विस्तार करने और निर्मली से सुपाल तक रेलवे लाइनों को पुनः खोलने का विचार बिल्कुल छोड़ दिया है; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

**रेलवे मंत्री (श्री चं० मु० पुनाचा) :** (क) जी नहीं ।

(ख) सवाल नहीं उठता ।

**सिगनल और दूर-संचार शाखा में छुट्टी रिजर्व कर्मचारी**

5330. **श्री क० कृ० नायर :** क्या रेलव मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रेलों की सिगनल और दूर-संचार शाखा में विभिन्न श्रेणियों में छुट्टी रिजर्व और विश्राम-रिजर्व कर्मचारी अपेक्षित संख्या में नहीं रखे जाते; और

(ख) क्या इन श्रेणियों के कर्मचारियों को प्रायः समय पर छुट्टी और विश्राम नहीं मिलता है ?

**रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) :** (क) जी नहीं ।

(ख) जी नहीं; सिवाय प्रशासनिक कारणों से और विवाह के मौसम तथा महत्वपूर्ण त्यौहारों आदि अवसरों पर, जबकि एक साथ सभी कर्मचारीयों को छुट्टी विश्राम देना व्यवहारिक न हो ।

**सिगनल और दूर-संचार कर्मचारियों के संवर्ग**

5331. **श्री क० कृ० नायर :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय रेलों के विभिन्न जोनों के बहुत से डिवीजनों में सिगनल और दूर-संचार कर्मचारियों के विभिन्न संवर्गों के लिने अपने पद नाम बना रखे हैं ; जिसके परिणामस्वरूप दो क्षत्रों में समान कार्य करने वाले दो कर्मचारियों को विभिन्न क्षेत्रों में निम्न-भिन्न पदनामों से जाना जाता है;

(ख) क्या पद-नामों की ऐसी विषमता से संबंधित वेतनों और अन्य परिलब्धियों के बारे में अधिकारियों में भ्रांति पैदा हो जाने की संभावना है; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इन पदनामों की विषमता को दूर करके इनका मानकीकरण करने का है और यदि हां, तो कब ?

**रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा ) :** (क) से (ग). सूचना मंगायी जा रही है और यथासमय सभा-पटल पर रखी दी जायेगी ।

## सिगनल तथा दूर संचार कर्मचारी

5332. **श्री क० कृ० नायर :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रेलों की सेवाओं के सिगनल तथा दूर-संचार कर्मचारियों को उन क्षेत्रों के आस-पास, जहां उन्हें काम करना पड़ता है, रेलवे क्वार्टर नहीं दिये जाते;

(ख) क्या रेलवे दूरस्थ स्थानों में रहने वाले इन कर्मचारयों से यह अपेक्षा करती है कि वे अपने निवास स्थानों से बहुत दूर खराबी वाले स्थानों पर पुरन्त हाजिर हो सकें; और

(ग) क्या सरकार का विचार ऐसे कर्मचारियों के लिये उत्तर रेलवे में तुगलकाबाद, शकूर-बस्ती, जीनद, नरेला, गनौर, शाहबाद और शाहिबाबाद में या इनके आस पास मकानों की व्यवस्था करने का है ?

**रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा):** (क) सिगनल और दूर-संचार विभाग के जिन कर्मचारियों को, सिगनल और दूर-संचार उपस्करों के खराब होने और ठीक तरह से काम न करने पर, उनकी देख-भाल, अल्प सूचना मिलने पर, करनी पड़ती है, उन्हें मकान आवंटित करने के प्रयोजन के लिए 'अनिवार्य' कर्मचारियों की कोटि में रखा गया है। स्टेशन अथवा क्षेत्र के अन्य विभागों के 'अनिवार्य' कर्मचारियों के साथ-साथ उन्हें, मकानों के लिए दी गई उनकी अर्जी के रजिस्ट्रेशन की तारीख के अनुसार, मकान दिये जाते हैं, बशर्ते मकान उपलब्ध हों और उनकी पारी आ गयी हो। उपलब्ध होने पर 'अनिवार्य' कर्मचारियों को उनके काम के स्थान के आस-पास ही मकान दिये जाते हैं।

(ख) सामान्यतया नहीं।

(ग) जी हां, सिगनल और दूर-संचार तथा अन्य विभागों के अनिवार्य कर्मचारियों के रहने के लिए इन स्टेशनों पर अतिरिक्त मकान बनाने का विचार है, जो इस प्रयोजन के लिए उपलब्ध राशि के भीतर एक निर्धारित कार्यक्रम के आधार पर बनाये जायेंगे।

## भारतीय रेलवे के सिगनल और दूर संचार विभाग के कर्मचारियों के कार्य भार का वितरण

5333. **श्री क० कृ० नायर :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारतीय रेलवे के सिगनल और दूर-संचार विभाग के कर्मचारियों के कार्यभार का समान वितरण सुनिश्चित करने के लिये अब तक कोई तरीका निकाला है अथवा आवश्यक सांख्यकी कार्य विश्लेषण करने का प्रयास किया है ; और

(ख) यदि नहीं, तो कब तक ऐसी वितरण व्यवस्था के आरम्भ किये जाने की सम्भावना है ?

**रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा ) :** (क) जी हां, सिगनल और दूर-संचार विभाग के कुछ कोटियों के कर्मचारियों का कार्यभार सुनिश्चित करने के लिए समय और गति अध्ययन किये गये है और इस सम्बन्ध में तैयार की गयी रिपोर्ट पर विचार किया जा रहा है।

(ख) सवाल नहीं उठता।

**Paper Factory in U.P.**

**5334. Shri Molahu Prasad :** Will the Minister of **Industrial Development and Company Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Government have dropped the idea of setting up a paper factory in Uttar Pradesh ;

(b) if so, whether Government have conducted or propose to conduct a survey for producing raw material in Hastinapur District Meerut ; and

(c) if so, the results thereof ?

**The Minister of Industrial Development and Company Affairs (Shri F. A. Ahmed) :** (a) The proposal to set up a paper plant in U.P. has been deferred for the present due to decline in the availability of bagasse by the Sugar Mills in U.P./Bihar area.

(b) and (c) No, Sir.

**Advertisements of Posts by Railways**

**5335. Shri Molahu Prasad :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) wbether it is a fact that all the Railway offices advertise their posts mostly in English newspapers;

(b) if so, the reasons therefor;

(c) the reasons for which posts are not advertised in the newspapers publisbed in the Indian Languages;

(d) whether any proposal is under consideration to advertise the posts in all the language newspapers in future; and

(e) if so, when it will be implemented and if not, the reasons therefor ?

**The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha) :** (a) Recruitment to Class III categories on Railways is done mostly by Railway Service Commissions and they send their advertisements also to Indian language newspapers.

(b) to (e). Do not arise.

**पटसन के माल का निर्यात**

5336. **डा० कर्णी सिंह** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले पांच वर्षों में, वर्गवार, भारत से पटसन के कितने माल का निर्यात किया गया;

(ख) क्या यह सच है कि निर्यात में कमी हुई है ;

(ग) यदि हां, तो पाकिस्तान द्वारा प्रतिस्पर्धा के कारण निर्यात में कितनी कमी हुई है और कितनी कमी पटसन उद्योग के सम्बन्ध में अपनाई गई राजकोषीय नीति के कारण हुई है; और

(घ) क्या सरकार का विचार पटसन के निर्यात के सम्बन्ध में पुनर्विचार करने की दृष्टि से पटसन के माल पर से उत्पादन शुल्क हटाने का है ?

**वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरैशी)** : (क) और (ख). 1962–63 से 1966–67 तक भारत से पटसन माल के वर्गवार निर्यात के आँकड़े निम्नलिखित हैं :—

परिमाण '000' मे. टन में

| वर्ष (अप्रैल–मार्च) | हैसियन | टाट | अन्य | मूल्य लाख रुपये में योग परिमाण | मूल्य | कुल मूल्य दस लाख डालर में |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1962–63 . | 518.0 | 269.0 | 56.8 | 834.5 | 148.46 | 312.5 |
| 1963–64 | 576.9 | 247.8 | 88.4 | 913.1 | 157.42 | 326.8 |
| 1964–65 . | 588.9 | 258.7 | 102.6 | 950.2 | 168.34 | 354.5 |
| 1965–66 . | 556.4 | 248.0 | 91.2 | 895.4 | 182.71 | 38 .1 |
| 1966–67 . | 494.4 | 180.8 | 59.0 | 734.2 | 235.20 | 334.4 |

(ग) कमी निम्नोक्त कारणों से हुई :—

(1) अन्य निर्यातक देशों, विशेषतया पाकिस्तान से प्रतिस्पर्धा ।

(2) अन्य देशों द्वारा पटसन की मिलों की स्थापना ।

(3) संश्लेषक स्थानापन्न पदार्थों, थोक पैकिंग व्यवसाय आदि से प्रतियोगिता ।

(घ) पटसन माल की कुछ किस्मों पर 7 फरवरी, 1968 से निर्यात शुल्क कम कर दिये गये हैं । परन्तु सरकार की सामान्य नीति के अनुसार निर्यात निष्पादन पर लगातार ध्यान रखा जाता है ताकि यथावश्यक समुचित कदम उठाये जा सकें ।

## भूतपूर्व रियासतों के रेलवे कर्मचारियों को किराया मुक्त क्वार्टर

**5337. श्री डा० कर्णी सिंह** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भूतपूर्व रियासतों के रेलवे कर्मचारियों के कुछ वर्ग को किराया मुक्त क्वार्टरों का अथवा इसके स्थान पर भत्ता लेने का विशेषाधिकार प्राप्त है;

(ख) क्या एक कर्मचारी को दूसरे वर्ग में पदोन्नति के बाद उससे यह विशेषाधिकार वापिस ले लिया जाता है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या इस नीति से उन कर्मचारियों का उत्साह नहीं होता है कि वह पदोन्नति के लिये कहें जो पदोन्नति के अधिकारी होते हैं ?

**रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) :** (क) जी हां। संघ वित्तीय एकीकरण की तारीख से पहले भूतपूर्व रियासती रेलों के जो अराजपत्रित कर्मचारी अपनी रेलों में मुफ्त क्वार्टर या उसके बदले मकान-भत्ते की सुविधा पा रहे थे, उन्हे उस तारीख के बाद भी व्यक्तिगत रियायत के रूप में यह सुविधा तब तक दी जा रही है जब तक वे उन कोटियों में काम करते हैं जो अपनी मूल भूतपूर्व रियासती रेलवे में इस रियायत पाने के हक़दार थीं।

(ख) जब कर्मचारी ऐसी कोटियों में पदोन्नत हो जाते हैं जो भूतपूर्व रियासती रेलवे में इस सुविधा की हक़दार नहीं थीं, तो मुफ्त क्वार्टर की सुविधा उनसे वापस ले ली जाती है।

(ग) मुफ्त क्वार्टर की सुविधा केवल उन कर्मचारियों को और तभी तक दी जाती है जब तक वे इस विषय से सम्बन्धित नियमों और आदेशों के अधीन उसके हक़दार हों। यह नीति भूतपूर्व कम्पनी और भूतपूर्व रियासती रेलों के कर्मचारियों सहित, रेलों के सभी कर्मचारियों पर समान रूप से लागू होती है और इस सम्बन्ध में केवल भूतपूर्व रियासती रेलों के कर्मचारियों के पक्ष में कोई छूट नहीं दी जा सकती।

## कुद्रेमुख से वयस्क का लाया जाना

5338. **श्री शिवप्पा :** क्या **इस्पात, खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कुद्रेमुख से अयस्क के परिवहन के लिये बनाई गई योजना इस समय किस चरण में है; और

(ख) इस योजना के कब तक पूरा हो जाने की सम्भावना है और उसके लिये कितनी धनराशि मंजूर की गई है ?

**इस्पात, खान तथा धातु मंत्री (डा० चन्ना रेड्डी) :** (क) और (ख) राष्ट्रीय खनिज विकास निगम लिमिटेड, कुद्रेमुख में लोह धातुक के निक्षेपों के उपयोग में लाने की आर्थिक सम्भाव्यता का निर्धारण करने की दृष्टि से प्रायोगिक संयंत्र परीक्षण करने के लिये, एक अमरीकी व्यवसाय संघ के साथ बातचीत कर रहा है। आर्थिक सम्भाव्यता रिपोर्ट को अन्तिम रूप दिये जाने पर कुद्रेमुख से मंगलौर पत्तन तक के परिवहन की विस्तृत योजना बनाई जाएगी। इस अवस्था में योजना को पूरा किया जाने के संभावित समय का संकेत देना सम्भव नहीं है।

## दिल्ली और नई दिल्ली क्षेत्रों में रेलव कर्मचारियों के लिये क्वार्टरों का आबंटन

5339. **श्री रा० स्व० विद्यार्थी :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली और नई दिल्ली क्षेत्रों में कार्य करने वाले 15,000 रेलवे कर्मचारियों के नाम रेलवे क्वार्टरों के आवंटन के लिये प्रतीक्षा सूची में हैं और क्वार्टरों की व्यवस्था करने के लिये रेलवे ने एक भी निर्माण योजना आरम्भ नहीं की है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्रालय के साथ मिल कर रेलवे का विचार उस मंत्रालय के सामान्य पुंज से क्वार्टर देने के लिये इन रेलवे कर्मचारियों को हकदार बनाने का है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) दिल्ली और नई दिल्ली क्षेत्रों में रेलवे कर्मचारियों के अनुभव होने वाली मकानों की भारी कमी की समस्या को कैसे हल करने का सरकार का विचार है ?

**रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा)** : (क) 15,000 से अधिक रेल कर्मचारी सूची में हैं लेकिन यह सही नहीं है कि रेलों ने अतिरिक्त मकान नहीं बनाये हैं। दिल्ली क्षेत्र में हर वर्ष एक कार्यक्रम के अनुसार, धन उपलब्ध होने पर अतिरिक्त मकान बनाये गये हैं।

(ख) जी नहीं।

(ग) (ख) में सुझायी गयी व्यवस्था प्रशासनिक दृष्टिकोण से व्यावहारिक नहीं है।

(घ) कर्मचारियों के लिये मकान बनाने के लिये रेलों के पास धन की उपलब्धता और निजी क्षेत्र में आवास-व्यवस्था से ही यह समस्या हल हो सकती है। सरकार समस्या के इन दोनों पहलुओं के प्रति सक्रिय रुचि ले रही है।

**Substitutes at Gaya Station**

**5340. Shri Chandra Shekhar Singh** : Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) whether it is a fact that 109 workers have been working as substitutes at Gaya Station on the Eastern Railway since 1961-62 ;

(b) if so, the reasons therefor ;

(c) whether Government propose to make those workers permanent ; and

(d) if so, since when and if not, the reasons therefor ?

**The Minister of Railways (Shri C.M. Poonacha)**: (a) and (d) The information is being collected and will be laid on the Table of the Sabha.

**Overbridge at Railway Cabin No. 1 at Gaya**

**5341. Shri Chandra Shekhar Singh** : Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) Whether men and animals often meet accidents in the absence of an overbridge at Railway Cabin No. 1 at Gaya, Eastern Railway ;

(b) whether the number of accidents has further increased because of the closure of the Railway Cabin towards Tekari, Haspura and Dandnagar ;

(c) whether the demand for the construction of an over-bridge at the said cabin is repeatedly put forth ; and

(d) if so, the action which Government propose to take in the matter.

**The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha)** : There is no railway cabin No. 1 at Gaya, presumably, the Hon'ble Member is referring to the level crossing gate No. 1 at Gaya Station, on Tekari-Gaya Road. If so, the reply is as under :—

(a) and (b) No ; during the years 1962—67, there were 6 run-over cases at this level crossing.

(c) and (d). Under the extant rules, proposals for construction of road over/under bridges in replacement of busy level crossings are required to be sponsored by the State Government indicating the relevant priority and the year in which they would be able to provide funds towards Road Authority's share of the cost on the work, as required under the extant rules.

There is no proposal so far from the Government of Bihar for construction of a road overbridge in replacement of the existing level crossing at the West end of Gaya Station on Tekari-Gaya Road.

As far as the Railways are concerned, the level crossing has been provided with lifting Type Barrier Gates interlocked with signals. However, as soon as the State Government take a final decision to replace this level crossing by a road over/under bridge and allocate necessary funds, the Railways will take appropriate action for construction of the bridge structure at Railway's cost.

**Patna-Gaya Railway Line**

**5342. Shri Chandra Shekhar Singh :** Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) whether Patna-Gaya railway line on the Eastern Railway is an important line for connecting South Bihar ;

(b) whether the said line is a busy line ;

(c) if so, whether Government propose to double the track ; and

(d) if not, the reasons therefor ?

**The Minister of Railways (Shri C.M. Poonacha) :** (a) to (d) : The 93 K.M. long Patna-Gaya is a branch line linking the double line electrified Grand Chord and the main line between Howrah and Mughalsarai. As against the available capacity for 17 trains each way, the present utilisation is only 9 trains. There is, therefore, sufficient spare capacity available on the section to meet the anticipated increase in traffic, and doubling of the line is not considered necessary.

**मध्य प्रदेश में लघु उद्योगों के लिये लोहे तथा इस्पात का आयात**

5343. **श्री अ० सि० सहगल :**
**श्री नीतिराज सिंह चौधरी :**
**श्री नाथू राम अहिरवार**
**श्रीमती मिनीमाता अगम दास गुरु :**
**श्री मणि भाई जे० पटेल :**
**श्री लाखन लाल गुप्त :**
**श्री रणजीत सिंह :**

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अक्तूबर, 1963 से मार्च, 1964 तक, अप्रैल, 1964 से सितम्बर, 1964 तक, अक्तूबर, 1964 से मार्च, 1965 तक, अप्रैल, 1965 से मई, 1966 तक और अप्रैल, 1966 से मार्च 1967 तक की अवधियों में, अलग-अलग, लघु उद्योग कारखानों के लिये लोहे तथा इस्पात के आयात के लिये मध्य प्रदेश सरकार को कितनी विदेशी मुद्रा नियत की गई थी;

(ख) लोहे तथा इस्पात के आयात के लिये खनिज तथा धातु व्यापार निगम ने इसमें से कितनी राशि का उपयोग किया;

(ग) क्या इसमें से अप्रयुक्त कुछ राशि बची है; और

(घ) यदि हां, तो इस बची हुई राशि का शीघ्र उपयोग करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

**वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी )** : (क) और (ख) प्रश्न में पूछे गये वर्षों के दौरान लघु उद्योगों के लिये मध्य प्रदेश सरकार को विशेष रूप से कोई विदेशी मुद्रा उपलब्ध नहीं कराई गई थी। फिर भी लघु उद्योगों के लिये आयातहेतु विदेशी मुद्रा के अधिकांश आवंटनों में से लघु उद्योगों के विकास आयुक्त ने मध्य प्रदेश के लघु उद्योगों के लिये मध्य प्रदेश लघु उद्योग निगम के माध्यम से कुछ टनभार आवंटित किया था। एक विवरण (अंग्रेजी में) संलग्न है, जिसमें प्रश्न में पूछे गये वर्षों में आवंटित टनभार तथा वास्तविक पूर्तियों का ब्यौरा दिया गया है। [पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 616/68]

(ग) तथा (घ) यद्यपि अक्तूबर, 1963-सितम्बर 1964 तथा अप्रैल 1965-मार्च, 1966 के निर्धारित परिमाणों की पूर्तियां कर दी गई थीं, फिर भी 1964-65 में बी० पी० शीट तथा एम० एस० वायर राड की कुछ कम पूर्तियां हुईं, जो मुख्यतः इन वस्तुओं के उठाने के लिये समय पर वित्तीय तथा परिवहन व्यवस्था करने में मध्य प्रदेश लघु उद्योग निगम की असमर्थता के परिणामस्वरूप हुईं। परन्तु 1966-67 के निर्धारित परिमाणों के आयात हेतु विदेशी मुद्रा उपलब्ध है एवं आयात करने के लिये कार्यवाही की जा चुकी है।

**Industrial Establishments in Private Sector**

**5344. Shri Onkarlal Bohra** : Will the Minister of **Industrial Development and Company Affairs** be pleased to state :

(*a*) the names of industrial establishments in the private sector whose investment exceeds Rupees ten crores and Rupees fifty crores respectively ; and

(*b*) the names of top twenty five industrial establishments and the capital invested in each ?

**The Minister of Industrial Development and Company Affairs (Shri F.A. Ahmed)** : (*a*) Statement 1 shows the names of industrial establishments in the private sector whose investments exceed Rs. 10 crores but fall short of Rs. 50 crores. [*Placed in Library see No. LT-617/68*] Statement II shows the names of industrial establishments whose invested capital exceeds Rs. 50 crores. [Placed in Library, *See* No. LT-617/68]

(*b*) Statement III gives the names of top 25 industrial establishments and the capital invested in each separately. [Placed in Library, *See* No. LT-617/68]

**National Coal Development Corporation**

**5345. Shri Onkarlal Bohra** : Will the Minister of **Steel, Mines and Metals** be pleased to state :

(*a*) the amount invested by Government in the National Coal Development Corporation ;

(*b*) the progress so far made by the National Coal Development Corporation, and

(*c*) the facilities provided by the Corporation to the Railways in the supply of coal and if not the reasons therefor ?

**The Minister of State in the Ministry of Steel, Mines and Metals (Shri P.C. Sethi)** : (*a*) About Rs. 155 crores upto 31-3-1967.

(*b*) National Coal Development Corporation was set up in 1956 for development of coal mines in the public sector. It is also entrusted with the task of managing the old state collieries as well as setting up washeries in the public sector to wash coal to meet the increased demand of steel plants in the country. By now it has built up 26 collieries on revenue account, a coal washery and a coke plant. There are 9 collieries under developement. There are also 3 new washeries presently under construction. The Corporation is developing the mines as well as the washeries in accordance with the demand for coal.

(*c*) Orders placed by the Railways on the Corporation for coal supplies are executed.

**Public Sector Steel Plants**

5346. **Shri Gadilingana Gowd** : Will the Minister of Steel, Mines and Metals be pleased to state :

(*a*) whether it is a fact that huge stocks of iron and steel produced in the public sector factories have not been sold out ;

(*b*) if so, the cost of finished materials lying unsold in the factories and the reasons therefor ; and

(*c*) whether there is any proposal to reduce the rates ?

**The Minister of Steel, Mines and Metals (Dr. Chama Reddy)** : (*a*) *to* (*c*) The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

**जापानी पद्धति पर कुटीर उद्योग का विकास**

5347. **श्री गाडिलिंगन गौड़** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में जापानी पद्धति पर कुटीर उद्योगों का विकास करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

**वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरैशी)** : (क) जी नहीं :

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

**कोशविलायी (लाइसिन) का उत्पादन**

5348. **श्री गाडिलिंगन गौड** : क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में कोशविलायी उत्पादन करने वाला उद्योग है; और

(ख) यदि हां, तो कोशविलायी उत्पादन करने वाले कितने कारखाने हैं और उनकी वार्षिक क्षमता कितनी है ?

**औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद)** : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

**Cooperative Textile Mills**

5349. **Shri Onkar Lal Berwa** : Will the Minister of Commerce be pleased to state the number of cooperative textile mills functioning in the country, the places where they are situated and the nature of assistance given to them by the Central Government ?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri Mohd. Shafi Qureshi) : Information is being collected and will be laid on the Table of the House.

## छोटे पैमाने के उद्योग

5350. श्री कं० हाल्दर : क्या औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या छोटे पैमाने में उद्योगों का संवर्धन करने के लिये अखिल भारतीय स्तर पर स्थापित की गई किसी संस्था को सरकार ने मान्यता दी है;

(ख) यदि हां, तो इस संस्था का नाम क्या है;

(ग) इस संस्था को कितनी सरकारी समितियों में प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया है और भारतीय लघु उद्योग संस्थाओं के फेडरेशन के उन व्यक्तियों के नाम क्या हैं जो सरकारी समितियों में अपनी निजी हैसीयत से अथवा फेडरेशन के प्रतिनिधियों के रूप में कार्य कर रहे हैं ;

(घ) क्या सरकार ने इस संस्था को कोई अनुदान देने की पेशकश की थी और किस प्रयोजन के लिये; और

(ङ) क्या सरकार ने लघु उद्योगों की स्थानीय एसोसिएशनों को सहायता देने के लिये राज्य सरकारों को हिदायतें दी हैं। जिस की सिफारिश भारत में लघु उद्योगों के बारे में फोर्ड फाउन्डेशन की टीम ने अपने प्रतिवेदन में की थी ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) और (ख) जी, हां। भारत सरकार ने अखिल भारत स्तर पर लघु उद्योगों के एसोशियेशनों का एक संघ स्थापित करने के लिये प्रोत्साहन दिया है।

(ग) एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। [पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 619/68]

(घ) भारत सरकार ने संगठनात्मक कार्यों तथा लघु उद्योगों से संबंधित अखिल भारतीय डायरेक्टरी और पुस्तिका का प्रकाशन करने पर होने वाले प्रारम्भिक खर्च को पूरा करने के लिये अनुदान देने का प्रस्ताव किया है।

(ङ) लघु उद्योगों के एसोशियेशनों को प्रोत्साहन देने की आवश्यकता पर लघु उद्योग बोर्ड और उसकी स्थायी समितियों के बैठकों में निरन्तर जोर दिया जा रहा है।

## अखिल भारतीय हथकरघा प्रदर्शनी, त्रिचूर में अग्निकांड

5351. श्री महन्त दिग्विजय नाथ : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि त्रिचूर में अखिल भारतीय हथकरघा प्रदर्शनी में आग लग गई थी;

(ख) यदि हां, तो आग से कितनी हानि होने का अनुमान है;

(ग) क्या आग के कारणों का पता लगाने के लिये कोई जांच की जा रही है; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या क्या है ?

**वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी)** : (क) से (घ). जानकारी राज्य सरकार से एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

**लाइसेंसों का जारी किया जाना**

5353. **श्री गा० शं० मिश्र** : क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कौन कौन सी विभिन्न एजेंसियां लाइसेंस मंजूर करने के प्रस्ताव की जांच करती हैं और प्रस्ताव की प्रामाणिकता का पता लगाने के लिये एजेंसियां क्या मूल मापदण्ड अपनाती हैं;

(ख) क्या प्रस्ताव की जांच करते समय सामयिक परिवर्तनों जिनसे देश की अर्थ-व्यवस्था पर प्रभाव पड़ सकता है जैसे क्षमता उत्पादन पूंजी के एकानामिक तथा उत्पादन लागत में हुए परिवर्तनों को ध्यान में रखा जाता है;

(ग) सरकार इन सामयिक परिवर्तनों के बारे में जानकारी कैसे प्राप्त करती है; और

(घ) लाइसेंस मंजूर करने के बारे में डा० हजारी द्वारा उसकी त्रुटियां प्रकाशित किये जाने के बाद इन मामलों में उद्योगों ने क्या परिवर्तन किये हैं ?

**औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद)** : (क) से (ग) एक विवरण साथ में नत्थी है । **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 619/68]**

**अमरीकी और ब्रिटिश फिल्मों का आयात**

5354. **श्री जुगल मंडल** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कितनी पार्टियों को भारत में अमरीकी तथा ब्रिटिश फिल्मों का आयात करने की अनुमति है;

(ख) भारत में विदेशी फिल्मों के आयातकर्त्ताओं के नाम तथा पते क्या हैं और गत पांच वर्षों में प्रत्येक आयातकर्त्ता को कितनी विदेशी मुद्रा दी गई है; और

(ग) क्या इन विदेशी फिल्मों के आयातकर्त्ताओं ने विदेशों में भारतीय फिल्मों का भी निर्यात किया है ?

**वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी)** :(क) द्विपक्षीय व्यवस्था के अंतर्गत मैसर्स मोशन पिक्चर्स एक्सपोर्ट एसोसियेशन आफ अमेरिका इनकार्पोरेटिड तथा मैसर्स रैंक फिल्म डिस्ट्रीब्युटर्स, बम्बई को क्रमशः स० रा० अमेरिका तथा ब्रिटेन से फिल्मों का आयात करने की अनुमति दी गयी है ।

(ख) द्विपक्षीय व्यवस्था के अंतर्गत सं० रा० अमेरिका तथा ब्रिटेन में विदेशी फिल्मों के आयातकों के नाम तथा पते और अप्रैल 1965—मार्च 1966 तथा अप्रैल 1966—मार्च 1967 की अवधि में किये गये लाइसेंसों के मूल्य संलग्न विवरण (अंग्रेजी में) दिये गये हैं । **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 620/68]**

मैसर्स मोशन पिक्चर्स एक्सपोर्ट एसोसिएशन आफ अमेरिका तथा मैसर्स रैंक फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर्स आफ़ इण्डिया को भारत में उपार्जित अपनी आय में से प्रतिवर्ष क्रमशः 20 लाख रु० तथा एक

लाख रुपये वापस ले जाने की अनुमति देने के अलावा फिल्मों के आयात के लिये कोई विदेशी मुद्रा नहीं दी गयी है। शेष राशि फिल्म उद्योग संवर्धन में लगाने के लिये भारत में रोकी हुई है।

(ग) जी, नहीं।

**"आपरेशन हार्ड राक" कार्यक्रम**

5355. **श्री जी० एस० रेड्डी** : क्या इस्पात, खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अमरीकी आधुनिक तकनीकी सहायता से 'आपरेशन हार्ड राक' कार्यक्रम के अन्तर्गत कितने क्षेत्र तथा कितने दूरी के सर्वेक्षण की योजना बनाई गई है;

(ख) इस कार्यक्रम का प्रथम चरण क्या है तथा किन क्षेत्रों में सर्वेक्षण कार्य शुरू हो गया है; और

(ग) भारत के भूतत्वीय परिमाप द्वारा बड़े पैमाने पर की गई इस खोज से किन सम्भावनाओं का पता लगा है ?

**इस्पात, खान तथा धातु मंत्री (डा० चन्ना रेड्डी)** : (क) "आपरेशन हार्ड राक" के अन्तर्गत निम्नलिखित क्षेत्रों में आधुनिक प्रविधियों का प्रयोग करते हुए गहरे समन्वेषण की योजना है:—

| | |
|---|---|
| 1. आंध्र प्रदेश का कड्प्पा बेसिन, खम्मम और गनी-कलावा क्षेत्र | 30,500 वर्ग किलो मीटर |
| 2. राजस्थान (खेत्री के पास से चितौड़ गढ़ के पश्चिम की ओर) . . . . | 30,140 वर्ग किलो मीटर |
| 3. रांची पठार और बिहार अभ्रक पट्टा . . | 29,750 वर्ग किली मीटर |

इस परियोजना के अन्तर्गत 144,000 लाईन-किलोमीटर का हवाई सर्वेक्षण किया जाना निश्चित है।

(ख) प्रायोजना की पहली प्रावस्था चुने हुये क्षेत्रों का विस्तृत हवाई भूभौतिक सर्वेक्षण है जिस में सूक्ष्म ओजारों से निरन्तर विद्युत-चुम्बकीयता, चुम्बकीयता और विकरणशीलता के माप निरन्तर अंकित किये जाते हैं। यह आधार सामग्री तब भूमि-अनुपरीक्षण कार्य की दृष्टिसे सब से अच्छे क्षेत्रों को चुनने के लिये संकलित और सह-संबंधित की जाती है। आंध्र प्रदेश का हवाई सर्वेक्षण पूरा हो चुका है और इस के अंतर्गत 32,660 लाईन-किलोमीटर में उड़ानें हुई हैं। राजस्थान में हवाई सर्वेक्षण पूरा होने वाला है और अब तक 42,895 लाईन-किलोमीटरो की उड़ानें हो चुकी हैं। बिहार का भी हवाई भूभौतिक सर्वेक्षण आरंभ किया जा चुका है और अभी तक 4950 लाईन-किलो-मीटर की उड़ानें की जा चुकी हैं। इस क्षेत्र में अगले मास के अन्त तक या मई के आरम्भ तक सब उड़ानें पूरी किये जाने की आशा है।

(ग) अब तक किया गया काम प्रायोजना की पहिली प्रावस्था का अंश है। अग्रेक्षक-कार्यों के संबंध में निश्चयात्मक सूचना तभी दी जा सकती है जब हवाई सर्वेक्षणों द्वारा प्राप्त भूभौतिकी आधार-

सामग्री का संकलन और सह-संबंधन कर लिया जाय और भूमि पर भूवैज्ञानिक, भूभौतिक और भूरसायमिक कार्यों के द्वारा तथा तदमन्तर आवश्यकतानुसार वेधन द्वारा उस की पुष्टि कर ली जाय। आंध्र प्रदेश और राजस्थान के हवाई सर्वेक्षण के दौरान पता लगने वाली भूभौतिक असंगतियों की आरंभिक जांच में आशाजनक क्षेत्रों में आगे समन्वेषण के लिये अनुकूल संकेत मिले हैं। भूमि पर अनुपरीक्षण कार्य जो कार्यक्रम की दूसरी अवस्था है, आंध्र प्रदेश में शुरू हो चुका है, जहां हवाई सर्वेक्षण पूरा कर लिया गया है।

## टूल रूम इक्विपमेंट यूनिट

5356. **श्री जी० एस० रेड्डी** : क्या औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हैदराबाद में एक टूल रूम इक्विपमेंट यूनिट स्थापित की जा रही है;

(ख) इस परियोजना में केन्द्र तथा राज्यों ने कितनी राशि लगाई है; और

(ग) परियोजना में कब उत्पादन होने की संभावना है ?

**औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद)** : (क) से (ग). भारत सरकार द्वारा संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (विशेष निधि) के तकनीकी और वित्तीय सहयोग से हैदराबाद में एक टूल रूम केन्द्र स्थापित किया जा रहा है। इस टूल रूम केन्द्र पर लगभग 120 लाख रु० लागत आने का अनुमान लगाया गया है जिसमें से आधा खर्च भारत सरकार देगी तथा शेष संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम विशेष निधि सहायता द्वारा किया जायगा। आन्ध्र प्रदेश सरकार के टूल रूम केन्द्र की स्थापना के लिये 15 एकड़ भूमि (लगभग 3 लाख रु० की लागत) की बिना कुछ मूल्य लिये की है। टूल रूम केन्द्र के उद्देश्य ये हैं:—

(i) तकनीकी कर्मचारियों को औजार और सांचे बनाने में प्रशिक्षण देना ;

(ii) लघु एककों के लिये सलाह संबंधी सेवा की व्यवस्था करना जिसमें डिजाइन बनाने और मशीनी औजारों के विकास को दी जाने वाली सहायता शामिल है;

(iii) सांचों, जिगों तथा अन्य औजारों का प्रतिमानीकरण करने के उपायो के लिये सिफारिश करना ; और

(iv) सांचों, जिगों, फिक्सचरों, गाजों आदि का सीमित आधार पर उत्पादन करना।

यह परियोजना अब आयोजन करने एवं प्रारंभिक अवस्था में है। टूल रूम केन्द्र द्वारा 1969-70 में उत्पादन प्रारम्भ करने की आशा है।

## सूती कपड़े का निर्यात

5357. **श्री अर्जुन सिंह भदौरिया** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1967 में किन-किन देशों को सूती कपड़े का निर्यात किया गया ;

(ख) किन-किन देशों में भारतीय सूती कपड़े की अधिक मांग है; और

(ग) फरवरी 1968 के अन्त तक सूती कपड़े का कितना निर्यात किये जाने की सम्भावना है; और उससे कितनी विदेशी मुद्रा कमाई जाने की सम्भावना है ?

**वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरैशी)**:(क) से (ग). जिन देशों/क्षेत्रों को वर्ष 1967 में सूती कपड़े का निर्यात किया गया था उनके नाम संलग्न अनुबन्ध में (अंग्रेजी में) निर्यात मूल्य पर आधारित उनके महत्व के अवरोही क्रम में दिये गये हैं। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 621/68]** जनवरी-फरवरी 1968 में सूती कपड़े का निर्यात 14 करोड़ रु० मूल्य तक होने की सम्भावना है।

**व्यापार अन्तर**

5358. **श्री अर्जुन सिंह भदौरिया** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले दो वर्षों में किन-किन देशों के साथ हमारा व्यापार बढ़ा है; और

(ख) निर्यात तथा आयात सम्बन्धी उक्त व्यापार में कितना अन्तर है ?

**वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरैशी)**: (क) और (ख). एक विवरण (अंग्रेजी में) संलग्न है जिसमें पिछले दो वर्षों में जिन प्रमुख देशों के साथ हमारा व्यापार बढ़ा है उनका ब्यौरा तथा साथ ही उपर्युक्त अवधि के लिये इन देशों को/से निर्यात/आयात का ब्यौरा भी दिया गया है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 622/68]**

**केरल में टीन के कोटे का नियतन**

5359. **श्री अर्जुन सिंह भदौरिया** : क्या **इस्पात, खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल और उत्तर प्रदेश के उन पक्षों के नाम और पते क्या हैं जिन्हें वर्ष 1965-66, 1966-67 और 1967-68 में टीन का कोटा दिया गया था ;

(ख) उपरोक्त अवधि में उक्त प्रत्येक पक्ष को कितना-कितना टीन दिया गया था।

(ग) क्या इन पक्षों को दिये गये कोटे का उचित उपयोग किये जाने के संबंध में कोई जांच की गई है; और

(घ) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला है ?

**इस्पात, खान तथा धातु मंत्री (डा० चन्ना रेड्डी)** : (क) से (घ). सूचना राज्य सरकार से एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायगी।

**जापान को लौह-अयस्क का निर्यात**

5360. **श्री अर्जुन सिंह भदौरिया** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खनिज तथा धातु व्यापार निगम ने लौह-अयस्क के निर्यात के लिये जापान की फर्मों के साथ एक करार किया है; और

(ख) यदि हां, तो सम्बन्धित उन फर्मों के नाम क्या हैं ; और

(ग) कितने लौह-अयस्क निर्यात किये जाने की सम्भावना है और इससे कितनी विदेशी मुद्रा कमाई जायेगी ।

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरैशी) : (क) जी, हां ।

(ख) खनिज तथा धातु व्यापार निगम ने जापान की निम्नलिखित 9 इस्पात मिलों के साथ करार किये हैं :—

1. मैसर्स यवाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पनी लिमि० ।
2. मैसर्स फूजी आयरन एण्ड स्टील कम्पनी लिमि० ।
3. मैसर्स निप्पोन कोकन काबुशिकी कशा ।
4. मैसर्स सुमिटामो मेटल इन्डस्ट्रीज़ लिमि० ।
5. मैसर्स काबासाकी स्टील कार्पोरेशन ।
6. मैसर्स कोबे स्टील लिमि० ।
7. मैसर्स नाकायमा स्टील वर्क्स लिमि० ।
8. मैसर्स ओसाका आयरन एण्ड स्टील कम्पनी लिमि० ।
9. मैसर्स निसहिन स्टील कम्पनी लिमि० ।

(घ) 1968-70 के दौरान 43 करोड़ रु० से भी अधिक के 60 लाख टन लौह-अयस्क की सुपुर्दगी के लिये निश्चित मूल्यों पर करार किये गये हैं । इसके अतिरिक्त 30 लाख टन माल के सौदे किये गये हैं जिसकी सुपुर्दगी 1970-71 में की जानी है और जिसके मूल्य 1969-70 के अंत में बातचीत द्वारा तय किये जाने हैं ।

## ट्रैक्टर बनाने का कारखाना

5362. श्री महन्त दिग्विजय नाथ :
श्री देवकीनन्दन पाटोदिया :

क्या औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में ट्रैक्टर बनाने का एक कारखाना स्थापित करने का प्रस्ताव विचाराधीन है और यदि हां, तो कहां पर;

(ख) क्या यह कारखाना सरकार द्वारा स्थापित किया जायेगा अथवा किसी विदेशी सहयोग से स्थापित किया जायेगा ;

(ग) इस पर अनुमानत: कितनी विदेशी मुद्रा खर्च आयेगी ;

(घ) यह कारखाना कब ट्रैक्टरों का उत्पादन आरम्भ कर देगा तथा इसमें बनने वाले ट्रैक्टर कितनी अश्व शक्ति के होंगे ; और

(ङ) इस कारखाने से ट्रैक्टरों की स्थानीय मांग किस सीमा तक पूरी हो जायेगी ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद): (क) 12,000 खेती के ट्रैक्टर बनाने के लिए सरकारी क्षेत्र में एक कारखाना स्थापित करने के प्रस्ताव पर सरकार

द्वारा विचार किया जा रहा है। परियोजना की आर्थिक सम्भाव्यता रिपोर्ट फिलहाल जांच की जा रही है। रिपोर्ट की जांच कर लेने के पश्चात् यदि योजना के काम को आगे बढ़ाने का निर्णय किया गया तो इसे उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले के रामनगर में स्थापित किया जा सकता है।

(ख) यह संयंत्र चेकोस्लोवाकिया के मैसर्स मोटोकोव के सहयोग से केन्द्रीय सरकार द्वारा स्थापित करने का विचार है।

(ग) चेक एजेन्सी द्वारा भेजी गई आर्थिक सम्भाव्यता रिपोर्ट में किए गए अनुमान के अनुसार इस संयंत्र पर लगभग 20 करोड़ रु० की विदेशी मुद्रा खर्च होने की सम्भावना है।

(घ) प्रस्तावित ट्रैक्टर 20 अ० श० के होंगे। अभी यह बताना सम्भव नहीं है कि इसमें उत्पादन कब से शुरू हो सकेगा।

(ङ) स्थापित किये जाने पर इस संयंत्र के द्वारा 1970-71 तक 20 अ० श० और उससे नीचे के ट्रैक्टरों की समस्त सम्भावित मांग पूरी हो सकेगी।

## रेलों में बिना टिकट यात्रा

5363. **श्री महन्त दिग्विजय नाथ** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों में भारतीय रेलों में कुल कितने व्यक्ति बिना टिकट यात्रा करते हुये पकड़े गये;

(ख) बिना टिकट यात्रा करने वाले इन व्यक्तियों से कुल कितनी राशि वसूल की गई ;

(ग) क्या इस प्रकार की जांच से टिकटों की बिक्री बढ़ी है;

(घ) क्या भारतीय रेलों पर टिकटों की जांच को कड़ा करने का सरकार का विचार है; और

(ङ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

**रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा)** : (क) 1966 और 1967 के कैलेन्डर वर्षों में बिना टिकट यात्रा करते हुए या अनियमित टिकटों पर यात्रा करते हुए पकड़े गये यात्रियों की संख्या निम्नलिखित थी :—

| | |
|---|---|
| 1967 | 76,43,670 |
| 1966 | 66,03,482 |

(ख) उनसे निम्नलिखित रकम वसूल की गयी :—

| | |
|---|---|
| 1967 | 2,62,32,384 रुपये |
| 1966 | 2,10,78,659 रुपये |

(ग) जी, हां।

(घ) जी, हां।

(ङ) उड़न-दस्तों और रेलवे मजिस्ट्रेटों द्वार कड़ी और बार-बार जांच करने का प्रबन्ध किया गया इसमें वेष बदल कर तथा आकस्मिक जांच भी शामिल है। टिकट जांच के काम का पर्यवेक्षण अपेक्षाकृत सुदृढ़ कर दिया गया है ।

**गुजरात में छोटी लाइनों को मीटर लाइन में बदलना**

5364. **श्री रा० की० अमीन :**
**श्री गाडिलिंगन गौड :**

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गुजरात में छोटी लाइन को मीटर लाइन में बदलने की मांग की गई है; और

(ख) यदि हां, तो कब ?

**रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) :** (क) जी हां । ;

(ख) पश्चिम रेलवे की छोटी लाइनों के संचालनों का अध्ययन किया जा रहा है; इस अध्ययन के परिणामों के आधार पर इस रेलवे की प्रत्येक छोटी लाइन को उखाड़ने/बनाये रखने/इसे चौड़ गेज में बदलने के बारे में विनिश्चय किया जायेगा ।

**बम्बई–अहमदाबाद लाइन का विद्युतीकरण**

5365. **श्री रा० की० अमीन :**
**श्री क० प्र० सिंहदेव :**

क्या रेलवे मंत्री यह बता ने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बम्बई-अहमदाबाद रेलवे लाइन का विद्युतीकरण करने का प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) क्या अहमदाबाद और बम्बई के बीच डीजल इंजन चलाने का भी विचार है ताकि इन स्थानों के बीच की यात्रा सात घंटे में पूरी हो सके ?

**रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) :** (क) और (ख) बम्बई से विरार तक के खण्ड का विद्युतीकरण 1500 वोल्ट डी०सी० बिजली प्रणाली पर किया जा चुका है। विरार से आगे साबरमती तक के खण्ड का विद्युतीकरण 25 किलोवाट ए० सी० बिजली प्रणाली पर विद्युतीकरण के चालू कार्यक्रम में पहले ही शामिल कर लिया गया है और परियोजना-अनुमान मंजूर किया जा चुका है । इस परियोजना के वास्तविक निर्माण के लिए ब्यौरेवार सर्वेक्षण लगभग पूर हो रहा है । देशी साधनों और आवश्यक कच्चे सामान के आयात के लिए विदेशी मुद्रा की उपलब्धता को देखते हुये इस काम को यथासंभव शीघ्र पूरा करने

के लिए जो समय निर्धारित किया गया है, उसके अनुरूप ही इस काम के निष्पादन के लिए संगठन भी उत्तरोत्तर सुदृढ़ किया जा रहा है ।

ऊंची उपस्कर, स्विचिंग स्टेशनों और बूस्टर ट्रांसफार्मर स्टेशनों को सप्लाई और उन्हें स्थापित करने के लिए हाल में टेंडर मांगे गये हैं ।

(ग) जी नहीं ।

## जापान को लौह-अयस्क की सप्लाई

5366. **श्री रा० की० अमीन :**
**श्री गाडिलिंगन गौड :**

क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि खनिज तथा धातु निगम ने वर्ष 1972 से 20 वर्ष तक जापान को प्रतिवर्ष 250 लाख मीटरिक टन लौह-अयस्क की सप्लाई करने की पेशकश की है; और

(ख) यदि हां, तो क्या इस ठेके की अवधि में लोहे और इस्पात के कारखानों के और विस्तार को रोकने का सरकार का विचार है ?

**वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरैशी)** : (क) जी, हां ।

(ख) लोहे तथा इस्पात के कारखानों का विस्तार रोकने का कोई विचार नहीं है क्योंकि देश में लौह-अयस्क के निक्षेप, विस्तारोन्मुख इस्पात उद्योग की आवश्यकताओं और साथ ही लौह-अयस्क के बढ़े हुए निर्यात को पूरा करने के लिए पर्याप्त है ।

## कपड़ा मिलों का आधुनिकीकरण

5367. **श्री दामानी** : क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय श्रम आयोग के अध्ययन दल ने सूती वस्त्र उद्योग का आधुनिकीकरण करने की सिफारिश की है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस काम के लिए आवश्यक वित्तीय सहायता के कोई प्राक्कलन भी तैयार किये गये हैं ; और

(ग) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है ?

**वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरैशी)** : (क) जी हां ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

**व्यापार प्रतिबन्ध**

5368. **श्री दामानी** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कोई ऐसा तरीका निकाला है जिससे विकसित देशों द्वारा विकासशील देशों के विरुद्ध लगाये गये "नान-टैरिफ" प्रतिबंधों के प्रभाव का पता लगाया जा सके ; और

(ख) यदि हाँ, तो क्या भारतीय निर्यात पर ऐसे प्रतिबंधों के प्रभाव का कोई निर्धारण किया गया है ?

**वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरैशी)** : (क) और (ख). विकसित देशों द्वारा इस समय जारी रखे गये प्रशुल्केतर (नान टैरिफ) प्रतिबंधों के बारे में व्यापक जानकारी एकत्र करने की कार्यवाही की जा चुकी है। संबंधित सामग्री उपलब्ध हो जाने पर इस पर विचार किया जायेगा कि उसका भारत के निर्यात पर क्या प्रभाव पड़ता है ।

**रेफ्रिजरेटरों का निर्माण**

5369. **श्री प्रकाशवीर शास्त्री** : क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 के अधीन लाइसेंस प्राप्त कितने निर्माता घरेलू रेफ्रिजरेटर एयर कंडीशनर फ्रीजर ब्लड स्टोरेज रेफ्रिजरेटर और ब्लडप्लाजमा फ्रीजर बनाते हैं तथा उनके नाम क्या हैं ;

(ख) इनमें से कितने निर्माता एकक सीधी खरीद, रायल्टी या विदेशी फर्मों के साथ तकनीकी/वित्तीय सहयोग के रूप से विदेशों से प्राप्त तकनीकी जानकारी के आधार पर काम कर रहे हैं ;

(ग) कितने निर्माता इस सम्बन्ध में देशी तकनीकी जानकारी का विकास कर रहे हैं तथा उनके नाम क्या हैं ;

(घ) क्या सरकार गत पाँच वर्षों में प्राप्त हुए आवेदनों की सूची सभा पटल पर रखेगी और यह भी बतायेगी कि वे किस किस तारीख को दिये गये और उनके आवेदक को किस किस तारीख को लाइसेंस दिये गये ; और

(ङ) विदेशों से प्राप्त तकनीकी जानकारी के लिये गत दस वर्षों में (एक) भारतीय मुद्रा तथा (दो) विदेशी मुद्रा के रूप में कितनी रायल्टी दी गई है ?

**औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद)** : (क) से (घ). विवरण (सं० 1 और 2) संलग्न हैं । **[पुस्तकालय में रखे गये । देखिये संख्या एल० टी० 623/68]**

(ङ) आवश्यक जानकारी इकट्ठी की जा रही है और वह सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

**कोचीन से बम्बई तक सीधी गाड़ी**

5370. **श्री वासुदेवन नायर :**
**श्री विश्वनाथ मेनन :**

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है कि कोचीन और बम्बई के बीच तुरन्त

एक सीधी गाड़ी चलाई जानी चाहिये ; और

(ख) यदि हाँ, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

**रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा)** : (क) जी हाँ ।

(ख) यह मामला विचाराधीन है, लेकिन इस मार्ग के एक बड़े भाग पर अतिरिक्त लाइन क्षमता के अभाव और अपेक्षित कोचिंग स्टाक की कमी के कारण अन्तिम रूप से निर्णय नहीं हो पा रहा है ।

**धागे का स्टाक**

5371. **श्री सु० कु० तापड़िया** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में कम खपत के कारण धागे के बहुत बड़े स्टाक जमा हो गये हैं ;

(ख) क्या यह भी सच है कि भारतीय कपड़ा मिल संघ ने 150 कताई एककों को दो सप्ताह के लिये बन्द करने का निर्णय किया है ;

(ग) यदि हाँ, तो इसका कितने श्रमिकों पर प्रभाव पड़ेगा ; और

(घ) इस मामले में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

**वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरैशी)** : (क) दिसम्बर, 1967 से धागे का स्टाक उससे पूर्व के महीनों की तुलना में कुछ अधिक रहा है ।

(ख) सरकार को ऐसे किसी निर्णय की जानकारी नहीं है ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

(घ) गुंडियों के धागे पर, जो 34 नये फ्रांसीसी काउण्ट से कम का हो, बजट में प्रस्तावित उत्पादन कर की रियायतों से और माँड लगे धागे (सूती) की कतिपय किस्मों के बारे में सूती धागे पर शुल्क समंजन करने से धागे की खरीद बढ़ने की आशा है । सके अतिरिक्त विदेशों को भारतीय धागे के निर्यातों में सहायता करने के लिए भारतीय सूती कपड़ा मिल संघ और सूती कपड़ा निर्यात सम्बर्धन परिषद द्वारा कई उपाय किये जा रहे हैं ।

**Rail Link to Khajuraho**

5372. **Shri Jageshwar Yadav** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Khajuraho, which is an historical place, has an aerodrome but is not connected by any railway line;

(b) whether a new railway line is proposed to be laid to connect this place by train for providing rail facilities there;

(c) whether it is proposed to take steps to lay a new railway line from Harpalpur station on the Jhansi-Manikpur line of the Central Railway *via* Khajuraho, Panna Ajaigarh, Naraini, Atari, Boberu, Kamasin and Rajapur to Bargarh railway station on the Central Railway;

(d) whether it is a fact that a survey has already been conducted for laying a new railway line connecting Naraini, Atari, Boberu, Kamasin, Rajapur and was not taken up as it was considered uneconomical; and

(e) whether this railway line would now be taken up in view of the fact that this line would cover all the rice producing areas of District Banda and would prove economical ?

**The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha)**: (a) There is no Railway line upto Khajuraho at present.

(b) No.

(c) No.

(d) and (e). The previous survey revealed that the line will not be remunerative. During the present financial stringency it is not possible to consider the construction of this line.

## चाय बोर्ड में संसद् सदस्यों को प्रतिनिधित्व

5373. **श्री हेम राज** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चाय बोर्ड में संसद सदस्यों के लिए आरक्षित तीन सीटें खाली पड़ी हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उनके कब तक भरे जाने की संभावना है ?

**वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरैशी)** :(क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

## राज्य व्यापार निगम द्वारा अखबारी कागज का आयात

5374. **श्री दामानी** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1968–69 में भारी मात्रा में अखबारी कागज का आयात करने का राज्य व्यापार निगम का विचार है ;

(ख) किन किन देशों से अखबारी कागज का आयात किया जायेगा और प्रत्येक देश से कितनी कितनी मात्रा में आयात किया जायेगा ;

(ग) क्या इस बारे में कोई करार किये गये हैं ; और

(घ) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है ?

**वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरैशी)** :(क) राज्य व्यापार निगम का विचार 1968–69 में लगभग 1,20,000 मे० टन अखबारी कागज आयात करने का है ।

(ख) जिन जिन देशों से अखबारी कागज का आयात करने का विचार है और जितनी जितनी सीमा तक प्रत्येक देश से आयात किया जा सकेगा, उन का ब्योरा नीचे दिया जाता है । फिर भी, वास्तविक खरीद की व्यवस्था इस प्रकार की जायेगी कि वह 1,20,000 मे० टन के प्रस्तावित आयात से अधिक न हो ।

| क्र० सं० | देश का नाम | मात्रा मे० टनों में |
|---|---|---|
| 1 | कनाडा . . . | 41,000 |
| 2 | स्कैंडेनेवियाई देश . . . | 11,500 |
| 3 | सोवियत रूस . | 52,500 |
| 4 | पोलैण्ड . . . . . | 4,000 |
| 5 | चैकोस्लोवाकिया . . . . | 6,000 |
| 6 | संयुक्त राज्य अमरीका . . | 17,000 |
| | योग . . . | 1,32,000 |

(ग) राज्य व्यापार निगम ने अभी तक सोवियत रूस से 52,500 मे० टन तथा कनाडा से 20,000 मे० टन अखबारी कागज आयात करने के करारों पर हस्ताक्षर किये हैं ।

(घ) सोवियत रूस के अखबारी कागज का प्रति मे० टन मूल्य, लागत-बीमा-भाडा सहित 1082 रु० होगा (लदान तथा उतराई का भाड़ा खरीददार को देना होगा) और साथ ही लदान आशा अन्तरीप के मार्ग से होने के कारण अधिभार के रूप में 52.50 रु० लगेगा। कनाडा के अखबारी कागज का, लागत-बीमा-भाड़ा सहित, प्रति मे० टन मूल्य 158 कनाडाई डालर होगा । सुपुर्दगी अवधि अप्रैल, 1968 से मार्च 1969 तक है ।

**केरल में अखबारी कागज बनाने का कारखाना**

**5375. श्री नायनार :** क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या चौथी पंचवर्षीय योजना की अवधि में केरल में अखबारी कागज का एक कारखाना आरम्भ करने से सम्बन्धित केरल सरकार के प्रस्ताव को स्वीकार करने का सरकार का विचार है?

**औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद):** (क) केरल में अखबारी कागज का कारखाना लगाने की सम्भाव्यता रिपोर्ट इस समय तैयार की जा रही है। इसकी जाँच कर लेने के बाद ही अन्तिम निर्णय किया जायगा ।

**रेलवे लाइनों का हटाया जाना**

**5376. श्री हेमराज :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न रेलवे जोनों में, जोनवार, कौन-कौन सी बड़ी मीटर-गेज तथा छोटी रेलवे लाइनें सामरिक महत्व की समझी जाती हैं ;

(ख) क्या रेलवे के बचत अभियान में इन में से कोई लाइनें उखाड़ी जा रही हैं ; और

(ग) यदि हाँ, तो जोन-वार उनके नाम क्या हैं ?

**रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा)** :(क) निम्नलिखित लाइनें सामरिक महत्व की हैं :—

**उत्तर रेलवे**

(i) मुकेरियां से पठानकोट (बड़ी लाइन)

(ii) पोकरण से जैसलमेर (मीटर लाइन)

**पूर्वोत्तर सीमा रेलवे**

(i) रंगापाड़ा नार्थ से मुरकांग सेलक (मीटर लाइन)

(ii) रानीनगर से जोगीघोपा (बड़ी लाइन)

(ख) जी नहीं ।

(ग) सवाल नहीं उठता ।

**कांडला निर्बाध व्यापार क्षेत्र**

**5377. श्री गा० शं० मिश्र** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कांडला निर्बाध व्यापार क्षेत्र में सरकारी एवं गैर-सरकारी क्षेत्रों द्वारा पृथक-पृथक कितनी पूंजी लगाई गई है तथा वहाँ कौन-कौन से उद्योग स्थापित हो रहे हैं ;

(ख) इन उद्योगों की विदेशी मुद्रा की आवश्यकता को पूरा करने के लिए उद्योगपतियों को सरकार ने क्या सहायता दी है ;

(ग) क्या यह सच है कि सरकार द्वारा भरसक प्रयत्न किये जाने के बावजूद भी प्रत्याशित सफलता नहीं मिल सकी है तथा उद्योगपति कांडला निर्बाध व्यापार क्षेत्र में पूंजी लगाने की बजाय गोआ में पूंजी लगाना पसंद करते हैं ; और

(घ) यदि हाँ, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

**वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरैशी)**:(क) गैर-सरकारी क्षेत्र द्वारा अब तक उद्योगों में लगाई गई कुल पूंजी लगभग 19 लाख रुपये है । कांडला निर्बाध व्यापार क्षेत्र में सरकारी क्षेत्र का कोई भी उद्यम स्थापित नहीं किया गया है ।

क्षेत्र में जिन उद्योगों को लगाये जाने की मंजूरी दी गयी है वे निम्नलिखित वर्गों के हैं :

(1) इंजीनियरी

(2) रसायन तथा भेषज

(3) वस्त्र

(4) प्लास्टिक

(ख) क्षेत्र के उद्योगपतियों को प्रदान की गयी कुछ महत्वपूर्ण सुविधाएं निम्नलिखित हैं :

(1) कांडला निर्बाध व्यापार क्षेत्र के एककों को कच्चे माल के अग्रिम आयात लाइसेंसों सम्बन्धी उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने तथा थोड़े मूल्य के पूंजीगत माल के

लिए प्राथमिकता के आधार पर, विदेशी ऋणों से विदेशी मुद्रा की व्यवस्था की जाती है ।

(2) नकद सहायता तथा पुनर्भरण लाइसेंसों के मामले में पूंजीयित निर्यातकों की नीति क्षेत्र के निर्यातकों पर भी लागू कर दी गयी है ।

(ग) क्षेत्र में औद्योगिक प्रगति हो रही है । अनेक मंजूरशुदा पार्टियों ने विकसित भूखण्डों/शैडों का कब्जा ले लिया है । 26 पार्टियों द्वारा प्रस्तुत किये गये इमारतों के नक्शे मंजूर कर दिये गये हैं । चार एककों ने उत्पादन आरम्भ कर दिया है तथा दो एककों ने 15 लाख रु० मूल्य के माल का निर्यात किया है । निकट भविष्य में कुछ और कारखानों द्वारा उत्पादन आरम्भ हो जाने की संभावना है ।

गोआ में कोई निर्बाध व्यापार क्षेत्र नहीं है और सरकार को इसकी जानकारी नहीं है कि उद्योगपतियों का रुझान कांडला निर्बाध व्यापार क्षेत्र की अपेक्षा गोआ में पूंजी लगाने की ओर है ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

## निर्यात-आधारित उद्योग

**5378. श्री गा० शं० मिश्र :** क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) निर्यात-आधारित उद्योगों में उत्पादन के तरीकों को सुधारने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है; और

(ख) उन उद्योगों में पूंजीगत व्यय के लिये धन की व्यवस्था करने के लिये विदेशी मुद्रा की आवश्यकता पूरी करने, पूंजी विनियोजन पर पर्याप्त लाभ प्राप्त करने के लिये निर्यात को बढ़ाने और उन उद्योगों में पूंजीगत व्यय की सुरक्षा सुनिश्चित करने के सम्बन्ध में सरकार की नीति क्या है ?

**औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) :** (क) और (ख). निर्यात के लिये उत्पादन की प्रविधि में सुधार करने के वास्ते कार्रवाई करने का प्रमुख उत्तरदायित्व संबंधित उद्योगों पर है । सरकार अपनी ओर से निर्यात करने वाले एककों को उपकरणों का आयात करने के लिये सुविधायें देती है जिनमें परीक्षण उपकरण शामिल हैं जिससे निर्माण के तरीके में सुधार किया जा सके और देश में कमाई गई विदेशी मुद्रा के आवंटन की योजना के अधीन किस्म के स्तर को ऊंचा उठाया जा सके । इसके अलावा विशेषज्ञ नामिका बराबर औद्योगिक उपक्रमों को इस बारे में सलाह देती रहती है जिससे उनके उत्पादन और परीक्षण प्रविधि में सुधार किया जा सकता हो । इस बात का सुनिश्चय करने के लिये कि भारत से निर्यात किया गया माल अन्तर्राष्ट्रीय किस्म के स्तर का होगा, किस्म नियंत्रण तथा लदान पूर्व-निरीक्षण अधिनियम के अधीन जहाज पर माल लादने से पहले उसका निरीक्षण करने का प्रबन्ध किया गया है ।

## इस्पात पर से नियंत्रण हटाना

5379. **श्री गा० शं० मिश्र :** क्या **इस्पात, खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस्पात पर से नियंत्रण हटाये जाने के बाद उसके मूल्यों में वृद्धि होती जा रही है;

(ख) क्या इस आवश्यक वस्तु पर से नियंत्रण हटा लिये जाने के पश्चात् इस्पात पर आधारित लघु उद्योगों के लिये खुले बाजार से उचित दरों पर कच्चा माल प्राप्त करना बहुत कठिन हो गया है; और

(ग) यदि हाँ, तो बाजार में फैली हुई इस स्थिति पर काबू पाने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

**इस्पात, खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) :** (क) जी नहीं। 1-5-1967 से सभी प्रकार के लोहे और इस्पात पर से नियंत्रण हटा लिया गया है। यह सच है कि संयुक्त संयंत्र समिति द्वारा घोषित किये गये मूल्य विनियंत्रण से पूर्व के मूल्यों से कुछ अधिक हैं। 1-3-1964 से लेकर मूल्यों में वृद्धि करने के कई कारण आते रहे और उत्पादक मूल्य में वृद्धि करने के लिये जोर देते रहे परन्तु सरकार ने कोई फैसला नहीं किया। 1-3-1964 और 30-4-1967 की अवधि में भाड़े की दरों और उत्पादन-शुल्क की दरों में वृद्धि के अलावा मूल्यों में कोई वृद्धि नहीं हुई। 31-1-68 को छोड़कर जबकि निर्यात के लिये पुनर्वलकों को कम कीमत पर बिलेट देने के कारण मूल्य में 3 रुपये प्रति टन की वृद्धि की गई थी, 2-5-1967 के बाद संयुक्त संयंत्र समिति ने मूल्यों में कोई वृद्धि नहीं की। जहाँ तक खुले बाजार में मूल्य का सम्बन्ध है सुगमता से उपलब्ध माल की कीमतें संयुक्त संयंत्र समिति द्वारा निश्चित की गई कीमतों से कम बताई जाती हैं। कम मात्रा में उपलब्ध माल के खुले बाजार में मूल्य संयुक्त संयंत्र समिति द्वारा निश्चित किये गये मूल्यों से अधिक होने की सूचना मिली है।

(ख) और (ग). संयुक्त संयंत्र समिति ने लघु उद्योगों को अग्रता के आधार पर देने के लिये कुछ माल अलग से रखा है। यह माल संयुक्त संयंत्र समिति द्वारा निश्चित किये गये मूल्यों पर दिया जाता है।

## संयुक्त संयंत्र समिति और इस्पात मूल्य

5380. **श्री गा० शं० मिश्र :** क्या **इस्पात, खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि संयुक्त संयंत्र समिति लघु उद्योगों की पूरी माँग को पूरा नहीं कर पा रही है; और

(ख) यदि हाँ, तो स्पात के दाम क्यों बढ़ते जा रहे हैं जब कि इस्पात का नियतन सरकारी अभिकरण द्वारा नियंत्रित किया जा रहा है ?

**इस्पात, खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी)** : (क) और (ख). चादरों और प्लेटों जैसे कुछ चपटे पदार्थों को छोड़कर देश में लोहे और इस्पात के माल की कमी नहीं है और ऐसी संभावना नहीं है कि लघु उद्योगों को कच्चे माल के रूप में इसे प्राप्त करने में कोई कठिनाई आये। अन्य प्राथमिक उपभोक्ताओं की जैसे प्रतिरक्षा और सरकारी उद्योग, आवश्यकताओं को देखते हुए अपेक्षाकृत कम मात्रा में उपलब्ध इस्पात की स्थिति में भी सुधार हो रहा है। स्टील प्रायर्टी कमेटी ने भी कम मात्रा में उपलब्ध इस्पात लघु उद्योगों को अग्रता के आधार पर देने के लिये अलग से रख दिया है। अतः यद्यपि कम मात्रा में उपलब्ध ऐसे इस्पात के मूल्य संयुक्त संयंत्र समिति द्वारा निश्चित किये गये मूल्यों से भले ही कुछ अधिक हो तथापि इससे लघु उद्योगों पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ेगा।

**राज्य व्यापार निगम द्वारा जूतों का निर्यात**

**5381. श्री विद्याधर बाजपेयी** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राज्य व्यापार निगम जूतों के निर्यात से बहुत अधिक लाभ कमा रहा है ;

(ख) यदि हाँ, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) क्या अपनी वर्तमान नीति में परिवर्तन करके छोटे पैमाने के निर्माता कारखानों के साथ बिचोलियों के माध्यम से व्यवहार न करने की बजाय उनका सीधे पंजीयन करने का सरकार का विचार है ?

**वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफ़ी कुरैशी)** : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) राज्य व्यापार निगम की नीति निर्माता कारखानों के साथ अपना सीधे व्यवहार बढ़ाने की है।

**चाय पर निर्यात शुल्क में कमी**

**5382. श्री सु० कु० तापड़िया** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चाय उद्योग तथा निर्यातकों ने निर्यात शुल्क में हाल में दी गई छूट के बारे में असंतोष प्रकट किया है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि जो सहायता दी गई है वह बहुत कम है और इतने से निर्यात व्यापार को बढ़ावा नहीं मिलेगा; और

(ग) यदि हाँ, तो इस मामले में और क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

**वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफ़ी कुरैशी)** : (क) जी हाँ।

(ख) और (ग). अभी इतनी जल्दी यह अनुमान लगाना कठिन है कि चाय पर हाल में घोषित निर्यात शुल्क में दी कई छूट काफी है या नहीं। किन्तु सरकार स्थिति पर निगरानी रख रही है।

**हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड द्वारा बिलेटों की बिक्री**

5683. **श्री मयावन :** क्या **इस्पात, खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिक्री के लिये विज्ञापन देने के बाद हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड ने कुछ खराब बिलेट बेचे हैं अथवा उसका विचार बेचने का है ;

(ख) क्या सरकार को पता है कि ऐसे खराब बिलेटों की बिक्री से बेईमान व्यापारी उन्हें फिर से बेचने अथवा किस्म बिलेटों के रूप में उनका निर्यात करने का प्रयास करेंगे; और

(ग) यदि हाँ, तो इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

**इस्पात, खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) :** (क) जी हाँ।

(ख) और (ग). सरकार के विचार में इस प्रकार की आशंका की कोई गुंजाइश नहीं है कि दोषयुक्त माल निर्यात किया जायेगा या उसे अच्छा माल बताकर पुनः बेचा जायेगा। निर्यात के लिये लाइसेंस लेना और माल के लदान से पूर्व उसकी क्वालिटी की जाँच कराना आवश्यक होता है। जहाँ तक देश में ऐसे माल को बिलेट या उनके छड़ बनाकर बेचने का प्रश्न है ऐसी आशा है कि क्रेता माल खरीदने से पूर्व उसकी क्वालिटी और उसके क्रय के स्रोत के बारे में अपनी तसल्ली कर लेंगे। सभी कारखाने अपना दोषयुक्त माल इसी प्रकार बेचते हैं।

**आन्ध्र प्रदेश में सरकारी क्षेत्र के उपक्रम**

5384. **श्री जी० एस० रेड्डी :** क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 7 मार्च, 1968 को आन्ध्र प्रदेश विधान सभा में कुछ विधायकों ने शिकायतें की थीं कि आन्ध्र प्रदेश राज्य में सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में गैर आन्ध्र वासी अधिक संख्या में नियुक्त हैं; और

(ख) यदि हाँ, तो इनके बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

**औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) :** (क) सरकार को ऐसी किसी भी शिकायत की जानकारी नहीं है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

**सूती कपड़े के निर्यात के लिये नकदी में सहायता**

5385. **श्री क० प्र० सिंह देव :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय सूती कपड़ा मिलों की फेडरेशन ने सरकार से अनुरोध किया था कि उसे जो अनुदान मिलता है उसे सूती कपड़े का निर्यात बढ़ाने के

लिये सूती कपड़ों के निर्यातकों को नकदी में सहायता के रूप में वितरित करने की अनुमति ी जाये;

(ख) यदि हाँ, तो क्या सरकार इस प्रस्ताव से सहमत है;

(ग) यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(घ) इसके परिणामस्वरूप सूती कपड़े का निर्यात कितना बढ़ने की संभावना है ?

**वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी)** : (क) निर्यात बढ़ाने के लिये आवश्यक सहायता पर सरकार विचार कर रही है । इस कार्य के लिये भारतीय सूी कपड़ा मिलों की फेडरेशन को कोई अनुदान नहीं दिया गया है ।

(ख) से (घ). प्रश्न नहीं उठते ।

## भारतीय रेलों के संगचल कर्मचारी

5386. **श्री इसहाक साम्भली** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रेलों के संगचल कर्मचारियों को राष्ट्रीय छुट्टियों को काम करने के लिये धन के रूप में मुआवजा दिया जाता है ;

(ख) यदि इस सम्बन्ध में विभिन्न रेलों में समान नियम नहीं हैं तो इस के क्या कारण हैं; और

(ग) रेलवे बोर्ड के 11 मई, 1962 के पत्र संख्या पी० सी० 60/एच० एल० 2/1 के अन्तर्गत लेखन सामग्री कर्मचारियों को ऐसा मुआवजा न देने के क्या कारण हैं ?

**रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा)**: (क) से (ग). सूचना मंगायी जा रही है और यथासमय सभापटल पर रख दी जायेगी ।

## पूर्वोत्तर सीमा रेलवे के गार्ड

5387. **श्री इसहाक साम्भली** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पूर्वोत्तर सीमा रेलवे के अलीपुर दुआर जिले की दोहरे कर्मचारियों वाली रेल गाड़ीयों गार्डों के लिये विश्राम गाड़ियों की समुचित सुविधाओं के बिना 96 घण्टे चलाई जाती हैं ;

(ख) क्या यह भी सच है कि समयोपरि भत्ते का हिसाब लगाने में गाडियों के फालतू गार्डों के काम के घण्टों को शामिल नहीं किया जाता ;

(ग) क्या यह भी सच है कि इस जिले के गार्डों की इस शिकायत पर 1950 से कोई ध्यान नहीं दिया गया है; और

(घ) यदि हां, तो इस बारे में अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

**रेलवे मंत्री (श्री च० मु० पुनाचा)** : (क) से (घ). सूचना मंगायी जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

## पूर्वोत्तर सीमा रेलवे के गार्ड

5388. **श्री इसहाक साम्भली** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पूर्वोत्तर सीमा रेलवे के गार्डों को कठिन प्रतिकूल प्राकृतिक परिस्थितियों में काम करने और धीमी गति से गाड़ियों चलाने के बावजूद पारिश्रमिक से वंचित रखा जा रहा है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि अलीपुद्वार जंकशन पर जनती और दीमा शटल गाड़ियों पर तैनात गार्डों को बोल्डर आदि उठाने पड़ते हैं और उन्हें यातायात गाड़ी समझा जाता है और तिनसुखिया जिले के लेखापानी-नागनीमोरा सैक्शन में कोयला खान क्षेत्रों में काम करने वालों को अन्य रेलों के समान ट्रिप भत्ता नहीं दिया जाता ;

(ग) क्या यह भी सच है कि पूर्वोत्तर सीमा रेलवे के गार्डों का औसत मील भत्ता 65 रुपये मासिक है और लेखापानी-नागिनीमोरा सैक्शन पर मासिक भत्ता 25 रुपये है; और

(घ) यदि हां, तो मील भत्ता को बराबर करने अथवा 160 किलोमीटर दैनिक करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

**रेलवे मंत्री (श्री च० मु० पुनाचा)**: (क) से (घ) सूचना मंगायी जा रही है और यथासमय सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

## अलीपुरद्वार जंक्शन पर सैक्शन नियंत्रकों का चयन

5389. **श्री इसहाक साम्भली** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) फरवरी, 1967 में पूर्वोत्तर सीमा रेलवे के अलीपुरद्वार जंक्शन में सैक्शन नियंत्रकों के चयन के लिये क्या प्रक्रिया अपनाई गई थी ?

(ख) क्या इस प्रकार प्रक्रिया के विरुद्ध कोई अपील की गई है ; और

(ग) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

**रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा)** : (क) से (ग) सूचना मंगायी जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

## सिंचाई के लिये निर्मित वस्तुएं

5390. **श्री ब० कु० दासचौधरी** : क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मंत्री 15 दिसम्बर, 1967 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4434 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिंचाई के लिये निर्मित वस्तुओं के मूल्यों के बारे में पूछी गई जानकारी इस बीच एकत्र कर ली गई है; और

(ख) यदि हां, तो सिंचाई तथा संरक्षात्मक उपकरणों की खरीद के लिये कौन से राज्य मदवार, राज सहायता देते हैं और प्रत्येक वस्तु पर पृथक-पृथक, कितने प्रतिशत राज सहायता दी जाती है ?

**औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद)** : (क) प्रश्न नहीं

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

**बडागरा रेलवे स्टेशन पर टिकटों का आरक्षण**

5391. **श्री नायनार** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि दक्षिण रेलवे के बडागरा रेलवे स्टेशन पर स्थानों के आरक्षण की कोई व्यवस्था नहीं है ;

(ख) क्या सरकार का विचार वहां ऐसी व्यवस्था करने का है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

**रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा)** :(क) बडागरा स्टेशन पर शायिकाएं आरक्षित कराने की व्यवस्था मौजूद है ।

(ख) और (ग). सवाल नहीं उठते ।

**बोन्डामुंडा के रेल कर्मचारियों के लिये मकान किराया भत्ता**

5392. **श्री स० कुन्दू** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बोन्डामुन्डा में दक्षिण पूर्व रेलवे के कर्मचारियों को केन्द्रीय सरकार के अन्य कर्मचारियों के बराबर मकान किराया भत्ता नहीं दिया जाता हालांकि वे रूरकेला के बिल्कुल पास ही रहते हैं; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

**रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा)** : (क) और (ख). सूचना मंगायी जा रही है और यथासमय सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

**उत्तर रेलवे के राजेन्द्र नगर स्टेशन पर आक्रमण**

5393. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेलवे सुरक्षा दल और सरकारी रेलवे पुलिस के अनेक व्यक्ति और विशेष संगचल रेलवे टिकट परीक्षण दल के मुख्य यात्रा टिकट परीक्षक उस समय घायल हो गये थे, जब 12 मार्च, 1968 को पश्चिम रेलवे के इन्दौर-खण्डवा सैक्शन पर उपनगरीय राजेन्द्र नगर रेलवे स्टेशन पर 200 से अधिक विद्यार्थियों ने पत्थरों से आक्रमण किया था ;

(ख) यदि हां, तो कुल कितने व्यक्ति घायल हुए ;

(ग) रेलवे सम्पत्ति की कितनी हानि हुई ; और

(घ) इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करने का सरकार विचार कर रही है ?

**रेलवे मंत्री श्री चे० मु० पुनाचा** : (क) जी हां ।

(ख) 12, जिनमें से 6 रेलवे कर्मचारी थे ।

(ग) लगभग 350 रुपए की ।

(घ) रेलवे परिसरों में शांति और व्यवस्था बनाये रखने तथा रेल सम्पत्ति और यात्रियों तथा रेल कर्मचारियों की जान माल की संरक्षा-सुरक्षा की जिम्मेदारी राज्य सरकार और रेलवे पुलिस पर है और इस तरह की वारदातों की सूचना तुरन्त रेलवे पुलिस को आवश्यक कार्यवाही के लिए दी जाती है। चूंकि शांति और व्यवस्था का प्रश्न रेलों के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण है, इसलिए, जहां कहीं आवश्यकता पड़ती है, रेलवे सुरक्षा दल के कर्मचारी राज्य पुलिस की सहायता करते हैं।

सरकारी रेलवे पुलिस ने भारतीय दण्ड संहिता की धारा 148, 332, 353, 426, 427, 149, 343 और भारतीय रेल अधिनियम की धारा 120 के अधीन मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है।

**ऐनकों के शीशे बनान का कारखाना, दुर्गापुर**

5394. **श्री अहमद आगा :** क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दुर्गापुर में ऐनकों के शीशे बनाने के कारखाने में उत्पादन आरम्भ हो गया है ;

(ख) यदि हां, तो इसमें प्रति वर्ष कितना उत्पादन होने का अनुमान है और इस समय उसमें कितना उत्पादन होता है ;

(ग) क्या माल बाजार में आ गया है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं; और

(घ) जब देश में उसका उत्पादन हो रहा है, तो क्या सरकार इस शीशे का आयात करने की अनुमति दे रही है ?

**औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) :** (क) से (घ). सोवियत रूस की सहायता से दुर्गापुर में स्थापित की जाने वाली चश्मों के कांच बनाने की परियोजना 300 मी० टन प्रति वर्ष चश्मों के कांच का उत्पादन करेगी जिसमें से 233 मी० टन से 103 लाख शीशे कारखाने में ही बनाए जाएंगे और शेष 67 मी० टन शीशा बाजार में चश्मों के कांच बनाने वाले गैर-सरकारी एककों को बेचे जाने के लिए होंगे। इस परियोजना की निर्माण अवस्था लगभग पूरी हो चुकी है और परीक्षण के तौर पर उत्पादन भी प्रारम्भ कर दिया गया है। व्यवसायिक उत्पादन भी शीघ्र ही प्रारम्भ होने की आशा है और अगले 2 या तीन वर्षों में परियोजना में पूरा उत्पादन होने लगेगा। चूंकि देश में चश्मों के कांच बनाने का कोई दूसरा एकक नहीं है इसलिए इसकी आवश्यकता आयात द्वारा पूरी की जाती है।

**खादी भंडार**

5395. **श्री रा० कृ० बिड़ला :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों में केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों को खादी भंडारों के लिये अलग अलग कुल कितना ऋण और राज-सहायता दी है;

(ख) गत दो वर्षों में खादी का कितना उत्पादन हुआ तथा इसी अवधि में इसकी कितनी बिक्री हुई और इस समय खादी उत्पादन अभियान में सरकार का कुल कितना धन लगा हुआ है ;

(ग) गत दो वर्षों में खादी का कितना निर्यात किया गया तथा उससे कितनी विदेशी मुद्रा कमाई गई ;

(घ) क्या अच्छी किस्म के माल के साथ घटिया किस्म का रेशा मिलाये जाने के संबंध में सरकार को शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है या करने का विचार है ?

**वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफ़ी कुरैशी)** : (क) केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों को खादी भंडारों के लिये पिछले दो वर्षों में कोई ऋण तथा उपदान नहीं दिया है।

| (ख) | वर्ष | बिक्री करोड़ रुपये | उत्पादन करोड़ रुपये |
|---|---|---|---|
| | 1965-66 . | 19.67 | 26.81 |
| | 1966-67 . . . | 25.76 | 27.84 |

खादी उत्पादन आयोग को (1966-67 तक) सरकार ने 134.66 करोड़ रुपये लगाये।

(ग) किसी भी विदेश को कुछ नमूनों के अलावा खादी का कोई निर्यात नहीं किया गया।

( ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

**'पावर कैपेसिटरों' का आयात**

**5396. श्री रा० कृ० बिड़ला** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत चार वर्षों में वर्षवार प्रत्येक देश से कितने और कितने मूल्य के 'पावर कैपेसिटर' आयात किये गये;

(ख) उपर्युक्त अवधि में प्रत्येक राज्य बिजली बोर्ड को आयात किये गए कितने 'पावर कैपेसिटर' दिए गए;

(ग) क्या यह सच है कि आयात की जाने वाली वस्तुओं के स्थान पर देशी वस्तुओं का प्रयोग करने की नीति के अन्तर्गत 'पावर कैपेसिटरों' का आयात आता है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ;

(घ) गत चार वर्षों में वर्षवार देश में कितने 'पावर कैपेसिटर' बनाये गये तथा उपर्युक्त अवधि में उनकी कुल कितनी मांग थी; और

(ङ) क्या सरकार का विचार आयात प्रत्यास्थापन कार्यक्रम के अन्तर्गत इस मद को लाने का है और यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

**वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफ़ी कुरैशी)** : (क) और (ख). एक विवरण (अंग्रेजी में) संलग्न है। [पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल०टी० 624/68]

(ग) जी, हां। यह आयात प्रतिस्थापन के अन्तर्गत आता है ।

(घ) जानकारी निम्नलिखित हैं :

| वर्ष | उत्पादन के बी ए आर में | मांग का आकलन नहीं किया गया |
|---|---|---|
| 1964 | 39,766 | |
| 1965 | 45,462 | |
| 1966 | 67,856 | .. |
| 1967 | 96,000 | (अनुमानित) |

योजना आयोग की नाग समिति द्वारा आकलित चौथी योजना की अवधि में पावर कैपेसिटर की मांग में अब संशोधन किया गया है और इस मांग को पूरा करने के लिये पर्याप्त क्षमता पहले ही मंजूर की जा चुकी है।

(ङ) जी, हां। निर्माताओं से कहा गया है कि वे हाई पावर वोल्टेज कैपेसिटर का निर्माण आरम्भ कर दें और उनमें से कुछ ने तो उनका निर्माण करना भी शुरू कर दिया है।

**खेत्री तांबा परियोजना**

**5397. श्री रा० कृ० बिड़ला :** क्या **इस्पात, खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले पांच वर्षों में, वर्षवार, खेत्री तांबा खनन परियोजना में तांबे का कितना उत्पादन हुआ है ;

(ख) इस परियोजना में इस समय प्रत्येक वर्ग में कितने-कितने व्यक्ति नियुक्त हैं ;

(ग) इस परियोजना पर इस समय कुल कितनी पूंजी लगी हुई है ;

(घ) उससे कितना वार्षिक लाभ होने की आशा है ; और

(ङ) चौथी पंचवर्षीय योजना की अवधि में इस परियोजना के विस्तार का क्या कार्यक्रम है ?

**इस्पात, खान तथा धातु मंत्री (डा० चन्ना रैड्डी) :** (क) खेत्री तांबा प्रायोजना ने अभी उत्पादन आरम्भ नहीं किया है। यह अभी निर्माण अवस्था में है।

(ख) 29 फरवरी, 1968 को खेत्री तांबा प्रायोजना और कोलिहान तांबा खान में, निर्माण कार्यों सहित, काम में लगे व्यक्तियों की संख्या नीचे दी जाती है :—

| | |
|---|---|
| तकनीकी अधिकारी | 56 |
| कर्मचारी | 540 |
| दिहाड़ी मजदूर | 2201 |

गैर-तकनीकी

| | |
|---|---|
| अधिकारी . . | 17 |
| कर्मचारी . . | 275 |
| चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी | 127 |
| दिहाड़ी मजदूर . . . . | 613 |

(ग) प्रायोजना पर इस समय कुल पूंजीगत उदव्यय 10.13 करोड़ रुपया है।

(घ) खेतरी कोलिहान समूह से परिशोधित पूंजीगत अनुमानों पर प्रत्याशित प्रति लाभ की दर 16.78 प्रतिशत है।

(ङ) प्रायोजना अभी तक पूरी नहीं हुई है अत : इस समय विस्तार का कोई प्रश्न नहीं है।

## अल्प सूचना प्रश्न
SHORT NOTICE QUESTION

### अहमदाबाद में कपड़ा मिलों का बन्द होना

**अ० सू० प्र० 12. श्री वीरेन्द्र कुमार शाह :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कोयले की कमी के कारण अहमदाबाद में कुछ कपड़ा मिल बन्द हो जायेंगे ;

(ख) क्या यह भी सच है कि मिलों के पास कोयले का स्टाक बहुत कम है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि दिसम्बर, 1967 में रेलवे बुकिंग 10 दिन के लिये और जनवरी 1968 में 11 दिन के लिये बन्द कर दी गई थी और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(घ) क्या बहुत से मिलों को कोई रेलवे रसीदें प्राप्त नहीं हुई हैं और इन मिलों को कोयला मिलने की संभावना बहुत कम है और यदि हां, तो इस मामले में सरकार क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

**रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) :** (क) जी नहीं।

(ख) मिलें अपने कोयले का स्टाक रेल प्रशासनों को नहीं बतातीं। बताया गया है कि गुजरात के उद्योग मंत्री ने 7 मार्च को राज्य विधान सभा में यह संकेत दिया बताते हैं कि कनकरिया और असरवा रेलवे यार्डों में कोयले की इतनी मात्रा पड़ी है कि नगर की कपड़ा मिलें उसे एक बारे में उठा नहीं सकतीं——इस समय कोयले की स्थिति बहुत सन्तोषजनक है ("वैस्टर्न टाइम्स", अहमदाबाद, दिनांक 8 मार्च, 1968)

(ग) माल डिब्बों के जमघट के कारण जिसमें असरवा और कनकरिया पर माल डिब्बों को कम संख्या में खाली करने के कारण होने वाला जमघट भी शामिल है दिसम्बर, 1967 और जनवरी, 1968 के दौरान पश्चिम रेलवे के बड़ौदा मंडल में स्थित स्टेशनों को कोयला बुक करने के संबंध में क्रमश: 8 दिन और 7 दिन के लिए पाबन्दियां लगायी गयी थीं।

(घ) यह पता नहीं है कि कोई ऐसी मिलें हैं जिन्हें बिल्टियां नहीं मिलीं। लेकिन यदि असरवा और कनकरिया पर माल डिब्बे समय पर खाली कर दिये जायें और जमीन से कोयला शीघ्र उठा लिया जाय तो मिलों को कोयला पहुंचने में कोई कठिनाई नहीं है। इस समय माल डिब्बे खाली करने

और जमीन से कोयला हटाने का काम उस गति से नहीं चल रहा जिस गति से माल पहुंच रहा है जिसके कारण मिलों को कोयला ले जाने की गति को धीमा करना आवश्यक हो जाता है और उनके लिए कोयला बुक करने के संबंध में पाबन्दियां लगानी जरूरी हो जाती हैं। किन्तु इस समस्या का हल मुख्य रूप से स्वयं मिलों के अधिकार क्षेत्र में हैं और उन्हें यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि :—

(i) अपनी मांग के अनुसार माल डिब्बे खाली करने की क्षमता और मैदान में पड़े स्टाक को हटाने का काम तेज किया जाये।

(ii) कोयले का पूल बनाना फिर से चालू किया जाये ताकि जिन मिलों के पास स्टाक कम है वे अस्थायी सहायता प्राप्त कर सकें जैसा कि इन सारे वर्षों में जारी था।

(iii) कोयले की सूचियां न्यूनतम स्तर पर न रखी जायें जैसा कि इस समय रखी जाती हैं बल्कि उसे बढ़ाया जाये और उसे पहले वाले स्तरों पर रखा जाये।

———

## अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

## CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

### शेख अब्दुल्ला का वक्तव्य

**उपध्यक्ष महोदय :** अब हम ध्यान दिलाने वाली सूचना लेंगे।

**Shri Mohammed Ismail** (Barrackpore) : A number of Primary Teachers are out side the Parliament House. The Minister of Education should make a statement.

**उपाध्यक्ष महोदय :** यह मामला इस समय नहीं उठाया जा सकता है।

**श्री श्रीधरन्** (बड़ागरा) : मैं गृह-कार्य मंत्री का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्न विषय की ओर दिलाता हूं और निवेदन करता हूं कि वह इस सम्बन्ध में एक वक्तव्य दें :—

"शेख अब्दुल्ला द्वारा इस आशय का वक्तव्य दिये जाने का समाचार कि भारत काश्मीर पर बलात कब्जा किये हुए हैं।"

**गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्त राव चव्हाण ) :** 15 मार्च, 1968 को श्रीनगर में शेख अब्दुल्ला ने अपने एक भाषण में निश्चय ही यह वक्तव्य दिया था कि भारत काश्मीर पर बलात कब्जा किए हुए है। यह कथन ऐतिहासिक तथ्यों के नितान्त प्रतिकूल है। यह न केवल आश्चर्यजनक अपितु खेदजनक भी है कि शेख अब्दुल्ला ने इस प्रकार का गलत वक्तव्य दिया।

**Shri Sarjoo Pandey** (Ghazipur): I rise on a point of order. Important calling Attention Notices are not addmitted by you. The other day a calling Attention in respect of Allahabad and Calcutta given by us, was not admitted by you. Everywhere roits are taking place and Hindus and Muslims both are in danger.. ..

**उपाध्यक्ष महोदय :** चूंकि ध्यान दिलाने वाली कुछ अन्य सूचनाएं नहीं ली गई थीं अतः माननीय सदस्य इसके बारे में व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठा सकते हैं।

**Shri Sarjoo Pandey:** The Home Minister has agreed in Rajya Sabha to make a statement in this respect. He should also be forced to make statement here as the public is worried due to these disturbances in the country.

**उपाध्यक्ष महोदय :** यह अलग मामला है । इसमें व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं है ।

**श्री श्रीधरन :** यह पहला अवसर नहीं है जबकि शेख अब्दुल्ला ने भारत की अखंडता, धर्म-निरपेक्षता आदि पर आपत्ति की हो, वह पहले भी कई बार इस तरह की राष्ट्र-विरोधी बातें कहते रहे हैं । 14 मार्च को उन्होंने श्रीनगर में कहा था :

> "काश्मीर की जनता के सामने तीन विकल्प हैं वे भारत के साथ रह सकते हैं, पाकिस्तान के साथ मिल सकते हैं अथवा स्वतंत्र रह सकते हैं"

इसी भाषण में उन्होंने आगे कहा था कि भारत ने काश्मीर की आवाज को बन्द करने के लिए घूसखोरी का तरीका अपनाया । किन्तु इसके बावजूद भी स्वतंत्रता संघर्ष चलता रहा । विश्व की कोई शक्ति काश्मीर को, उसकी स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित नहीं कर सकती है ।

इन सब बातों के बावजूद भारत सरकार शेख अब्दुल्ला को अन्य नागरिकों से विशिष्ट समझती है जब कि वह सदा देश की अखंडता को भंग करने की बात कहते हैं । बिना मुकदमा चलाये उन्हें नजरबन्द रखा गया और नजरबन्दी के दौरान उन्हें विलास भी सभी सुविधायें दी गई । रिहाई के बाद उन्हें प्रधान मंत्री के साथ किसी भी समय घंटों बात करने की छूट जब कि संसद् सदस्यों के लिए प्रधान मत्री से भेंट कर सकना भी कठिन कार्य है । इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए मैं दो प्रश्न पूछना चाहता हूं ।

क्या राष्ट्रपति अय्यूब ने शेख अब्दुल्ला के भाषण का स्वागत किया है तथा क्या शेख अब्दुल्ला का किसी अन्य देश के साथ, विशेषत: पाकिस्तान के साथ, कोई सम्बन्ध है ?

क्या भारतीय दण्ड संहिता अथवा किसी अन्य कानून के अन्तर्गत शेख अब्दुल्ला पर मुकदमा चलाने का भारत सरकार का कोई विचार है ?

**श्री यशवन्तराव चव्हाण :** यह स्पष्ट है कि शेख अब्दुल्ला ने गलत और खेदजनक वक्तव्य दिया है । किन्तु हमें इस मामले पर कुछ व्यापक दृष्टि से विचार करना चाहिए । कुछ सप्ताह पूर्व इस सभा के लगभग 250 सदस्यों ने शेख अब्दुल्ला की रिहाई की मांग की थी, उस समय उन्होंने यही सोचा होगा कि एक स्वतंत्र नागरिक के रूप में शेख अब्दुल्ला देश की वर्तमान राजनीतिक स्थिति के अनुसार ही वक्तव्य देंगे । प्रतिक्रिया आरंभ हो चुकी है । उन्होंने केवल यही एक वक्तव्य नहीं दिया है, अपितु कई ऐसी बातें कहीं हैं जो निन्दनीय हैं ।

इस मामले में हमें जल्दी न करके, कुछ सोच समझ कर ही कार्यवाही करनी चाहिए । पहले हमें स्थिति का वास्तविक अध्ययन कर लेना चाहिए ।

**Shri Madhu Limaye** (Monghyr): We had also signed that application. Our plea was that he should not be put in detention without trial.

**श्री श्रीधरन :** मेरे इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया कि क्या कोई अन्य देश उन्हें इस प्रकार के वक्तव्य देन के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं । गृह-कार्य मंत्री महोदय मेरे इस प्रश्न को टाल रहे हैं ।

**श्री यशवन्तराव चव्हाण** : निस्सदेह वह वक्तव्य दे रहे हैं, किन्तु हमें स्थिति पर अच्छी तरह विचार करना चाहिए। वह चाहते हैं कि हम काश्मीर के बारे में पाकिस्तान से बात करें । हम किसी व्यक्ति पर आरोप तो नहीं लगाना चाहते हैं किन्तु इससे हम स्थिति को समझ सकते हैं। मेरी जानकारी के अनुसार वह पाकिस्तान के उच्चायुक्त से मिले थे। वह कभी भी इस बात को नहीं छिपाते कि शेख अब्दुल्ला के उनके साथ मैत्रीपूण सम्बन्ध है ।

**Shri Kameshwar Singh** (Khagaria): It is shameful that the Minister of Home Affairs is passing his mistakes to Members of the House.

**Shri Sitaram Kesari** (Katihar): He should withdraw the word shameful.

**Shri Madhu Limaye**: He has not used any unparliamentary expression.

**Shri Rabi Ray** : The expression "shameful" is not unparliamentary.

**Shri Molhu Prasad** (Bansgaon) : How can any body be kept under detention without trial ?

**उपाध्यक्ष महोदय** : श्री केसरी बैठ जायें।

**Shri Kameshwar Singh** : According to Article to of the Constitution every person who is or deemed to be a citizen of India under any of the foregoing provisions of this Part shall, subject to the Provisions of any law that may be made by Parliament, continue to be such citizen, Sheikh Abdullah can be prosecuted under any law. Is Sheikh Abdullah an Indian citizen and will he be tried in a court of law. If he is not an Indian citizen, will he be deported from the country ?

**श्री यशवन्तराव चव्हाण** : निस्सन्देह वह भारतीय नागरिक है।

**श्री कंवरलाल गुप्त** (दिल्ली सदर) : वह इसे नहीं मानते हैं।

**श्री यशवन्तराव चव्हाण** : यह किसी व्यक्ति के मानने या न मानने पर निर्भर नहीं करता है, क्योंकि नागरिकता के लाभ और उत्तरदायित्व दोनों ही होते हैं। वह भारतीय नागरिक हैं, इसलिये उनके कुछ उत्तरदायित्व हैं ।

जहां तक दूसरे प्रश्न का सम्बन्ध है, हम इस पर राजनीतिक दृष्टि से निर्णय कर रहे हैं।

**Shri Hukam Chand Kachwai** (Ujjain): Some time back the Home Minister had stated that Government were watching the activities of Sheikh Abdullah but he has been making provocating statements. May I know whether Government propose to take any action in this regard ?

According to press reports the signatories of the memorandum regarding the release accepted money from . . . .

**Shri Bhogendra Jha** (Jainagar): The hon. Member should be asked to withdraw his words and to tender apology for it. We signed the Memorandum but it does not mean that we accepted money.

**Shri Molhu Prasad**: How can a person be kept under detention without trial ?

**उपाध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य को इस प्रकार की उत्तेजनात्मक बातें नहीं कहनी चाहिएं ।

**श्री बलराज मधोक** (दिल्ली-दक्षिण) : उन्होंने किसी पर आरोप नहीं लगाया । उन्होंने केवल यह कहा है कि समाचारपत्रों में यह समाचार छपा था ।

**श्री कण्डप्पन** : (मेटर) : माननीय सदस्य को अपने शब्द वापिस लेने चाहिए ।

**श्री कृष्ण मूर्ति** (कड्डलूर) : जनसंघ के सदस्यों ने भी उस पर हस्ताक्षर किये हैं । या तो माननीय सदस्य अपने शब्द वापिस लें या फिर इस आरोप को साबित करें । यह वह ऐसा नहीं करते हैं तो उनके विरुद्ध कार्यवाही की जानी चाहिए ।

**उपाध्यक्ष महोदय** : यदि माननीय सदस्य स्पष्टीकरण देना चाहें तो मैं उन्हें अवसर दे सकता हूं । यदि अपने शब्द वापिस लेना चाहें तो अच्छा है । समाचारपत्रों में प्रकाशित सभी समाचार सच नहीं होते हैं ।

**Shri Hukam Chand Kachwai**: It may be wrong. I have only mentioned the press report. I may give the names of the newspapers.

**उपाध्यक्ष महोदय** : समाचारपत्रों के अनुसार यह आरोप है । यदि यह बात सच नहीं है तो माननीय सदस्य अपने शब्द वापिस ले लें ।

**Shri Bhogendra Jha**: Either he should withdraw it or the matter may referred to the Privileges Committee.

**Mr. Deputy Speaker**: He is withdrawing it.

**श्री जी० भा० कृपलानी** (गुना) : क्या हमें वक्ता की बात सुनने का अधिकार नहीं है ?

**उपाध्यक्ष महोदय** : आपको प्रक्रिया के अनुसार सभा में सब अधिकार हैं ।

**श्री उमानाथ** (पुडुकोटै) : हमने माननीय सदस्य की बात सुन ली है और हमने इस पर आपत्ति की है

**One hon. Member** : It should be expunged.

**श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी** (केन्द्रपाड़ा) : हमें माननीय सदस्य की बात सुन लेनी चाहिए ।

**उपाध्यक्ष महोदय** : यह सभा का मान और प्रतिष्ठा बनाये रखने का मामला है । क्या किसी समाचार के आधार पर धन के लेन देन के बारे में किसी पर आरोप लगाना उचित है ?

**श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी** : किसी माननीय सदस्य के लिए इस प्रकार कोई आरोप लगाना उचित नहीं है । किन्तु माननीय सदस्य ने अपनी बात ही पूरी नहीं की । हमें उनकी पूरी बात सुन लेनी चाहिए ।

**उपाध्यक्ष महोदय** : मैं माननीय सदस्य को इसकी अनुमति देने के लिए तैयार हूं । किन्तु उन्होंने सदस्यों के विरुद्ध जो आरोप लगाया है उसे वह वापिस लें ।

**श्री बलराज मधोक** : माननीय सदस्य चाहते हैं जो चाहें करा लें । यदि कोई शब्द असंसदीय होगा तो वह अपने शब्द अवश्य वापिस ले लेंगे । किन्तु माननीय सदस्य को पहले अपनी बात तो कह लेने दीजिए तब अन्तिम निर्णय कीजिए ।

**श्री कण्डप्पन** : प्रश्न यह नहीं है कि माननीय सदस्य ने असंसदीय शब्दों का प्रयोग किया है अथवा नहीं, शेख अब्दुल्ला की रिहाई की मांग उस समय देश में तथा विश्व में विद्यमान राजनीतिक वातावरण को ध्यान में रख कर की गई थी। क्या माननीय सदस्य के लिए यह कहना उचित है कि धन लेकर शेख अब्दुल्ला की रिहाई की मांग की गई थी ? और स्पष्टीकरण देने से पहले उन्हें बिना शर्त अपने शब्द वापिस लेने चाहिए ।

**उपाध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य को अपने शब्द वापिस लेने चाहिएं ।

**Shri Hukam Chand Kachwai**: I never mean to make an allegation on any member. I have not referred it with any bad intention. I only wanted to ask whether Government's attention has been drawn to this press report. In beginning I made my position clear that these reports might be wrong and would be wrong.

**Shri Bhogendra Jha**: Sir, I rise on a point of order. The allegations made by the hon. Member are on the record. Either the hon. Member should unconditionally withdraw them or the matter may be referred to the Privileges Committee.

**Shri Kanwar Lal Gupta** : Mr. Deputy Speaker, I am of firm opinion that the Members signed the Memorandum for Sheikh Abdullah release with clear conscience. There is nothing wrong in it. Everyoody has its right. The hon. Member Shri Kachwai also means this. He may make it clear if he is given an opportunity.

**उपाध्यक्ष महोदय** : किसी समाचारपत्र में प्रकाशित समाचार के आधार पर किसी माननीय सदस्य की सत्यनिष्ठा पर आक्षेप करना उचित नहीं है । मेरा सुझाव है कि पहले माननीय सदस्य सम्मानपूर्वक अपने शब्द वापिस लें, तब जो स्पष्टीकरण चाहें दे सकते हैं।

**श्री बलराज मधोक** : माननीय सदस्य ने स्पष्टीकरण दे दिया है कि उन्होंने कोई आरोप नहीं लगाया है । सभी लोग अपनी बात को उस तरीके से नहीं कह सकते हैं जिस प्रकार उनसे अपेक्षा की जाती है । उन्होंने अपने शब्द वापिस ले लिए हैं, उन्होंने कहा है कि उन्होंने किसी पर कोई आरोप नहीं लगाया ।

**उपाध्यक्ष महोदय** : किसी समाचारपत्र में प्रकाशित समाचार के अनुसार किसी सदस्य पर लगाया गया कोई आरोप वापिस लिया समझा जाता है ।

**Shri Sarjoo Pandey** : **

**श्री धीरेश्वर कलिता (गौहाटी)** : **

**उपाध्यक्ष महोदय** : यह सभा के कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जायेगा ।

**Shri Hukam Chand Kachwai**: Foreign element has a hand in releasing Sheikh Abdullah and they are also prompting his activities. He is getting help from same foreign countries. The ex-Member, Chaudhary Mohd. Shafi is a strong supporter of Sheikh Abdullah. He always tried to get Sheikh Abdullah released. May I know whether government will find out the source of income of such persons and keep watch on their activities.

---

**सभा के कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया ।

Not recorded.

**श्री यशवन्त राव चव्हाण** : एक सप्ताह पहले तक सरकार शेख अब्दुल्ला का खर्च चलाती थी । जहां तक उनके खर्च का सम्बन्ध है, सरकार की यह नीति नहीं है कि वह किसी रहन सहन के ढंग और उसके खर्च के बारे में पता लगाए । जब एक स्वतंत्र देश की सरकार की यह नीति ही नहीं है, तो ऐसे प्रश्न उठाने से क्या लाभ है ? यह सच है कि पाकिस्तान इस मामले में गलत तरीके से रुचि ले रहा है । हम पाकिस्तान की इस चाल को सफल नहीं होने देंगे । इसके लिए आवश्यक कार्यवाही की जा रही है ।

**Shri Shiv Chandra Jha** : I also signed the memorandum regarding the release of Sheikh Abdullah because he was kept under detention without any trial. Nodoubt we are of the view that every body should enjoy the right of freedom of expression. But such right should be restricted. Where it proves dangerous to the security of the country. Sheikh Abdullaha had talks with the Prime Minister. May I know whether Sheikh Abdullah has accepted Kashmir as a part and parcel of India ? If he has not accepted it, has he been pursuaded to do so ? What are his views about the liberation of so called Azad Kashmir ?

**श्री यशवन्त राव चव्हाण** : माननीय सदस्य का यह कथन उचित है कि अभिव्यक्ति स्वतंत्रता उसी सीमा तक दी जानी चाहिये जहां तक उससे देश की सुरक्षा को किसी प्रकार का खतरा न हो । शेख अब्दुल्ला को भारतीय संविधान के अनुसार यथासंभव स्वतंत्रता दी गई है । इसकी सीमा का उल्लंघन करने के कारण ही उन्हें भारत सुरक्षा कानून के अन्तर्गत नजरबन्द रखा गया था । हम उन्हें अधिक समय तक नजरबन्द नहीं रख सकते थे इसलिए हमने उन्हें रिहा कर दिया । हमने यह कार्यवाही केवल संसद सदस्यों के अनुरोध पर ही की हो ऐसी बात नहीं है ।

जहां तक शेख अब्दुल्ला की गतिविधियों को गैर कानूनी घोषित करने का सम्बन्ध है, यह एक अलग मामला है । ऐसे मामलों में हमें व्यापक दृष्टिकोण अपना कर सभी पहलुओं पर विचार करना पड़ता है । काश्मीर के समूचे प्रश्न को ध्यान में रखते हुए हमें उत्तेजित होकर कार्यवाही नहीं करनी चाहिए, शेख अब्दुल्ला परस्पर विरोधी बातें करते हैं । कभी वह कुछ कह जाते हैं और कभी कुछ । हमें यह बात देखनी है कि उनकी बातों का काश्मीर पर क्या प्रभाव पड़ता है और तब हमें आगे सोच समझ कर कार्यवाही करनी चाहिए ।

**श्री ज्योतिर्मय बसु** : (डायमंड हारबर) मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है . . . . (अन्तर्बाधाएं) ।

**उपाध्यक्ष महोदय** : यदि मैं आपको अवसर दूं तो मुझे श्री शिव नारायण को अवसर भी देना पड़ेगा ।

श्री अमृत नाहटा ने कल एक विशेषाधिकार प्रश्न की सूचना दी थी ।

**श्री ज्योतिर्मय बसु** : पश्चिम बंगाल से आये हुए हजारों प्राथमिक बंग स्कूलों के अध्यापकों के बारे में हमने ध्यानाकर्षण सूचना दी थी ।

**उपध्यक्ष महोदय** : आधे घंटे में एक ही विषय लिया जा सकता है ।

**श्री ज्योतिर्मय बसु** : आपने उसे अस्वीकृत कर दिया ।

**उपाध्यक्ष महोदय** : अस्वीकृत विषयों का इस सभा में उल्लेख नहीं किया जा सकता है ।

**श्री समर गुह** (कन्टाई) : पश्चिम बंगाल से सैकड़ों अध्यापक आये हैं इसलिए इसे स्वीकार किया जाना चाहिए ।

कई माननीय खड़े हुए ।

**श्री ज्योतिर्मय बसु** : अ.मन् आप शिक्षा मंत्री महोदय से कहें कि वह पश्चिम बंगाल के प्राथमिक स्कूलों के अध्यापकों के बारे में वक्तव्य दें ।

**Shri Madhu Limaye** : It is very strange that short notice question and Calling Attention Notice on certain subjects are admitted in the Rajya Sabha whereas such notices are not admitted here. I do not want to go into details of the merits of the notices lying with you. I have only a submission that such notices are considered by you sympathetically.

**श्री ज्योतिर्मय बसु** : आप शिक्षा मंत्री महोदय से वक्तव्य देने के लिए कह सकते हैं ।

**उपाध्यक्ष महोदय** : मैंने आपके सुझाव सुन लिए हैं। इन मामलों पर विचार किया जा सकता है किन्तु इसके लिए भी कुछ समय चाहिए ।

---

## विशेषाधिकार के प्रश्न के बारे में

***Re* : Question of Privilege**

**उपाध्यक्ष महोदय** : अब हम विशेषाधिकार के प्रश्न के बारे में विचार करेंगे ।

कल श्री अमृत नाहटा ने एक विशेषाधिकार के प्रश्न की सूचना दी थी जिसमें यह आरोप लगाया गया था कि श्री नन्द कुमार सोमानी ने 22 मार्च, 1968 को आधे घंटे की चर्चा के दौरान अपना भाषण देने से पहले ही इस भाषण की साइक्लोस्टाइलड प्रतिलिपियां समाचार पत्रों को दे दी थीं। श्री नाहटा ने यह प्रश्न 22 मार्च को भी उठाया था किन्तु श्री सोमानी ने इंकार कर दिया था।

मैं नहीं समझता कि इससे कोई विशेषाधिकार भंग हुआ है ।

श्री सोमानी ने अपनी स्थिति का स्पष्टीकरण देते हुए मुझे एक पत्र लिखा है । मै उनसे कहूंगा कि वह यथा समय इस सभा में व्यक्तिगत भाषण दें ।

## सभा पटल पर रखे गये पत्र

**Papers Laid on the Table**

**आयोजना के लिए व्यवस्था तंत्र के बारे में प्रशासन सुधार आयोग का अन्तिम प्रतिवेदन**

**संसद् कार्य तथा संचार मंत्री (डा० राम सुभग सिंह)** : मैं आयोजना के लिए व्यवस्था तन्त्र के बारे में प्रशासन सुधार आयोग के अन्तिम प्रतिवेदन की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं ।
**[पुस्तकालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 597/1968]।**

**नेशनल इंस्ट्रूमेंटस लिमिटेड तथा तुंगभद्रा स्टील प्रोडक्टस् लिमिटेड के कार्य की समीक्षा**

**औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद)** : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(एक) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 क की उपधारा (1) के अन्तर्गत वर्ष 1966–67 के लिए नेशनल इंस्ट्रूमेंट्स लिमिटेड कलकत्ता, के कार्य की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(दो) नेशनल इंस्ट्रूमेंट्स लिमिटेड, कलकत्ता, के 1966-67 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियन्त्रक महालेखा परीक्षक टिप्पणियां ।

[पुस्तकालय में रखी गयी । देखिए संख्या एल० टी० 598/1968] ।

(एक) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत वर्ष 1966-67 के लिए तुंगभद्रा स्टील प्राडक्टस लिमिटेड के कार्य की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(दो) तुंगभद्रा स्टील प्राडक्ट्स लिमिटेड के 1966-67 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियन्त्रक महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां।

[पुस्तकालय में रखी गयी । देखिये संख्या एल० टी० 599/1968] ।

**उत्तर प्रदेश नगर महापालिकाएं (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) अध्यादेश**

**स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति ) :** मैं उत्तर प्रदेश राज्य के सम्बन्ध में राष्ट्रपति द्वारा दिनांक 25 फरवरी, 1968 को जारी की गई उद्घोषणा के खण्ड (ग) (चार) के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद 213(2) (क) के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश नगर महापालिकाएं (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) अध्यादेश, 1968 (1968 का उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या ii) की एक प्रति जो उत्तर प्रदेश के राज्यपाल द्वारा 27 जनवरी, 1968 को प्रख्यापित की गई थी (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा-पटल पर रखता हूं । [पुस्तकालय में रखी गयी गई । देखिए संख्या एल० टी० 600/1968] ।

**वित्त मंत्रालय तथा गृह-कार्य मंत्रालय की अनुदानों की मांगों का शुद्धि-पत्र**

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) :** मैं निम्न पत्रों की एक एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं :

(5) वित्त मन्त्रालय की अनुदानों की मांगों, 1968-69 (भाग 2) का शुद्धि-पत्र (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(6) गृह-कार्य मन्त्रालय की अनुदानों की मांगों, 1968-69, (भाग 2) का शुद्धि-पत्र (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 601/1968] ।

**वर्ष 1966-67 के लिए इलायची बोर्ड के प्रमाणित लेखे**

**वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शफी कुरेशी ) :** मैं इलायची अधिनियम, 1965 की धारा 19 की उपधारा (4) के अन्तर्गत वर्ष 1966-67 के लिए इलायची बोर्ड के प्रमाणित लेखे की एक प्रति तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सभा-पटल पर रखता हूं। [पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० 602/1968] ।

———

## राज्य सभा से संदेश

**Messages of Rajya Sabha**

**सचिव :** मुझे राज्य सभा से प्राप्त निम्नलिखित सन्देशों की सूचना देनी है।

(एक) कि लोक सभा द्वारा 18 मार्च 1968 को पास किये गये दिल्ली नगर निगम (संशोधन) विधेयक, 1968 से राज्य सभा अपनी 23 मार्च, 1968 की बैठक में बिना किसी संशोधन के सहमत हो गई है।

(दो) कि लोक सभा द्वारा 20 मार्च, 1968 को पास किये गये जम्मू काश्मीर लोक प्रतिनिधित्व (अनुपूरक) विधेयक, 1968 से राज्य सभा अपनी 23 मार्च, 1968 की बैठक में बिना किसी संशोधन के सहमत हो गई है।

---

## याचिका समिति

**Committee on Petitions**

**कार्यवाही का सारांश**

**श्री स० चं० सामन्त :** (तामलुक). मैं याचिका समिति की पन्द्रहवीं से पच्चीसवीं बैठकों के कार्यवाही सारांश सभा-पटल पर रखता हूं।

**दूसरा प्रतिवेदन**

**श्री स० चं० सामन्त :** (तामलुक) : मैं याचिका समिति का दूसरा प्रतिवेदन उपस्थापित करता हूं।

**साक्ष्य**

**श्री स०चं० सामन्त :** (तामलुक): मैं याचिका समिति के समक्ष दिये गये साक्ष्य की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं।

---

## सदस्य द्वारा वैयक्तिक स्पष्टीकरण

**Personal Explanation by Member**

**(श्री नन्दकुमार सोमानी)**

**श्री नन्द कुमार सोमानी** (नागौर) : शुक्रवार दोपहर, बाद जब मैंने भारत सेवक समाज के बारे में वाद-विवाद आरम्भ किया तो एक माननीय सदस्य द्वारा यह बात हमारे ध्यान में लाई गई कि मेरे भाषण का पाठ समय से पहले ही वितरित किया जा चुका है। इस बात की पड़ताल करने पर मुझे पता चला है कि इसके लिए मेरी जिम्मेदारी नहीं है। पहली बात तो यह है कि वह मेरे भाषण का पाठ नहीं था। यह 20 पंक्तियों में सारांश था जो हमारे कार्यालय के एक जूनियर क्लर्क ने अनजाने में परिचालित किया। इसके लिये मेरा कार्यालय जिम्मेदार है और मैं क्षमा याचना कर चुका हूं।

**श्री रण धीर सिंह** (रोहतक) : यह काफी है।

**उपाध्यक्ष महोदय :** अच्छी बात है। अब सभा में विनियोग (लेखानुदान) विधेयक पर चर्चा होगी।

---

# लेखानुदानों की मांगें (उत्तर प्रदेश) 1968–69 और अनुदानों की अनुपूरक मांगें (उत्तर प्रदेश) 1967–68

**Demands for Grants on Account (Uttar Pradesh) 1968-69 and demads for Supplementary Grants Uttar Pradesh (1967-68.)**

**उपाध्यक्ष महोदय :** अब वर्ष 1968–69 के बजट (उत्तर प्रदेश) सम्बन्धी लेखानुदानों की मांगों और वर्ष 1967–68 के बजट (उत्तर प्रदेश) सम्बन्धी अनुदानों की अनुपूरक मांगों पर चर्चा और मतदान होगा। मांगें अब सभा के समक्ष हैं।

**लेखानुदानों की मांगें (उत्तर प्रदेश) 1968–69 और अनुदानों की अनुपूरक मांगें (उत्तर प्रदेश) 1967–68 के संबंध में निम्नलिखित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए :—**

| मांग संख्या | कटौती प्रस्ताव संख्या | प्रस्तावक का नाम | कटौती का आधार | कटौती की राशि |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 10 | 1 | श्री सत्यनारायण सिंह | किसानों को उर्वरक देने में असफलता | राशि घटाकर 1 रुपया कर दी जाये। |
| 10 | 2 | श्री सत्यनारायण सिंह | अस्पताल के प्राधिकारियों द्वारा बार बार अनुरोध किये जाने पर भी कानपुर में ई० एस० आई० टी० बी० अस्पताल में टेलीफोन कनेक्शन देने में असफलता। | राशि घटा कर 1 रुपया कर दी जाये |
| 11 | 3 | श्री सत्यनारायण सिंह | ग्रामों में पटवारियों का कार्य जो भूमि-स्वामित्व सम्बन्धी अभिलेखों में फर्जी परिवर्तन करते हैं। | 100 रुपये |
| 14 | 4 | श्री सत्यनारायण सिंह | मोदी पिनिंग, वीविंग एण्ड सिल्क मिल्स में विवाद के दौरान गिरफ्तार किये गये श्रमिकों और कार्मिक सघों के कार्यकर्ताओं के प्रति किया गया दुव्यवहार। | 100 रुपये |
| 15 | 5 | श्री सत्यनारायण सिंह | फूलपुर, बड़ागाँव, मिर्जा मुराद, शिवपुर कैंट तथा दशाश्वमेध चौकी में पुलिस के कुकृत्य। | 100 रुपये |
| 15 | 6 | श्री सत्यनारायण सिंह | लोगों को भयभीत करने में पुलिस कर्मचारियों की समाज विरोधी तत्वों से कपटपूर्ण संधि। | 100 रुपये |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 18 | 7 | श्री सत्यनारायण सिंह | वाराणसी जिले में सिधोक कुवार, अनाई मजगांव में लड़कियों के विशेष स्कूलों की व्यवस्था करने में असफलता । | 100 रुपये |
| 18 | 8 | श्री सत्यनारायण सिंह | खालिसपुर, फूलपुर और हीरामनपुर में स्कूल भवनों की मरम्मत करने में असफलता । | 100 रुपये |
| 19 | 9 | श्री सत्यनारायण सिंह | राज्य भर में एक विशेष टी० बी० अस्पताल की व्यवस्था करने में असफलता । | 100 रुपये |
| 19 | 10 | श्री सत्यनारायण सिंह | सरकारी अस्पतालों में क्षय रोगियों को अपर्याप्त भोजन दिया जाना । | 100 रुपये |
| 19 | 11 | श्री सत्यनारायण सिंह | सार्वजनिक अस्पतालों में बहिरंग रोगियों को पर्याप्त मात्रा में दवाइयाँ देने में असफलता । | 100 रुपये |
| 19 | 12 | श्री सत्यनारायण सिंह | सार्वजनिक अस्पतालों में कीमती दवाइयों का उपलब्ध न होना । | 100 रुपये |
| 21 | 13 | श्री सत्यनारायण सिंह | कृषकों को पर्याप्त संख्या में पम्पिंग सेट उधार देने में असफलता । | 100 रुपये |
| 21 | 14 | श्री सत्यनारायण सिंह | भूमिहीन श्रमिकों तथा गरीब कृषकों को परती भूमि दिये जाने में असफलता । | 100 रुपये |
| 24 | 15 | श्री सत्यनारायण सिंह | सहकारिता विभाग द्वारा हथकरघे पर बनी वस्तुओं को बुनकरों से खरीदने के बजाय स्टाकिस्टों से खरीदने की प्रथा । | 100 रुपये |
| 24 | 16 | श्री सत्यनारायण सिंह | हथकरघा बुनकरों को कपड़े के बदले में महाजनों द्वारा चैक दिये जाने की वर्तमान प्रथा को, जिसके परिणामस्वरूप अनेक प्रकार का भ्रष्टाचार होता है जिसमें कि हथकरघा बुनकरों को धन की हानि भी शामिल है, समाप्त करने की आवश्यकता । | 100 रुपये |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 25 | 17 | श्री सत्य नारायण सिंह | हथकरघों को कन्ट्रोल की दरों पर सूत देने और अन्य सुविधायें प्रदान करने में सरकार की असफलता के कारण हथकरघों का बड़े पैमाने पर बन्द होना तथा बुनकरों की बेरोजगारी । | राशि घटा कर 1 रुपया कर दी जाये । |
| 25 | 18 | श्री सत्य नारायण सिंह | कानपुर की महेश्वरी देवी जूट मिल और न्यू विक्टोरिया मिल की जो कि बहुत पहले बन्द हो चुकी है अपने हाथ में लेने की असफलता । | 100 रुपये |
| 25 | 19 | श्री सत्य नारायण सिंह | कूपर ऐलन फैक्टरी, कानपुर का कार्य-भार अपने अधीन सम्भालने में असफलता जिसके परिणामस्वरूप अनेक मजदूरों को जबरी छुट्टी दे दी गई है और उन्हें अन्य कठिनाइयाँ भी हुई हैं । | 100 रुपये |
| 27 | 20 | श्री सत्य नारायण सिंह | उत्तर प्रदेश में कपड़ा मिल श्रमिकों पर डा० सम्पूर्णानन्द पंचाट को लागू न करना । | 100 रुपये |
| 27 | 21 | श्री सत्य नारायण सिंह | चीनी उद्योग के श्रमिकों के लिये पर्याप्त आवास सुविधाओं का प्रबन्ध न करना । | 100 रुपये |
| 27 | 22 | श्री सत्य नारायण सिंह | वाराणसी जिले के भदोही स्थान पर कालीन श्रमिकों के कार्य तथा रहन-सहन की दशा में सुधार के लिये कार्यवाही करने में असफलता । | 100 रुपये |
| 27 | 23 | श्री सत्य नारायण सिंह | वाराणसी में 'जरी' श्रमिकों के कार्य तथा रहन-सहन की दशा सुधारने के लिये कार्यवाही करने में असफलता । | 100 रुपये |
| 27 | 24 | श्री सत्य नारायण सिंह | मोदी स्पिनिंग एण्ड वीविंग सिल्कन मिल्स के बर्खास्त किये गये 336 श्रमिकों को पहले दिये गये आश्वासनों के बावजूद, बहाल करने में सफलता । | 100 रुपये |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 31 | 25 | श्री सत्य नारायण सिंह | पूर्वी उत्तर प्रदेश में नहरी पानी और नल-कूपों की पर्याप्त व्यवस्था करने में असफलता । | 100 रुपये |
| 31 | 26 | श्री सत्य नारायण सिंह | कृषकों को पानी के कनेक्शन देने में सिंचाई कर्मचारियों द्वारा अपनाई जाने वाली भ्रष्ट प्रक्रियाएं । | 100 रुपये |
| 33 | 27 | श्री सत्य नारायण सिंह | बड़ागांव, पिंडरा, बसनी और सिंघोड़ा में जल योजनाएं क्रियान्वित करने में असफलता । | 100 रुपये |
| 46 | 28 | श्री सत्य नारायण सिंह | पूर्वी उत्तर प्रदेश में उद्योगों का विकास न किया जाना । | राशि घटा कर 1 रुपया कर दी जाये । |
| 47 | 29 | श्री सत्य नारायण सिंह | पम्पिंग सेटों के लिये पर्याप्त संख्या में बिजली के कनेक्शन देने में असफलता । | 100 रुपये |
| 50 | 30 | श्री सत्य नारायण सिंह | सिंघोड़ा बरार, कुधार, मंगरी, बरार, अनई मासागांव और हराहुहा बरार में अस्पताल बनाने में असफलता । | 100 रुपये |
| 51 | 31 | श्री सत्य नारायण सिंह | बड़गांव से अनई तक (जिला वाराणसी) पक्की सड़क बनाने में असफलता । | राशि घटा कर 1 रुपया कर दी जाये । |
| 51 | 32 | श्री सत्य नारायण सिंह | वाराणसी जिले में कचहरी से सिंघोड़ा बरार तक पक्की सड़क बनाने में असफलता । | राशि घटा कर 1 रुपया कर दी जाये । |
| 51 | 33 | श्री सत्य नारायण सिंह | वाराणसी जिले में बाबतपुर चनमोहनी से ने बड़ागांव तक पक्की सड़क बनाने में असफलता । | राशि घटा कर 1 रुपया कर दी जाये । |
| 51 | 34 | श्री सत्य नारायण सिंह | वाराणसी जिले में कुवरबरार से माठी-रावन तक पक्की सड़क बनाने में असफलता । | राशि घटा कर 1 रुपया कर दी जाये । |
| 51 | 35 | श्री सत्य नारायण सिंह | वाराणसी जिले में फूलपुर से सिंघोड़ा बरार तक पक्की सड़क बनाने में असफलता । | राशि घटा कर 1 रुपया कर दी जाये । |

**उपाध्यक्ष महोदय द्वारा निम्नलिखित लेखानुदानों की मांगें (उत्तर प्रदेश) 1968–69 मतदान के लिए रखी गई तथा स्वीकृत हुईं :—**

**The following Demands in respect of Demands for Grants on Account (U.P.) 1968-69 were put and adopted :—**

| मांग संख्या | शीर्षक | राशि |
|---|---|---|
| | | रुपये |
| 1 | वृहत् जोत-कर | 1,25,000 |
| 2 | भू-राजस्व | 4,05,17,000 |
| 3 | राज्य आबकारी | 16,98,000 |
| 4 | बिक्री-कर | 31,25,000 |
| 5 | अन्य कर और शुल्क | 9,47,000 |
| 6 | स्टाम्प | 5,19,000 |
| 7 | निबन्धन (रजिस्ट्रेशन) | 11,90,000 |
| 8 | राज्य विधान मण्डल | 17,58,000 |
| 9 | निर्वाचन | 4,21,000 |
| 10 | सामान्य प्रशासन | 98,70,000 |
| 11 | आयुक्त और जिला प्रशासन | 3,79,46,000 |
| 12 | गांव सभायें और पंचायतें | 60,71,000 |
| 13 | न्याय प्रशासन | 98,56,000 |
| 14 | कारागार | 1,05,15,000 |
| 15 | पुलिस | 8,11,70,000 |
| 16 | खाद्य और रसद तथा अन्य संगठन | 52,53,000 |
| 17 | वैज्ञानिक शोध तथा सांस्कृतिक कार्य | 7,81,000 |
| 18 | शिक्षा | 19,40,60,000 |
| 19 | चिकित्सा | 3,90,00,000 |
| 20 | सार्वजनिक स्वास्थ्य | 4,10,92,000 |
| 21 | कृषि सम्बन्धी विकास | 4,25,62,000 |
| 22 | उपनिवेशन | 1,07,000 |
| 23 | पशुपालन तथा मत्स्य पालन | 1,74,27,000 |

| मांग संख्या | शीर्षक | राशि |
|---|---|---|
| | | रुपये |
| 24 | सहकारिता | 62,00,000 |
| 25 | उद्योग | 3,31,13,000 |
| 26 | नियोजन और समन्वय | 7,09,39,000 |
| 27 | श्रम और सेवायोजन | 1,39,95,000 |
| 28 | सूचना निदेशालय | 14,58,000 |
| 29 | अनुसूचित और पिछड़ी हुई जातियां | 1,40,20,000 |
| 30 | समाज कल्याण | 14,05,000 |
| 31 | राजस्व के लिये जाने वाले सिंचाई के निर्माण-कार्य | 8,08,76,000 |
| 32 | सिंचाई अधिष्ठान | 2,99,31,000 |
| 33 | सार्वजनिक निर्माण-कार्य जो राजस्व से किये जाते हैं | 4,09,28,000 |
| 34 | संचार साधनों का सुधार | 41,88,000 |
| 35 | सार्वजनिक निर्माण-कार्य अधिष्ठान | 1,41,69,000 |
| 36 | सार्वजनिक निर्माण-कार्यों के लिये सहायक अनुदान | 58,70,000 |
| 37 | परिवहन | 11,67,10,000 |
| 38 | दुर्भिक्ष सहायता | 17,22,000 |
| 39 | अधिवर्ष भत्ते और पेंशनें | 1,21,14,000 |
| 40 | राजनीतिक पेंशनें तथा भत्ते | 8,03,000 |
| 41 | लेखन-सामग्री और मुद्रण | 83,75,000 |
| 42 | वन | 2,41,77,000 |
| 43 | प्रकीर्ण-व्यय | 1,67,51,000 |
| 44 | राष्ट्रीय संकट से सम्बद्ध व्यय | 74,19,000 |
| | पूंजी व्यय | |
| 45 | कृषि योजनाओं पर पूंजी परिव्यय | 16,71,79,000 |
| 46 | औद्योगिक और आर्थिक विकास पर पूंजी परिव्यय | 1,64,06,000 |
| 47 | बहु-प्रयोजनीय नदी योजनाओं पर पूंजी परिव्यय | 5,04,67,000 |
| 48 | सिंचाई निर्माण-कार्यों पर पूंजी परिव्यय | 1,61,27,000 |
| 49 | सार्वजनिक निर्माण-कार्यों पर पूंजी परिव्यय | 6,00,86,000 |
| 50 | सड़क परिवहन तथा अन्य योजनाओं पर पूंजी परिव्यय | 1,07,86,000 |
| 51 | पेंशनों पर राशिमूल्य | 2,47,000 |
| 52 | राज्य व्यापार की योजनायें | 29,09,96,000 |
| 53 | ब्याज वाले ऋण और अग्रिम | 23,69,06,000 |

**उपाध्यक्ष महोदय द्वारा निम्नलिखित अनुदानों की अनुपूरक मांगें (उत्तर प्रदेश) 1967–68 मतदान के लिए रखी गई तथा स्वीकृत हुईं**

The following Supplementary Demands for Grants (U.P) 1967-68 were put and adopted.

| मांग संख्या | शीर्षक | राशि |
|---|---|---|
| | | रुपये |
| 1 | बृहत-जोत कर | 26,000 |
| 2 | भू-राजस्व | 1,11,61,100 |
| 4 | बिक्री -कर | 100 |
| 6 | स्टाम्प | 1,63,300 |
| 8 | राज्य विधान मण्डल | 100 |
| 9 | निर्वाचन | 24,28,100 |
| 10 | सामान्य प्रशासन | 100 |
| 11 | आयुक्त और जिला प्रशासन | 16,12,500 |
| 13 | न्याय प्रशासन | 22,91,300 |
| 14 | कारागार | 22,16,700 |
| 15 | पुलिस | 1,09,76,700 |
| 16 | खाद्य और रसद तथा अन्य संगठन | 3,80,100 |
| 17 | वैज्ञानिक शोध तथा सांस्कृतिक कार्य | 75,500 |
| 18 | शिक्षा | 1,27,51,400 |
| 19 | चिकित्सा | 28,19,100 |
| 20 | सार्वजनिक स्वास्थ्य | 3,75,400 |
| 21 | कृषि सम्बन्धी विकास | 200 |
| 22 | उपनिवेशन | 18,500 |
| 23 | पशुपालन तथा मत्स्य पालन | 34,21,700 |
| 24 | सहकारिता | 63,900 |
| 25 | उद्योग | 2,37,700 |
| 27 | श्रम और सेवा योजन | 2,46,800 |
| 28 | सूचना निदेशालय | 9,000 |
| 29 | अनुसूचित और पिछड़ी हुई जातियां | 9,54,300 |

| मांग संख्या | शीर्षक | राशि |
|---|---|---|
| | | रुपये |
| 30 | समाज कल्याण . . . . . | 200 |
| 31 | राजस्व से किए जाने वाले सिंचाई के निर्माण-कार्य . . | 58,50,400 |
| 32 | सिंचाई अधिष्ठान . . . . . | 52,28,800 |
| 33 | सार्वजनिक निर्माण-कार्य जो राजस्व से किए जाते हैं . . | 1,21,00,100 |
| 34 | संचार-साधनों का सुधार . . . . | 100 |
| 36 | सार्वजनिक निर्माण-कार्य अधिष्ठान . . . | 25,22,500 |
| 36 | सार्वजनिक निर्माण-कार्यों के लिए सहायक अनुदान . | 100 |
| 37 | परिवहन . . . . . | 1,66,02,300 |
| 39 | अधिवर्ष भत्ते और पेंशनें . . . . | 6,54,000 |
| 42 | वन . . . . . | 24,03,100 |
| 44 | राष्ट्रीय संकट से सम्बद्ध व्यय . . . . | 100 |
| 45 | कृषि योजनाओं पर पूंजी परिव्यय . . . | 2,92,50,000 |
| 46 | औद्योगिक और आर्थिक विकास पर पूंजी परिव्यय . . | 75,51,400 |
| 47 | बहुप्रयोजनीय नदी योजनाओं पर पूंजी परिव्यय . . | 10,00,000 |
| 48 | सिंचाई निर्याण-कार्यों पर पूंजी परिव्यय . . . | 100 |
| 50 | सार्वजनिक निर्माण-कार्यों पर पूंजी परिव्यय . . | 300 |
| 51 | सड़क परिवहन तथा अन्य योजनाओं पर पूंजी परिव्यय . | 100 |
| 54 | ब्याज वाले ऋण और अग्रिम . . . . | 6,30,66,400 |

## उत्तर प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) विधेयक

## (Uttar Pradesh Appropriation (Vote on Account) Bill

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त )** : मैं प्रस्ताव करता हूं कि वित्तीय वर्ष 1968–69 के एक भाग की सेवाओं के लिये उत्तर प्रदेश राज्य की संचित निधि में से कुछ राशियों के निकाले जाने के लिये उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है : "कि वित्तीय वर्ष 1968–69 के एक भाग की सेवाओं के लिये उत्तर प्रदेश राज्य सरकार की संचित निधि में से कुछ राशियों के निकाले जाने के लिये उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।**

**(The motion was adopted)**

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त )** : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं ।

मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि वित्तीय वर्ष 1968-69 के एक भाग की सेवाओं के लिये उत्तर प्रदेश राज्य की संचित निधि में से कुछ राशियों के निकाले जाने के लिये उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है कि :

"कि वित्तीय वर्ष 1968-69 के एक भाग की सेवाओं के लिये उत्तर प्रदेश राज्य की संचित निधि में से कुछ राशियों के निकाले जाने के लिये उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।**

**(The motion was adopted)**

**उपाध्यक्ष महोदय** : अब हम खण्डवार विचार आरम्भ करेंगे।

प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 1, 2 और 3, अनुसूची, अधिनियम सूत्र तथा विधेयक का नाम विधेयक का अंग बने ।"

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।**

**(The motion was adopted)**

**खण्ड, 1, 2 और 3, अनुसूची, अधिनियम सूत्र तथा विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिया जाय ।**

**Clauses 1, 2 and 3, the Schedule, the Enacting Formula and the title were added to the Bill.**

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त)** : मैं प्रस्ताव करता हूं

"कि विधेयक को पारित किया जाये।"

**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को पारित किया जाये"

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।**

**(The motion was adopted)**

## उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक

## Uttar Pradesh Appropriation Bill

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त)** : मैं प्रस्ताव करता हूं कि वित्तीय वर्ष 1967–68 की सेवाओं के लिये उत्तर प्रदेश राज्य की संचित निधि में से कुछ और राशियों के भुगतान तथा विनियोग का अधिकार देने वाले विधेयक को पुरस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है कि :

"कि वित्तीय वर्ष 1967–68 की सेवाओं के लिए उत्तर प्रदेश राज्य की संचित निधि में से कुछ और राशियों के भुगतान तथा विनियोग को अधिकार देने वाले विधेयक को पुरस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ**

**(The motion was adopted)**

**श्री कृष्ण चन्द्र पन्त** : मैं विधेयक को पुरस्थापित करता हूं।

मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि वित्तीय वर्ष 1967-68 की सेवाओं के लिये उत्तर प्रदेश राज्य की संचित निधि में से कुछ और राशियों के भुगतान तथा विनियोग का अधिकार देने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रस्ताव पेश हुआ :

"कि वित्तीय वर्ष 1967–68 की सेवाओं के लिये उत्तर प्रदेश राज्य की संचित निधि में से कुछ और राशियों के भुगतान, तथा विनियोग का अधिकार देने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

**Shri Madhu Limaye** ((Monghyr) : Since President's rule has now been imposed on U.P. I would urge that the existing tax structure in U.P. may be reviewed and legislation

may be enacted immediately to abolish land revenue. Under the accepted programme of the United Front Government in U.P., it was proposed to abolish land revenue, but they did not implement it unfortunately. In the Conference, our party had decided to take initiative in the Legislative Assembly to get the land revenue abolished, irrespective of the consequent fate of that Government. Now I want to request the Minister of Finance to take initiative in the matter and abolish land revenue not only in U.P. but throughout the Country.

I was pained to find that power from Rihand is being supplied to Birla's factory at cheaper rates by sustaining a loss, but action is not being taken to provide power to farmers at cheaper rates. I would request the hon. Minister to provide power to farmers as well as to the consumers in cities and villages at cheaper rates.

I also want to draw attention to the big campaign being carried on by landless persons in U.P. who want that fallow land should be distributed among them and that while distributing it preference should be given to the Tribal people living in hill areas. U.P. is a border State. Smuggling is carried on there on a very large scale. Recently efforts were made by B.O.A.C. to smuggle gold into this country. In the Traffic Manual of B.O.A.C. it has been mentioned that consignments of negligible value can be carried provided they are stored out of sight in inner-most part of aircraft holds. That means that smugglers are indulging in violating our laws on border. Government should take strict action in this matter and B.O.A.C.'s license should be cancelled and their gold siezed by Government should not be returned to them.

**श्री कृष्ण चन्द्र पन्त :** पहली बात माननीय सदस्य ने मालगुजारी को समाप्त करने को कही। स्वयं सदस्य महोदय ने कहा है कि संयुक्त विधायक दल की सरकार स्वीकृत कार्यक्रम होने के बावजूद मालगुजारी को समाप्त नहीं कर सकी । अब जो नई सरकार आयेगी वह इस बारे में विचार करेगी। परन्तु किसानों के लिये मालगुजारी समाप्त करने के मुकाबले में यह अधिक उपयोगी होगा कि उन्हें उत्पादन बढ़ाने के लिये बीज, सिंचाई के साधन और उर्वरक उपलब्ध किये जायें।

जहां तक मिर्जापुर में बिरला की एल्युमीनियम कारपोरेशन को सस्ती बिजली देने का सम्बन्ध है, जिस समय इस बारे में फैसला हुआ था उस समय केरल में एल्युमीनियम प्रोडक्शन कम्पनी आफ इंडिया की तुलना में उसे बिजली सस्ती दर पर नहीं दी गई थी। मैं माननीय सदस्य से सहमत हूं कि उत्तर प्रदेश में बिजली की दरें कम की जानी चाहिये। परन्तु मैं माननीय सदस्य को स्मरण कराऊंगा कि संयुक्त विधायक दल की सरकार के शासन काल में बिजली की दरें बढ़ाई गई थीं।

जहां तक भूमिहीन लोगों का सवाल है हमने संयुक्त विधायक दल के शासनकाल में आश्चर्यजनक बातें होती देखीं। माननीय सदस्य का दल उस सरकार में शामिल था परन्तु वह उसी सरकार के विरुद्ध आन्दोलन चला रहा था। लोकतंत्र में यह एक नई बात है। मुझे खेद है कि भूमिहीन लोगों के लिये जो कुछ उन्होंने किया उस में सफलता नहीं मिली। सरकार एक आदेश जारी कर के भूमिहीनों को जमीन दिलवा सकती थी।

**Shri Madhu Limaye :** Nothing was achieved during the course of 21 years, of which he is not mindful, and he is only talking about what cold not be achieved in 8—9 months' time.

**श्री कृष्ण चन्द्र पन्त :** बी० ओ० ए० सी० की बात असंगत है

**Shri Madhu Limaye :** That is all right but inquiry should be held into that matter.

**Shri K. C. Pant :** Inquiry would be conducted.

**उपाध्यक्ष महोदय :** प्रश्न यह है :

"कि वित्तीय वर्ष 1967—68 की सेवाओं के लिये उत्तर प्रदेश की संचित निधि में से कुछ और राशियों के भुगतान तथा विनियोग का अधिकार देने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

**The motion was adopted.**

**उपाध्यक्ष महोदय :** प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 1, 2, 3, अनुसूची अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का नाम विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

**The Motion was adopted,**

खण्ड 1, 2, 3 अनुसूची, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गये।

**Clauses 1,2,3, the Schedule, the enacting Formula and the title weere added to the Bill.**

**श्री कृष्ण चन्द्र पन्त :** मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को पारित किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

**The Motion was adopted.**

---

इसके पश्चात् लोक सभा मध्यान्ह भोजन के लिये 2 बजे म० प० तक के लिये स्थगित हुई।

**The Lok Sabha then adjoured for Lunnch till Fourteen of the clock.**

लोक-सभा मध्यान्ह भोजन के पश्चात् 2 बजे म० प० पुनः समवेत हुई।

**The Lok Sabha reassembled after Lunch at Fourteen of the Clock.**

(श्रीमती लक्ष्मीकान्तम्मा पीठासीन हुई)।

**[Shrimati Laxmi kanthamma in the Chair]**

**Armed Forces (Special Powers) continuance Bill.**

**वैधानिक-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह ) :** मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) विनियम, 1958 को जारी रखने वाले विधेयक पर , राज्य सभा द्वारा पारित रूप में, विचार किया जाये।"

इस विधेयक का उद्देश्य सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) विनियम, 1958 को नागालैंड राज्य में अग्रेतर अवधि के लिए जारी रखना है। इससे नागालैंड के राज्यपाल राज्य के किसी भाग को 'विक्षुब्ध' घोषित कर सकते हैं और सरकारी गजट में घोषणा करके इसके मूल उपबन्धों को प्रयोग में ला सकते हैं। यह विनियम 1958 में प्रख्यापित किया गया था। पहले यह एक वर्ष के लिए लागू किया गया था। जब कोहिमा और मोकोकचुम जिलों में गड़बड़ की स्थिति न बनी रही तो इस की अवधि 1963 तक प्रतिवर्ष बढ़ाई जाती रही। 1 दिसम्बर, 1963 को नागालैंड राज्य बनने के पश्चात् सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) निरन्तरता अधिनियम 1964 और 1965 को पास करके इसे लागू रखा गया, अब यह समूचे राज्य पर लागू है और इसकी वर्तमान अवधि 4 अप्रैल, 1968 को समाप्त होती है। सामरिक सीमा प्रदेश में शान्ति एवं सुरक्षा को खतरे के कारण इसे एक वर्ष तक अग्रेतर लागू रखा जाना आवश्यक है। हमारा यह उद्देश्य नहीं है कि अनावश्यक अवधि के लिए सशस्त्र बल को विशेष शक्तियां प्रदान की जायें। इसी कारण इसे केवल एक वर्ष के लिए बढ़ाया जा रहा है।

**श्री जे० मुहम्मद इमाम (चित्रदुर्ग) :** वर्तमान हालात को देखते हुए मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं। यह विनियम 1958 में प्रख्यापित किया गया था। हम जानना चाहते हैं कि इन दस वर्षों में सशस्त्र बल द्वारा क्या काम किया है और कहां तक शान्ति, कायम कर सका है। यह नागालैंड के लोगों में परिवर्तन लाने में कहां तक सफल हुआ है। हम यह भी जानना चाहते हैं कि इस विनियम को हर साल क्यों बढ़ाया जाता है। क्या सरकार समझती है कि एक साल में वहां पर शान्ति की स्थिति कायम हो जायेगी ? यदि ऐसा हो सकता है तो ठीक है।

आसाम सभी ओर से शत्रुओं से घिरा हुआ है और यदि वहां पर अधिक देर तक उपद्रव होते रहे तो इस देश से उसका सम्बन्ध टूट जायेगा। वर्ष 1958 से आसाम की स्थिति निरन्तर बिगड़ती जा रही है। आसाम की सीमा के 50,000 किलो मीटर क्षेत्र में नागा रहते हैं। वह आरम्भ से ही स्वतंत्रता की मांग कर रहे हैं। वे राष्ट्रविरोधी गतिविधियों में लगे हुए हैं। अलग राज्य बना देने पर भी वहां गड़बड़ समाप्त नहीं हुई है। अलग पहाड़ी राज्य बनाने के सम्बन्ध में भी विभिन्न पक्षों में काफी मतभेद हैं। सरकार ने उनको अपने साथ सहमत करने का भरसक प्रयत्न किया है। हमारे प्रधान मंत्री ने उन लोगों के साथ कई बार बातचीत की है परन्तु अभी ऐसा ही प्रतीत होता है कि निकट भविष्य में अभी कोई निर्णय नहीं होने वाला है। हमें इस सम्बन्ध में अधिक देर नहीं करनी चाहिये और कोई न कोई निर्णय शीघ्र करना चाहिये।

दुर्भाग्य से आज भारत के सामने बहुत सी समस्याएं हैं जिनसे देश की अखण्डता को

खतरा पैदा हो गया है। इस समय हमें चीन, पाकिस्तान, नागालैंड और आसाम की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। सरकार को इन समस्याओं से निपटने के लिये प्रभावशाली कार्यवाही करनी चाहिये क्योंकि इनके कारण हमारे संसाधनों पर भारी दबाव पड़ रहा है। उन्हें प्रसन्न करने की नीति अच्छी नहीं है। सरकार जो भी निर्णय करे नागा, मिजो तथा अन्य लोगों को उसे स्वीकार करना चाहिये। हम विदेशों के साथ लड़ सकते हैं और विजय प्राप्त कर सकते हैं परन्तु अपने लोगों के साथ लड़ाई नहीं कर सकते। यह कार्य बहुत कठिन है।

**Shri Shiva Chandra Jha (Madhubani)** : On a point of order, Sir. In accordance with rule 69 a financial memorandum should accompany this Bill as it involves expenditure. As this Bill is not accompanied by financial memorandum, the debate may be adjourned and Government may be asked to attach a financial memorandum.

**वैदेशिक कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह)** : इस विधेयक के साथ खर्च का कोई सम्बन्ध नहीं है और इसीलिये वित्तीय ज्ञापन की आवश्यकता नहीं है।

**श्री जे० मुहम्मद इमाम** : अब तक सरकार ने नागा, मिज़ो तथा अन्य लोगों के प्रति तुष्टिकरण की नीति अपनाई है। औचित्य के विचार से उन्हें सरकार के निर्णय को स्वीकार करना चाहिये। इस सम्बन्ध में मैं यह कहना चाहता हूं कि विद्रोही लोगो को विद्रोही ही समझना चाहिये और उन्हें प्रशासन में सहयोगी नहीं बनाया जाना चाहिये। सरकार उन्हें प्रसन्न करने के लिये करोड़ों रुपये खर्च कर रही है। उनके साथ बातचीत की जानी चाहिये परन्तु यदि बातचीत असफल हो जाये तो उनके साथ सख्ती का व्यवहार करना चाहिये।

मेरे विचार से नागा और मिजो एक संघ बनाना चाहते हैं परन्तु आसाम के लोग अलग नहीं होना चाहते और वे चाहते है कि सारा क्षेत्र एक साथ रहे। इस स्थिति के लिये आसाम स्वयं उत्तरदायी है क्योंकि उन्होंने पहाड़ी क्षेत्रो के विकास की उपेक्षा की है। अतः आसाम सरकार को उन लोगो के दिलो को जीतने के लिये सभी सम्भव उपाय करने चाहिये। अथवा देश की अखण्डता की रक्षा करने के लिये प्रभावशाली कार्यवाही करनी चाहिये। मुझे आशा है कि सरकार इस समस्या के प्रति दृढ़ता का रवैय्या अपनायेगी।

**Shri Kanwar Lal Gupta (Delhi Sadar)** : I Support the Bill. To day Naga and Mizo people are demanding in clear terms that they do not want to live in this Country and their country is a separate one. Moreover they are securing arms from China, So much so that they have formed a parallel Government there. They attack on over Security forces. I want to suggest that the people who talk of secession and revolt against the country must be crushed. The Government should not tolerate the acts of treason. This Government wants to have more and more powers to but these powers are not exercised effectively. There is no respect for the law in this country.

I want to draw the attention of the Government to foreign Christian Missionaries. These Missionaries are spending crores of rupees on converting the poor people to Christianity. If some body wants to become Christain with his own sweet will, we have no objection. But it is a matter of concern that they are changing the loyalty of the people which is a grave danger for the integration of the country. I, therefore, suggest that foreign missionaries should be driven out who indulge in such harmful activities. There should be no foreign Missionary in the sensitive areas.

I am in favour of bigger States and not in small pockets. Therefore there should not be any new state in Assam otherwise there will be no end to such demands. We should leave the policy of indecision. The Government should adopt a definite policy and a target date should be fixed to take a firm decision with regard to all such matters relating to Assam.

**श्री विक्रम चन्द्र महाजन** (चम्बा) : नागालैंड की समस्या बड़ी पेचीदा समस्या है हमें इस समस्या का समाधान करने के लिये कठोर उपाय करने चाहियें। यदि वहां पर लुकछिप कर आक्रमण करने की प्रवृत्ति को न रोका गया तो वहां की स्थिति पर नियंत्रण करना बहुत कठिन हो जायेगा। मेरे विचार में नागालैंड क्षेत्र को सेना को सौंप देना चाहिए जिससे वे इस समस्या के साथ सैनिक ढंग से निपट सकें। अब समय आ गया है जब हमें कठोर कार्यवाही करनी चाहिये। इसलिये समस्या का समाधान होने तक यह क्षेत्र सेना के नियन्त्रण में रहना चाहिये और असैनिक अधिकारियों को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिये।

सीमावर्ती राज्यों का विभाजन करने के लिए कार्यवाही की जा रही है। हमने सीमावर्ती पंजाब राज्य का विभाजन किया और अब आसाम राज्य का विभाजन करने का प्रयत्न कर रहे हैं। देश की सुरक्षा के लिये यह आवश्यक है कि सीमावर्ती राज्यों को छोटे-छोटे भागों में विभक्त न किया जाये। नागा और मिज़ो लोगों के साथ हमें बातचीत बन्द कर देनी चाहिये, हमें उन्हें विद्रोही गतिविधियां बढ़ाने के लिये अवसर नहीं देना चाहिये। अत: मेरे विचार में इस क्षेत्र को सेना को सौंप देना चाहिये। इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

**Shri Rabi Ray** (Puri) : There is extraordinary situation in Nagaland. The Government have not taken any effective steps to deal with disruptive forces in that area. In fact their demand for a separate state should have been considered sympathetically, but the Government ignored their demand. It was military action which instigated those people to raise a banner of revolt. Hence disruptive activities are reactions of the Military action. I therefore hold the Government responsible for this extraordinary situation.

I may point out that foreign missionaries are propagating antinational feelings in the minds of Naga people. Government should be cautious in this regard.

The fact remains there is a need for creating feeling of brotherhood among the people living in plains and hills. I want to warn the Government that missionaries of America, China, Russia and Pakistan are in collusion there and they are trying to disunite India. Government should beware of their unhealthy designs so that our unity is strengthened.

**श्री समर गुह** (कन्टाई) : नागा समस्या हमारे नेताओं की पैदा की हुई समस्या है। आज़ाद हिन्द फ़ौज के आन्दोलन के समय ऐसी कोई समस्या नहीं थी। नागा लोग अपने आप को इसी देश का समझते थे और हजारों नागाओं ने आजाद हिन्द फौज के साथ सहयोग किया था।

श्री फिजो नेता जो सुभाष चन्द्र बोस को अपना नेता मानते थे। भारतीय नेताओं के संकीर्ण दृष्टिकोण के कारण उनकी भावनाओं को ठेस पहुंची है। कोहिमा में शहीदों का एक भी स्मारक नहीं बनाया गया। नागा समस्या अब अधिक जटिल एवं विस्फोटक है। इस का एक कारण चीन का विस्तारवादी दृष्टिकोण है और दूसरा कारण यह है कि पाकिस्तान की नीयत भी अच्छी नहीं है।

इसलिये हमें इस समस्या का समाधान बड़े ध्यान और साहस के साथ करना होगा। हमें इस समस्या का समाधान सैनिक शक्ति के साथ नहीं अपितु, राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक आधार पर करना चाहिये। नागालैंड के लिये पृथक् राज्यपाल की जो मांग की गयी, उसपर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाना चाहिए। हमें नागालैंड के एक शिष्टमंडल को यहां पर बुलाया चाहिए तथा इस समय से एक शिष्टमंडल वहां भेजना चाहिये ताकि उनकी समस्याओं के बारे में हमें सही जानकारी प्राप्त हो सके। सरकार को नागालैंड से विद्यार्थियों को वर्ष में कई बार सारे भारत में भ्रमण करने के लिये भेजना चाहिये जिससे वे देश के अन्य भागों के साथ सांस्कृतिक संबंध स्थापित कर सकें। नागालैंड के विद्यार्थियों को इंजीनियरिंग, चिकित्सा, तकनीकि तथा अन्य प्रकार की शिक्षा देने के लिये सुविधाएं देने के संबंध में सरकार को विचार करना चाहिये।

हमारी सरकार को पता होना चाहिये कि साम्यवादी शक्तियां और चीनी शक्तियां नागालैंड की स्थिति से पूरा लाभ उठाने के लिये प्रयत्नशील हैं। यह समस्या अब और भी गम्भीर बन गयी है और सरकार को इस संबंध में अधिक मतर्कता से काम लेना चाहिये।

**श्री मेघ चन्द्र** (आन्तरिक मणिपुर) : मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं। नागालैंड में एक नागालैंड सरकार है परन्तु उसके साथ छिपे हुए नागाओं की भी एक सरकार वहां पर बनी हुई है। जब लोगों को यह पता चला कि नागा लोगों ने सशस्त्र विद्रोह कर के पृथक् राज्य की मांग को पूरा करवा लिया है तो अन्य प्रदेशों में भी इस प्रकार के सशस्त्र विद्रोह के समाचार मिलने लग हैं। मिजो और कुकी जातियां भी इसी मार्ग को अपनाने लगी हैं।

मेरे विचार में इस समस्या के साथ निपटने के लिये इस अधिनियम की अवधि को बढ़ाने से काम नहीं चलेगा, हमें वहां की जनता तक के छोटे-छोटे समूहों की समस्याओं पर ध्यान देना चाहिये। वास्तव में जब सशस्त्र विद्रोह हो जाता है तभी हम समस्याओं पर ध्यान देते हैं। इस प्रकार का दृष्टिकोण अनुचित है।

मैं इस विचार से सहमत नहीं हूं कि भारत एक देश है इस लिये संघ के अन्तर्गत विभिन्न राज्य बनाने के अधिकार नहीं दिये जाने चाहियें। यदि किसी जन-समूह की कुछ विशिष्टताएं हैं तो उनकी उपेक्षा नहीं की जा सकती। अब मणीपुर की जनता में यह भावना पैदा हो गयी है कि नागालैंड के लोगों को सशस्त्र विद्रोह करने के फलस्वरूप पृथक् राज्य का दर्जा मिल गया परन्तु मणीपुर को यह दर्जा नहीं मिल सका क्योंकि उन्होंने सशस्त्र विद्रोह नहीं किया।

एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि इस समस्या का समाधान केवल आंतरिक समस्या के रूप में नहीं किया जा सकता क्योंकि कुछ विदेशी शक्तियां उस क्षेत्र की समस्याओं के संबंध में सक्रिय भाग ले रही हैं। सरकार को इस समस्या पर समुचित ध्यान देना चाहिये।

मणीपुर में भी कुछ अमरीकी धर्मप्रचारक हैं जो शिक्षा आदि की कुछ व्यवस्था करके लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं और उन्हें भारत-विरोधी बनाते हैं। अतः मेरा अनुरोध

यह है कि वहां पर प्रचार करने की आवश्यकता है । उन्हें यह बताया जाना चाहिये कि पृथक राज्य की कोई आवश्यकता नहीं है । केवल विधेयक की अवधि बढ़ाने से काम नहीं चल सकता । मैं सैनिक कार्यवाही के पक्ष में नहीं हूं क्योंकि उससे स्थिति और भी पेचीदा हो जायेगी ।

**Shri Randhir Singh** (Rohtak) : Madam, Nagaland and Mizoland are a cancerous sore in the body of our Country. The two lakh populace of these areas have proved intractable for our Government and they have eroded the honour of our country over the last 20 years or so. It is disgusting to note that our vast military with all its might and main of 20-25 Divisions has not been able to quell their insurgence

The Government wants to have more powers under the present Bill. The arms of our Government need be strengthened to tackle the problem effectively and restore peace in that area within the shortest possible time. The Government should also apply its mind towards setting ex-servicemen in the border areas as it should go a long way in instilling confidence in the local population. It is a welcome measure.

**श्री रणजीत सिंह** (खलीलाबाद): यह समस्या दस वर्ष पुरानी है । प्रत्येक वर्ष पुराने ही तर्क वितर्क दोहराये जाते हैं । यदि सरकार का तरीका पुराना ही रहा तो यह समस्या कई वर्षों तक हल नहीं हो पायेगी । अतः 4-5 वर्षों के लिये इस विधेयक का विस्तार क्यों नहीं कर दिया जाता ?

इस समस्या का एक प्रमुख कारण विदेशी हस्तक्षेप है । यदि विदेशों के भय से जो हमें आतंकित कर रहा है हम पीछा छुटा लें और जहाँ पर भी आवश्यक हो कड़ी कार्यवाही करें, तो इस समस्या का तुरन्त समाधान किया जा सकता है ।

नागालैंड में हमारे बहुत सारे सैनिक मारे गये हैं । 1966 के एक आदेश द्वारा सरकार युद्ध में मारे गये जवानों को पेंशन की बढ़ी हुई दर दी । यह लाभ केवल 20 अक्तूबर, 1962 से ही दिया गया है इससे पहले मारे गये व्यक्तियों को यह लाभ नहीं दिया गया है । यदि सरकार का इरादा चीन के साथ युद्ध में मरने वालों को ही यह लाभ देने का था, तो इसे स्पष्ठ किया जाना चाहिये था । किन्तु यदि यह लाभ नागालैंड में नागाओं द्वारा मारे गये व्यक्तियों को दिया जाता है तो इसे उस तिथी से दिया जाना चाहिये जब से सशस्त्र सेना नागालैंड में नागाओं के विरूद्ध लड़ने के लिये गई है ।

पिछली बार कार्यभार मंत्री श्री चागला ने आश्वासन दिया था कि विद्रोह को रोकने के लिये कई गावों को मिलाया जायेगा । उन आश्वासनों का क्या बना ?

हमें चीन के गलत प्रचार से सचेत रहना है । चीन का हस्तक्षेप हमारे लिये एक बड़ी चेतावनी है ।

**श्री विश्वनाथ मेनन** (एरणाकुलम): विधेयक के अनुसार नागालैंड की समस्या को एक वर्ष में हल किया जा सकता है । मैं नहीं समझता कि सरकार इस मामले में कुछ करने जा रही है । 1948 में उन्होंने एक पृथक राज्य की छोटी सी माँग की थी और यदि उस समय इस माँग को पूरा कर दिया जाता, तो आज यह स्थिति पैदा न होती ।

यदि इस विधेयक के पीछे यह धारणा है कि शक्तिप्रयोग से उनकी माँग को दबाया जा सकता है तो सरकार इसमें भूल कर रही है । इस समस्या को हल करने का केवल एक ही तरीका है और

वह यह कि आदिम जातीय लोगों को स्वायतता की बड़ी से बड़ी शक्तियाँ दी जायें । ऐसा करने से उग्रवादी नागा भी अलग पड़ जायेंगे । हमें पहाड़ी नेता सम्मेलन को भी सहायता देने के प्रयत्न करने चाहिये ।

यदि सरकार इस विधेयक को पारित करके सीमावर्ती क्षेत्रों के निर्धन आदिम जातीय लोगों पर गोलियाँ चलाना चाहिये है, तो मैं इस विधेयक का समर्थन नहीं करता । किन्तु यदि इस विधेयक का उद्देश्य नागालैंड में शाँति स्थापित करना है तो मैं हृदय से इस विधेयक का समर्थन करता हूं ।

**श्री कार्तिक ओराओं** (लोहारडंगा) सभा के समक्ष जो मामला है वह देश की सुरक्षा और अखण्डता का है और जहाँ तक राष्ट्र की एकता और सुरक्षा का संबंध है अपराधियों के साथ कोई रियायत नहीं की जानी चाहिये ।

नागालैंड के बारे में हम चिंतित है और इसका कारण यह है कि नागा लोग सर्व प्रभत्व सम्पन्न राज्य की माँग करते हैं और इसके अतिरिक्त वे कुछ नहीं चाहत । चूंकि हमने ही नागालैंड की माँग का समर्थन किया था और छिपे हुए नागाओं से बात चीत आरम्भ की थी, इसलिये मिजोलैंड पर भी इसका असर पड़ा ।

अब वहाँ पर मिजोरम नाम की एक समानान्तर सरकार है । यदि कोई लोग देश के कानून के विरूद्ध विद्रोह करते हैं तो सरकार को उसे रोकना चाहिये । जब तक सरकार इस मामले में सख्ती से काम नहीं लेगी, तब तक इस समस्या का समाधान नहीं किया जया सकता । बातचीत करने से यह समस्या हल होने की नहीं है ।

---

## राज्य-सभा से सन्देश

### Messages from Rajay Sabha

**सचिव :** मुझे सभा को यह बताना है कि मुझे राज्य-सभा के सचिव से यह सन्देश मिला कि इन विधेयकों के बारे में राज्य-सभा को लोक-सभा से कोई सिफारिश नहीं करनी है :—

(1) विनियोग (रेलवे विधेयक), 1958 ।

(2) विवियोग (रेलवे) संख्या 2 विधेयक, 1968 ।

---

## सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) जारी रखना, विधेयक

### Armed Forces (Special Powers) continuance Bill.

**Shri Y. S. Kushwah** (Bhind) : All efforts of the Government to tackle the problems of Nagaland and Assam have been stultifieded and proved in fructuons It is the Constant refrain of the complaint of the local populace of Nagaland that the Government has been negotiating with the underground Nagas despite the fact that the activities of the latter run counter to the interests of the country. The Nagas in the meantime fine have gained time and consolidated their strength and position. It is high time that our invertebrate Government gave a good bye to its present policy of appeasement and propiliation and adopted a tougher line.

We have a problematic peace in Assam. This State has become a centre of espionage for the foreigners. All Anti-Indian activities should be quelled with a firm hand before it is too-late. Developmental programmes should be undertaken in that State and means of Communication improved.

**श्री सुरेन्द्रपाल सिंह :** माननीय सदस्यों ने जो भी सुझाव दिये हैं सरकार उन पर विचार करके नागा सम्बन्धी अपनी नीति का पुनर्विलोकन करेंगी ।

कुछ माननीय सदस्यों ने यह मत व्यक्त किया है कि सरकार को सख्ती का रुख अपनाना चाहिये और नागा लोगों से बातचीत नहीं करनी चाहिये । उन माननीय सदस्यों को मैं बता देना चाहता हूं कि युद्ध विराम समझौते से पूर्व वहाँ 10 वर्ष तक शक्ति प्रयोग का तरीका अपनाया, बहुत लोग मारे गये किन्तु उसमें सरकार को कोई सफलता नहीं मिली । पिछले 4—5 वर्षों से वर्तमान नीति का अनुसरण किया जा रहा है और हम समझते हैं कि उसमें हमें काफी सफलता मिली है । आज बहुसंख्यक नागा हमारी नीति के पक्ष में हैं । छिपे हुए नागाओं में वह उग्रवादी तत्व जो आज भी स्वतन्त्रता प्राप्त करने की बात करता है, अलग पड़ता जा रहा है । चीन और पाकिस्तान से उन्हें जो सहायता प्राप्त हो रही है वह सरकार की जानकारी में है और सरकार पूरी तरह सतर्क है और स्थिति को कभी भी काबू से बाहर नहीं होने देगी ।

हमें यह महसूस करना चाहिये कि वे आखिर हमारे ही भाई हैं और हम उनके विरूद्ध ब्रिटिश सरकार जैसी सख्त कार्यवाही नहीं कर सकते हैं । हम उनमें देश प्रेम की भावनाओं को जगाने का प्रयास कर रहे हैं ।

बागी नागाओं के चीन या पाकिस्तान जाने को रोकने के लिये हमारी सुरक्षा सेना प्रत्येक संभव कार्यवाही करती है । मैं सभा को आश्वासन देता हूं कि हम वहाँ की समस्या को कभी भी काबू से बाहर न होने देंगे और आवश्यकता पड़ने पर समुचित कार्यवाही करेंगे ।

कुछ माननीय सदस्यों ने कहा कि नागालैंड में विदेशी धर्मप्रचारक शरारतपूर्ण कार्यवाहियाँ कर रहे हैं । इस सम्बन्ध में मुझे यही कहना है कि भूतकाल में कुछ भी हुआ हो इस समय नागालैंड में कोई धर्मप्रचारक नहीं हैं ।

**श्री वीरेश्वर कलिता** (गोहाटी) : वह सभा को गुमराह कर रहे हैं । मणीपुर में एक विदेशी धर्मप्रचारक स्कूल है ।

**श्री सुरेन्द्रपाल सिंह :** इस समय मेरे पास केवल नागालैंड के बारे में जानकारी है । किसी अन्य क्षेत्र के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता हूं। सामान्यतः हमारी नीति यह है कि बहुत अधिक महत्वपूर्ण तथा गड़-बड़ आशंका वाले क्षेत्रों में उन्हें भी नहीं जाने देते हैं । नागालैंड में कोई विदेशी धर्मप्रचारक नहीं हैं ।

**Shri Rabi Ray :** Information should be given about all sensitive areas.

**श्री सुरेन्द्र पाल सिंह :** नागालैंड में ऐसे कोई धर्मप्रचारक नहीं हैं जिनका कि माननीय सदस्य ने उल्लेख किया था । यह ठीक है कि वहाँ कुछ ईसाई लोग रहते हैं किन्तु वहाँ के सब गिरजाघर भारतीय ढंग के बनाये गये हैं और उन पर भारतीय इसाइयों का ही प्रभाव है । वहाँ पर तीन चार विदेशी महिला अध्यापिकाएं हैं किन्तु वे धर्म प्रचारक कार्य में भाग नहीं लेती हैं । वे नागालैंड की अनुमति से वहाँ रह रही हैं ।

**Shri Hukam Chand Kachwai** : Who has supplied this information.

**श्री सुरेन्द्र पाल सिंह** : यह जानकारी हमें नागालैंड सरकार ने दी है और यह सच्ची जानकारी है ।

**श्री धीरेश्वर कलिता** : वह सभा को गुमरहा कर रहे हैं । मनीपुर के सुलहाचन उपखंड में विदेशी मिशनरी का स्कूल सरकार की अनुमति से चल रहा है ।

**श्री सुरेन्द्र पाल सिंह** : मेजर रणजीत सिंह ने दूसरी बात सीमा पर के गाँवों के पुनर्वर्गीकरण के बारे में उठाई है । अपने भाषण के दौरान माननीय सदस्य ने यह भी कहा कि कुछ समय पूर्व तत्कालीन विदेश मंत्री श्री चागला ने यह आश्वासन दिया था कि सीमा पर गाँवोंकेपुनर्वर्गीकरण की योजना क्रियान्वित की जायेगी । मैंने इस बात की छानबीन की और मैं इस परिणाम पर पहुंचा हूं कि श्री चागला ने इस प्रकार का कोई आश्वासन नहीं दिया था । इस प्रकार का विचार देश के कई लोगों ने रखा है और सरकार ने इस पर अच्छी तरह विचार किया है ।

कुछ माननीय सदस्यों ने यह विचार प्रकट किया है कि इस समस्या को बल से सुलझाने के स्थान पर सरकार को बातचीत करनी चाहिये, नागालैंड की जनता को भारत समर्थक बनाकर उसे अपनी ओर मिलाना चाहिए। उन्हें यह बताया जाये कि भारत क्या चाहता है, सरकार ने क्या क्या विकास कार्य उनके लिए किये हैं और दोनों में सांस्कृत एकता स्थापित की जानी चाहिए । मैं माननीय सदस्यों के इन सुझावों से पूरी तरह सहमत हूं तथा नागालैंड की जनता क सभी वर्गों को प्रत्येक अवसर देने का यथासंभव प्रयत्न किया जा रहा है । उन लोगों को भारत के प्रत्यक भाग से परिचित कराया जाता है ।

हम उस क्षेत्र का आर्थिक विकास करने का यथासंभव प्रयत्न कर रहे हैं और हम इस कार्य के लिए वहां की सरकार को यथासंभव सहायता दे रहे हैं । उनकी सभी आवश्यकताएं केन्द्रीय सरकार द्वारा पूरी की जाती हैं। भविष्य में भी वहां के विकास के लिए जितनी सहायता की आवश्यकता होगी हम देने के लिए तैयार हैं ।

श्री नसर गुह ने इस बात की आवश्यकता व्यक्त की है कि नागालैंड के लिए एक पृथक् राज्यपाल होना चाहिए। यह एक नई किस्म की मांग की गई है । इस पर सरकार विचार कर रही है। अभी कोई अन्तिम निर्णय इस बारे में नहीं किया गया है ।

मैं समझता हूं कि मैंने माननीय सदस्यों द्वारा उठाई गई प्रायः सभी बातों का उत्तर दे दिया है । फिर भी कोई बात रह गई हो तो उस पर सरकार अच्छी तरह विचार करेगी ।

इन शब्दों के साथ मैं सिफारिश करता हूं कि सभा इस विधेयक पर विचार करे ।

**Shri Raghubir Singh Shastri** (Baghpat) : Keeping in view the facts employees of Road Development organisation or general Reserve force have to work in dangerous places like Kohima and Dimapur, may I know whether Government propose to provide them with arms and also to make other suitable arrangements for the protection of their lives?

**Shri Surendra Pal Singh** : The Nagaland Government is fully equiped for that. They are helped by the army as and when necessary. Every effort is made to protect the lives of employees working in those areas. Armed forces and police forces are there for this purpose.

**सभापति महोदय :** प्रश्न यह है :

"कि सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) नियम, 1958 को जारी रखने वाले विधेयक पर राज्य सभा द्वारा पारित रूप में विचार किया जाये ।"

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।**

**The Motion was adopted.**

**सभापति महोदय :** प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 1 और 2, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का नाम विधेयक के अंग बनें ।"

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।**

**The Motion was adopted.**

**खण्ड 1 और 2, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गये ।**

**Clauses 1 and 2, the enacting formula and the title were added to the Bill.**

**श्री सुरेन्द्र पाल सिंह :** मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को पारित किया जाये ।"

**सभापति महोदय :** प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को पारित किया जाये ।"

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।**

**The Motion was adopted.**

---

## अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित आदिम जाति आदेश (संशोधन) विधेयक

**Scheduled Castes and Scheduled Tribes orders (संशोधन) Bill**

**योजना, पैट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री अशोक मेहता) :** मैं प्रस्ताव करता हूं "कि अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों की सूचियों में कतिपय जातियों तथा आदिम जातियों को सम्मिलित करने और उन्हें उनसे निकालने, उनके प्रतिनिधित्व के पुनः समायोजन तथा और संसदीय तथा विधान सभा के निर्वाचन क्षेत्रों के पुनः सीमांकन जहां तक यह पुनः समायोजन तथा पुनः सीमांकन करना कतिपय अनुसूचित जातियों तथा आदिम जातियों की सूचियों से निकालने अथवा उसमें सम्मिलित करने के परिणामस्वरूप आवश्यक हो, तथा तत्संबंधी विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक को दोनों सभाओं की 33 सदस्यों की एक संयुक्त समिति को सौंपा जाय जिसमें इस सभा के 22 सदस्य अर्थात् :—

(1) श्री आर० एस० अरुमुगम (2) श्री सी० के० चक्रपाणि (3) श्री अनिल के० चन्दा (4) श्री नयन तारादास (5) श्री जी० वाई० कृष्णन (6) श्री निहार रंजन लास्कर (7) श्री राजा वेंकटप्पा नायक (8) श्री जे० एच० पटेल (9) श्री देवराव शिवराम पाटिल

(10) श्री त्रिलोक शाह लाल प्रियेन्द्र शाह (11) श्रीमती रंजनी देवी (12) श्री राम चरण (13) श्रीमती बी० राधा बाई आनन्द राव (14) श्री जे० बी० मुत्याल राव (15) श्री के० सुब्रयवेलू (16) श्री प्रमोद रंजन ठाकुर (17) श्री रामचन्द्र उलाका (18) श्री अशोक मेहता"

आपकी अनुमति से मैं चार नाम और जोड़ना चाहता हूं, अर्थात

"(19) एम० जी० उईके (20) श्री एम० एम० सिद्दय्या (21) श्री कार्तिक ओराओं (22) श्री हुकम चन्द कछवाय और राज्य सभा के 11 सदस्य होंगे।"

कि संयुक्त समिति की बैठक गठित करने के लिए गणपूर्ति संयुक्त समिति के सदस्यों की कुल संख्या का एक तिहाई होगी;

कि समिति इस सभा को 30 अप्रैल, 1968 तक प्रतिवेदन देगी;

कि अन्य बातों में संसदीय समितियों पर लागू होने वाले इस सभा के प्रक्रिया नियम ऐसे परिवर्तनों और रूप भेदों के साथ लागू होंगे जो अध्यक्ष करे; और

कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि राज्य सभा उक्त संयुक्त समिति में सम्मिलित हो और राज्य सभा द्वारा संयुक्त समिति में नियुक्त किये जाने वाले 9 सदस्यों के नाम इस सभा को बताए।

**श्री कंवर लाल गुप्त** (दिल्ली सदर) : इस समिति के सदस्यों की संख्या कितनी होगी।

**श्री अशोक मेहता :** कुल 33 सदस्य होंगे जिनमें से 22 सदस्य लोक सभा के और 11 सदस्य राज्य सभा के होंगे।

मुझे बताया गया है कि कार्य मंत्रणा समिति का विचार है कि समय की बचत की दृष्टि से बिना किसी चर्चा के विधेयक प्रवर समिति को सौंपे जाये। अतः मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूं।

**सभापति महोदय :** प्रश्न यह है :

"कि अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों की सूचियों में कतिपय जातियों तथा आदिम जातियों को सम्मिलित करने और उन्हें उनसे निकालने, उनके प्रतिनिधित्व के पुनः समायोजन तथा संसदीय तथा विधान सभा के निर्वाचन क्षेत्रों के पुनः सीमांकन, जहां तक यह पुनः समायोजन तथा पुनः सीमांकन करना कतिपय अनुसूचित जातियों तथा आदिम जातियों को सूचियों से निकालने अथवा उसमें सम्मिलित करने के परिणामस्वरूप आवश्यक हो, तथा मम्बन्धी विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक को दोनों सभाओं की 33 सदस्यों की एक संयुक्त समिति को सौंपा जाये जिसमें इस सभा के 22 सदस्य, अर्थात् :—

(1) श्री आर० एस० अरूमगम (2) श्री सी० के० चक्रपाणि (3) श्री अनिल के० चन्दा (4) श्री नयन तारा दास (5) श्री जी० वाई० कृष्णन (6) श्री निहार रंजन लास्कर (7) श्री राजा वेंकटप्पा नायक (8) श्री जे० एच० पटेल (9) श्री देवराव शिवराम पाटिल (10) श्री त्रिलोक शाह लाल प्रियेन्द्रशाह

(11) श्रीमती रजनी देवी, (12) श्री राम चरण, (13) श्रीमती बी० राधाबाई आनन्द राव, (14) श्री जे० बी० मुतयाल राव, (15) श्री के० सुब्रावेलू, (16) श्री प्रमोद रंजन ठाकुर, (17) श्री राम चन्द्र उलाका, (18) श्री एम० जी० उईके, (19) श्री एस० एम० सिद्दय्या (20) श्री कार्तिक ओराओं, (21) श्री हुकम चन्द कछवाय, (22) श्री अशोक मेहता, और

राज्य सभा के 11 सदस्य हों ;

कि संयुक्त समिति की बैठक संगठित करने के लिये गणपूर्ति संयुक्त समिति के सदस्यों की कुल संख्या का एक तिहाई होगी ;

कि समिति इस सभा को अगले सत्र के पहले दिन तक प्रतिवेदन देगी ;

कि अन्य बातों में संसदीय समितियों पर लागू होने वाले इस सभा के प्रक्रिया नियम ऐसे परिवर्तनों और रूपभेदों के साथ लागू होंगे जो अध्यक्ष करे ; और

कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि राज्य सभा उक्त संयुक्त समिति में सम्मिलित हो और राज्य सभा द्वारा संयुक्त समिति में नियुक्त किये जाने वाले 11 सदस्यों के नाम इस सभा को बताए ।"

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।**

**The motion was adopted.**

## बैंकिंग विधियां (संशोधन) विधेयक

BANKING (AMENDMENT) BILL

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) :** मैं श्री मोरारजी देसाई की ओर से प्रस्ताव करता हूं :

"कि बैंकों पर सामाजिक नियंत्रण के विस्तार और तत्संबंधित विषयों अथवा आनुषंगिक विषयों का उपबन्ध करने हेतु बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 में आगे संशोधन करने वाले तथा रिजर्व बैंक आफ इंडिया अधिनियम, 1934 तथा स्टेट बैंक आफ इंडिया अधिनियम, 1955 में भी आगे संशोधन करने वाले विधेयक को निम्नलिखित 22 सदस्यों में आप देखेंगे कि कार्य सूची में केवल 20 सदस्यों के नाम हैं। अब आज की प्रकाशित कार्य सूची में कुछ परिवर्तन किये गये हैं और दो नाम और सम्मिलित कर दिये गये हैं। ये परिवर्तन सभापति की अनुमति से किये गये हैं। नामों में परिवर्तन सम्बन्धित दलों की अनुमति से किये गये हैं।

(1) श्री फ्रेंक एन्थुनी (2) श्री कमल नयन बजाज, (3) श्री महाराज सिंह भारती के स्थान पर श्री स्वतंत्र सिंह कोठारी (4) श्री नारायण दांडेकर, (5) श्री सी० टी० दण्डपाणि, (6) श्री जी० एस० ढिल्लों, (7) श्री एस० एम० जोशी के स्थान पर श्री मधु लिमये, (8) श्री एच० एम० केदरिया, (9) श्रीमती सुचेता कृपालानी, (10) श्री समरेन्द्र कुंडू (11) श्री

ललित सेन, (12) श्री ही० ना० मुकर्जी के स्थान पर श्री इन्द्रजीत गुप्त, (13) चौधरी नीतिराज सिंह, (14) श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित, (15) श्री कृष्ण चन्द्र पंत, (16) श्री देवराव शिवराम पाटिल के स्थान पर श्री एस० आर० राने, (17) श्री आर० दशरथ राम रेड्डी के स्थान पर श्री तिरूमल राव, (18) श्री द्वैपायन सेन, (19) श्री कमलनाथ तिवारी।

जो दो नाम कार्य सूची में नहीं हैं अब सम्मिलित किये गये है वे ये है :—

'(20) श्री ज्योतिर्मय बसु, (21) श्री साधु राम और (22) श्री मोरारजी देसाई'।

कि प्रवर समिति को एक मास के अन्दर प्रतिवेदन देने की हिदायत के साथ सौंपा जावे।"

माननीय सदस्यों को स्मरण होगा कि 14 सितम्बर, 1967 को उपप्रधान मंत्री महोदय ने इस सभा में दिये गये एक वक्तव्य में उन प्रशासनिक और वैधानिक उपायों का ब्यौरा दिया था जो सरकार वाणिज्यिक बैंकों के कार्य संचालन पर कारगर सामाजिक नियंत्रण रखने के निर्णय को क्रियान्वित करने के लिये करना चाहती है। सामाजिक नियंत्रण की योजना के अनुसार अखिल भारतीय स्तर पर राष्ट्रीय ऋण परिषद् की स्थापना की जा चुकी है और इसकी पहली बैठक 16 तारीख को हुई थी। यह परिषद् समग्र ऋण संबंधी बजट और आयोजना के बारे में बुनियादी समस्याओं से परिचित है। हमें आशा है कि वाणिज्यिक बैंकों के लिए यह परिषद् ऋण नियतन के बारे में मार्गदर्शी सिद्धान्त बना सकेगी।

विधेयक के उद्देश्यों और कारणों के विवरण से यह स्पष्ट हो जायेगा कि इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य बैंकिंग विनियमन अधिनियम में कुछ ऐसे नये उपबन्ध किये जायें जिससे बैंकों पर कारगर ढंग से सामाजिक नियंत्रण रखा जा सके। वाणिज्यिक बैंक को उन को बताये गये मार्गदर्शी सिद्धान्तों के आधार पर ही ऋण सम्बन्धी निर्णय करने होते हैं। इस विधेयक का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि वाणिज्यिक बैंक इन प्रयोजनों के लिए उचित ढंग से कार्य करें और रिजर्व बैंक की शक्तियाँ इतनी व्यापक हों कि उन मार्गदर्शी सिद्धान्तों को क्रियान्वित करवा सके। साथ ही सरकार को यह अधिकार दिया जाये कि वह किसी बैंकिंग कम्पनी का कारोबार उस बैंक द्वारा रिजर्व बैंक के निदेशों की निरन्तर अवहेलना के कारण अपने हाथ में ले सके।

चूंकि इस विधेयक का सम्बन्ध अर्थव्यवस्था के एक महत्वपूर्ण क्षेत्र से है, अतः इसके परिणाम भी बहुत महत्वपूर्ण होंगे। यद्यपि इस विधेयक का प्रारूप तैयार करने में अत्यन्त सावधानी से काम लिया गया है, फिर भी माननीय सदस्य इस बात से सहमत होंगे कि यह कार्य अपेक्षाकृत कम समय में किया गया है। यही कारण है कि मैं चाहता हूं कि यह विधेयक विधेयक प्रवर समिति को सौंपा जाये ताकि इस में किसी प्रकार की त्रुटि रहने की कोई गुंजायश न रहे।

माननीय सदस्यों ने कई बार इस बात पर चिन्ता व्यक्त की है कि बैंकों के निदेशक बोर्ड के प्रभुत्वशाली सदस्य अपने लिए अथवा अपनी कम्पनियों के लिए ऋण प्राप्त करने में प्रबन्धकों पर अनुचित दबाव डालते हैं। इस विधेयक के खण्ड 5 का आशय इस प्रकार के अनुचित प्रभाव को समाप्त करना है। इसमें निदेशकों या उनकी कम्पनियों आदि को दी गई वर्तमान अग्रिम राशियों को समाप्त करने के लिए बैंकों को इस खण्ड में तीन वर्ष की अवधि दी गई है। यह अवधि एक वर्ष कम की जा सकती है। मेरे पास कुछ ऐसे अभ्यावेदन आये कि इस विधेयक के वर्तमान प्रारूप से कुछ कठिनाइयां पैदा हो सकती हैं। इसमें यह कहा गया है किसी निश्चित तारीख से ऋणों और अग्रिम राशियों को बन्द करने से नकद ऋण आदि में कठिनाई पैदा हो सकती है। अभ्यावेदनों में यह भी कहा गया है कि उन कम्पनियों को जिनके निदेशक बैंक के निदेशक भी हैं दिये जाने वाले ऋण पर जो प्रतिबन्ध की व्यवस्था की जा रही हैं वह प्रतिबन्ध उन कम्पनियों पर लागू नहीं होना चाहिए जो बैंकों की सहायक कम्पनियां हैं अथवा जो अधिनियम की धारा 25 के अन्तर्गत पंजीकृत मुनाफा न कमाने वाली कम्पनियां हैं अथवा जिनमें सरकार के आधे से अधिक शेयर हैं। इस सम्बन्ध में मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि प्रतिबन्ध लागू करने की व्यावहारिक अथवा कानूनी कठिनाइयों को दूर करने के लिए प्रवर समिति इस खण्ड में संशोधन करने के किसी पर विचार कर सकती है।

प्रस्तावित धारा 36 ए० डी० की बड़ी आलोचना की गई है। इस सम्बन्ध में हमें अनेक अभ्यावेदन मिले हैं कि इस धारा को हटाया जाये क्योंकि इससे कार्मिक संघ सम्बन्धी गतिविधियों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इस सम्बन्ध में यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि कार्मिक संघों की उचित गतिविधियों पर किसी प्रकार का कोई प्रतिबन्ध लगाने का हमारा इरादा नहीं है। प्रस्तावित धारा का उद्देश्य केवल यह है कि किसी व्यक्ति को ऐसी अवांछनीय गतिवधियों में, जिनसे बैंक के सामान्य कामकाज पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, भाग लेने से रोका जा सके। हमने इस सम्बन्ध में अच्छी तरह विचार किया है। कोई भी व्यक्ति अपनी शिकायत को दूर कराने के लिए न्यायालय की शरण ले सकता है।

इसके अतिरिक्त दो और छोटे छोटे संशोधनों पर प्रवर समिति विचार कर सकती है। उपखण्ड (क) में संशोधन करके यह स्पष्ट किया जा सकता है कि किसी व्यक्ति को न केवल किसी बैंकिंग कम्पनी के कार्यालय या व्यापार स्थल में प्रवेश करने में अपितु वहां से चले जाने में भी कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए। इसके साथ ही साथ किसी व्यक्ति द्वारा बैंक के अहाते के अन्दर किसी भी प्रकार का प्रदर्शन करने पर, चाहे वह शान्तिपूर्ण हो अथवा अशान्तिपूर्ण, प्रतिबन्ध होना चाहिए। मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य यह अनुभव करेंगे कि यह उपबन्ध आवश्यक है।

इसके अतिरिक्त हम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अधिनियम तथा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अधिनियम में भी संशोधन कर रहे हैं। ये संशोधन प्रवर समिति के सामने उचित अवसर पर प्रस्तुत किए जायेंगे।

मैं प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं।

**सभापति महोदय** : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

**श्री लोबो प्रभु** (उदीपी) : मैं इस विधेयक का विरोध करता हूं क्योंकि इसका संवैधानिक आधार नहीं है । पता नहीं मंत्रालय ने यह विधेयक तैयार करते समय "**गोरखनाथ बनाम पंजाब सरकार**" के बारे में उच्चतम न्यायालय के निर्णय पर ध्यान दिया अथवा नहीं । इस निर्णय के अनुसार अनुच्छद 31क द्वारा दिये गये किसी व्यक्ति के मूलभूत सिद्धान्तों का हनन नहीं किया जा सकता है । मैं मंत्री महोदय से इस बात का आश्वासन चाहता हूं कि उपर्युक्त निर्णय को ध्यान में रखा गया है ।

[श्री बलराज मधोक पीठासीन हुए]

[SHRI BALRAJ MADHOK in the chair]

**Mr. Chairman:** This is not the way to raise objection. The hon. Member may reject, amend or accept the Bill by the vote of the House. But I do not think the constitutional objection which you have raised is valid.

**श्री बृ० भा० कोशिक** (चांदा) : 'समाजवाद' 'साम्यवाद' तथा 'सामाजिक नियन्त्रण' का नारा हमने अन्य देशों से लिये । आज हमें देखना यह है कि हमारी अपनी वास्तविक स्थिति क्या है तथा उस स्थिति को देखते हुए वर्तमान विधेयक की उपयोगिता क्या है । इस समय जब कि समाजवादी तथा साम्यवादी देश तक का झुकाव भी राज्य के स्वामित्व से निजी स्वामित्व की ओर हो रहा है हम सामाजिक नियन्त्रण आदि की बात कर रहे हैं । हमें विश्व के देशों के अनुभव को ध्यान में रख कर ही कोई कदम उठाना चाहिए । आज जब कि एक ओर अन्य देशों में इस प्रकार की प्रवृत्ति चल रही है हमारे राजनीतिज्ञ सरकारी क्षेत्री और राष्ट्रीयकरण आदि की बात कर रहे हैं । इसका परिणाम यह हो रहा है कि हमें घाटे की अर्थ व्यवस्था मुद्रा स्फीति दिवालियापन तथा ह्रासोन्मुखी अर्थव्यवस्था का सामना करना पड़ रहा है । हमें इस बात पर अच्छी तरह विचार करना चाहिए कि क्या ऐसी स्थिति में इस विधेयक को लाना हमारे लिए अविवेकपूर्ण नहीं होगा तथा क्या इस विधेयक से हमें कोई सहायता मिलेगी ।

हमारे देश में सभी बैंकों पर रिजर्व बैंक का नियन्त्रण है । रिजर्व बैंक सभी बैंकों के कार्य की जांच कर सकता है । बैंकों पर नियन्त्रण के लिए अन्य कई उपबन्ध हैं । मैं समझता हूं इतना सब होते हुए आज बैंकों पर सामाजिक नियन्त्रण की बात कह कर इस विधेयक को लाना उचित नहीं है और न ही इस विधेयक से किसी प्रकार का कोई लाभ ही होगा । कुछ बैंकों का प्रबन्ध अच्छा न होने की बात कही जाती है । इस आरोप का कोई आधार नहीं है । मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि उन्हें बैंक के अंशधारियों, खातेदारों अथवा रिजर्व बैंक से किसी प्रकार की शिकायतें मिली हैं । मैं समझता हूं कि केवल यह कह देना ही पर्याप्त नहीं है कि शिकायतें मिली हैं ।

उपप्रधान मंत्री के वक्तव्य के पैराग्राफ 15 में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि गत 15 वर्षों में भारतीय बैंकिंग प्रणाली में स्थायित्व और मजबूती आई है और वर्तमान कमियों को देखते हुए बैंकिंग व्यवस्था ने अच्छा काम किया है । इस प्रमाणपत्र के बाद किसी और तर्क की आवश्यकता नहीं रह जाती है । इसलिये बैंकों पर नियन्त्रण के लिये, विशेष रूप से वाणिज्यिक बैंकों के मामले में, वर्तमान विधेयक की कोई आवश्यकता नहीं है ।

इसी वक्तव्य में तीन कमियों का उल्लेख है : (1) वाणिज्यिक बैंकों ने लघु उद्योगों तथा कृषि को समान रूप से ऋण सुविधायें प्रदान नहीं की हैं; (2) बैंकों के साधनों का निदेशकों तथा उनकी

संस्थाओं के हितों के लिये दुरुपयोग किया जाता है और (3) कुछ व्यापारियों के हाथ में आर्थिक शक्ति केन्द्रित करने में बैंकों ने सहायता की है। इन पर पृथक-पृथक विचार करने से पहले मैं यह कहना चाहूंगा कि चूंकि हमारा देश अविकसित है इसलिये हमें उत्पादन और सेवाओं को तेजी से बढ़ाने के सिद्धान्त को ले कर आगे चलना है। रिजर्व बैंक अब तक यह बात समझ में नहीं आई है कि हमारे बैंकिंग व्यवस्था पर इतने वर्षों से नियन्त्रण की आवश्यकता थी तो यह रिजर्व की अयोग्यता ही दिखाता है।

यह कहा गया है कि वाणिज्यिक बैंकों ने कृषि के लिये पर्याप्त ऋण नहीं दिया है। यह कथन न्यायोचित नहीं है। चूंकि हमारे देश में बैंकों का गठन अंग्रेजी प्रणाली के अनुसार किया गया है इसलिए उनसे केवल व्यापार और उद्योग के लिये ऋण देने की आशा की जाती है। सरकार ने प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से इसे स्वीकार किया है और किसी भी समय इस नीति पर आपत्ति नहीं की गई है। सरकार अथवा रिजर्व बैंक ने कभी भी किसानों को ऋण देने की नीति में परिवर्तन करने का निदेश नहीं दिया है। वाणिज्यिक बैंक अंशधारियों को जमाकर्ताओं के धन के संरक्षक होते हैं। इसलिये वे राज्य सरकारों के तकावी ऋण अथवा सहकारी ऋणों के समान मुक्त रूप से ऋण नहीं दे सकते हैं क्योंकि ऋण वापस करने की किसान की क्षमता समय पर वर्षा पर निर्भर करती है। वे धरोहर के रूप में उनके पास रखे गये धन को जोखिम में नहीं डाल सकते हैं। जब तक सरकार द्वारा वाणिज्यिक बैंकों के कार्यचालन की आलोचना नहीं की जाती अथवा रिजर्व बैंक द्वारा कोई निदेश जारी नहीं किया जाता है कोई कारण नहीं है कि वाणिज्यिक बैंक कृषि ऋण सम्बन्धी अपनी नीति में परिवर्तन करने की बात सोचें इसके अतिरिक्त बैंकिंग जांच आयोग तथा ग्रामीण ऋण सर्वेक्षण समिति ने सरकार से यह निश्चित सिफारिश की थी—जिसे सरकार ने स्वीकार भी किया है—कि वाणिज्यिक बैंक कृषि ऋण के क्षेत्र में प्रवेश नहीं करेंगे। सहकारी समितियों ने भी कहा था कि ग्रामीण ऋण के क्षेत्र में वाणिज्यिक बैंकों को नहीं आना चाहिए और इस क्षेत्र पर उनका एकाधिकार होना चाहिए। सरकार ने इस मांग को मान भी लिया था।

**(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)।**

**(Mr. Deputy Speaker in the Chair.)**

फिर सरकार ने स्वयं सभी ग्रामीण क्षेत्रों में स्टेट बैंक की शाखाएं खोली हैं ताकि आवश्यकता पड़ने पर स्टेट बैंक स्वयं किसानों को ऋण दे सके। इन सब बातों को देखते हुए अब यह कहना कि वाणिज्यिक बैंकों ने कृषि कार्यों के लिये ऋण की आवश्यकता को पूरा नहीं किया है न्यायोचित नहीं है।

स्टेट बैंक शत प्रतिशत सरकारी संस्था है। यदि हम स्टेट बैंक और वाणिज्यिक बैंकों के कार्यकरण की तुलना करें, तो पायेंगे कि स्टेट बैंक ने वाणिज्यिक बैंकों से अच्छा कार्य नहीं किया है। कृषि ऋण के क्षेत्र में आने पर सरकार द्वारा रोके जाने पर भी उन्होंने चीनी मिलों, चाय बागानों, कृषि-प्रधान उद्योगों और सहकारी समितियों को ऋण के रूप में तथा भूमि बन्धक बैंकों को ऋण-पत्रों के रूप में कुल मिलाकर 300 करोड़ रुपया दिया है। इसलिये मुझे समझ नहीं आता है कि उधर बैठे सदस्य किस मुंह से आकर कहते हैं कि वाणिज्यिक बैंकों ने अपना दायित्व नहीं निभाया और इसलिये यह विधेयक आवश्यक है।

दूसरा आरोप यह है कि वाणिज्यिक बैंकों ने लघु उद्योगों को यथोचित धन नहीं दिया है। यदि आंकड़े देखें, तो स्पष्ट हो जायेगा कि बड़े बैंकों से ऋण लेने वालों में 65 से 70 प्रतिशत लघु उद्योग

होते हैं और मध्यम स्तर के बैंको से ऋण लेने वालों में 85 से 90 प्रतिशत तक लघु उद्योग हैं। 1961 में 28 करोड़ रुपए ऋण दिया गया था, जो 1966 में बढ़कर 91 करोड़ रुपए हो गया। यह प्रशंसा की बात है कि लघु उद्योगों ने जहां कहीं भी ऋण लिये आवेदन-पत्र दिये, वे अस्वीकार नहीं किये गये अथवा अस्वीकृत आवेदन-पत्रों की संख्या नगण्य रही। आवेदन-पत्रों को स्वीकार करने का कारण जमानत आदि सम्बन्धी प्रक्रिया को पूरा करने में लघु उद्योगों की असफलता ही रही होगी। न तो मेरी जानकारी में कोई ऐसा मामला है और न ही सभा के सामने ऐसी जानकारी रखी गई कि बिना किसी उचित कारण के किसी भी आवेदन-पत्र को अस्वीकार किया गया। रिजर्व बैंक ने भी कभी भी इस बारे में कोई आपत्ति नहीं की। इसलिये अप्रत्यक्ष तथा प्रत्यक्ष रूप से यह समझा गया कि इस बारे में वाणिज्यिक बैंको की नीति ठीक थी।

तीसरी शिकायत यह है कि साधनों को एकाधिकार के ढंग से प्रयोग किया गया है। यदि हम 20 प्रमुख बैंकों के सन्तुलन-पत्र देखें, तो पता चलेगा कि उनके द्वारा दिये गये ऋण की कुल राशि 1480 करोड़ रुपए थी, जिसमें से निदेशकों ने केवल 149 करोड़ रुपए लिये थे, जो कुल राशि का 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होती है। समझ में नहीं आता कि यह आरोप किस आधार पर लगाया गया है। यह वास्तव में तथ्यों पर आधारित नहीं है। वास्तव में निदेशको के ऋण के लिये आवेदन-पत्रों की रिजर्व बैंक जांच करता है और उसकी अनुमति के बाद ही उन्हें ऋण दिये जाते हैं। क्या ऐसा कोई रिकार्ड है कि रिजर्व बैंक के आदेशों के विरुद्ध निदेशकों को ऋण दिये गये। जब रिजर्व बैंक ने वाणिज्यिक बैंक के कार्यकरण की नीति की आलोचना नहीं की है, तो यह समझना स्वाभाविक है कि वे ठीक प्रकार काम कर रहे हैं। इस बात का भी कोई प्रमाण नहीं है कि आर्थिक शक्ति कुछ व्यक्तियों के पास केन्द्रित हो गई है। श्री मोरारजी देसाई ने अपने वक्तव्य के पैराग्राफ 2 में स्वयं कहा है कि बैंको ने ठीक ही काम किया। क्योंकि सरकार ने लाइसेंस दिये और लोगों द्वारा कारखाने स्थापित किये जाने के बाद उन्हें पूंजी से वंचित रखना पाप होता। यदि आर्थिक केन्द्रीयकरण हुआ है तो यह सरकार द्वारा कुछ लोगों को लाइसेंस देने की गलती के कारण हुआ है।

इसलिए इस विधेयक के समर्थन में बताया गया कोई भी तर्क उचित नहीं है; वास्तव में ये सभी काल्पनिक दलीलें हैं। उनका बिल्कुल कोई आधार नहीं है और इसलिए विधेयक का कोई आधार नहीं है और इसको नामंजूर कर दिया जाना चाहिए।

इस विधान के पीछे क्या चीज है ? यदि माननीय सदस्य कांग्रेस का चुनाव घोषणा-पत्र पढ़ेंगे, तो पायेंगे कि कांग्रेसियों के मन में यह है कि आर्थिक केन्द्रीयकरण होने पर कांग्रेस सरकार का पतन हो जायेगा। इसलिये अपनी स्थिति सुदृढ़ करने के लिये उन्होने यह विधेयक रखा है। वे सभी क्षेत्रों में राजनीतिज्ञों का दखल रखना चाहते हैं। इन वाणिज्यिक बैंकों को नौकरशाही तथा राजनीतिज्ञों से प्रभावित करना चिन्ताजनक है और हमें इसे स्वीकार नहीं करना चाहिए। वे बैंकों की विधियों पर नियन्त्रण करके मतदाताओं और बड़े उद्योगपतियों पर पूर्ण अधिकार रखना चाहते हैं ताकि उनकी सत्ता बनी रहे उन्होंने अनेक चीजों का राष्ट्रीयकरण किया है। अन्त में मैं अपने कांग्रेसी मित्रों और इस विधेयक को रखने वाले लोगों का ध्यान हिन्दी की कहावत की ओर आकर्षित करना चाहता हूं "जहां चरण पड़े सतन के, वहां बंटाधारा।" इस बात को ध्यान में रखें। यदि आप ऐसा करते हैं तो यह देश को बर्बाद करना होगा।

**Shri Amrit Nahata** (Barmer): Mr. Deputy Speaker, the question is why this bill on social control on bank has been necessitated. The hon. Member preceding me termed the complaints against the banks as wrong and said that they advanced Rs. 300 crores for agricultural purpose. But this figure goes against his contention as this is the amount provided out of Rs. 3500 crores deposited with them by the middle class of people that too included tea plantations, rubber plantations and big agro-industries . Not even one percent advances were made to small and cooperative industries, small agriculturists which are really in need of money.

The hon. Member, who spoke before me, also pleaded that since the licences were granted by Government, the banks were not belamed for increase in monopolies and concentration of economic power. In fact quite contrary to this argument the big industrialists with the financial backing of the banks could satisfy the licensing committee about their resources and capital potential and secured the licences. Furthermore they are responsible for increasing and perpetuating regional inbalances in the country. They collect money from poor people in towns and cities all over the country and advance money to big industrialists in big cities such as Bombay, Calcutta and Madras. For Example five crores of rupees have been collected from my place Jodhpur but only Rs. 50,000 have been advanced to the local industry and trade. Thus the banks are exploiting the poor and helping the big entrepreneurs.

Then, these banks have also encouraged speculation. The velocity of the circulated by the banks is eight times the total money in the country which has resulted in inflation. They have advanced money against goods of daily necessities and indulged in speculation in them, which has caused a spiral in prices. In these circumstances the common man in the country feels that improvement should be effected in the working of these banks. Of course, some control is being exercised by the Reserve Bank to check insurance advances. Banks are required to submit their returns every Friday to the Reserve Bank. But still the banks are able to avail the advances from the banks for five days and thus frustrating the desired control. The banks are debarred from making advances against essential commodities but in fact they are doing so by showing some other items such as radio sets, in their records. This has only resulted in increase in speculation and process.

The Reserve Bank could not make use of its existing powers effectively. In other countries a cut in the bank rate by Government results in an automatic chain reaction but it is strange enough that all the banks have not effected a cut in their interest rates in spite of a reduction in bank rate announced by the Reserve Bank. Thus it is clear that Reserve Bank has not been successful nor it will be successful in future to exercise social control on banks. The banking industry is a very sensitive industry and the Reserve Bank has to proceed very cautiously and carefully as any crisis in the banking industry and loss of people's confidence in them may jeopardise the entire economy and monetary system of our country. The slightest rumour can cause a serious ruin of any of the soundest bank which may cause its failure. Social control on banks cannot be successful since a bank may threaten any interference in their working may result in loss of people's confidence and consequent failure of the bank. This may result in a series of failures of banks.

The question is as to who is the real owner of the deposits with the money and in what manner these should be utilised . If a poor but skilled person, who can well contribute to the national wealth, approaches a bank for an advance, he is denied the same since he has got no money of his own which is the basic consideration for advancing money. If you make it obligatory on the banks to provide agricultural credit, I am afraid the big industrialists may impose to enter the agricultural sector in a big way to capture it and the small

farmers, who can increase the output, will not be benefited the least. If you want to achieve your objective, the banking industry should be nationalised. The present deposits amounting to Rs. 35 crores with the banks would be doubled and increased resources would be available for plan implementation. It would add to the national welfare. A ban is envisaged in the Bill on demonstrations and shouting of slogams within 10 yards of banks which is definitely intended to curb the interests of employees and to help the bank owners. This clause should be withdrawn.

**श्री उमानाथ (पुद्दुकोट)** : मैं इस विधेयक का विरोध करता हूं। इस सम्पूर्ण विधेयक को अस्वीकार किया जाना चाहिये। देश के सभी लोगों तथा इस सभा के सभी पक्षों ने बैंकों के राष्ट्रीयकरण की मांग की है। यह विधेयक इन लोगों के साथ धोखा है। इस मांग के दो कारण हैं : बैंक-पूंजी पर वित्त-पूंजी के अधिकार को समाप्त करना तथा लघु उद्योगपतियों और साधारण किसानों की आवश्यकताओं की यथार्थ में पूर्ति एंव जनसाधारण की हित-साधना के लिये सम्पूर्ण पूंजी सरकार के अधिकार में लाना। क्या सामाजिक नियंत्रण से इन दो बातों की पूर्ति होती है? बिल्कुल नहीं। इस विधेयक के कानून बन जाने पर बैंकिंग उद्योग पर वित्त-पूजी की पकड़ और अधिक मजबूत हो जायेगी तथा कार्मिक संघों के आन्दोलनों को कुचलने के लिये उन्हें अधिक शक्ति प्राप्त हो जायेगी। सरकार चाहती है कि हम विश्वास करें कि विधेयक का उद्देश्य बैंक-पूंजी के प्रयोग के बारे में निदेश देना है। हम चाहते हैं कि यह दिशा बदले ताकि देश का और हमारे लोगों का भला हो। लेकिन क्या यह बदली है? मैं एक उदाहरण देता हूं। वे कहते हैं कि इस विधेयक से लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे। इस सरकार ने विदेशियों के नियंत्रणाधीन तेल उद्योग में कम्प्यूटर लगाने की अनुमति देकर 14,000 लोगों को बेरोजगार किया है। इसी प्रकार जीवन बीमा निगम, रेलवे और रिजर्व बैंक में हजारों कर्मचारियों की पदोन्नति का मार्ग अवरुद्ध किया गया है। इन सभी उद्योगों में रोजगार क्षमता को कम करके सरकार ने स्कूलों और कालेजों में शिक्षा पा रहे विद्यार्थियों का भविष्य अन्धकारमय किया है। सरकार चाहती है कि हम विश्वास करें कि वे रोजगार के अवसर बढ़ा रहे हैं। यह 1968 है, अब आप हमें धोखा नहीं दे सकते हैं।

सरकार कहती है कि बड़े व्यापारी, जो निदेशक हैं, अपने उद्योगों के लिये ऋण प्राप्त करने के लिये अपने पदों से लाभ उठा रहे हैं और इस विधेयक द्वारा इसे रोक दिया जायेगा। लेकिन अब टाटा और बिड़ला में समझौता हो जायेगा कि वे एक दूसरे के उद्योगों के लिये अपने बैंकों से धन की व्यवस्था करेंगे। वे पहले ही निर्णय कर चुके हैं कि इस विधेयक के पारित होने के बाद उन्हें क्या करना है।

उप प्रधान मंत्री के इस कथन से मैं सहमत हूं कि इस विधेयक का उद्देश्य यह है कि बैंकिंग व्यवस्था रिजर्व बैंक की मुद्रा तथा ऋण नीति की क्रियान्विति का कारगर साधन हो। लेकिन क्या रिजर्व बैंक की नीति ने बड़े बैंकों के दमन से छोटे बैंकों को बचाने में सहायता की है? सरकारी आंकड़ों के अनुसार 1960—66 की अवधि में बड़े बैंकों की प्रतियोगिता का सामना नहीं कर पा सकने के कारण 195 बैंकों का विलय हुआ, जिसमें से 45 अनिवार्य विलय के मामले थे। इस प्रकार रिजर्व बैंक की नीति से छोटे बैंकों को लाभ नहीं हुआ है। 1966 में रिजर्व बैंक द्वारा दिये गये ऋण में से 13 बैंकों को 73.6 प्रतिशत ऋण मिला। यदि विदेशी बैंकों को दिये गये ऋण की प्रतिशतता को और जोड़ दिया जाये, तो यह संख्या

86.3 प्रतिशत हो जायेगी। सरकार के आंकड़ों के अनुसार अनुसूचित बैंकों के पास जमा राशि 3783करोड़ रुपए है तथा ग़ैर-अनुसूचित बैंकों के पास केवल 50 करोड़ रुपए जमा है।

रिजर्व बैंक की नीति बैंकिंग प्रणाली में एकाधिकार को अधिक बढ़ावा देने की रही है और प्रस्तुत विधेयक से एकाधिकारवाद को और भी बढ़ावा मिलेगा।

जहां तक कार्मिक संघ अधिकारों को कुचलने का सम्बन्ध है, उप-प्रधान मंत्री को मालूम होना चाहिए कि कर्मचारियों को प्रदर्शन आदि करने के अधिकार पहले से ही प्राप्त हैं और ये अधिकार उन्हें मिल मालिकों अथवा सरकार द्वारा नहीं दिये गये हैं। ये अधिकार उन्हें वर्षों के संघर्ष तथा तपस्या के परिणामस्वरूप प्राप्त हुए हैं। उन्होंने उनकी प्राप्ति के लिये बड़ी-बड़ी कुर्बानियां की हैं। ऐसे महत्वपूर्ण अधिकारों के बारे में निर्णय करने अथवा विधान लाने या उनमें काट-छांट करने से पहले कर्मचारियों से इस बारे में विचार-विमर्श किया जाना आवश्यक है, उनसे सलाह लेनी जरूरी है; किन्तु सरकार इस बात को मानने से इन्कार करती है। मजदूर संघ सम्बन्धी अधिकारों को दबाने का उपबन्ध सभा में श्रम मंत्री द्वारा पिछले 20 वर्षों में बार-बार दिये इन पवित्र आश्वासनों के विरुद्ध है कि श्रमिकों के अधिकारों तथा दायित्वों के सम्बन्ध में विधान पुरःस्थापित करने से पूर्व उसे भारतीय श्रम सम्मेलन के पास भेजा जायेगा और उस पर वहां तथा स्थायी श्रम समिति में विचार-विमर्श किया जायेगा और उनकी सहमति प्राप्त होने पर ही उसे यहां पेश किया जायेगा। प्रस्तुत विधेयक को न तो भारतीय श्रम सम्मेलन अथवा स्थायी श्रम समिति के पास विचारार्थ नहीं भेजा गया है और न ही सरकार कर्मचारियों के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत करने को तैयार है।

रिजर्व बैंक ने जनवरी, 1965 में व्यापारिक बैंकों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों की एक गोष्टी आयोजित की जिसमें बैंकिंग उद्योग में श्रमिक सम्बन्धों तथा प्रबन्धक सम्बन्धों के प्रश्न पर खास कर विचार-विमर्श किया गया था। उन्होंने इस प्रश्न का अध्ययन करने और फिर तत्सम्बन्धी मामले पर सिफारिश करने के लिये दो प्राध्यापक नियुक्त किये। इस प्रश्न का अध्ययन किया जा रहा है। आखिर वित्त मंत्री को उपरोक्त सिफारिशों के मिलने से पहले कर्मचारियों के अधिकारों के बारे में विधान लाने की आवश्यकता कैसे पड़ गई? यह सामाजिक नियंत्रण एक दिखावा है। प्रतिबन्ध आदि की सब बातें एक धोख दे ही है। सामाजिक नियंत्रण के बहाने सरकार कार्मिक संघों तथा कर्मचारियों के अधिकारों पर महाजनों का नियंत्रण लागू कर रही है। यदि सरकार ने अपने बहुमत से इसे पारित कर भी दिया, तो बैंकिंग कर्मचारी उसका निश्चित रूप से विरोध करेंगे और हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठे रहेंगे।

**श्री बेवरत बरुआ** (कलियाबोर) : सामाजिक गति विज्ञान के सिद्धान्तों के अनुसार बैंकिंग संस्थाओं पर और अधिक नियंत्रण होना चाहिए, लेकिन अभी तक जिस प्रकार के नियंत्रण की कल्पना की गई है और रिजर्व बैंक द्वारा उसके जिस रूप की अपेक्षा की गई वह कोई लाभप्रद सिद्ध नहीं हुआ है। जहाँ तक सरकार की ऋण तथा विनियोजन नीति का सम्बन्ध है उससे अब भी बड़े-बड़े व्यापारियों को ही लाभ होता है। प्रस्तुत विधेयक के उद्देश्य में बहुत कुछ कमी रह गई है। फिर भी, निदेशकों के बोर्ड के पुनर्गठन तथा उसमें विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों की निदेशकों के रूप में नियुक्ति

[वेदव्रत वरुआ]

को प्रगति सूचक ही समझा जायेगा । इसके अलावा, चेयरमैन की नियुक्ति में भी बड़े व्यापरियों का हाथ नहीं रहेगा जो सही दिशा में निश्चित रूप से प्रगति का सूचक है ।

इसके साथ-साथ बैंकों की ओर से बैंकों द्वारा अपना वर्तमान व्यवसाय जारी रखने के अधिकार का भी प्रश्न उठाया गया है । मेरी राय में आज के समाज की मांग के आधार पर तथा समाज कल्याण के उद्देश्यों के आधार पर, जो हमारी अर्थव्यवस्था के आधार हैं, उनकी मांग को उचित नहीं ठहराया जा सकता क्योंकि बैंकों को नियंत्रित करने का मतलब देश की उन ऋण संस्थाओं को नियंत्रित करना है, जो बड़े-बड़े व्यापारियों के फायदे और उन्नति के लिये जन साधारण की बचतों का उपयोग करती रही हैं ।

बैंकिंग प्रणाली कृषि के लिये ऋण उपलब्ध करने में सर्वथा असफल रही है । इसे आपराधिक असफलता कहा जा सकता है क्योंकि वह हमारे देश का आधारभूत उद्योग ही नहीं अपितु उस पर हमारी 40 प्रतिशत राष्ट्रीय आय भी निर्भर करती है ।

गैर-सरकारी बैंक देहातों में नहीं गये, और न जायेंगे और न जा सकते क्योंकि बैंकिंग प्रणाली में इसका विरोध किया जाता है और वह लोगों में आवश्यक विश्वास पैदा नहीं कर सकती, इसलिये यदि हम अपनी बैंकिंग प्रणाली से जन साधारण के हितों की सेवा करना चाहते हैं, तो किसी छिटपुट विधान से काम नहीं चलेगा और उसके लिये हमें समस्त बैंकिंग प्रणाली को अपने हाथ में लेना पड़ेगा तथा उसका राष्ट्रीयकरण करना पड़ेगा । इन ऋण संस्थाओं को कुछ समय और दिया जाना चाहिए । यदि वे समाज की आवश्यकताएं पूरी कर सकते और सन्तोषजनक कार्य करते हैं, तो ठीक है अन्यथा उनका राष्ट्रीयकरण करना जरूरी है । इससे सरकारी क्षेत्र का विनियोजन पर पर नियंत्रण बढ़ जायेगा और देहातों में बचत बढ़ेगी लोगों में विश्वास पैदा कर सकेगी और देहाती क्षेत्र की बचतों का सरकारी क्षेत्र में उद्योगों का और आगे विस्तार करने में उपयोग किया जा सकेगा और किसानों को सभी औजार आदि उपलब्ध कराये जा सकेंगे, औजारों आदि की कमी के कारण ही हम कृषि में प्रगति नहीं कर पाये हैं ।

इन सभी बातों को तथा समाज की दिशा में परिवर्तन की आवश्यकता को दृष्टि में रखते हुए, विनियोजन की दिशा को बदलने, कृषकों में विश्वास का नया वातावरण तैयार करने कृषि में उन्नति करने, आर्थिक शक्ति का विकेन्द्रीकरण करने के लिये बैंकिंग संस्थाओं का राष्ट्रीकरण आवश्यक है । लेकिन, फिलहाल विधेयक में प्रस्तावित उपायों की वास्तविक क्रियान्विति काफी है तथा वांछनीय है ।

**श्री कृष्ण मूर्ति** (कडूलूर) : प्रस्तुत विधेयक बहुत निराशजनक कदम है, क्योंकि उसमें बैंकिंग उद्योग पर केवल सामाजिक नियंत्रण लागू करने की व्यवस्था है । हमने ऐसे विधेयक की आशा की थी जिसमें समूची बैंकिंग प्रणाली का राष्ट्रीयकरण करने की व्यवस्था हो, हमारे राष्ट्र की अर्थव्यवस्था में बैंकिंग संस्था का लगभग वही स्थान है जो मानव शरीर में हृदय का है, यह दुःख की बात है कि ऐसी संस्था का हमारे देश में अभी तक राष्ट्रीकरण नहीं हुआ ।

आज देश में हर व्यक्ति तथा हर दल कह रहा है कि मुद्रा स्फीति बढ़ गई है ? देश में धन की कुल सप्लाई तथा परिचलन की गति से मूल्यों में वृद्धि होती है । देश में मुद्रा स्फीति को बढ़ाने में वाणिज्यिक अनुसूचित बैंक का काफी हाथ रहा है । इसलिये कीमतों पर काबू रखने के

लिये बैंकिंग प्रणाली का राष्ट्रीयकरण करना जरूर है । शेयरहोल्डरों को धन के जनता को निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा रक्षा की जानी चाहिए, वास्तव में बड़े-बड़े व्यापारी लोग, जो बैंकों को नियमित कर रहे हैं, बड़ी-बड़ी व्यापारिक संस्थाओं आदि को ही धन देते और न कि छोटे उद्योगों को ।

भारतीय अर्थ व्यवस्था में कृषि का राष्ट्रीय आय में 47 प्रतिशत योगदान है किंतु अनुसूचित बैंकों का योगदान बहुत थोड़ा है । मार्च, 1966 में उन्होंने 2,346 करोड़ रुपये का ऋण दिया जिसमें से कृषि क्षेत्र के लिये केवल 5 करोड़ रुपये गये जो कुल ऋण का केवल 2 प्रतिशत ही है । उन्होंने देहातों में अपनी शाखाएं नहीं खोली हैं । किसानों को आज भी बैंकिंग सुविधाएं प्राप्त नहीं हैं और वे गैर-बैंकिंग संस्था को 26 से लेकर 36 प्रतिशत तक ब्याज दे रहे हैं और इस गैर-बैंकिंग संस्था को ये बैंक अप्रत्यक्ष रूप से धन दे रहे हैं और किसानों का सूदखोर शोषण कर रहे हैं तथा शयर होल्डरों के धन का दुरुपयोग कर रहे हैं ।

केन्द्रीय वित्त मंत्री तथा श्रम मंत्री सितम्बर 1967 में इंडियन बैंकर्स ऐसोसियेशन से बम्बई में मिले थे और वे इस विधेयक को पुरःस्थापित करने से पूर्व उसकी सहमति चाहते थे और चूंकि प्रस्तुत विधेयक से उनके हितों का हनन नहीं होता, इसलिये उसने सहर्ष अपनी अनुमति दे दी । वास्तव में सचाई यह है कि वित्त मंत्री, श्री मोरारजी देसाई बड़े-बड़े व्यापारियों तथा पूंजीपतियों के हितों की रक्षा कर रहे हैं और प्रस्तुत विधेयक में उनके विरूद्ध कोई बात नहीं है, रिजर्व बैंक आफ इंडिया अधिनियम के विभिन्न उपबन्धों की कतई क्रियान्विति नहीं हुई है । ये उपबन्ध अब भी मौजूद हैं । यह विधेयक लोगों को केवल धोखा देने तथा गुमराह करने के लिये सभा के समक्ष लाया गया है । प्रस्तुत विधेयक का खण्ड 36कक तथा खण्ड 54 कार्मिक संघ हितों के खिलाफ है अतः बैंक कर्मचारी आन्दोलन कर रहे हैं ।

प्रस्तुत विधेयक को प्रवर समिति में भेजने के बदले वापस लिया जाना चाहिए और इसके स्थान पर बैंकों का राष्ट्रीयकरण करने वाला एक अन्य विधेयक पुरःस्थापित किया जाना चाहिए । विधेयक में कहा गया है कि लगभग 79 बैंकों का राष्ट्रीकरण करने में लगभग 100 करोड़ रुपये खर्च आयेगा । यह देखते हुए कि हमने अपनी पंचवर्षीय योजनाओं पर कितना धन खर्च किया है जिससे हमें कोई लाभ नहीं हुआ है यह राशि कोई ज्यादा नहीं है ।

मैं नहीं जानता यह विधेयक क्यों पुरःस्थापित किया गया है, किसने इसकी मांग की ? सरकार एक कदम आगे रखती है और दो कदम पीछे हटती है । प्रस्तुत विधेयक के खण्ड 36क तथा 54 असंगत अनावश्यक, तर्कहीन तथा दुर्भाग्यपूर्ण है ।

**Shri Shashibhushan Bajpai** (Khargone): Mr Deputy Speaker, Sir, the Bill which seeks to impose Social control over the banking industry in the country is a commendable measure and is the first step towards nationalisation of banks. It is in the right direction, But it would be an act of betrayal if it took the shape of bureaucratic control of banks.

Whenever, the question of nationalisation of banks came up, the capitalists and reactionarie opposed it tooth and nail because they knew that it would be detrimental to their interests if nationalisation was effected.

It is a well known fact that Seheduled banks have totally failed in serving the interests of the small agriculturist They did not held him . The poor farmer is today entirely left to the

mercy of the money lender in rural secor who charges exorbitant rate of interest and exploits him miserably. These banks have not come to the rescue of small industry also.

Now coming to the Directors one will find them always involved in one or the other case. But they are so powerful and influential that no body can harm them and they escape conviction. They do not function honestly. They indulge in so many corrupt practices and devise the means of tax-evasion and pave the way for transactions of black-money through legal means and cheat the Government. That is why the people have lost their faith in these banks. There is, of course need to place them, the entire banking system under more and firm control of the public.

Trade unions prevent these banks from indulging in corrupt practices. In fact, cases of malpractices and irregularities committed by these banks are detected and brought to light by these unions. The Trade unions in the banks should be strengthened and encouraged. The clauses which seek to suppress their rights and go against their interests should be deleted.

**Shri Abdul Gani Dar** (Gurgaon): The Bill, it implemented properly, is a commendable piece of legislation. But I doubt if the Government are really serious about the welfare of the poor agriculturists in the country.

Several cases of irregularities, malpractics and embezzlement by the officers of the Punjab National Bank have been brought to the notice of Government during the last four years but in vain. They have not yet completed their investigations.

If the Hon Minister is really serious in introducing this Bill, I congratulate him. Almost all the Industries in public Sector are going in losses. It is very strange that no action has been taken aginst the officers of Punjab National Bank. If he is serious in this matter he should bring the Bill for the nationalization of Banks.

So far as trade Unions are concerned, I have got full Sympathy with them. I Support their demands. The labourers should work honestly and with great zeal. The efficiency is decreasing day by day. Unless there is work in the banks the country cannot flourish.

**Shri Randhir Singh** (Rohtak): The Steps taken by the Minister are in right direction.

[श्रीमती लक्ष्मीकान्तम्मा पीठासीन हुईं।]

[**Shrimati Lakshmikanthamma** in the chair]

The wealth concentrated with some people of the country. We should increase the purchasing capacity of the poor. If there are some difficulties in this matter, they should be removed. By the control of the banking system, the capitalists have become a dominent force in our economy. This control have to be snatched away from them if the poor farmer and the common man are to be benefited. It is the nation's money and so it should be utilised for the benefit or the common man.

I think the Bill is first step taken towards the implementation of the 10 point programme of the congress. Its first point includes the social control over banks.

The real remedy lies in the nationalization of banks. It will take the banking system to the rural Sector also. We will have to impose ceiling on urban property.

Government should provide agricultural credit to the farmers. Now-a-days they re not getting any credit. In case the farmer will have the money, he will be able to purchase more tractors seeds of good quality and it will result in the increase in production. cottage industries will be established in villages. It is praiseworthy step taken by the Government.

The trade unions cannot be ignored. They should be given full representation on the management. The employees right to demonstrate etc. should not be restricted.

**Shri Atal Behari Vajpayee** (Balrampur) : The banking industry has to contribute toward the fulfilment of economic and social objective of the country.

The objectives of the Bill are praiseworthy. But it will not be able to achieve its objectives If it will be passed in its present form, new evils will come to forfront, instead of eradicating the existing ones. The present Bill is not for social control of banks but for political control on them.

The newly constituted credit council will decide the allocation of credit to various sector. It is clear that the credit policy will be decided by the Government and not by the Reserve Bank.

The Reserve Bank has got sufficient power at present. But it is not being utilised, because these powers are in the hands of the Government. Therefore the Reserve Bank sould be made independent antonomous monetary authority. Nothing has been in the Bill in this direction.

The Goverment cannot be given power to decide whether a particular person has social knowledge or practical experience in agriculture, rural economy, small scale industries etc. The Government should set up an independent authority to constitute a pool of economic experts Directors should be selected from that pool.

The Government is taking the power for appointment and removal of direction and the decisions in that regard shall be final and shall not be called into question in a court. The provision is bad. Aggrieved pereson should have a right of appeal in court.

The Reserve Bank has got the power to amalgamate a Bank which is not making profit. It has also got the right to issue instructions to them. But these persons have never been utilised.

The State Bank of India was nationalized 15 years ago. Why it has not given adequate credit facilities to agriculturists and small industrialists. Working of the State Bank of India for the last five years should be investigated by experts, and report in this regard should be presented to the house. The terms and conditions for advancing money should also be reconsidered.

There is a clause 36-AD in the Bill which is a encroachment on workers'. trade union right we are not in favour of this type of encroachment. Their Trade Union should be controlled.

Trade union activities of bank employees should not be curbed. But before abolishing the rights Trade union should be consulted. I support Shri Deshmukh's suggestion that before taking any action on the Hazari report, the Government should consult the planning commission and Reserve Bank on the future of banks. It is not a political issue and so the Government should deal this issue cautiously.

The Reserve Bank should have control on banks. But it should not be political control. Basic charges should be made in the Structure of the Reserve BankIndependent economic experts should be appointed in that bank. Decision of the Reserve Bank shoud be accepted in the monetary matters. This Bill has not been succeeded in its aims, therefore we have decided to appose this Bill.

श्री हिम्मत सिंहका (गोड्डा) : रिज़र्व बैंक के पास पर्याप्त अधिकार हैं और वह निवेश की सुरक्षा के लिये आवश्यक हर प्रकार के निर्देश दे सकता है । वह बिना नोटिस किसी समय हिसाब-किताब का निरीक्षण कर सकता है और यह निदेश दे सकता है कि किसी विशेष फर्म या संस्था को किसी विशेष वस्तु पर धनराशि न दी जाये । यदि इन शक्तियों का उचित प्रयोग किया जाये तो इस विधेयक का उद्देश्य पूरा हो सकता है । राष्ट्रीयकरण स्वयं इसका इलाज नहीं है ।

सहकारी बैंकों को कृषि क्षेत्र की सहायता करनी चाहिये। कुछ स्थानों पर सहकारी बैंक उचित प्रकार से काम नहीं कर रहे हैं। उन्हें शक्तिशाली बनाया जाना चाहिये। यदि सरकार गाँवों में छोटे किसानों को अग्रिम धनराशि देने की कोई गारन्टी दे तो बैंकों की कमियों को बहुत हद तक दूर किया जा सकता है ।

सरकारी उपक्रमों में उचित व्यवस्था न होने के कारण उनकी आलोचना की जाती है। उनका प्रबन्ध ठीक तरह से नहीं किया जा सकता जब तक कि उनमें उचित कर्मचारियों की नियुक्ति न की जाये । स्टेट बैंक एक तिहाई से अधिक जमा धनराशियों पर नियंत्रण रखता है । इस सम्बन्ध में यह शिकायत है कि बैंकों ने ऐसी कम्पनियों को काफी धन राशि दी है जिनका नियंत्रण निदेशकों के हाथ में है । यह ठीक नहीं है । गैर सरकारी क्षेत्र में काम करने वाली अनुसूचित बैंकों ने निदेशकों द्वारा नियंत्रित कम्पनियों तथा फर्मों को केवल 11 प्रतिशत अग्रिम धनराशि दी भी जबकि ऐसी कम्पनियों को स्टेट बैंक द्वारा 26 प्रतिशत अग्रिम धन दिया था । वर्तमान कानून में यह व्यवस्था की गई है कि ऐसी कम्पनियो को अग्रिम धनराशि नहीं दी जायेगी जिन पर निदेशक की रुचि रखते होंगे। हमारी राय में यह नीति ठीक नहीं है । निदेशक उन व्यक्तियों की स्थिति जानते हैं जो बैंकों से सहायता माँगते हैं हमें ऐसी किसी मामले की सूचना नहीं मिली है जहां निदेशको द्वारा नियंत्रित कम्पनियो को दी गई अग्रिम धनराशि मारी गई हो। अतः निदेशकों पर यह आरोप लगाना कि उन्होंने अपनी शक्ति का लाभ के लिये प्रयोग किया उचित नहीं है ।

मेरे विचार से रिजर्व बैंक को पर्याप्त शक्ति दी गई हैं । यदि किसानों को ऋण देने के कार्य को आसान बनाना है तो सहकारी बैंकों को शक्तिशाली बनाना होगा या सरकार द्वारा कोई गारन्टी देने के कोई अन्य उपाय प्रयोग किये जाने चाहियें।

**श्री श्रीनिवास मिश्र (कटक)** : देश के हर क्षेत्र में यह भावना व्यक्त की गई है कि इस धन का प्रयोग देश की प्रगति और लघु उद्योगों और किसानों की सहायता के लिये किया जाना चाहिये। इस विधेयक को लाने का यही उद्देश्य है । इस विधेयक से निराशा ही हाथ लगी है। यदि हम खण्डों की जाँच करें तो हमें ज्ञात होगा कि उनसे वे उद्देश्य पूरे नहीं होंगे जिनके लिये विधेयक लाया गया है ।

1967-68 तक लोगों के पास कुल 510 करोड़ रुपये थे। उसमें से 73 प्रतिशत धन अनुसूचित बैंकों में जमा है । इसमें 53 प्रतिशत धन ऋण के रूप में दिया गया है 20 प्रतिशत धन को देश के हित के लिये व्यय नहीं किया जा रहा है ।

विधेयक में निदेशकों पर कुछ नियंत्रण लगाने का उपबन्ध किया गया है । खण्ड 10 (क) में लेखापरीक्षा की विशेष जानकारी तथा व्यावहारिक अनुभव होने जैसी विभिन्न योग्यताओं का उपबन्ध किया गया है । क्या हमारे किसानों तथा साधारण व्यक्तियों से, जो अपनी धनराशि जमा कराते है, यह अपेक्षा की जा सकती है, कि उन्हें इस सम्बन्ध में विशिष्ट जानकारी होगी । ये अर्हतायें निर्धारित किये जाने के बाद, क्या सामान्य व्यक्ति निदेशक निर्वाचित अथवा नाम निर्देशित किये जाने का हकदार हो सकेगा। मैं समझता हूं कि यह योग्यतायें रखना परोक्ष रूप से बड़े व्यापार गृहों को बढ़ावा देना है । ये योग्यतायें वास्तव में साधारण व्यक्ति के लिये नहीं रखी गई हैं, बल्कि पिछले दरवाजे से बड़े व्यापारियों को लाने के लिये रखी गई है ।

इस विधेयक में एक यह उपबन्ध किया गया है कि यदि रिजर्व बैंक इस बात से संतुष्ट हो जाये कि किसी निदेश की योग्यतायें निर्धारित मानदण्ड के अनुसार नहीं हैं, तो वह उसे हटा सकेगा और उसके स्थान पर किसी दूसरे व्यक्ति की नियुक्ति कर सकेगा। क्या इस से अंशधारियों के अपने निदेशक चुनने के अधिकार का उल्लघन नहीं होता। यदि किसी कम्पनी के पास पर्याप्त संख्या में लेखा परीक्षा इत्यादि की अर्हता वाले व्यक्ति नहीं होगें, तो रिजर्व बैंक उस बैंक पर अपने निदेश थोप सकेगा। अतः इसे सामाजिक नियंत्रण नहीं कहा जा सकता है। यह तो केवल रिजर्व बैंक का नियंत्रण है।

इस के अतिरिक्त चैयरमैन की नियुक्ति का प्रश्न उठाया गया है। यह उपबन्ध किया गया है कि चैयरमैन बैंकिंग का विशेषज्ञ होना चाहिये। अब यदि बड़े व्यापारी तथा बैंकर जिन का इस समय बैंकों पर नियंत्रण है, चैयरमैन के पद के लिये योग्य नहीं होंगे तो इस पद पर नियुक्ति के लिये और कौन योग्य होगा। इस लिये इस में सामाजिक नियंत्रण की कोई बात नहीं है

इस के उपरान्त मैं खण्ड 36क (घ) का उल्लेख करता हूं, जो अनावश्यक, असंगत तथा असंवैधानिक है। इस खण्ड का उल्लेख उद्देश्यों तथा कारणों के विवरण में भी नहीं किया गया है। क्या सरकार चाहती है कि इस खण्ड को प्रभावित व्यक्ति पढ़े ही नहीं। मैं समझता हूं कि इस खण्ड का कोई लाभ नहीं है, हां हानियां अवश्य हैं। इस से केवल रुकावटो को ही निषिद्ध नहीं ठहराया गया है, बल्कि अन्य बातों को भी निषिद्ध ठहराया गया है इस खण्ड में कहा गया है "कि बैंकिंग कम्पनी की उधार पात्रता को कम करने की कोई कार्यवाही" निषिद्ध है। क्या हम, अंशधारी, बैंकिंग कम्पनी के वित्तीय घोटाले पर कोई विचार विमर्श नहीं कर सकते। मान लो किसी बैंक का दिवाला निकलने वाला है तथा कोई व्यक्ति यह कहता है कि उस बैंक की वित्तीय स्थिति बिगड़ रही है, तो वह इस खण्ड की पकड़ में आ जाता है।

माननीय सदस्यों ने ठीक ही कहा है कि इस विधेयक के द्वारा रिजर्व बैंक को जो शक्तियां दी जा रही हैं, रिजर्व बैंक के पास पहले ही वह सब शक्तियां हैं और यदि उनका प्रभावशाली ढंग से प्रयोग किया जाये, तो वह सब बातें पूरी की जा सकती हैं, जो इस विधेयक के उपबन्धों के अन्तर्गत ऐसी ही व्यवस्था करने का विचार है। अतः यह विधेयक अन वश्यक है। इसे केवल लोगों की भावनाओं को शांत करने के लिये लाया गया है।

मैं इस विधेयक का विरोध करता हूं।

**Shri Rabi Ray** (Puri): This bill which has been brought before the House in the name of socialisation of Banks is only meant to deceive the people. The object of the Bill is not to have social control over the Banks.

I would like to draw the attention of hon. Members, like Shri Randhir Singh who had al praise in favour of this bill, to clause 36A (d) which I think is undemocratic. It encroaches the birth right of the bank employer to fight for their demands. They are being deprived of their birth right to fight for their demands and hence this Bill is a fascist measure. This clause is not going to result in any good to the people at large or the Bank employees, rather it will lead to the monopoly of millionaires on the banking industry. This clause should, therefore, be removed from the bill.

The Congress has been in power since last twenty years, but it has failed to give a consistent principle to the public. First of all they told the public that socialism would be brought through co-operatives. But nothing concrete was done in this regard. Then they advocated that a

welfare State will be established, but nothing happened. Then after Bhubaneshwar session they talked about the socialistic pattern of society. Thus the Government have been talking about different principles, but they have failed to implement any of them. The Government is not consistent in following any principles. It sometimes talks about socialism, at other times it talks about co-operation and yet at another moment it talks about socialistic pattern of society. They are not going to bring any revolution in our economic structure. They are only talking about one thing at this moment and about other at the other moment. I know that banks are not going to be nationalised, because it requires a sound economic policy which this Government is talking.

I want to say that it was suggested by Shri V. K. R.V. Rao that Government should put a ceiling on expenditure. No family should have an expenditure of more than Rs. 2,000 or in other words no body's income should be more than Rs. 2,000. The Government has failed to do that. They have tried to the people by bringing forward this Bill.

[श्री बलराज मधोक पीठासीन हुए]
[*Shri Balraj Madhok in the Chair.*]

Banks in our country are tools in the hands of industrialists and they did not cater to the needs of the common man, the farmer or the small industrialists. If you like to see the accounts of last twenty or twenty one years, than you will come to know that no credit has been given by these banks of the Life Insurance Corporation to the farmers. These banks have always served the needs of the big business, who have got the support of the Congress, because huge donations are being given to Congress by these big business houses.

I want to make it clear that the provisions of the present bill do not enable farmers to become the directors of the banks. Do you expect a farmer to go to England for attaining special knowledge of accountancy and then becoming the director of a bank after his return.

After examining the pros and cons of this Bill, I request the Government to withdraw this bill and bring a good bill in place of the present one. It is a matter of satisfaction that the Bill is being referred to a Select Committee and I hope the members of the Select Committee will be kind enough to change it suitably, so that it may serve the purposes of Common man.

**श्री बूटा सिंह** (रोपड़) : मैं इस विधेयक का स्वागत और समर्थन करता हूं तथा माननीय वित्त मंत्री को बधाई देता हूं कि उन्होंने बैंकों पर सामाजिक नियंत्रण करने के लिये बहुत अच्छा विधेयक पेश किया है । मुझे यह देख कर बड़ा आश्चर्य हुआ कि मेरे समाजवादी तथा साम्यवादी मित्र जो बार बार बैंकों पर सामाजिक नियंत्रण की अथवा बैंकों के राष्ट्रीयकरण की मांगे करते रहे हैं, अब इस विधेयक का विरोध कर रहे हैं ।

यह विधेयक एक सही दिशा में सही कदम है । मैं तो केवल यह जानना चाहता हूं कि इस विधेयक को इतनी देरी के बाद क्यों लाया जा रहा है, इसे बहुत शीघ्र लाया जाना चाहिये था ।

हमारे देश में बैंकों पर कुछ वर्गों का नियंत्रण रहा है और वे अपने लाभ के लिये धन राशि का उपयोग करते रहे हैं । अब इस विधेयक को जो सभा के सामने लाया गया है, शीघ्र कानून बनाया जाना चाहिये, ताकि बैंकों के सामाजिक नियंत्रण से देश को लाभ हो सके ।

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त)** : मैं माननीय सदस्यों को विश्वास दिलाता हूं कि उन के उचित सुझावों को स्वीकार किया जायेगा । इस विधेयक को प्रवर समिति को सौंपा जा रहा है तथा प्रवर समिति में इस पर पूर्ण रुप से विचार किया जायेगा तथा सब संगत बातों की जांच की जायेगी ।

मेरे मित्र श्री वाजपेयी ने सरकार और रिजर्व बैंक की शक्तियों के बीच परस्पर सम्बन्ध का उल्लेख किया है। उन्होंने कहा है कि रिज़र्व बैंक की शक्तियों को कम नहीं किया जाना चाहिये। रिजर्व बैंक एक स्वायतशासी निकाय है और उसे एक विधि द्वारा शक्तियां प्रदत्त की गई हैं। सरकार का उस के साथ एक विशेष सम्बन्ध है। इस विशेष विधेयक के द्वारा सरकार को केवल लोक हित में रिजर्व बैंकों कुछ निदेश देने की अन्तिम शक्तियां दी गई है। ये शक्तियां अब भी सरकर के पास हैं। इसलिये रिजर्व बैंक के गठन और उसके पद के सम्बन्ध में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है और न ही ऐसा करना आवश्यक समझा जाता है।

मेरे माननीय मित्र श्री उमानाथ ने इस बात का उल्लेख किया है कि पिछले कई वर्षों में बैंकों की संख्या में कमी हुई है और उन्हें मतव्यक्त किया है कि ऐसा शायद इसलिये किया गया है कि सरकार, बैंकिंग प्रणाली में एकाधिकार को बढ़ावा दे रही है। इस सम्बन्ध में मैं कहना चाहता कि बैंकों की संख्या को कम करने का कारण एकाधिकार को बढ़ावा देना नहीं है अपितु ऐसा करने मुख्य कारण अकुशलबैंकों के खातेदारों की स्थिति में सुधार करना है तथा सरकार को जानबूझ कर यह नीति अपनानी पड़ी है कि कमजोर और अकुशल बैंकों को समेकित किया जाये ताकि वे अधिक सुदृढ़ बन सकें और खातेदारों के हितों को सुरक्षित रख सकें।

मुझे यह जानकर बहुत आश्चर्य हुआ कि श्री उमानाथ ने विद्युतचालित संगणकों का विरोध किया है, यद्यपि उनका दल सदा लघु उद्योग तथा ग्रामोद्योग तथा खादी इत्यादि का विरोध करता रहा है और बड़े पैमाने के उद्योगों और आधुनिकीकिरण का पक्ष करता रहा है। विद्युत चालित संगणकों के सम्बन्ध में मैं कहना चाहता हूं कि हमें समझना चाहिये कि यदि हम बहुत बड़ी पूंजी वाले उद्योग चालू करते हैं और उन से अधिकतम लाभ उठाना चाहते हैं तो हमें ऐसी चीजों के इस्तेमाल को जिनसे उनमें लगाई गई पूंजी से अधिकतम लाभ उठाया जा सके, जानबूझकर नहीं टालना चाहिये। अतः उनका प्रयोग किया जाना चाहिये। हमारे जैसी विकासशील अर्थ व्यवस्था में कुछ बुनियादी समझौते तो करने ही पड़ते हैं। नियोजन और अर्थ व्यवस्था के विकास हेतु हमें कोई समझौता करना ही होगा।

**श्री श्रीनिवास मिश्र** : ने निदेशकों की नियुक्तियों के बारे में आपत्ति उठाई है। उन्होंने प्रश्न किया है कि यदि कोई बैंक गलत समझने वाले व्यक्तियों को निदेश नियुक्त करता है, तो उसे कैसे रोका जा सकता है। मैं समझता हूं कि शायद उन्होंने इस विधेयक के उस उपबंध को नहीं देखा है जिसमें रिजर्व बैंक को यह शक्ति दी गई है कि यदि कोई अवांछनीय समझा जाने वाला व्यक्ति निदेश नियुक्त किया जाता है तो रिजर्व बैंक उसको हटा सकेगा तथा उसके स्थान पर दूसरे व्यक्ति को निदेशक नियुक्त कर सकेगा।

मेरे माननीय मित्र श्री कौशिक ने एक मौलिक बात कही है। उन्होंने कहा है कि यह विधेयक सामाजिक नियंत्रण का नहीं, बल्कि राजनीतिक नियंत्रण का विधेयक है। मुझे उस आलोचना से अत्यन्त आश्चर्य हुआ है। इस विधेयक की बुनियादी बातें क्या हैं? इस के द्वारा एक राष्ट्रीय ऋण परिषद् स्थापित की गई है, जो वांछनीय और ऐसे मार्गों में से जो हमारे देश के सम्पूर्ण सामाजिक और आर्थिक उद्देश्यों के अनुरूप होंगे ऋण को संचालित करने के लिये मार्गदर्शन प्रस्तुत करेगी। यह एक मूलभूत उपबन्ध है।

इसके अतिरिक्त दूसरी बात यह है कि इससे इन बैंकों के ऐसे पुनर्गठन की कुछ शक्तियां दी गई हैं कि उन के अध्यक्ष पेशेवर बैंकर होंगे तथा राजनीतिक नहीं होंगे। आगे, निदेशक बोर्ड

इस ढंग से कायम किये जायेंगे कि उनके अधिकतर सदस्य उद्योगपति नहीं होंगे और उनमें विभिन्न हितों का प्रतिनिधित्व होगा । इसका अर्थ यह होगा कि इन बैंकों के प्रबन्ध का बुनियादी ढांचा बदल दिया जायेगा ।

मेरे माननीय मित्र श्री कौशिक ने कहा है कि हमें अर्थव्यवस्था के विकास तथा प्रगति सम्बन्धी पहलू पर अपना ध्यान अधिक केन्द्रित करना चाहिये तथा वितरण सम्बन्धी पहलू पर बिल्कुल तवजह नहीं दी जानी चाहिये । मेरा निवेदन है कि वर्तमान सामाजिक–आर्थिक स्थिति की आवश्यकताओं का यह बहुत सही मूल्यांकन नहीं है । हम वितरण सम्बन्धी पहलू की उपेक्षा नहीं कर सकते । हमारे संविधान में इस का उपबन्ध किया गया है तथा हमने समाजवादी समाज स्थापित करने का वचन दिया है ।

यह कहा गया है कि रिजर्व बैंक कई वर्षों से काम कर रहा है । परन्तु अपेक्षित परिणाम प्राप्त नहीं हुए हैं । पीछे रिजर्व बैंक का एक आधारभूत उद्देश्य यह रहा है कि खातेदारों के हितों की रक्षा की जायें, उसने अपना ध्यान इस पहलू पर केन्द्रित किया है । अब इस उद्देश्य को अधिक व्यापक बनाया गया है । अब प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की आवश्यकताओं को पूरा करने के संपूर्ण उद्देश्य को अधिक व्यापक बनाया गया है । उसके अतिरिक्त भारत के रिजर्व बैंक को अर्थ व्यवस्था के लिये उपयोगी गतिविधियों की आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखा गया है । इसका यह अर्थ नहीं कि ऐसे बड़े पैमाने के उपक्रमों को भी ऋण न दिया जाये जो समाज के लिए उपयोगी कार्य कर रहे हैं । वास्तव में देखना यह है कि इस ऋण का उन परियोजनाओं के लिये दुरूपयोग न किया जाये, जिन्हें हम स्वीकार नहीं करते और देश की अर्थ व्यवस्था के लिये हानिकारक है ।

कई माननीय सदस्यों ने कहा है कि बैंकों का राष्ट्रीकरण क्यों नहीं किया जा रहा है । इस सम्बन्ध में मैं उन सब बातों को दौहराना नहीं चाहता, जो उप प्रधान मंत्री ने 14 दिसम्बर को अपने वक्तव्य में इस सभा में कहीं थी । उन्होंने अपने वक्तव्य में कहा था कि इस सामाजिक नियंत्रण के विधान को सामाजिक नियंत्रण का जो उद्देश्य हमारे सामने है, उसे पूरा करने के लिये सब से अधिक प्रभावशाली विधेयक समझा जाना चाहिये । एक माननीय सदस्य ने कहा है कि उप प्रधान मंत्री ने बैंकों की बैठक बुला कर, उद्योगपतियों के हितो का संरक्षण किया है ; मैं कहना चाहता हूं कि ऐसा समझना उचित नहीं है ।

कई माननीय सदस्यों ने खण्ड 36क(घ) की आलोचना की है । श्री श्री निवास मिश्र ने इस खण्ड को असंवैधानिक बताया है । मैं समझता हूं कि संविधान के अनुच्छेद 19(2) के अन्तर्गत ऐसे प्रतिबन्ध लगाये जा सकते हैं । इस खण्ड में सभी प्रकार के प्रदर्शनों पर रोक नहीं लगाई गई है । इस में ऐसे प्रदशनों अथवा नारों इत्यादि पर रोक लगाने की मांग की गई है, जो लोगों को अपराध करने के लिये उत्तेजित करते हैं । इस खण्ड का उद्देश्य कर्मचारियों की कार्मिक संघ सम्बन्धी गतिविधियों पर रोक लगाना नहीं है । हमारा इरादा यह भी नहीं है कि नियोजकों और कर्मचारियों के वर्तमान अधिकारों और कर्तव्यों में कोई परिवर्तन किया जाए । प्रस्तावित उपबन्ध केवल कर्मचारियों पर लागू नहीं होता, यह तो सामान्यतया सभी पर लागू होता है । इस में व्यक्ति विशेष का उल्लेख किया गया है किसी कमचारी का नहीं । बैंक सामान्यतया कार्य के घंटों के दौरान कार्य कर सकें, यह सुनिश्चित करना सरकार की जिम्मेदारी है । परक्राम्य संलेख अधिनियम

के अन्तर्गत सरकार की कुछ जिम्मेदारियां हैं । यदि सरकार ने अपनी जिम्मेदारियों को पूरा नहीं किया, तो उस पर मुकदमा चलाया जा सकता है । व्यापारिक एवं वाणिज्यिक उपक्रमों की ऐसी कोई जिम्मेदारी नहीं होती है ।

जैसा कि मैंने पहले कहा था कि प्रत्येक बात का उत्तर देना इस समय आवश्यक नहीं है, इसलिये मैंने केवल मुख्य मुख्य बातों का उल्लेख किया है । इस विधेयक पर पूर्णरूपेण प्रवर समिति

**सभापति महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि बैंकों पर सामाजिक नियंत्रण के विस्तार और तत्सं- सक्तविषयों अथवा आनुषंगिक विषयों का उपबन्ध करने हेतु बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 में आगे संशोधन करने वाले तथा रिजर्व बैंक आफ इण्डिया अधिनियम, 1934 तथा स्टेट बैंक आफ इण्डिया अधिनियम, 1955 में भी आगे संशोधन करने वाले विधेयक को निम्नलिखित 22 सदस्यों अर्थात् :--

(1) श्री फ्रेंक एंथनी

(2) श्री कमलनयन बजाज

(3) श्री स्वतंत्र सिंह कोठारी

(4) श्री नारायण दांडेकर

(5) श्री सी० टी० दंडपाणि

(6) श्री जी० एस० ढिल्लों

(7) श्री मधु लिमये

(8) श्री छ० म० केदरिया

(9) श्रीमती सुचेता कृपालानी

(10) श्री समरेन्द्र कुंदु

(11) श्री ललित सेन

(12) श्री इन्द्रजीत गुप्त

(13) चौधरी नीतिराज सिंह

(14) श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित

(15) श्री कृष्ण चन्द्र पंत

(16) श्री एस० आर० राने

(17) श्री तिरुमल राव

(18) श्री द्वैपायन सेन

(19) श्री कमलनाथ तिवारी

(20) श्री ज्योतिर्मय बसु

(21) श्री साधू राम

(22) श्री मोरारजी देसाई

की प्रवर समिति को एक मास के अन्दर प्रतिवेदन देने की हिदायत के साथ सौंपा जाय ।

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।**

**The Motion was adopted**

**इसके पश्चात् लोक सभा बुधवार, 27 मार्च, 1968/7 चैत्र, 1890(शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई ।**

**The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the clock on Wednesday March 27, 1968/Chatra 7, 1890 (Saka)**



GMGIPND—LS III—898 (ai) LS D —30-12-68—600.

P. L. S. 48. XIV. 30. 68(N)
600

© 1968 प्रतिलिप्यधिकार लोक-सभा सचिवालय को प्राप्त ।

लोक-सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन सम्बन्धी नियमों (पांचवां संस्करण)
के नियम 379 और 382 के अन्तर्गत प्रकाशित और मुख्य व्यवस्थापक,
भारत सरकार मुद्रणालय, मिन्टो रोड, नई दिल्ली द्वारा मुद्रित ।

© 1968 BY LOK SABHA SECRETARIAT

PUBLISHED UNDER RULES 379 AND 382 OF THE RULES OF PROCEDURE AND CONDUCT OF BUSINESS IN LOK SABHA (FIFTH EDITION) AND PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI.